Thursday, 30 March, 1978

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 12 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : चार रुपये

Price: Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 27 गुरूवार, 30 मार्च, 1978/9 चैत्र, 1900 (शक)

No. 27 *Thursday, March* 30, 1978/9 *Chaitra*, 1900 [*Saka*]

विषय	Subject	PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions:	1–17
*तारांकित प्रश्न संख्या 513, 515, 516, 518, 520 और 521	*Starred Questions Nos. 513, 515, 516, 518, 520 and 521	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions:	17–131
तारांकित प्रश्न संख्या 511, 512, 514, 517, 519 और 523 से 530	Starred Questions Nos. 511, 512, 514, 517, 519 and 523 to 530	
अतारांकित प्रश्न संख्या 4838 से 4916, 4918 से 4943, 4945 से 4975 और 4977 से 5013	Unstarred Questions Nos. 4838 to 4916, 4918 to 4943, 4945 to 4975 and 4977 to 5013	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	131–133
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance—	133–143
बिहार के एक गांव में हरिजनों पर कथित अत्याचार—	Reported atrocities on Harijans in a village in Bihar—	133–143
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	133–134
श्री धनिक लाल मंडल	Shri Dhanik Lal Mandal	134
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	135–143
प्रो० पी० जो० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	139
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	139–140
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	140–143
श्री आर० के० महालगी	Shri R. K. Mhalgi	142–143
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	144
17 वां प्रतिवेदन और कार्यवाही का सारांश प्रस्तुत	Seventeenth Report and Minutes presented	144

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभामें उस सदस्य ने वास्तव मे पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—120 एल. एस. एस. (नई दिल्ली)/78

दण्ड प्रक्रिया या संहिता (संशोधन) विधेयक वापस लिया गया—	Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill Withdrawn—	144–146
वापस लेने का प्रस्ताव—	Motion to withdraw—	144–146
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	144–146
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under Rule 377—	146–147
(1) कोल इण्डिया लिमिटेड का उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने में कथित असफलता—	(i) Reported failure of Coal India Ltd. to ensure adequate supply of coal to industries—	146
श्री भगत राम	Shri Bhagat Ram	146
(2) टायरों तथा ट्यूबों के मूल्यों मे कथित वृद्धि—	(ii) Reported increase in prices of tyres and tubes—	147
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	147
(3) भावनगर में रि-रोलिंग उद्योग को इण्डेन गैस सिलिण्डरों की सप्लाई—	(iii) Supply of Indane gas cylinders to re-rolling industry in Bhavnagar—	147
श्री प्रसन्नभाई मेहता	Shri Prasannabhai Mehta	147
अनुदानों की मांगें, 1978-79—	Demands for Grants, 1978-79—	148–176
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय—	Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers—	148–176
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	148–150
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K. S. Chavda	153–154
श्री धरमसिंह भाई पटेल	Shri Dharmasinhbhai Patel	154–155
श्री पी० व्ही० जी० राजू	Shri P.V.G. Raju	155–156
श्री यशवन्त बोरोले	Shri Yashwant Borole	166
श्री आर० पी० दास	Shri R. P. Das	157–158
श्री कल्याण जैन	Shri Kalyan Jain	158–159
श्री सी० एन० विश्वनाथन	Shri C. N. Visvanathan	160
श्री के० मायाथेवर	Shri K. Mayathevar	160–161
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mishra	161–162
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand	163
श्री ए० के० राव	Shri A. K. Roy	163–165
श्री हीरा भाई	Shri Heera Bhai	165
श्री रामजीवन सिंह	Shri Ramjiwan Singh	166
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	166–167
श्री कुदनथाई एन० रामलिंगम	Shri Kudanthai N. Ramalingam	167–168
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen	168–169
श्री राम विलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan	169–170
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani	170
श्री एच० एन० बहुगुणा	Shri H. N. Bahuguna	171–175

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 30 मार्च, 1978/9 चैत्र, 1900 (शक)
Thursday, March 30, 1978/*Chaitra* 9, 1900 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha Met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Sending Indian Labour abroad through Government Agencies

*513. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether, in view of serious irregularities and large scale corruption prevailing in sending Indian labour abroad, Government propose to assign this work to some Government agencies;

(b) if so, the outlines of the proposal; and

(c) if not, the reasons therefor?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) : भारत सरकार द्वारा जून, 1976 में लिए गए नीति निर्णय के अनुसार, कोई भी फर्म, संगठन और व्यक्ति तब तक भारत से विदेशों में नियोजन के लिए कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल श्रमिकों की भर्ती के काम में नहीं लगेगा जब तक वह इस प्रयोजन के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा पंजीकृत और विधिवत अनुमोदित नहीं किया जाता। विदेशी फर्में और संगठन पंजीकरण के पात्र नहीं है परन्तु ये श्रम मंत्रालय के पास पंजीकृत किसी भारतीय कम्पनी या संगठन की सेवाएं प्राप्त कर सकते है जो कि उन की ओर से कार्य करेंगे। तथापि, ऐसी भारतीय फर्में या संगठन जो ठेके या उप-ठेके के आधार पर परामर्शों या कार्यों के निष्पादन में रत है, उन्हें विदेश में सेवा के लिए अपनी जरूरत के कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों की सीधी भर्ती करने की अनुमति दी जाती है और उन्हें भर्ती एजेंसियों के पास जाने की जरूरत नहीं होती परंतु उन की नियोजन की शर्तें रोजगार मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जाती है।

हाल ही में एक सरकारी समिति नियुक्त की गई है जो विदेशों में नियुक्ति के पूरे प्रश्न तथा भर्ती एजेंटों के पंजीकरण, श्रमिकों को रोजगार के लिए बाहर भेजने आदि की पद्धति को सुप्रवाही बनाने के प्रश्न की जांच करेगी। इस समिति के विचारार्थ विषयों में एक प्रश्न यह है कि एक सरकार से दूसरी सरकार को श्रमिकों को नियुक्ति के लिए भेजने के उपाय और साधन सुझाना है। इस समिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर इस प्रश्न की आगे जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

Shri Mahadeepak Singh Shakya: Mr. Speaker, Sir, I am sorry to say that my question has not been clearly answered in this statement. My question is—

"whether, in view of serious irregularities and large scale corruption prevailing in sending Indian labour abroad, Government propose to assign this work to some Government agencies?"

The hon. Minister has nowhere mentioned in the entire statement the fact that corruption is prevalent there. In the statement it has been mentioned that no foreign organisation, individual or firm can engage itself in such acts until and unless approval is sought from the registered Indian firm and approval is given by the Government i.e. the Ministry of Labour. I would like to know whether he has conducted any inquiry in this regard as to how a number of such foreign individuals and organisations are engaged in this which are neither approved by the Government nor by the registered firms?

श्री रवीन्द्र वर्मा: मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को अपने प्रश्न का उत्तर विवरण में नहीं मिला है।

One hon. Member: Please give a reply in Hindi.

श्री रवीन्द्र वर्मा: यह प्रश्न सदन में उठाया जा चुका है और पीठासीन अधिकारीने विनिर्णय दिया है कि नियमों के अनुसार कोई मंत्री जिस भाषा में चाहे उत्तर दे सकता है। माननीय सदस्य अनुवाद सुन सकते हैं।

माननीय सदस्य का प्रश्न है "क्या सरकार का विचार यह कार्य किसी सरकारी एजेंसी को सौंपने का है" और मैंने उत्तर में भर्ती एजेंसियों के पंजीकरण के लिये वर्तमान पद्धति का उल्लख किया है और यह भी कहा है कि इस बात को देखते हुए कि पंजीकरण संबंधी इस पद्धति और प्रक्रिया के बावजूद ऐसे मामले हुए है जो अन्यत्र कार्यरत हमारे श्रमिकों की रहन-सहन की स्थितियों अथवा अन्याय के बारे में अनियमितताओं अथवा शिकायतों को प्रकाश में लाते है। इस प्रश्न के सभी पहलुओं के बारे में जांच करने के लिये हमने एक समिति नियुक्त की है जिससे वर्तमान प्रक्रियाओं में सुधार किया जा सके और अन्य बातों के साथ-साथ दोनों सरकारी स्तर तथा गैर-सरकारी एजेंसी के विनियमन के बारे में उठाय जाने वाले कदमों की जांच करे जिससे हमारे श्रमिकों के प्रति कोई अन्याय न होना सुनिश्चित हो सके।

Shri Mahadeepak Singh Shakya: Similar question was raised on 1 March, 1978 and at that time he had stated in his statement that complaints had been received about unauthorised recruitment made through non-registered recruiting agents and he had himself admitted this. Therefore, I would like to know from the hon. Minister as to what has been done so far about them? How many complaints have been received and what action has been taken against such persons found guilty?

श्री रवीन्द्र वर्मा : इस प्रश्न के दो पहलू है । एक पहलू यह है, जैसा माननीय सदस्य कहते है, कि कई व्यक्ति ऐसे है जो पंजीकृत नहीं है और इस तथ्य के बावजूद वे अन्य देशों में नौकरी अथवा रोजगार के लिये भर्ती कर रहे है । यह स्पष्ट है कि यह श्रम मंत्रालय की जानकारी के बिना किया जा रहा है और इस तथ्य के बावजूद किया जा रहा है कि इस बारे में सरकार के निर्णय में पंजीकरण की आवश्यकता का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया गया है । सरकार के लिये यह बताना संभव नहीं है कि अवैध रूप से भर्ती करने वाले व्यक्ति कौन-कौन है । यदि यह हमारी जानकारी में आ जाता है कि कुछ व्यक्ति अवैध रूप से लोगों को भर्ती कर रहे है तो वस्तुतः हम ऐसी कार्यवाही करते है जो हमें उनके विरुद्ध करनी होती है । अतः यदि माननीय सदस्य मुझसे उन व्यक्तियों की कोई सूची, जो अन्य देशों में नौकरी के लिये गैर-कानूनी रूप से श्रमिकों की भर्ती कर रहे है, देने की आशा करते है तो यह मेरे लिए संभव नहीं है क्यों कि हमारे पास जो कोई भी जानकारी है हम उसका प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये करते हैं ।

दूसरा पहलू ऐसे मामलों के बारे में है जहां पंजीकृत एजेंसियों के बारे में शिकायतें की गई है । जहां-कहीं भी पंजीकृत एजेंसियों के बारे में शिकायतें मिली है हमने कार्यवाही की है । इन सभी मामलों का ब्यौरा देना मेरे लिए संभव नहीं है । मैं केवल यही कह सकता हूं कि ऐसे मामलों में इन देशों में हमारे दूतावासों, आसूचना रिपोर्टों और सरकार के पास उपलब्ध अन्य सभी तरीकों के जरिए जांच-पड़ताल करते है और जहां मामले इस प्रकार के है कि जिनमें यहां से स्थल पर जाकर जांच करने के लिये कोई दल भेजना आवश्यक समझते हैं तो हम यहां से स्थल पर जाकर जांच करने के लिये एक दल भेजते हैं । अतः जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं हम उन पर कार्यवाही करते हैं । ऐसे मामले हैं जहां फर्मों के पंजीकरण को निरस्त किया गया है क्योंकि इस प्रकार की अनियमिततायें प्रकाश में आई हैं । मैं माननीय सदस्य और सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि जब कभी भी ऐसे समाचार हमारे ध्यान में लाये जाते है तो हम उन पर कार्यवाहीं करते है ।

Shri Ugrasen: The hon. Minister has stated that a Committee has been constituted which will look into all the irregularities and make suggestions for future. He has also stated that he has received complaints against those registered agencies which recruit persons here and send them abroad. I want to know categorically from the hon. Minister whether he would set up a cell in the Ministry of Labour which may recruit people on official level when foreign country's requisition for them is received and recruit them officially and send them abroad. This will put to an end to the corruption and delay that takes place at the agency level. They take a sum ranging upto Rupees five thousand from them for visa. Will the hon. Minister set up a cell or get it done through any government agency ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य का कहना लगभग सही है कि श्रम मंत्रालय में इस मामले के लिये एक सैल है । यह श्रम मंत्रालय का विदेश रोजगार सैल है । इस सैल का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि जो भारतीय श्रमिकों को विदेशी कम्पनियों की ओर से कहीं नियुक्त करने के लिये भरती करना चाहते है उनका पंजीकरण किया जाये । ठेके की जिन शर्तों के अधीन इन श्रमिकों को भर्ती किया जाता है उन्हें वे मंत्रालय को सप्लाई करते है ताकि मंत्रालय को (1) विदेशों के नियोजकों के पूर्ववृत्त की जांच करने, (2) भरती करने वाले एजेंट के पूर्ववृत्त की जांच करने, (3) रोजगार की शर्तों की जांच करने और (4) तत्पश्चात् यह सुनिश्चित करने, कि ठेके की इन शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है, इन देशों में स्थित हमारे दूतावासों को सूचित करने का अवसर मिल जाता है ।

माननीय सदस्य के प्रश्न का दूसरा भाग भरती के प्रयोजन के लिये सरकारी स्तर की एजेंसी बनाने के बारे में है। मैं इस प्रश्न के उत्तर में कहदा चाहूंगा कि हमारे यहां सरकारी क्षेत्र की नौ एजेंसियां है जो बाहर भेजने के लिये लोगों की भरतीं भी करती रही है और दो राज्य सरकारों ने अपने निगम बनाये है। इनमें से एक तो केरल सरकार है और दूसरी उड़ीसा सरकार हैं जो लोगों को बाहर भेजने के लिए भरती करती है।

माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उससे आगला प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या सरकार इस अवस्था में भी यह आवश्यक समझती है कि भरती और अन्य देशों में लोगों को भेजने के लिये एकाधिकार किया जाये। यह ऐसा मामला है जिसकी जांच कर ली गई है और जिस पर जांच चल रही है। इस समय हम यह नहीं समझते कि कहीं अन्यत्न रोजगार के अवसरों के पूर्ण उपयोग के उद्देश्य को भरती पर एकाधिकार करके पूरा किया जा सकता है।

श्री के० ए० राजन : मंत्री महोदय ने, जो कुछ कहा है मैं उसे भली भांति समझ सकता हूं। हम जानते है कि रोजगार के लिये बहुत से लोग बाहर जा रहे हैं। एक विदेश रोजगार निगम की स्थापना क्यों नहीं की जाती है ताकि इन कदाचारों को समाप्त किया जा सके?

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह भी एक युक्ति है जिस पर विचार किया जा रहा है।

श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान जून, 1976 से पहले हुई किसी बात की ओर दिलाना चाहता हूं। पंजाब तथा कुछ अन्य राज्यों में कुछ अनधिकृत एजेंटों ने हजारों लोगों को बाहर रोजगार दिलाने के लिय भरती किया, उन्हें दिल्ली लाये और उन्हें टिकट देकर अमृतसर अथवा बम्बई भेज दिया। हजारों लोगों ने शिकायत की है कि उनके साथ धोखा-घड़ी की गई और उनके हजारो रुपए लूट लिये गये।

क्या मंत्री महोदय सभा को आश्वासन देंगे कि वह एक जांच समिति नियुक्त करेंगे और यह जांच करेंगे कि कितने एजेन्टों ने देश के भोले-भाले लोगों को लूटा और उन्हे धोखा दिया ताकि यह पता लगाने के लिये उचित जांच की जा सके कि इसके लिये मूलतः कौन उत्तरदायी है और इस बारे में उपचारात्मक उपाय किये जा सके।

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य ने ऐसी घटना का उल्लेख किया है जो 1976 से पहले हुई थी। कई ऐसी घटनाएं है जो 1972 और 1974 में तथा 1976 से पूर्व हुई थी।... **(व्यवधान)**

श्री० के० लकप्पा : वे फरिश्ते है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : ऐसा ठीक इसलिये है कि ऐसे समाचार सरकार के ध्यान में आये थे और माननीय सदस्य ने जिन घटनाओं का जिक्र किया है वे 1976 में सरकार के ध्यान में आई थी, एक निर्णय किया गया कि भरती पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से की जानी चाहिये।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने अभी-अभी बताया है कि इन सभी बातों को विस्तृत जांच करने के लिये समिति गठित की गई है। मैं इस समिति के सदस्यों के नाम जानना चाहता हूं और इसके निर्देश पद क्या है? क्या उनका विचार इस समिति में एक या दो संसद सदस्यों को विशेषकर विरोधी पक्ष में से, शामिल करने का है?

अध्यक्ष महोदय : विशेषकर श्री रामगोपाल रेड्डी ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य द्वारा इस विषय में अधिक रुचि लेने की मुझे पूरी जानकारी है। अतः मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि माननीय अध्यक्ष को समिति के निर्देश पदों अथवा गठन की जानकारी है या नहीं है । इतने सीमित समय में इसके निर्देशपदों का पढ़ना सम्भव नहीं है . . .

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, आप उसे सभा पटल पर रख सकते हैं ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं इसे सभा पटल पर रखूंगा क्योंकि वह बहुत लम्बा है ।

जहां तक समिति के गठन का सम्बन्ध है, मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस समिति में सम्बद्ध मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि हैं जिनमें श्रम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय शामिल है, और यह समिति उन सब के विचार मालूम करेगी जो उसमें रुचि रखते हैं । इन में पंजीकृत एजेंट कार्मिक संघ और अन्य संगठन शामिल हैं, जिन्होंने इस विषय पर अपनी रुचि प्रकट की है और जिन्होंने बताया है कि इस सम्बन्ध में सब काम सुव्यवस्थित करने के लिये उनके पास सुझाव हैं ।

चौधरी बलवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 514—

श्री सौगत राय अनुपस्थित—

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना है लेकिन सदस्य अनुपस्थित हैं। कभी कभी माननीय सदस्य प्रश्न देते हैं लेकिन वे अपने प्रश्नों को पूछने के लिये उपस्थित नहीं रहते । वे हमें इस बारे में तैयारी करने को मजबूर करते हैं । लेकिन सदन में उपस्थित नहीं होते । उन्हें इस का दंड देने के लिये कोई उपबन्ध होना चाहिये ।

श्री के० लकप्पा : अनुपस्थित रहने वाले मंत्रियों के बारे में क्या किया जाना चाहिये ?

श्री कंवर लाल गुप्त : उन मंत्रियों के सम्बन्ध में क्या किया जाए जो अपने उत्तर के साथ तैयार होकर नहीं आते ?

श्री बीजू पटनायक : कम से कम वे उपस्थित तो रहते हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : लेकिन अनेक ऐसे मंत्री हैं जिन्हें कोई जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 515—सुभाष आहूजा—

Iron Ore Pelletisation Plant, Bailadila

*515. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme to set up pelletisation plant for the iron ore as ore is available in abundance in the Bailadila area;

(b) if so, whether the pelletisation plant will be set up in the Bailadila; and

(c) if so, the time likely to be taken in setting up this plant ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) : बैलाडिला से निकलने वाले लौह-अयस्क के चूरे का इस्तेमाल करने के लिए पैलेट बनाने का एक कारखाना लगाने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

(ग) पूंजी-निवेश के बारे में निर्णय ले लिए जाने के पश्चात् कारखाने के निर्माण में लगभग 3 से 4 वर्ष का समय लगने की संभावना है ।

Shri Subhash Ahuja : Mr. Speaker, as the hon. Minister has stated that a proposal for setting up pelletisation plant for utilising Bailadila iron ore fines is under active consideration of the Government, I want to know the places, which Government have surveyed for the establishment of this plant and th e place, where it is to be established?

श्री बीजू पटनायक : मैं बता चुका हूं कि प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । वह और क्या चाहते हैं ?

Shri Subhash Ahuja : I want to know when the survey regarding its location will be conducted and when this plant is going to be established. I want to know whether there is a proposal of Madhya Pradesh Government to establish this plant in that state with the assistance of National Development Corporation. I want to know whether there is a possibility to establish this plant in Madhya Pradesh? If so, when is it going to be established?

श्री बीजू पटनायक : माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं । मेरे पास जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है आप कब तक...

श्री बीजू पटनायक : निर्णय लेने के बाद इस कार्य में तीन से चार वर्ष लगेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे मध्य प्रदेश सरकार को सौंपने के इच्छुक हैं ?

श्री बीजू पटनायक : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री वीर भद्रप्पा : डोनावली स्थिति पैलेट बनाने का संयंत्र कब आरम्भ होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न से यह प्रश्न नहीं उठता है । प्रश्न केवल बैलाडिला संयंत्र के बारे में है ।

श्री वेदव्रत बरुआ : बैलाडिला संयंत्र का स्थान ऐसा है कि उक्त अयस्क के परिवहन में लगभग हानि होती है, क्योंकि जैसा मेरा विचार है यह विशाखापत्तम के माध्यम से जापान भेजा जाता है । रेलवे द्वारा इसको भेजने में सब लागत लग जाती है । इस पर लागत का 60 से 70 प्रतिशत तक व्यय होता है । अतः यह विचाराधीन प्रश्न नहीं है । क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पैलेट बनाने के संयंत्र की वहां अथवा अन्यत्र स्थापना के बारे में वह शीघ्र निर्णय लेंगे । देश में पैलेट बनाने के अन्य संयंत्र भी हैं । लेकिन बैलाडिला की इस मामले में इस प्रकार उपेक्षा करने, वहां संयंत्र स्थापित करने का कार्य स्थगित करने अथवा इसमें विलम्ब करने के क्या कारण हैं ? इसकी शीघ्र स्थापना की जानी चाहिये अथवा सब मामला रोक दिया जाना चाहिये । परिवहन पर सब राशि खर्च करने और अयस्क का बहुत कम मूल्य प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है ?

श्री बीजू पटनायक : यदि यह इतना आसान था जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, तो वे स्वयं इस संयंत्र को उसी समय चालू कर सकते थे जब वे सत्ता में थे। स्पष्टतः उस उत्पाद को बाजार में बेचना कठिन है। इस समय इस्पात संयंत्र टूटी-फूटी हालत में है। उसम 100 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करते समय इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार करना पड़ता है।

श्री वेदव्रत बरूआ : मेरे विचार से हर जगह को स्थिति भिन्न-भिन्न है।

श्री बीजू पटनायक : आज विश्व में स्थिति इस प्रकार की है कि इस्पात उद्योग से लाभ घटता जा रहा है। अतः हम ऐसे वक्तव्य नहीं देना चाहते जैसे कि इस संयंत्र की आधार शिला रखते समय दिये गये थे और जो चुनाव भाषणों के समान होते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं।

Shri Bhagirath Bhanwar: Sir, raw material is available at Bailadila, which is a very backward place. It is a tribal area. A large number of labourers are available here and it is necessary to set up a plant here in order to solve the unemployment problem of these people, he has not yet decided as to where it will be set up. In this context, I would like to know whether the Government of Madhya Pradesh have sent any plan in this respect to the Central Government and if so, whether he will give approval to the plan of setting up a plant here?

श्री बीजू पटनायक : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। इस सम्बन्ध में मुझे और कुछ नहीं कहना है?

श्री एम० एस० संजीवी राव : आप को पता है कि चौगुले ने पहला पेलेटाइजेशन संयंत्र लगाया था।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु हम तो बैलाडिला पर विचार कर रहे हैं।

श्री एम० एस० संजीवी राव : वे एक और संयंत्र भी लेने वाले है। आपका यह कहना ठीक नहीं है कि पैलेट की मांग नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि गैरसरकारी क्षेत्र के प्रति आपके लगाव के कारण विलम्ब हो रहा हैं।

श्री बीजू पटनायक : चौगुले संयंत्र उस समय लगाया गया था जबकि माननीय सदस्य शासक दल में थे। मैंने तो उसे शुरू नहीं किया था। जनता सरकार पर आक्षेप लगाते समय आपको अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए। जहां तक चौगुले के दूसरे संयंत्र का सम्बन्ध है, उसके उत्पादन की बिक्री में, जिस के बारे में पहले करार किया गया था, जिसमें भारत सरकार या भारतीय इस्पात प्राधिकरण के 30 प्रतिशत शेयर हैं, कठिनाई आ रही है। उसकी बिक्री के बारे में हमें ध्यानपूर्वक योजना बनानी है और सोच-समझकर जोखिम उठानी है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

Project allowance to P & T Staff, Bokaro

*516. **Shri Birendra Prasad:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the steel plant at Bokaro steel city (Bihar) it still under construction;

(b) whether there is any provision for the payment of project allowance to the Central Government employees working in the project area and the P&T Staff of Bokaro steel city are not paid the same;

(c) the reason of non-payment of the project allowance to the P&T Staff of Bokaro steel city; and

(d) what action Government propose to take to grant this allowance to them ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कमचारियों को, जिनमें डाक-तार कर्मचारी भी शामिल हैं, अब परियोजना भत्ते की अदायगी नहीं की जा रही है।

(ग) बोकारो स्टील लिमिटेड के कर्मचारियों को अब परियोजना भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार डाक-तार कर्मचारियों को भी यह भत्ता नहीं दिया जा रहा है।

(घ) ऊपर भाग (क) और (ख) में दिए गए उत्तरों को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Birendra Prasad : Mr. Speaker, Sir, the reply to the question shows that the steel plant at Bokaro is under construction. I would like to know the total number of P.&T. employees working in this steel plant and whether they have been provided with Government accommodation and the transport facilities ?

Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai : Sir, this question is about the project allowance. I want notice for telling the number of employees.

Shri Birendra Prasad : The question of providing accommodation and transport facility to the employees is closely connected with the project allowance.

Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai : Sir, the project allowance which was given earlier was the allowance sanctioned by the Project Authority. We were giving no separate allowance to them. But when the Project Authority, whether it is of State Government or of undertaking, has stopped it, we also stopped it. This is the order of the Finance Department and allowance has been stopped according to it.

Shri Chowdhry Balbir Singh : May I know whether his Department is giving any other facilities besides the project allowance to its employees. If he is not giving project allowance to his employees I would like to know whether he is giving any other facilities in lieu thereof so that their difficulties could be removed which they are facing on accounts of non-payment of project allowance.

Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai : We stopped the payment of project allowance because the Project Authority has stopped it. As regards the facilities, the facilities which are available in other areas, are being provided here also.

Shri Chowdhry Balbir Singh : I asked about the facilities being given to the employees in lieu of the project allowance.

Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai : The facilities which are available to other P. & T. employees, are being given to these employees also.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कीं परियोजना भत्ते के अलावा आप कौनसीं अन्य सुविधाएं दे रहे है।

Shri Chowdhry Balbir Singh : Sir, the project allowance, which was being given earlier, has been stopped now. I asked as to what facilities they are giving now in lieu of the project allowance.

Shri Bharat Bhushan : I want to know whether P. & T. employees working in this Project area are being given the same facilities as are available to other employees working in the Project, whether he is aware of the circumstances in which his employees are working there; whether his employees have put their demand for more facilities, and whether he has given due consideration to the point of giving facilities to them because they are not getting the project allowance at present.

Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai : Mr. Speaker, I can tell the hon. Member only this much that the Project Allowance was being paid in accordance with the orders of Finance Department. When they issued orders to stop paying the same its payment was discontinued. Project Authorities have also discontinued the payment of Project Allowance to its employees. When they have discontinued we have also discontinued.

Shri Bhanu Kumar Shastri : Mr. Speaker, I am astonished to see that our Communication Minister is performing the duties of a Postman. Is he also doing the same thing ? He is saying that Finance Department has discontinued the payment so they have also discontinued this Facility. It makes no sense. Can he himself not take any decision with regard to his own Department? Is he not prepared to take this decision as to whether the allowance is to be paid to the employees of his department or not ? I want him to take decision himself and not merely implement decision arrived at by other Departments.

Shri Narahari Prasad Sukhdeo Sai : I want to provide some more information. The Project Allowance being allowed earlier was given due to lack of amenities, it was not paid otherwise. Now the Project Authorities have withdrawn the Project allowance. They were paying earlier so we were also paying and now when they have withdrawn we have also stopped paying.

Threatened strike by Medical Students, Delhi

*518. **Shri Vinayak Prasad Yadav† :**

Shri Manoranjan Bhakta :

Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in "The Times of India" of March 7, 1978 under the caption "Medical Students to go on indefinite strike"; and

(b) if so, whether a statement showing demands of medical students and the action taken by Government on those demands will be laid on the Table of the House ?

The Minister for Health and Family Welfare: (Shri Raj Narain): (a) Yes, Sir.

(b) A statement giving the required information is laid on the Table of the Sabha.

Statement

A notice dated 11th March, 1978, was handed over to the Dean of the Maulana Azad Medical College, New Delhi, personally by the President, Azad Medicos' Union conveying their intention to go on token strike on March 13 and 14, 1978. The text of the notice indicating their demands is given below:—

"AZAD MEDICOS' UNION"

The General Body of the students and Interns of Maulana Azad Medical College and Associate L.N.J.P. and G.B. Pant Hospital resolved on the 11th March, 1978, to go on a Token strike from 13th March, 1978 to 14th March, 1978. The philosophy behind the strike is to reinstate 1st Year Jr. Residency for the Doctors who do not get the seats.

The present method leaves about 57 Doctors jobless who actually deserve jobs as the institutionalization of the medical profession has become necessary for their future. In the age of specialisation, leaving Doctors without the option of Jr. Residency is not justified after having trained them for 5 years. This reinstatement should be permanent.

The General Body of the Interns of Maulana Azad Medical College and Associated L.N.J.P. and G.B. Pant Hospitals has also resolved that the stipend of the interns in Delhi should be raised as has been done in the neighbouring States.

Sd/- Deepak Natrajan
President,
Azad Medicos' Union

Dated: 11-3-1978

They did go on strike on these dates.

The matter was considered by the Delhi Administration at a meeting held at Raj Niwas under the Chairmanship of Lt. Governor of Delhi on 21-3-1978 which was attended by the Executive Councillor (Medical), Delhi Administration, the Union Health Secretary, the Director General of Health Services and senior officers of the Union Ministry of Health & Family Welfare and the Delhi Administration. At this meeting it was decided that an expert technical committee under the Chairmanship of Director General of Health Services will consider the workload and other aspects and make recommendations as quickly as possible regarding the question of increase in the number of 1st Year Junior Residents in the Maulana Azad Medical College & Hospital complex. The other members of the technical committee were as follows:—

1. Dr. Sharad Kumar, Director, National Institute of Health & Family Welfare.

2. Dr. S. K. Lal, Dean, Maulana Azad Medical College.

3. Dr. H. K. Chutani, Director, G. B. Pant Hospital.
4. Dr. P. B. Mazumdar, Medical Superintendent, Lok Nayak J. P. Hospital.
5. Dr. Narayanan, Head of the Cardiology and Cardiac Surgery Department, G.B. Pant Hospital.

It was also agreed at the meeting that Government should make every effort to reach a final decision in the matter by 31st March, 1978.

The Technical Committee which met under the Chairmanship of the Director General of Health Services on the 22nd and 23rd March, 1978 submitted its recommendations which were considered at a meeting held under the Chairmanship of the Union Minister of Health and Family Welfare on 24-3-1978 which was attended among others by the Executive Councillor (Medical), Delhi Administration.

At this meeting the following proposals were approved :—

(i) Sanction of two posts of 1st Year Junior Residents for Renal Dialysis Unit of the Lok Nayak J.P.N. Hospital.

(ii) Sanction of 8 posts of 1st Year Junior Residents for the G.B. Pant Hospital on the basis of two each for Neurology, Cardiology, Cardiac Thoracic Surgery and Psychiatry Units.

(iii) Sanction of three posts of 1st Year Junior Residents for Emergency and Accident Services.

(iv) The seven 1st Year Junior Residents funded by the Indian Council of Medical Research and University of Delhi *for this year only* not be counted for purpose of fixing the strength of the 1st Year Junior Residents.

It was also agreed at the meeting that the Delhi Administration would send their views to the Government of India on the latter's proposal for centralising the selection of the 1st Year Junior Residents in all Delhi hospitals.

As regards the demand regarding increase in the rate of stipends, the matter is now under the consideration of the Delhi Administration.

Shri Vinayak Prasad Yadav: Mr. Speaker, there were two demands of the medical students at the time of their strike in March. This time 180 medical students passed the examination and out of them 124 students got the House Jobs. Their first demand was that all the students who have qualified in the examination should be given jobs. Their second demand was that the stipends of the Interns should be raised. There were 124 House Jobs before and 100 medical students used to get admission against 124 House Jobs. The number or seats have been increased to 180 whereas the number of House Jobs remains the same. Last year 180 students passed on ad hoc basis and an ad hoc arrangement was made to increase the number of House Jobs from 124 to 176 in order to provide House Jobs to more students. The present Government have furnished that arrangement from this year and so the students have to go on strike.

The hon'ble Minister in his reply has not made it clear that what arrangements Government have made for providing House Jobs to those 57 students.

There is no mention about it. Please make it clear what decision Government is going to take with regard to those 57 students.

Shri Raj Narain: I am grateful to Shri Vinayak Prasad Yadav for taking a keen interest in medical students. Shri Yadav might be knowing that the strike has been called off and the students have now been satisfied.

Executive Councillor of Delhi, Shri Khurana had a discussion with them and had settled all their demands, now there is no strike.

Shri Vinayak Prasad Yadav: The hon. Minister has stated that strike has been called off, I want to know what decision Government have taken with regard to their demands ? When the demands of the people are not looked into, they are forced to strike. Hon. Minister may please state how that problem has been solved. ?

Shri Raj Narain: The question is very simple and so the answer should also be simple. We have to remove all the troubles prevailing in the medical department for the last 30 years. The hon. Member is correct in saying that there are troubles. There are different arrangements at different places, but there are certain demands which cannot be fulfilled. Certain demands can be fulfilled.

The sitting of the Central Health Council was held in January. A committee consisting of Director General, Swami Ram Lingam, a doctor of P.G.I., Chandigarh, Chairman of Medical Council and other doctors was formed to look into the irregularities in internship and house jobs etc. and to make suggestions in this regard. They have been asked to study their (student's) problems and to make suggestions so that day to day problems may not arise.

My hon. friend has stated that House Jobs should be provided for all. Can it ever be possible ? In case there are 12,000 people in Delhi. Jobs have to be provided to 12,000 people. Again, a demand may be raised that as they have been provided with House Jobs. They should be provided with employment also. It is not possible for any Government. The Government and Shri Khurana of Delhi Administration are having discussions for eight to ten hours to fulfil their possible demands without their going on strike.

I am sorry to say that the time of cheap popularity has gone. Some people are doing things which they should have not done simply to get cheap popularity.

There was a meeting of Central Council Indian System of Medicine at 10.00 yesterday............

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न का उत्तर दे चुके है ।

Shri Ishwar Chaudhry: The hon. Minister has just stated that the Health Department has formed an official organisation for the investigation of facts. I hope that all the facts will be placed before it. The hon. Minister has also stated that the demonstration has come to an end, I think that their demands might have been fulfilled. But I want to know whether any demonstration was made before him to get their demands fulfilled and the causes of their discontentments.

Shri Raj Narain: This quesion does not arise directly from this. The hon. Member is asking indirectly. At that time I was presiding in the governing body. Our meeting was going on. I sent my P.A. He went there, noted their demands and they went away. A newspaper, Patriot published the news to the effect that the police personnel told those to people to go and hand over the demands letter to them. (Police personnel). This is wrong. I sent my P.A. because I thought it to be a complicated issue and the matter would become more complex if it was left. Besides, they had not come after giving a prior notice and it was not possible to call for four or five persons. Rest assured. The hon. Member may rely that we shall make continued efforts for not allowing the students to go on strike. I hope they will not go on strike.

प्रो० दिलोप चक्रवर्ती : क्या मंत्री महोदय को देश के कुछ भागों में मेडिकल छात्रों की कुछ बहूत हो "वैध" मांगों को जानकारी है जो उन्हें अनुग्रह अंक (ग्रेस मार्क्स) देने के लिये है ? क्या उन्हें पता है कि पश्चिम बंगाल के एक विषेश विश्वविद्यालय में सिंडोकेट के दमन और उस विशेष विश्व-विद्यालय को परिषद को गठन के बीच को अवधि में अधिकारियों ने अनुत्तीर्ण छात्रों को **एला ओआर्ट** के आधार पर 67 अनुग्रह अंक देकर उत्तीर्ण घोषित कर दिया ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात समझता हूं, परन्तु यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता है, आगला प्रश्न ।

Family Welfare as a compulsory subject in schools

*520. **Dr. Ramji Singh:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether for the success of Family Welfare Scheme it is not necessary to enact a law for monogamy, as Child Marriage Restraint Act has been enacted;

(b) whether Government propose to enact a law therefor;

(c) whether introduction of family welfare as a compulsory subject in schools would not help in educating public; and

(d) if so, whether Government would take action in this regard?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): (a) No, Sir, it is not necessary:

(b) No, Sir.

(c) & (d) : Population Education, including Health Education and Family Welfare, is being integrated gradually with other subjects taught in the school system. This should help the new generation in imbibing population values.

Dr. Ramji Singh: The hon. Minister has stated that for the success of Family Welfare Scheme, enactment of a law for monogamy will not be a wise step. He knows population explosion in India will upset all our plans. On the other hand we have given up the beast like forcible sterilization. The beliefs about celibacy etc. followed by the hon. Minister of Health may be certainly be idealistic, but they are still not popular among the people. Having this view in mind, I had requested him either to take recourse to law or to mass education. So far as the law is concerned, we have recently raised the age of marriage by way of a Bill. Our Health Minister, who is a great follower of Indian traditions, had said about Lord Ram in the context of family welfare,

Sita had given birth to two handsome sons. While Lord Ram was monogamist and monogamy is quite favourable to civilization and insurance against exploitating women, what difficulty is there in enacting a law for monogamy?

Shri Raj Narain: Hon. Member Dr. Ramji Singh has raised a very serious issue. I agree with him in his views about monogamy. I have no hitch in saying that I am a votary of Indian culture and Indian civilization.

Secondly, so far as others are concerned, I would like to see each Minister to be a monogamist as also every individual should be a monogamist. There is law for the Government employees to adopt monogamy. The question which is raised again and again is about the Muslim Law...........

अध्यक्ष महोदय : क्या हम चले जायें और जाकर धार्मिक प्रवचन अथवा हरिकथा क ?

Shri Raj Narain : I am not going into that, I would like to tell Dr. Ramji Singh that he cannot talk about changing the Muslim Personal Law at this time. If the Muslim community itself thinks it necessary to have a change in law and make a proposal before us for a change in Personal law, that is a different thing. They have been continuously following their tradition the Government do not want to initiate at this time.

Then, the country and our nation will not be benefited by another tension. But I want to tell you one thing. Everybody talks of one world Government and we talk of "Vasudhaiva kutumbakam", so a time will come when everybody would take inspiration from the part of the world and the whole problem would be solved.

Dr. Ramji Singh : I had not raised the question of Muslim Personal Law. I had simply said that they should think over the principle of monogamy. If they leave that thing and leave that under law, I want to know whether the Minister will bring a legislation with regard to Family Planning and providing sex education in Schools and Colleges. South East Asia Inter-country Consultative Meeting of the World Health Organisation has suggested that sex education should be introduced in Schools and Colleges. May I know whether, keeping in view this scientific approach and views of the Sage Vatsayan about sex, he would consider introducing sex education in Schools and Colleges?

Shri Raj Narain: Sir, the hon. Member has raised a proper question and it should be given a proper reply. But you may ask me not to go in details.

अध्यक्ष महोदय : छोटा उत्तर दें ।

श्री० ए० के० राय : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

Shri Raj Narain: If hon. Member goes through the reply, he will find that we are making efforts to introduce family planning as a subject in the curricula for schools. This will help the coming generation to understand the value of population. With regard to sex education, I agree with him and I am discussing this with Minister of Education.

भारत एल्यूमिनियम कारपोरेशन में निर्माण कार्य

*521. **श्री ए0 के0 राय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोरबा, मध्य प्रदेश में भारत एल्यूमिनियम कारपोरेशन प्रोफाइल एंड ट्यूब शाप का करोड़ों रुपयों का निर्माण कार्य एच०एस०सी०एल० को दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वह कार्य हाल में टेंडर मांगे बिना कलकत्ता की एक फर्म सिंडीकेट इंजीनियरिंग वर्क्स को सौंप दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) मै० भारत एल्यूमिनियम कंपनी ने कोरबा स्मेल्टर और गढ़ाई यूनिटों तथा प्रोफाइल एवं ट्यूब शाप का अधिकांश सिविल और संरचना निर्माण कार्य भारत सरकार के प्रतिष्ठान मैसर्स हिन्दुस्थान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि० को सौंपा है। सोंपे गए कार्य का कुल मूल्य लगभग 18.48 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग) : भारत एल्यूमिनियम कंपनी ने मैसर्स सैन्ट्रल सिंडिकेट इंजीनियरिंग बर्क्स को कोई काम नहीं सौंपा है किन्तु हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन लि० ने प्रोफाइल एवं ट्यूब शाप, शीट रोलिंग शाप और पाइलट प्लांट का कुछ सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्य इस फर्म को उप-ठेके पर दिया है। 18.48 करोड़ रुपये में से, जैसा मैंने कहा उप-ठेके पर किए गए कार्य का मूल्य 65.28 लाख रुपये है। यह काम निश्चित समय में निर्माण कार्य को पूरा करने की जरुरत तथा उप ठेकेदार के पास उपलब्ध साधनों और समान कार्यों में उनके पिछले अनुभव को ध्यान में रख कर सौंपा गया है।

श्री ए० के० राय : केवल कुछ दिन पूर्व माननीय मंत्री महोदय ने संसद में कहा था कि हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के काम फालतू जनबल है और वे उसका उपयोग करने के बारे में चिन्तित हैं। हिन्दुस्थान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमीटेड में 17,000 श्रमिक हैं और वे अब बोकारों में काम कर रहे हैं। मंत्री महोदय उन्हें कुवैत, ईरान, ईराक तथा विश्व के किसी भाग में भेजने की योजना बना रहे थे। जब वह उन्हें कुवैत भेज सकते हैं तो उन श्रमिकों को कोरबा भेजने के रास्ते में क्या रुकावटें हैं। कोरबा में हिन्दुस्थान स्टील कन्स्ट्रक्शन लिमीटेड के पास सिविल कार्यों के लिय भी तकनीकी कर्मचारी हैं और हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा विभागीय रूप से काम करने के स्थान पर वह 68 लाख रु० के उस कार्य को आगे उप-ठेके पर दे रहे हैं। यह कोई छोटी राशि नहीं है जो यह काम बिना टेन्डर मांगे और चुनाव की सामान्य प्रक्रिया अपनाये बिना ही किसी दूसरी फर्म को दिया जा रहा है। इसी कराण से मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कथित फालतू जन-बल के होते हुए भी जो अब बोकारो में काम में लगा है, कार्य को विभागीय रूप से न कराने के क्या कारण हैं ?

श्री बीजू पटनायक : लोगों को काम दिया जा रहा है और जैसा कि माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि यह काम भी बहुत थोडा सा अंश है। इसे तेजी से पूरा किया जाना था इस लिये यह विशेष काम उन्हें सौंपा गया है।

श्री ए० के० राय : यह सही उत्तर नहीं है। हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के लोगों को कलकत्ता की इस फर्म को अपेक्षा अधिक अनुभव है। यह कहना सही नहीं होगा कि हिन्दुस्तान

2—120 एल० एस० एस० (नई दिल्ली)/78

स्टील कन्स्ट्रक्शन स्टील लिमिटेड के लोगों को अनुभव नहीं है अतः यह कार्य दूसरी फर्म को सौंपा गया है। मैं इस वक्तव्य से असहमत हूं।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि बिना टेंडर मांगे तथा बिना औपचारिकताओं को पूरा किये मंत्री महोदय उस विशेष फर्म को किस प्रकार से चुन सके तथा 68 लाख का यह कार्य उन्हें किस प्रकार सौंपा गया? वह फर्म अच्छी हो सकती है देश में उससे भी अच्छी फर्में हो सकती हैं। अध्यक्ष महोदय मैं आपको और सदन को यह बताना चाहता हूं कि इसी तरीके से ठेकों म तथा उप-ठेकों में भ्रष्टाचार प्रवेश करता है और इसी ढंग से विभागीय कार्य में रुकावटें आती हैं, सारे सरकारी क्षेत्र की क्षती होती है और हम हर प्रकार के भ्रष्टाचार के द्वार खोलते हैं। इस बात को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय के इस चुनाव का क्या आधार है कि केवल यही फर्म ही इस कार्य को समय में पूरा कर सकती थी और जिस कारण से इसे काम दिया गया।

श्री बीजू पटनायक : माननीय सदस्य केवल कल्पना के बल पर बात कर रहे है। उन्हें मालूम होना चाहिये कि मैंने व्यक्तिगत रूप से वहां जाकर भारत एल्यूमीनियम कम्पनी का काम देखा और निरोक्षण किया जो उन्होंने नहीं किया है। काम अधूरा पड़ा हुआ था। मुझे यह देखना था कि काम समय पर पूरा हो और भारत एल्यूमिनियम कम्पनी और उसकी फैब्रीकेशन शाप द्वारा काम पूरी क्षमता पर शीघ्रता से प्रारंभ हो क्योंकि यह सोवियत रूस की सहायता से हो रहा है और यह बहुत खर्चीला है। अत: छोटे छोटे काम न केवल इसी फर्म को अपितु दूसरों को भी दिये जाते हैं। मैंने इन से कहा कि बड़े काम की उपेक्षा करके वे छोटे छोटे कामों की ओर ध्यान न दें। देश के अन्य जाने-माने ठेकेदार इसे कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि काम समय पर पूरा हो और इसमें भ्रष्टाचार का जिसका माननीय सदस्य बार बार उल्लेख कर रहे है, प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह कि टेंडर क्यों नहीं मांगे गये?

श्री बीजू पटनायक : कैसे टेन्डर?

अध्यक्ष महोदय : इन कार्यों के लिये।

श्री बीजू पटनायक : उनकी दरें हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स की दरों से कम हैं।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : महोदय, इस प्रश्न से कई और प्रश्न उठते हैं। यद्यपि यह 8 लाख रु० की बात है तथापि यदि आप किसी के साथ पक्षपात करना चाहें तो एक बड़े काम को टुकड़ों में बांटा जा सकता है और सिद्धांतों का पालन किये बिना वह किसी को भी दिया जा सकता है। यह बहुत ही खतरनाक प्रवत्ति है जो पिछले एक साल से चल रही है। क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन दगे कि जो भी काम होगा चाहे वह छोटा होगा या बड़ा, सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। उसका पालन करने के बाद भी आप काम शीघ्रता से पूरा करा सकते हैं। क्या माननीय मंत्री यह देखेंगे कि फिर इस प्रकार से न हों?

श्री बीजू पटनायक : हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स लिमिटेड ने भी कई उप-ठेकेदार रखे हुए हैं। वे टैण्डर भरते है और उप-ठेकेदारों की दरें हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स लिमिटेड की दरों से 2 प्रतिशत कम होती हैं। अत: टैण्डर न मांगने अथवा उन्हें अधिक दरें देने अथवा किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का प्रश्न नहीं उठता।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : अन्य लोग भी हैं जो इस बात के लिये तैयार हैं कि .....

श्री बीजू पटनायक : हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन स्टील लिमिटेड मुख्य ठेकेदार है जो टेंडर भरते हैं। मुख्य ठेका हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड को दिया गया है। काम शीघ्र पूरा करने के लिये वे उन्हीं फर्मों को चुनेंगे जिन पर उन्हें विश्वास है। उसमें न तो आप और न मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं और न करना चाहिये क्योंकि आप टेन्डर में दी गई कीमत पर काम पूरा कराना चाहते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भिलाई इस्पात कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी और रिक्त स्थान

*511. **श्री मोहन भैय्या** : क्या इस्पात और खान मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात कारखाने में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं और उनका विभागवार ब्यौरा क्या है और आजकल वहां कितने स्थान रिक्त पड़े हैं; और

(ख) भिलाई इस्पात कारखाने के निर्माण विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को आपरेशन में खपाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है एवं यह कार्य किस तरह और कब तक पूरा होगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) 1 फरवरी, 1978 को भिलाई इस्पात कारखाने में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की विभागवार संख्या नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	विभाग	कर्मचारियों की कुल संख्या
1	कारखाना (वर्क्स)	29,781
2	सामान्य प्रशासन	3,602
3	बस्ती.	6,122
4	खानें	9,259
5	निर्माण	5,461
		54,225

इस समय लगभग 1,000 पद हैं जिन्हें यथासमय तथा जसे और जब आवश्यकता होगी भरा जाएगा।

(ख) निर्माण विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को आपरेशन विभाग में खपाना अथवा निर्माण विभाग में ही उन्हें नियमित/स्थायी करना तथा वे सभी सुविधाएं देना जो स्थायी कामगारों को उपलब्ध हैं, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पदों को भरने के बारे में किए गए अध्ययन, विस्तार कार्य की प्रगति तथा उम्मीदवारों की उपयुक्तता आदि के आधार पर कर्मचारियों को इस प्रकार खपाने का काम नियमित रूप से किया जा रहा है।

वर्तमान स्थिति यह है कि निर्माण विभाग के 5461 कर्मचारियों में से केवल 114 कर्मचारी अस्थायी/नैमित्तिक है।

भारतीय दूतावासों में हिन्दी का प्रयोग

*512. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय दूतावासों, उच्चायोगों और वाणिज्य दूतावासों में सरकारी काम-काज हिन्दी में करने का विचार है जो देश की राजभाषा भी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना बनाई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशों में स्थित मिशनों को भी यह अनुदेश दिये हैं कि दिल्ली स्थित मंत्रालय के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार किया जाये; और

(घ) क्या सरकार ने विदेशों में स्थित मिशनों में नियक्त उन कर्मचारियों के बारे में जो हिन्दी में काम करने की जानकारी रखते हैं तथा भारतीय मिशनों में हिन्दी में काम-काज करने के लिये भर्ती किये जाने वाले कर्मचारियों के बारे में कोई अनुमान लगाया है ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) हमारी मांग यह है की सरकार की नीति के अनुरूप, विदेश स्थित अपने मिशनों के सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ाया जाए।

(ख) सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग संबंधी ज्ञान और प्रशिक्षण देने के लिए किए गए प्रबन्ध इस मंत्रालय के लिए भी हैं और हमारे कार्मिक इस का लाभ उठा रहे हैं।]

(ग) माननीय सदस्य का अभिप्राय संभवतः विदेश स्थित भारतीय मिशनों से है। हमारे कर्मचारी चाहे वे विदेश स्थित हमारे मिशनों में हों या मुख्यालय पर, मंत्रालय के साथ उस भाषा में पत्र-व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र हैं जिसमें वे दक्ष हों।

(घ) 16 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3229 के उत्तर में दिए गए आश्वासन के दर्भ में विदेश स्थित हमारे मिशनों में हिन्दी का ज्ञान रखने वाले अमले का आकलन किया जा रहा है। विदेश स्थित अपने मिशनों में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए अमले की आवश्यकता की ओर से सरकार सजग है और इसके लिए हर प्रकार की आवश्यक व्यवस्था कर रही है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की बहाली

*514. **श्री सौगत राय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आपात स्थिति के दौरान बर्खास्त किए गए बहुत से कर्मचारियों में से कुछ को बहाल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सभी बहाल किए गए कर्मचारी सेन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स से संबंधित है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के उन सभी 19 कामगारों को बहाल कर दिया गया है जिनको मीसा/भारत रक्षा नियम अथवा सुरक्षा के कारणों से कैद करने की वजह से नौकरी में बर्खास्त किया गया था।

(ख) सरकार को इसके बारे में जानकारी नहीं है,

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हृदय रोग का सर्वेक्षण

***517. श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में हृदय रोग के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या यह सच है कि यह रोग देश में बच्चों में बहुत आम हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस रोग को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में आरक्तताजन्य हृदय रोग, अतिरक्तदाब तथा आमवातिक हृदय रोग के बारे में हृदय रोग संबंधी सर्वेक्षण किए गए हैं।

(ख) बच्चों में आमतौर पर आमवातिक हृदय रोग और जन्मजात हृदय रोग होते हैं। तथापि यह प्रमाणित करने के लिए कि हृदय रोग बच्चों में आम हो गया है विभिन्न अवधियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान् परिषद ने दिल्ली और हैदराबाद मे एक मार्गदर्शी परियोजना आरम्भ कर दी है ताकि इस रोग की रोकथाम करने सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार किए जा सकें। चिकित्सा देखरेख और स्वास्थ्य शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

परिवार कल्याण केन्द्रों में कर्मचारियों की छंटनी

***519. श्री के० मालन्ना** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान देश में मंत्रालय के अधीन चल रहे विभिन्न परिवार कल्याण केन्द्रों में नियुक्त कर्मचारियों की कोई छंटनी की गई है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रवार, ऐसे कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है; और

(ग) प्रभावित कर्मचारियों को अन्य विभाग आदि में खपाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन परिवार कल्याण केन्द्रों के स्टाफ की छंटनी के बारे में भारत सरकार ने कोई भी आदेश जारी नहीं किए हैं। इस प्रकार स्टाफ की छंटनी का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

जामेर कोटरा, राजस्थान में राक फास्फेट के निक्षेप

*523. श्री० एस० एस० सोमानी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में जामेर कोटरा में फास्फेट के निक्षेपों का मूल्यांकन विश्व के सब से बड़े निक्षेपों में किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने जामेर कोटरा में एक परिष्करण संयंत्र की सहायता करने में रुचि दिखाई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिखाई गई रुचि का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) झामर कोटरा राक फास्फेट निक्षेप देश में अब तक ज्ञात सबसे सम्पन्न निक्षेप है । परन्तु मात्रा की दृष्टि से यह निक्षेप संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस और अफ्रीका की तुलना में, जहां उत्तम किस्म के राक फास्फेट के विशाल निक्षेप हैं, छोटा है ।

(ख) और (ग) : भारत सरकार के कहने पर विश्व बैंक ने 1973 में झामर कोटरा निक्षेप के बारे में साध्यता रिपोर्ट तैयार कराई थी । भारत सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा इस रिपोर्ट की समीक्षा किए जाने के बाद यह फसला किया गया कि परिष्करण संबंधी और परीक्षण किए जाएं तथा खान साध्यता रिपोर्ट तैयार कराई जाए । विश्व बैंक के रिव्यू मिशन ने जून 1977 में भारत सरकार और राजस्थान राज्य सरकार तथा राजस्थान राज्य खान और खनिज लि० से विचार-विमर्श किया जिसमें झामेर-कोटरा परियोजना की प्रगति का समीक्षा की गई । अब यह फैसला किया गया है कि चूंकि परियोजना की साध्यता रिपोर्ट 1978-79 के अन्त तक ही तैयार हो पाएगी इसलिए विश्व बैंक को केवल उसी समय शामिल किया जाए ।

General Manager Telephones

†*524. **Shri Phirangi Prasad :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether new posts of General Manager Telephones were created a few years ago on the analogy of the post of Post Master General (Posts and Telegraphs) under his Ministry and whether huge expenditure is being incurred under many heads such as salaries, housing etc. on the incumbents of the posts ;

(b) if so, the efficiency achieved in the telecommunication Department during the last three years and the profits earned (which were not earned before); and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) to (c) : Commensurate with the expansion of the tele-communication services in the country and for more effective and co-ordinated execution of development programmes, a re-organisation of the P&T Department was carried out in 1974. This largely involved redesignation of some of the existing posts and creation of new posts simultaneously surrendering a number of existing posts. No extra

expenditure was involved. The total revenue earned by the telecommunication wing of the Department during 1974-75, 1975-76 and 1976-77 was Rs. 259.5 crores, Rs. 315.7 crores and Rs. 425.3 crores respectively and the profit earned Rs. 38.12 crores, Rs. 43.33 crores and Rs. 131.6 crores respectively. Apart from the rapid expansion of telecommunication services in the country during these three years, there has been constant effort at improving the performance of these services.

डस्टिग कर्मचारियों को गुड़ दिया जाना

*525. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक एककों में उन श्रमिकों को गुड़ सप्लाई किया जाता है, जो वर्कशाप (मोल्डिंग विभागों) में, जहां धूल उड़ती है, काम करते हैं; और

(ख) क्या सरकारी कार्यालयों में सफाई और धूल साफ करने वाले कर्मचारियों को गुड़ देने की, जो उनका स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए बहुत आवश्यक है, कोई योजना है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी नहीं। सरकार के औद्योगिक एककों के श्रमिकों को गुड़ सप्लाई किए जाने की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) ऐसी कोई योजना नहीं है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का पुनर्गठन

*526. **श्री वसंत साठे**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का पुनर्गठन करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नसबन्दी

*527. **श्री बी० पी० मंडल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 से मार्च, 1978 तक पुरुषों व स्त्रियों की नसबन्दी के कितने आपरेशन किए गए थे;

(ख) मार्च, 1976 से मार्च, 1977 तक उपरोक्त कितने आपरेशन किए गए थे;

(ग) मार्च, 1976—मार्च, 1977 और मार्च, 1977—मार्च, 1978, अलग अलग के बजट में इसके लिए कितना अनुदान दिया गया था ; और

(घ) इतना भारी अन्तर होने के कारण मार्च, 1977–मार्च, 1978 की बाद की छःमाही में बजट का धन कैसे व्यय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क), (ख), (ग) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

1. अप्रैल, 1977 से फरवरी, 1978 के बीच देश में कुल 773,935 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से नसबंदी आपरेशन करवाये हैं । इनमें से 144,218 पुरुषों ने नसबंदी आपरेशन करवाये हैं । मार्च, 1978 के मास के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

2. अप्रैल, 1976 से मार्च, 1977 की अवधि में देश में कुल 8,259,075 नसबंदी आपरेशन किये गये और इनमें 6,197,778 पुरुषो ने आपरेशन करवाय ।

3. बजट व्यवस्था वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) के आधार पर की जाती है और 1976-77 और 1977-78 के वित्तीय वर्षों में केन्द्रीय बजट में जितने धन की व्यवस्था की गई, वह इस प्रकार है :—

1976–77		6999.00 लाख रुपए । इसके अलावा 1976-77 के बीच 7911.74 लाख रुपए पूरक अनुदानों के जरिए प्राप्त किये गये ।
1977-78	:	9817.67 लाख रुपए ।

4. बजट व्यवस्था का उपयोग नसबंदी और लूप निवेशन हेतु मआवजे के अतिरिक्त बहुत सी अन्य मदों पर हुआ है । 1976-77 और 1977-78 की बजट व्यवस्था के बारे में अनुमानित व्यय कार्य-कलाप को भिन्न-भिन्न प्रमुख मदों के सामने दिखाया गया है जो इस प्रकार है :—

(रुपए लाखों में)

	1976-77 (अनुमानित व्यय)	1977-78 (बजट व्यवस्था)
(1) सेवायें और सप्लाइयां (मुआवजे के अलावा) .	5603.31	5981.62
(2) नसबंदी आपरेशनों और लूप निवेशन के लिए मुआवजा	7786.03	2000.00
(3) प्रशिक्षण	189.77	275.00
(4) जन-शिक्षा	208.59	350.00
(5) अनुसंधान और मूल्यांकन . .	130.88	143.05
(6) भारत जनसंख्या परियोजना . . .	507.27	615.00
(7) मातृ और शिशु स्वास्थ्य . . .	164.71	263.00
(8) संगठन	220.09	190.00

भारत में कुष्ठरोगी

***528. श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली में 28 जनवरी, 1978 को अन्तर्राष्ट्रीय कुष्ठ संघ के महासचिव, श्री ब्राउने द्वारा दिये गये भाषण और 29 जनवरी, 1978 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि विश्व के 1/5 कुष्ठ रोगी भारत में हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार (चीन को छोड़कर) विश्वभर में 1 करोड़ 12 लाख कुष्ठ रोगी हैं। अनुमान है कि इनमें से 32 लाख रोगी भारत में है। इनमें से 23 लाख रोगियों का पहले ही पता लगाया जा चुका है और 19 लाख रोगियों का इलाज किया जा रहा है। यह योजना बनाई गई है कि छठी योजना के अन्त तक कुष्ठ रोग से पीड़ित सभी रोगियों का पता लगा लिया जाएगा और उन्हें इलाज की सुविधाएं सुलभ की जाएगी ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कालेज और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का शामिल किया जाना

***529. श्री चित्त बसु :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 2,000 रुपए प्रति माह तक वेतन पाने वाले कालेज और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों (गैर-अध्यापकीय) तथा पर्यवेक्षी कर्मचारियों को शामिल करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) और (ख) : सम्पूर्ण मामले पर औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के समग्र सन्दर्भ में विचार किया जा रहा है ।

गुजरात में मेडिकल कालेजों में स्थान

***530. श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने राज्य के मेडिकल कालिजों में स्थान बढ़ाने और नये शैक्षणिक वर्ष 1978 से जामनगर तथा अहमदाबाद के मेडिकल कालिजों में पुराने तथा नये चिकित्सा छात्रों के लिए उसी संख्या को कायम रखने के बारे में अपनी नवीनतम मांग कब प्रस्तुत की तथा मांगों का स्वरूप क्या है; और

(ख) उन पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की अथवा करने का विचार है और शेष मांगों पर कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) गुजरात सरकार के शिक्षा मंत्री ने अपने 30 दिसम्बर, 1977 के पत्र में नई दिल्ली स्थित भारतीय चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष से यह अनुरोध किया है कि जून, 1977 से नवम्बर, 1979 तक की $2\frac{1}{2}$ वर्ष की अवधि के दौरान गुजरात के मेडिकल कालेजों में विद्यार्थियों के दाखिलों की संख्या में दाखिले के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार 209 अतिरिक्त सीटों की वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाए ।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् से मालूम किया गया है कि परिषद् की कार्यकारी समिति ने 16 मार्च, 1978 को इस मामले पर विचार किया था और जैस कि गुजरात सरकार ने अनुरोध किया था, एक बार अपवाद स्वरूप कितने अतिरिक्त दाखिलों की अनुमति दी जा सकती है इसका निर्धारण करने के उद्देश्य से उसन एक उप-समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया जो नवीनतम निरीक्षण रिपोर्टों और अन्य सूचना के प्रकाश में राज्य के (i) चिकित्सा कालेज, बड़ोदा और (ii) बी० जे० चिकित्सा कालेज, अहमदाबाद और अन्य कालेजों में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस सारी समस्या पर विचार करे और भारतीय चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष को अधिकार दिया गया था कि वह उप-समिति की सिफारिशों के प्रकाश में आगे आवश्यक कार्यवाही करें। भारत सरकार इस मामले पर आगे तब विचार करेगी, जब गुजरात सरकार के अनुरोध पर भारतीय चिकित्सा परिषद् की सिफारिश उसे प्राप्त हो जाएगी ।

बी० जे० मेडिकल कालेज, अहमदाबाद में दाखिले सरकार द्वारा पहले ही 210 तक कर दिए गए है । एम० पी० शाह मेडिकल कालेज, जामनगर के बारे में, भारतीय चिकित्सा परिषद् ने बताया है कि आवश्यक सुविधाओं के अभाव में कोई वृद्धि करना संभव नहीं है ।

एल्यूमिनियम उद्योग के लिये बिजली की दरें

4638. **श्री के० प्रधानी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एल्यूमिनियम उद्योग के लिये बिजली की दरों के बारे में कोई नया फारमूला बनाया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ये नई दरें उन नये उद्योगों पर भी लागू होंगी जिसमें अभी संयंत्र लगाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता ।

पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम का निर्माण

4839. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला** :
श्री बी० पी० मंडल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान आठ वर्षों में परमाणु बम बना लेगा;

(ख) क्या इस बारे में सरकार को कोई जानकारी प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने अपने हाल के पाकिस्तान के दौरे के समय पाकिस्तान सरकार से इस बारे में बातचीत की थी; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार बातचीत के निष्कर्षों के बारे में सदन को सूचित करेगी ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) से (घ) पाकिस्तान में नाभिकीय ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र की स्थापना पर फ्रांस सरकार के साथ 1976 में सम्पन्न पाकिस्तान सरकार के करार के कारण परमाणु अस्त्रों के विनिर्माण की पाकिस्तान की क्षमता के बारे में कुछ आनुमानिक खबरें समय-समय पर अखबारों में आती रही हैं। अभी इस संभावना के विषय में कुछ कहना सरकार ठीक नहीं समझती ।

स्टेनलैस स्टील रि-रोलर्स एसोसियेशन, जगाधरी से प्राप्त ज्ञापन

4840. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्टनलस स्टोल रि-रोलर्स एसोसियेशन जगाधारी से सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें यह मांग की गई है कि देश के इस श्रम-प्रधान लघु एवं कुटीर उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाये और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यावाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : जी, हाँ। स्टैनलेस स्टोल रि-रौलर्स एसोसियेशन, जगाधारी से इस तरह का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। वर्ष 1977-78 के लिए नीति नि िरित करते समय इस ज्ञापन तथा अन्य व्यक्तियों से प्राप्त हुए अभ्यावेदनों में दी गई बातों सहित सभी सम्बन्धीत पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली प्रशासन द्वारा कर्मचारियों के आन्दोलन करने पर रोक लगाना

4841. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली प्रशासन ने घोषणा की है कि कर्मचारियों को अपनी मांगों के समर्थन में होने वाले आन्दोलन में भाग नहीं लेने दिया जायेगा क्योंकि सभी सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित कर दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या राय है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) दिल्ली प्रशासन ने, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन कुछ उद्योगों को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए लोग उपयोगी अधिसूचित करने के सिवाय ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"क्रेडललैस" टेलीफोनों का पकड़ा जाना

4842. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के एक होटल की इमारत से एक छापे में 'क्रेडललैस' टेलीफोन पकड़े गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में यह पता लगाने के लिये कि उन्हें इस प्रकार का टेलीफोन कनेक्शन किस प्रकार प्राप्त कर लिया था, कोई जांच कराई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नराहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : दिल्ली पुलिस ने फतेहपुरी क्षेत्र, दिल्ली के एक होटल में छापा मारा था। कुछ दस्तावेज कब्जे में ले लिये गये थ । इस मामले की तफ्तीश हो रही है ।

थाइराइड कैंसर

4843. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रो में थाइराइड कैंसर के मामलों का शीघ्र पता लगाने के लिए अनुसंधान-कार्य किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में अब तक प्राप्त हुए परिणाम क्या हैं; और

(ग) किए गए अनसंधान-कार्य का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां । थाइराइड कैंसर का आरंभिक अवस्था में ही पता लगाने के लिए कैंसर केन्द्रों और चिकित्सा संस्थाओं में अध्ययन किए जा रहे हैं जिनमें रेडियो आइसोटोपों और रेखा चित्रण (स्केनिंग) और चूषण जीव अति परोक्षा (एम्पिरेशन बायाप्सी) को सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(ख) और (ग) : पराश्रव्य रेखाचित्रण (अल्ट्रा सोनिक स्कैनिंग) और आई-131 स्कैनिंग को मदद से थाइराइड कैन्सर का प्रारम्भिक अवस्था में ही पता लगा लेना सम्भव है । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा एक विशेष अध्ययन किया गया, जिसका शीर्षक था "केरल में अवटु अर्बुद की महामारी, उसके उच्च बैक ग्राउंड रेडयिशन से सम्भाव्य संबंध के विशेष संदर्भ में" । उच्च बैक-ग्राउंड रेडियेशन वाले क्षेत्र में पर्विल विक्षति (नोडुलर लैअन) या अवटु अर्बुद (लियोप्लाज्म) का कोई अधिक प्रकोप है ।

राजधानी के अस्पतालों में 'हाउस जाब" का कम किया जाना

4944. **श्री महेन्द्र सिंह सैयांवाला** :

श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी के अस्पतालों में हाउस सर्जन के काम कम कर दिए गए हैं और इस कारण मेडिकल छात्रों में भारी रोष है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री : (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : पहली जनवरी, 1974 से विभिन्न केन्द्रीय संस्थाओं/अस्पतालों में रेजीडेन्सी योजना आरंभ करने के फलस्वरूप विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं/अस्पतालों के प्रत्येक क्लिनिकल और परा-क्लिनिकल विभाग की युनिट के रजीडट डाक्टरों जूनियर और सीनीअर की संख्या कितनी होनी चाहिए यह प्रत्येक शैक्षिक संस्था/अस्पताल की पलंग संख्या, रोगी देखरेख, कार्यभार और उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर करते हुए तथा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित प्रतिमानों को ध्यान में रखत हुए उनकी आवश्यकता के अनसार निश्चित करना होता है। इसी के अनुसार उपर्युक्त मानदण्डों के आधार पर भारत सरकार ने रेजीडेन्सी योजना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न संस्थाओं/अस्पतालों में रेजीडेन्टो जूनियर और सीनियर, की संख्या निर्धारित कर दी है। तदनन्तर सरकार ने किसी भी संबंधित संस्था/अस्पताल में रेजीडेन्टों के पदों की संख्या कम नहीं की है। तथापि दिल्ली के कुछेक अस्पतालों के जूनियर डाक्टरों ने हाल ही में यह मांग करते हुए हडताल की थी कि जो छात्र अपना इन्टर्नशिप पूरा कर लें उन सभी के लिए हाउसमनशिप (प्रथम वर्ष जूनियर रेजीडेन्सी) के प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए।

बरहामपुर में रेलवे डाक सेवा

4845. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय डाक व्यवस्था, प्रशासनिक सुविधा और दक्षिण उड़ीसा के गंजम, कोरापुट, फूलबनी और कालाहांडी के डाक कमचारियों की सेवा की काय-कुशलता में सुधार लाने के लिये उड़ीसा सर्किल के बरहामपुर, गंजम में तीसरा रेलवे डाक सेवा डिविजन खोलने की आवश्यकता से अवगत है ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि ये उपरोक्त जिले डाक की दृष्टि से पिछड़ पाये गये क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं ;

(ग) यदि हां, तो तीसरा रेलवे डाक सेवा डिवीजन खोलने संबंधी निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके मार्ग में आने वाली बाधायें और कठिनाइयां क्या हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) उड़ीसा सर्किल में एक तीसरा रेल डाक सेवा डिवीजन खोलने के प्रश्न की जांच की गई थी, परन्तु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार एक नया रेल डाक डिवीजन बनाने का औचित्य नहीं पाया गया। इस प्रस्ताव की फिर से जांच की जा रही है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) : जसा कि ऊपर (क) में उत्तर दिया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय में मितव्ययिता

4846. **श्री दुर्गा चंद :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 में उनके मंत्रालय द्वारा प्रशासन में मितव्ययिता बरतने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी धनराशि की बचत हुई; और

(ग) इस बारे में वर्ष 1978 में आगे क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सरकार के प्रशासनिक खर्च में मितव्ययिता बरतने के बारे में वित्त मंत्रालय द्वारा 1977 में जारी की गई सभी हिदायतों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी सम्बन्धितों के ध्यान में ला दी गई थी। इन में अन्य बातों के साथ-साथ कानूनी आवश्यकताओ को पूरा करने तथा नई योजनागत परियोजनाओं से सम्बन्धित प्रचालन तथा तकनीकी पदों के अलावा अन्य पदों के बनाने पर प्रतिबंध भी शामिल है। छः महीने से अधिक अवधि से खाली पड़े पद केवल तभी भरे जाते है जब वे नितान्त आवश्यक होते हैं और इनके लिए भी संयुक्त वित्तीय सलाहकार की सहमति ली जाती है। समयोपरि भत्ते की अदायगी, स्टाफ कारों को खरीदने और उन पर होने वाले खर्च तथा यात्रा, टेलीफोन, आदि खर्च पर पाबन्दी लगा दी गई है। निर्माण कार्य भी केवल अनिवार्य और फंक्शनल प्रकार के भवनों तक ही सीमित कर दिया गया है और उनके लिए कीमती सामग्री के प्रयोग की मनाही है।

(ख) इस मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा हिदायतों का पालन किया जाता है। किन्तु इस मंत्रालय का सम्बन्ध चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था से है और इसने देश-व्यापी जन स्वास्थ्य रक्षक योजना भी आरम्भ की है तथा आयुर्वेद यूनानी, सिद्ध, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं, इसलिए प्रशासनिक खर्च में की गई किफायत का अनुमान लगाना और उसकी निश्चित राशि बता पाना कठिन है।

(ग) मितव्ययिता के ये उपाय 1978 में भी जारी रखे जाएंगे।

खान श्रमिक कल्याण निधि से गोआ के खान श्रमिकों के लिए आवास निर्माण और उनके कल्याण पर खर्च की गई धनराशि

4847. **श्री अमृत कासर** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान श्रमिक कल्याण निधि से वित्तीय वर्ष 1977-78 के दौरान संघ क्षेत्र गोआ के खान श्रमिकों के कल्याण पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या श्रमिकों के आवास पर खर्च की गई धनराशि श्रमिकों की मांग की पूर्ति के लिए अ-पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो खानों में पर्याप्त आवास सुविधायें उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) श्रम मंत्रालय के अधीन लोहा अयस्क खान श्रमिक कल्याण संस्था, जिसका एक कार्यालय पनाजी, गोवा में है, गोवा-महाराष्ट्र क्षेत्र के लोहा अयस्क खनिकों के कल्याण कार्य की व्यवस्था करती है। वित्तीय वर्ष 1977-78 के दौरान इस क्षेत्र में संगठन का अनुमानित व्यय लगभग 27 लाख रुपये है।

(ख) और (ग) : कल्याण निधि संगठन अब तक इस क्षेत्र में 1051 मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता मंजूर कर चुका है। इनमें से 612 मकान बन चुके हैं। श्रमिकों के लिए आवास की सुविधा

की व्यवस्था करना एक सतत कार्यक्रम है और यह संस्था खान प्रबन्धकों के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए है ताकि वे और मकान बना सकें।

Delivery of Mail between Kalki to Khakhijaliya in Upleta Taluka of Gujarat

†4848. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Communications** e pleased to state:

(a) whether it is fact that it takes two or three days in delivery of mail rom Kalki to Khakhijaliya and the Khakhijaliya Gram Panchayat of Upleta aluka in Rajkot District of Saurashtra region of Gujarat has made a demand everal times to arrange delivery of mail in Khakhijaliya from Upleta Post Office instead of Kalki Post Office;

(b) if so, the number of times they made such a demand indicating the ates and type thereof;

(c) the steps taken so far or proposed to be taken to ensure regular daily elivery of mail in Khakhijaliya village; and

(d) the action proposed to be taken to take out Khakhijaliya village from Kalki Post Office and bring it under Upleta Post Office in order to ensure regular daily delivery of mail there and by what time it will be done?

The Minister of State for Communications (Shri Narahari Prasad Sai): (a) Yes, Sir. It takes two days in delivery of mails from Kalki to Khakhijaliya. Khakhijaliya gram panchayat represented once only for delivery of mails from Upleta Post Office.

(b) Only once, a demand was received on 29-4-77 from the gram panchayat for placing the Khakhijaliya Branch Office, under Upleta S.O.

(c) It has been decided to utilise State Roadways Bus running between Junagadh and Dhank via Upleta and Khakhijaliya with effect from 1-4-78. Khakhijaliya Branch Office has now been placed under Upleta Sub Office. This will ensure second day delivery of articles for Khakhijaliya, which will satisfy the need of Gram Panchayat of Khakhijaliya.

(d) No further action is deemed necessary in view of action at (c) above.

Replacing of Old P. C. O. at Bajwala Post Office, Ganganagar District

†4849. **Shri Bega Ram Chauhan:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the P. C. O. set up at Bajwala Post Office in Ganganagar District of Rajasthan has become unserviceable as a result of which the voice is not heard clearly;

(b) whether provision of a telephone connection there is essential as many officers residing at the Rajasthan canal are experiencing difficulty in the absence of a telephone connection; and

(c) if so, whether this will be replaced by a new one?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a) No Sir. The P. C. O. at Bajwala is working efficiently and the speech level is good.

(b) No demand has been received for provision of a telephone connection so far. The same will be examined as and when received.

(c) Does not arise.

T. B. and Leprosy Patients in Gujarat

4850. **Shri Chhitubhai Gamit :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the number of T. B. and Leprosy patients in Gujarat State, District-wise from 1972 to 1977;

(b) whether the number of both types of patients is increasing in Gujarat, and if so, the reasons therefor;

(c) the measures being taken and proposed to be taken by Government to check both these diseases;

(d) whether new hospitals equipped with complete facilities will be opened to enable leprosy and T. B. patients to get themselves treated there; and

(e) if so, the names of places district-wise where such hospitals will be set up indicating the time by which these will be set up ?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) and (b) : No survey has been conducted to assess the number of T. B. & Leprosy petients in Gujarat State during the years 1972—77. However, there is no evidence to indicate that the number of T. B. and leprosy patients is increasing in the State.

(c) and (d) : A statement containing the requisite information is enclosed at annexure. **[Placed in Library. See No. LT-1973/78]**

(e) Under District T.B. programmes T.B. beds have been established in almost all the districts of Gujarat. Only Bulsar and Gandhinagar do not at present have T.B. beds. It is proposed that during the Sixth Plan these districts may be provided T.B. beds and the number of beds increased in those districts where their number is small.

Non-Functioning Telephone Exchanges at Chauthka Barwada, Daniara and Sawai Madhopur City

†4851. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Communications** be pleased to **state :**

(a) whether telephone exchanges (SA X) of Chauthka Barwada, Daniara and Swai Madhopur City under Swai Madhopur sub-division (Kota-Rajasthan) have been out of order for a long time;

(b) if so, the reasons therefor and if not, the number of days, the above three telephone exchanges remained out of order in last year; and

(c) whether Government propose to take any action to remove the defects and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) :
(a) No, Sir.

(b) & (c): Do not arise.

लघु इस्पात संयंत्रों को खतरा

4852. **श्री राजकेशर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 मार्च, 1978 के 'नेशनल हेरल्ड' में 'थ्रेट टू मिनी स्टील प्लांट्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर उनका ध्यान गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या लघुसंयंत्रों को खतरे की आशंका तथ्यों पर आधारित है; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : जहां तक सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के उत्पादों पर बढ़े हुए करों का सीधा प्रभाव पड़ने का संबंध है, संयुक्त संयंत्र समिति ने मूल्यों में उचित संशोधन करने की घोषणा पहले ही कर दी है।

चूंकि लघु इस्पात कारखानों के उत्पादों पर उत्पादन शुल्क से छूट है अत; बढ़े हुए करों के परिणामस्वरूप उस हद तक सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की तुलना में उनकी स्पर्धी स्थिति में सुधार होने की संभावना है। जहां तक बिजली, कोयला आदि जैसे आदानों पर बढ़े हुए करों का संबंध है, सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों तथा लघु इस्पात कारखानों दोनों की ही उत्पादन लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

सरकार ने आन्तरिक बाजार में मांग और उपलब्धि की स्थिति पर विचार करने के पश्चात स्क्रैप को कुछ विशिष्ट श्रेणियों का सीमित मात्रा में निर्यात करने की स्वीकृति दे दी है।

बहरीन शिपयार्ड में कार्य कर रहे भारतीयों द्वारा अभ्यावेदन

4853. **श्री के० कुन्हम्बू** :

श्री वयालार रवि :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी शिप बिल्डिंग यार्ड, बहरीन में कार्य कर रहे भारतीयों से कोई शिकायतें तथा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां।

(ख) इन अभ्यावेदनों को बहरीन-स्थित अपने राजदूतावास को भेज दिया गया था और उनके बीच में पड़ने से यह मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से निपट गया है।

3—120 एल०एस०एस० (नई दिल्ली)/78

त्रिपुरा में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

4854. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में चालू वर्ष के दौरान प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना सरकार को प्रस्तुत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) 1977-78 के दौरान 32.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित है और पूर्वानुमानित उपलब्धि इस प्रकार है–(1) चार स्टाफ क्वार्टरों सहित चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के बाकी रहे निर्माण कार्य को पूरा करना, (2) मौजूदा 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दवाइयां देना, (3) 16 नये उपकेन्द्रों और पहले के बाकी रहे 21 उपकेन्द्रों का निर्माण पूरा करना, (4) 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें ग्रामीण अस्पताल बनाना, और (5) अतिरिक्त साधन लगाकर मौजूदा 3 उपकेन्द्रों को सुदृढ़ करना।

दिल्ली में टेलीफोन संबंधी शिकायतें

4855. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में दिल्ली में प्रतिदिन टेलीफोन नम्बर "198" के पास दर्ज की गई टेलीफोन शिकायतों की औसत संख्या क्या है, और गत दो वर्षों को तुलना में इसकी स्थिति क्या है ;

(ख) रिपोर्ट लिखाने के समय से किसी शिकायत को दूर करने में औसतन कितना समय लगता है ; और

(ग) इस विभाग की अकुशलता के क्या कारण हैं, और इस सेवा को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) वर्ष 1977-78 के दौरान "198" पर प्रतिदिन प्राप्त टेलीफोन शिकायतों की शुद्ध औसत संख्या 4390 है। पिछले दो वर्षों के दौरान शिकायतों की संख्या प्रतिदिन 4200 थी।

(ख) दोष ठीक करने में औसतन लगभग 2.1 घन्टे से 2.4 घंटे का समय लगता है।

(ग) कार्यकरण के स्तर में कोई गिरावट नहीं आई है। कार्मकुशलता के स्तर को और बेहतर बनाये रखने के लिये नीचे लिखे उपाय किये जाते हैं :—

1. एक्सचज के उपस्कर की आवधिक जांच और दोषों का निवारण।
2. सेवा स्तर प्रेक्षण दल नियमित रुप से सभी एक्सचेंजों के कार्यकरण का प्रेक्षण करता है।
3. बाहरी संयंत्र जिनमें उपभोक्ताओं के टेलीफोन भी शामिल हैं, की जांच की जाती है और उसे पुनर्व्यस्थित किया जाता है ताकि उन्हें उचित कार्यकरण की स्थिति में रखा जा सके।
4. चालू क्रासबार एक्सचेंजों में सभी ज्ञात सुधार करने के लिये, उन्हें अपग्रेड किया जाता है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में अधिकारियों के बनाये गये पद

4856. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों में भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद में अधिकारियों के कितने पद बनाये गये थे और किन-किन तारीखों को ;

(ख) क्या समाचार पत्रों के जरिए ये पद विज्ञापित किये गये थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) सदन की मेज पर एक वक्तव्य रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है ।

(ख) और (ग) : ये पद भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के नियम एवं विनियमों के अधीन, जिनमें इस प्रकार के पदों को विज्ञापित करना अनिवार्य नहीं है, पदोन्नति तथा स्थानांतरण द्वारा भरे गए थे ।

विवरण

क्रम संख्या	पदों का वर्ग	पदो की संख्या	सृजन की तारीख
1	अवर सचिव (भारत-अमरीकी उप-आयोग सचिवालय) .	1	31-7-1975
2	वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी . . . . (सांस्कृतिक विभाग अतिथि कार्यक्रम)	1	21-7-1975
3	विशेषाधिकारी . . . . . (अफ्रीका)	1	7-10-1974
4	क्षेत्रीय प्रतिनिधि, बंगलौर	1	17-12-1974
5	कार्यक्रम अधिकारी (वर्ग II) . . . . (अतिथि कार्यक्रम के लिए)	1	21-7-1975

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड में कर्मचारी

4857. **श्री शिव नारायण सरसूनिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड में (श्रेणी I, II, III और IV के) कर्मचारियों की श्रेणीवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या इस उपक्रम में भर्ती और पदोन्नति के मामले में आरक्षण संबंधी सरकार के आदेशों का पालन किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी, हां । हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा रिक्तयों के आरक्षण के बारे में सरकारी आदेशों का पालन किया जा रहा है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड में व्यक्तियों की श्रेणीवार कुल संख्या तथा प्रत्येक श्रेणी के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या का विवरण

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	टिप्पणियां
I .	9	..	..	एक स्थान उपयुक्त उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया गया है ।
II .	16	1	..	
III .	412	48	2	
IV .	228	28	14	

औषधियों में मिलावट करने के कारण लाइसेन्स रद्द किया जाना

4858. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में औषधियों में मिलावट करते हुए पाये जाने के कारण कितनी औषधि कम्पनियों के लाइसेंस रद्द किये गये ;

(ख) क्या ऐसी कम्पनियों को अपने अपराधों के लिए दण्डस्वरूप सरकार को बहुत बड़ी राशि देनी पड़ी थी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) : सूचना राज्य-सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Import of Homoeopathic Medicines

4859. **Shri Shaym Sundar Gupta :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether huge expenditure in foreign exchange is incurred on the import of Homoeopathic medicines prepared from herbs but instead of importing them

in hermetically sealed form these are being imported in the form of dried herbs with the result that the medicinal power of these imported herbs is badly destroyed (Organon, page 133 foot note 1) and the medicines are rendered defective and unreliable (foot note 142 and 266); and

(b) if so, the steps being taken by Government to check the import thereof in such an objectionable manner?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) & (b) : The import of Homoeopathic drugs into the country is regulated under the provisions of the Drugs and Cosmetics Act, through the officers of the Central Drug Standard Control Organisation posted at the ports. Homoeopathic medicines are mainly imported in the form of finished preparations, such as mother tinctures and dilutions. Drugs in crude form and raw materials are also being imported to a limited extent. The value of Homoeopathy medicines including herbs imported during the year 1976-77 and the period from April to December, 1977, is as follows :

Period	1976-77	1977 (April to December)
Rs.	14,40,927	21,74,390

The import of the crude drugs is estimated to constitute only 10-15 percent of the total import of the Homoeopathic medicines. The crude drugs are imported in sealed polythene bags which are finally packed in wooden boxes and gunny bags. It is not correct to say that the medicinal power of the herbs is badly destroyed when imported in dry form and the medicines are rendered defective and unreliable. It is, however, true that in some cases such as Digitalis, and Alliumcepa etc., the medicinal power is lowered considerably by drying. Even the 'Organon of Medicine' (Sec. 267 & 268) has not prevented use of dried drug materials. Through these Sections of 'Organon of Medicine' (5th edition) Hahnemann has made it quite clear that there are situations when fresh plants cannot be obtained and dried plants could be used, but drying has to be done in accordance with the directions given in the book. The medicinal plants which are not indigenous to our soil have to be imported in dried form. The question of importing these herbs in harmetically sealed containers will be difficult as these will have to be subjected to port quarantine regulations. Moreover, the cost of such procedures may be prohibitive and it will be much cheaper and convenient to import mother tinctures of fresh plants. The Homoeopathic Pharmacopoeia Committee set up by Government of India is engaged in laying down the standards for raw materials and in recommending formulations for the preparation of Homoeopathic medicines. Considerations like availability, possibility of deterioration, therapeutic efficacy etc., will be kept in view in accordance with the instructions contained in the 'Organon of Medicine' by the Committee.

रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिए समिति

4860. **श्री के० ए० राजन :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को इस समिति में शामिल नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और उसमें मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ) : समिति का गठन तथा इसके विचारार्थ विषय संलग्न दिनांक पहली मार्च, 1978 के संकल्प संख्या डीजीईटी-5(9)/77-ईई-1 में दिए गए हैं। समिति जिस में रोजगार कार्यालयों के प्रशासन तथा प्रचालन सहित संबंधित अधिकारी तथा कुछ विशेषज्ञ हैं, मुख्य रूप से प्रचालनात्मक (आपरेशनल) स्तर पर विशिष्ट त्रुटियों का पता लगाना तथा उपयुक्त उपचारी उपाय करना है। जब कि सरकार विचार करती है कि समिति में आवश्यक प्रशासनिक पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्ति हैं, यह अधिक प्रभावशाली होगा, वे रोजगार कार्यालयों के बेहतर प्रचालन के लिए श्रमिक संघ संघठनों के किसी सुझाव को सदा मानेंगे। श्रमिक संघ संगठनों तथा नियोजक संगठनों को समिति में अपने विचार प्रकट करने के अवसर होंगे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1974/73**]

विदेशी मुद्रा अजित करने वाली श्रेणी के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन/टेलक्स कनेक्शन दिया जाना

4861. **श्री अहमद हुसेन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सर्किलों (सर्किलवार) ने "विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली श्रेणी" के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न संगठनों/व्यापार संगठनों को प्राथमिकता के आधार पर कितने टेलीफोन/टेलैक्स कनेक्शन दिये हैं ;

(ख) ऐसे कनेक्शनों को मंजूरी देने के लिये किन प्राधिकारियों को नामांकित किया गया है और श्रेणी की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिये किसको नामांकित किया गया है ;

(ग) क्या कनेक्शन देने से पहिले अथवा बाद में ऐसे उपभोक्ताओं को विदेशी मुद्रा जमा करनी होती है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में विदेशी मुद्रा (सर्किलवार) अर्जित की गई और (विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली श्रेणी) के आधार पर कितने कनेक्शन दिये गये ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे बाद में सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) कौन से मामले "विदेशी मुद्रा" श्रेणी के अन्तर्गत आयेंगे इसका फैसला करने के लिये सर्किलों/जिलों के अध्यक्ष सक्षम हैं।

(ग) जी नहीं। ऐसे उपभोक्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन देने से पहले या बाद में विदेशी मुद्रा जमा कराने की आवश्यकता नहीं होती है। रिजर्व बैंक या कोई अन्य अनसूचित बैंक पार्टियों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के संबंध में जो प्रमाणपत्र जारी करते हैं उनके आधार पर इन मामलों का फसला किया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

योगिक अस्पताल

4862. **श्री पद्माचरण सामन्त सिहेरा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपचार के लिए नये योगिक अस्पताल खोलने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978-79 के लिए इस बारे में क्या कार्यक्रम है और ऐसे अस्पतालों को किन किन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा; और

(ग) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) अस्पताल खोलना राज्य सरकारों का काम है। भारत सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। तथापी भारत सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों से अनुरोध करती आ रही है कि वे स्कूलों और कालेजों में योग की शिक्षा दें और योग के नये केन्द्र भी खोले। नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्था में, जिसका सारा खर्च भारत सरकार चलाती है, योग संबंधी क्लीनिकल अनुसंधान के लिए 35 विस्तरों का एक अस्पताल है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा आमंत्रित विदेशी गण-मान्य व्यक्ति

4863. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या विदेशी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा भारत की यात्रा हेतु आमंत्रित विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के नाम, पदनाम और मुख्य उपलब्धियां क्या हैं ;

(ख) उक्त अवधि के लिए ऐसी यात्राओं की अवधि, कुल व्यय आदि क्या हैं ;

(ग) क्या यहां की यात्रा पर आने वाले उक्त गणमान्य व्यक्तियों ने दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों को यात्रायें भी की थी और यदि हां, तो वे कहां-कहां गए और कितने समय के लिए गए; और

(घ) ऐसी यात्राओं से प्राप्त ठोस लाभों का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) से (घ) : इस अवधि के दौरान भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ने 294 विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और 16 प्रतिनिधिमंडलों को अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध करायीं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:—

1975-76 .	3 प्रतिनिधिमण्डल और 80 अलग-अलग यात्री (जिसमें कुल 40 सदस्य थे)
1976-77 . .	5 प्रतिनिधिमण्डल और 100 अलग-अलग यात्री (कुल सदस्य 75)
1977-78 . .	7 प्रतिनिधिमण्डल और 114 अलग-अलग यात्री (कुल सदस्य 731)

अधिकतर यात्रियों ने दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों की भी यात्रा की । प्रश्न संख्या (क), (ख), (ग) और (घ) में मांगी गई विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

Quota of Cast i.e. Pig Iron to persons in Aligarh who are engaged in manufacturing Articles therefrom

4864. **Shri Ram Prasad Deshmukh** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state whether Government would grant quota of cast iron *i.e.* pig iron to those poor persons in Aligrah who are engaged in manufacturing articles therefrom so that they may be saved from blackmarketing ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : At present, there is no control on the distribution and pricing of any category of iron and steel, including pig iron. Therefore, the question of allocating "quotas" of pig iron or of "blackmarketing" does not arise. Small scale units requiring iron or steel may approach the State Small Scale Industries Corporation concerned for meeting their requirement. Supplies can also be had from the Stockyards of Hindustan Steel Ltd. at Agra, Kanpur, Allahabad and Ghaziabad.

भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा भेजी गई राहत सामग्री का दुरूपयोग

4865. **श्री रेणु पद दास** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा भेजी गई राहत सामग्री के दुरुपयोग के बारे में 9 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2165 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से आए विस्थापितों में वितरण हेतु वर्ष 1971 में इंडियन रेडक्रास सोसायटी को प्राप्त हुये करोड़ों रुपए के मूल्य के सामान के दुरुपयोग के बारे में जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Head Quarters of Steel Authority of India Ltd.

4866. **Shri Chandradeo Prasad Varma** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether a sum of Rs. 20 lakhs is being spent every year by way of rent for the SAIL headquarters;

(b) whether Government have decided to station the SAIL headquarters at Ranchi; and

(c) if so, justification for keeping its headquarters at Delhi so far ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) No, Sir. The company pays annual rent of Rs. 9.64 lakhs for office accommodation in New Delhi.

(b) and (c): Proposal to shift the headquarter of SAIL to Ranchi in stages and at the appropriate time is under active consideration of the Government.

कलकत्ता में बर्मा के वाणिज्य दूतावास का बन्द किया जाना

4867. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार ने कलकत्ता में अपने वाणिज्य दूतावास को वाणिज्य दूतावास के भारतीय कर्मचारियों के साथ कठिनाइयां होने के कारण बन्द कर देने का निर्णय किया है, जैसा कि 23 फरवरी, 1978 के 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' में समाचार छपा है ;

(ख) क्या नई दिल्ली स्थित बर्मा के दूतावास ने भी एक भारतीय कर्मचारी की सेवा समाप्त किये जाने के बारे में भारत सरकार से अपना असंतोष व्यक्त किया है ;

(ग) क्या बर्मा के दूतावास ने मंत्रालय द्वारा नवम्बर, 1975 में परिचालित मिनिमम माडल कान्ट्रेक्ट आफ एम्प्लायमेंन्ट को क्रियान्वित करना स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उन दूतावासों के नाम क्या हैं जिन्होंने बर्मा के दूतावास की तरह 'माडल कान्ट्रेक्ट' अभी तक स्वीकार नहीं किया है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जनवरी 1978 के अन्त में बर्मा सरकार ने इस मंत्रालय को सूचित किया कि उसने मितव्ययिता के उद्देश्य से विदेशों में अपने राजनयिक मिशनों और कौंसली केन्द्रों की संख्या को कम करने की अपनी नीति के अनुसरण में कलकत्ता-स्थित अपने प्रधान-कौंसलावास को बन्द कर देने का निर्णय लिया है ।

(ख) और (ग) : भारत सरकार इस बात से अवगत नहीं है कि उस मिशन द्वारा भारतीय कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दिए जाने पर बर्मा के राजदूतावास ने किसी प्रकार की अप्रसन्नता व्यक्त की है । गत वर्ष दो स्थानीय कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं । इसके कारण जो विवाद उत्पन्न हो गया था, उसके सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए विदेश मंत्रालय ने दोनों पक्षों को किसी सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए अपनी सद्भावना सेवाएं अर्पित की थीं । जहां तक समझौते में माडल कान्ट्रेक्ट फार्म की शर्तों को ध्यान में रखने का प्रश्न है, बर्मा के राजदूतावास ने कहा है कि उसने इस मामले में माडल कान्ट्रेक्ट के प्रावधानों को मान्यता दी है ।

(घ) नवम्बर 1975 में इस मंत्रालय द्वारा विदेशी मिशनों के लिए जारी किए गए परिपत्र की विषयवस्तु पर बहुत से विदेशी मिशनों ने ध्यान दिया था जिसमें स्थानीय कर्मचारियों की न्यूनतम सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए एक माडल कान्ट्रेक्ट फार्म का सुझाव दिया गया था । कुछ मिशनों ने यह सूचना दी कि वे स्थानीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपने नियमों एवं विनियमों का पालन कर रहे हैं । इनमें से कुछेक मिशनों ने यह भी बताया कि स्थानीय कर्मचारियों के लिए उनकी अपनी शर्तें माडल कान्ट्रेक्ट फार्म में बताई गई शर्तों से कम अनुकूल नहीं हैं ।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार उद्योग के परिणाम

4868. **श्री अमर सिंह बी० राठवा :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग की परिभाषा के क्षेत्र के बारे में उच्चतम न्यायालय का हाल ही का निर्णय क्या है ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस पर सरकार, औद्योगिक संगठन, श्रमिक संघी तथा प्रतिनिधियों और अधिकारियों की प्रतिक्रिया क्या है ;

(घ) क्या उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार श्रमिकों तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिये संसद में कोई नया विधेयक अथवा विधान प्रस्तुत करगी ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धो ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : "बंगलोर जल पूर्ति तथा मल व्यवस्था बोर्ड, आदि बनाम ए० राजाप्पा तथा अन्य, आदि" के मामले में 1975 की सिविल अपील सं० 753-754 (टी) में सर्वोच्च न्यायालय ने 21 फरवरी, 1978 को घोषित अपने निर्णय में सफ़दरजंग, सोलिसिटर्स के मामले, जीमखाना दिल्ली विश्वविद्यालय, धनराजगिरजी अस्पताल और ऐसे हो अन्य निर्णयों को रद्द करते हुए तथा अस्पताल मजदूर सभा के मामले के निर्णय को पुनःस्थापना करते हुए निम्न मुख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन यह निर्धारण करने के लिए किया कि क्या कोई क्रियाकलाप औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन एक 'उद्योग' है अथवा नहीं—

"(क) जहां (i) क्रमबद्ध क्रियाकलाप, (ii) नियोजक और कर्मचारी के बीच सहयोग द्वारा संगठित कार्यकलाप, (iii) मानवी आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये उपयुक्त सेवाओं तथा वस्तुओं सम्बन्धी कार्य, (जो आध्यात्मिक या धार्मिक नहीं हैं, लेकिन जिनमें ऐसी भौतिक वस्तुएं या सेवाएं शामिल हैं, जिनका प्रयोजन अलौकिक आनंद प्रदान करता है, जैसे बड़े पैमाने पर प्रसाद अथवा भोजन तैयार करना) के उत्पादन और/या वितरण के लिए आयोजित किया गया हो, प्रत्यक्षतः उस उद्यम में एक 'उद्योग' है ।

(ख) कार्य चाहे सरकारी, संयुक्त निजी या किसी भी अन्य क्षेत्र में हो, लाभप्रद उद्देश्य या लाभकारी लक्ष्य का अभाव असंगत है ।

(ग) वास्तविक केन्द्र-बिन्दु कार्यमूलक है और निर्णायक मापदण्ड कार्य का स्वरूप है, जिसमें नियोजक-कर्मचारी संबंधों का विशेष महत्व है ।

(घ) यदि संगठन व्यावसायिक है या व्यापारिक है तो उसका यह स्वरूप इस कारण समाप्त नहीं हो जाता कि उपक्रम में परोपकार को भावना व्याप्त है ।"

(ग) से (ङ) : सम्पूर्ण विषय पर औद्योगिक संबंध विधेयक के समग्र संदर्भ में विचार किया जा रहा है ।

Goitre Disease

4869. **Shri Dalpat Singh Paraste** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the names of States of the country where goitre disease is prevalent in large numbers and the steps being taken by Government to trace its causes and for its treatment;

(b) whether hundreds of people are affected by this disease in hilly regions of Madhya Pradesh particularly in Adivasi Villages of Shahdol District and if so, the measures being taken by Government to check this disease;

(c) whether malnutrition and polluted water are responsible for this disease and if not, what are the other causes therefor; and

(d) whether the Central Government have made any suggestions to the State Government to conduct research in regard to the causes of this disease ?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) Goitre disease is endemic in Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Sikkim, Nagaland and in certain districts of Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, West Bengal, Mizoram and Manipur. Since the inception of the National Goitre Control Programme, surveys are being conducted in the known endemic areas and supply of iodised salt has been initiated.

(b) The Goitre survey in Shahdol district of Madhya Pradesh conducted in 1976 showed that about 50% of the population are suffering from it. The introduction of iodised salt is proposed in a phased manner in all goitrous areas.

(c) Malnutrition and polluted water are not known to be responsible for Goitre. Goitre is due to the deficiency of Iodine in diet either in food or water.

(d) No. However the State Government was requested to conduct goitre survey in other districts to know the extent of the problem.

Proposal to Upgrade Sawai Man Singh Medical College of Jaipur

4870. **Shri Nathu Singh** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Sawai Man Singh Medical College of Jaipur is proposed to be upgraded as a Medical Institute;

(b) whether the State Government have made a request to the Central Government in this regard; and

(c) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) The Government of India have no proposal to upgrade the Sawai Man Singh Medical College, Jaipur, as a medical institute.

(b) & (c) : The Government of India have not received any proposal from the State Government in this regard.

भारतीय दूतवासों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या

4871. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष एक वर्ष में विदेशों से भारतीय दूतावासों के विरुद्ध सरकार को कुल कितनी शिकायतें मिली ;

(ख) शिकायतों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इन शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) दूतावासों को अधिक प्रभावकारी तथा वहां भारतीय नागरिकों के लिये सहायक बनाने के लिये क्या विशिष्ट आदेश जारी किये गये हैं ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क), (ख) और (ग) : सरकार को विदेश स्थित भारतीय मिशनों के कामकाज के बारे में छुट पुट किस्म की शिकायतें मिलती रही हैं जिसमें पिछले एक वर्ष की अवधि भी शामिल है । ये शिकायतें कौंसली सेवाओं, शैक्षिक सुविधाओं, वाणिज्यिक और व्यापार संबंधी मामलों के बारे में होती हैं । ऐसी शिकायतों के लिए कोई रजिस्टर नहीं रखा जाता क्योंकि संबंध मिशनों को प्रत्येक मामले में दोष निवारण अथवा त्रुटियों को दूर करने के लिए यथोचित कार्रवाई करने के अनुदेश दिए जाते हैं ।

(घ) सभी मिशनों को स्पष्ट रूप से यह अनुदेश दिए गए हैं कि वे भारतीयों के साथ घनिष्ट संपर्क रखें और जब उन्हें सहायता की आवश्यकता हो, उनकी यथासंभव मदद करें । हाल ही में मिशन प्रमुखों को इस दिशा में विशेष प्रयत्न करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को उन तक पहुंच हो सके ।

Shortage of Medicines in Emergency Department of Delhi Hospitals

4872. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that emergency department of almost every Government hospital in Delhi has acute shortage of medicines;

(b) whether the patients and the persons accompanying them are treated harshly in the emergency department; and

(c) if so, whether Government are taking action in this regard ?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a), (b) & (c) : In this connection information is being collected from the various hospitals in Delhi.

Setting of Telephone Industry in Raisen District (M. P.)

4873. **Shri Raghavji** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have received representations regarding setting up of a telephone manufacturing factory in Raisen District in Madhya Pradesh and if so, whether Government are examining them;

(b) whether in accordance with new industrial policy of Government, priority will be accorded to places in rural and backward areas in the matter of selection of a place for the said factory; and

(c) the time by which the decision in the matter will be taken ?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c): The question regarding the location of the new units of India Telephone Industries Limited is under consideration. The decision in the matter is expected to be taken in the near future.

विदेशों में स्थित भारतीय आर्थिक मिशनों के नाम

4874. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन देशों में आर्थिक दूत मंडल स्वतंत्र रूप से अथवा भारतीय दूतावासों/उच्चायुक्तों से सम्बद्ध रूप से कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन आर्थिक दूत मंडलों में उच्च स्तरों पर काम करने वाले कर्मचारियों का चयन अखिल भारतीय सेवाओं के सिवाय विश्वविद्यालय स्तर पर भी किया जाता है ; और

(ग) इन आर्थिक दूतमंडलों के लिये भरती के बारे में सरकार द्वारा किस नीति का अनुसरण किया जाता है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) ऐसा कोई भी आर्थिक मिशन नहीं है जो स्वतंत्र रूप से अथवा विदेश स्थित हमारे मिशनों से सम्बद्ध रह कर कार्य कर रहा हो। लेकिन, हमारे सभी मिशनों में कम से कम एक अधिकारी को उसके अपने दायित्वों के एक भाग के रूप में आर्थिक और वाणिज्यिक कार्यों का दायित्व भी सौंपा गया है। हमारे जिन मिशनों में अधिकारियों को विशेष रूप से आर्थिक और वाणिज्यिक काय के लिए ही नियुक्त किया गया है उन देशों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त (क) में बताए गये आर्थिक और वाणिज्यिक पदों पर इस समय कार्य कर रहे अधिकारी सामान्य रूप से सरकारी कर्मचारी है जिन्हें खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती किया गया था। लेकिन इसमें कूछ अपवाद भी है, जैसे कि भारत का हाई कमीशन, लन्दन में मंत्री (आर्थिक) के पद पर कार्य कर रहे अधिकारी इससे पहले विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे।

विवरण

1. आस्ट्रलिया	23. लिबिया
2. बंगलादेश	24. नेपाल
3. बेल्जियम	25. नाइजीरिया
4. बल्गारिया	26. फिलीपिन्स
5. बर्मा	27. पोलैंड
6. कनाडा	28. रुमानिया
7. चेकोस्लोवाकिया	29. सऊदी अरब
8. मिस्त्र अरब गणराज्य	30. सिंगापुर
9. इथोपिया	31. श्रीलंका गणराज्य
10. फ्रांस	32. सूडान
11. जर्मन जनवादी गणराज्य	33. स्वीडन
12. घाना	34. स्वीट्जरलैंड
13. जर्मन संघीय गणराज्य	35. सीरिया अरब गणराज्य
14. हाँग-काँग (ब्रिटिश क्राउन कालोनी)	36. थाईलैंड
15. हंगेरी	37. ट्यूनिशिया
16. इंडोनेशिया	38. संयुक्त अरब अमीरात
17. ईरान	39. यूनाइटेड किंगडम
18. इराक	40. संयुक्त राज्य अमरीका
19. इटली	41. सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ
20. जापान	42. यूगोस्लाविया
21. कीनिया	43. जाम्बिया
22. कुवत	

Spurious Steel Rods

4875. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that recently the Orthopaedists have stated that the steel rod used as a support in a fractured bone has been found spurious;

(b) if so, whether the firms supplying these steel rods (which are imported from abroad) have been found guilty and if so, the action taken against them; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to protect the lives of patients ?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) Government came to know about it through Press.

(b) The matter is being investigated.

(c) The Indian Standards Institution has laid down standard specifications for various quality of implants particularly in the field of orthopaedics. Instructions have been issued to Government hospitals/Institutions/Directors of Health Services of all States Governments and Directors of Medical Education of all State Governments to use only ISI approved implants.

टेलीफोन कनेक्शनों के लिये रकम जमा कराने से छूट देना

4876. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टेलीफोन कनेक्शन लेने के इच्छुक ग्रामीणों द्वारा जमा की जाने वाली राशि से उनको छूट देने/जमा की जाने वाली राशि में कमी करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) : जी हां । इसकी बारीकी से जांच की जा रही है और आशा है कि शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा ।

Official Language Act, 1968 and rules made thereunder in 1976

4877. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether his Ministry/Department has made known its attached and subordinate offices about Official Languages Act, 1968 and rules made thereunder in June, 1976 and also asked them to implement them;

(b) if so, whether his Ministry/Department has ensured that the Act and rules are being implemented fully; and

(c) if not, the reasons therefor and the steps being taken for implementing the rules relating to official language Act fully.

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) Yes.

(b) & (c) : After copies of the Official Language Act and Rules framed thereunder had been circulated to all the attached and subordinate offices of the Ministry for compliance, the concerned officers of the Ministry alongwith the concerned Deputy Secretary in the Department of Official Language visited the various subordinate offices located in Delhi to see if the provisions of the Act and Rules are being implemented there and to find out as to what difficulties are being experienced by them in this work. On receiving demands from the subordinate offices for the creation of posts of Hindi Officer/Translator, such posts have been sanctioned for 17 subordinate offices of the Ministry.

These offices have also been requested to furnish progress reports to the Ministry to ensure that the Act and Rules are being implemented. Besides, officers from the Department of Official Language also occasionally visit these offices. It has also been decided to depute some officers from the Ministry as well to visit the subordinate offices outside Delhi for this purpose.

जनसंख्या वृद्धि

4878. **श्री समर गुहा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने देश में जनसंख्या वृद्धि के बारे में किसी कार्यक्रम का सरकार ने कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस कार्य के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) पांचवीं पंच वर्षीय योजना के आरम्भ से ही सरकारी स्तर पर "जनसंख्या-वृद्धि" के विषय में निरन्तर अध्ययन किया जाता रहा है । भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ और डेमोग्राफिक अनुसंधान केन्द्रों जैसे गैर-सरकारी निकाय भी समय समय पर जनसंख्या वद्धि के बारे में अध्ययन करते हैं।

महापंजीयक द्वारा चलाई गयी नमूना पंजीयन योजना में अखिल भारतीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों की अलग अलग वार्षिक जन्म और मृत्यु दरों के अनुमान दिये गये हैं तथा इनसे वर्तमान प्राकृतिक जन्म-वृद्धि दर का पता चलता है । महापंजीयक द्वारा की गई दशवार्षिक जनगणनाओं में जनसंख्या वृद्धि के अनुमान भी उपलब्ध है ।

योजना आयोग ने जनसंख्या प्रक्षेपण तैयार करने के लिए समय समय पर जनसंख्या प्रक्षेपण विशषज्ञ समितियों का गठन किया है । वर्तमान समिति ने, जिसका गठन 1974 में किया गया था, सन् 1991 तक के अपने संशोधित प्रक्षेपण हाल ही में प्रकाशित किये हैं ।

(ख) भारत की जनसंख्या में 1961 और 1951 को समाप्त हुए दशकों में क्रमशः 21.6 प्रतिशत और 13.3 प्रतिशत वृद्धि हुई थी तथा इनकी तुलना में 1971 को समाप्त हुए दशक में 24.8 प्रतिशत वृद्धि हुई । नमूना पंजीयन योजना से उपलब्ध अद्यतन अनुमानों से पता चलता है कि सन् 1976 मे वृद्धि दर लगभग 1.94% वार्षिक थी और इसकी तुलना में 1961 से 1971 के दशक के दौरान वृद्धि दर प्रतिवर्ष औसतन 2.24% थी । योजना आयोग द्वारा गठित जनसंख्या प्रक्षेपण विशषज्ञ समिति द्वारा तयार किये गए अद्यतन जनसंख्या प्रक्षेपण इस प्रकार है :—

(एक मार्च की स्थिति के अनुसार) जनसंख्या हजारों में

लिंग	1971	1976	1981	1986	1991
व्यक्ति . .	547,137	609,094	672,014	735,094	798,958
(क) लिंग वार ब्यौरा					
पुरुष . .	283,503	315,427	347,632	379,833	412,436
महिलाएं . .	263,634	293,667	324,382	355,261	386,522

(ख) नगरीय/ग्रामीण जनसंख्या

लिंग	1971	1976	1981	1986	1991
नगरीय . . .	108,880	127,605	148,112	170,248	194,386
ग्रामीण . .	438,257	481,489	523,902	564,846	804,572

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

तुफान से पीड़ित लोगों की चिकित्सा सामान के वितरण के बारे में जांच

4879. **श्री शरद यादव**
डा० बलदेव प्रकाश } :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन रेड क्रास सोसायटी द्वारा नियुक्त श्री सुबीमल दत्त ने आंध्र प्रदेश के तूफान पीड़ितों की चिकित्सा के सामान के वितरण के बारे में जांच के कार्य को बीच में ही छोड़ दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) आन्ध्र प्रदेश के तूफान पीड़ितों की चिकित्सा सामग्री के वितरण के प्रश्न पर श्री सुबीमल दत्त न तो जांच पड़ताल के लिये नियुक्त किये थे और न कोई जांच पड़ताल उन्होंने की है । लेकिन श्री दत्त बंगला देश के बारे में रेड क्रास द्वारा किये गये राहत कार्यक्रम एवं रेड क्रास की प्रशासनिक अव्यवस्था की जांच पड़ताल करने के लिये दिसम्बर 1977 में नियुक्त किये गये थे लेकिन इस कार्य को बिना पूरा किये ही उन्होंने इस कार्य से निवृत्ति ले ली है ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के बारे में यह प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में एस० ए० एक्स और टेलीकाम प्रशिक्षण केन्द्रों का खोला जाना

4880. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1975 से फरवरी, 1978 के बीच सरकार ने उड़ीसा सर्किल में अनेक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र/एस० ए० एक्स/एक्सचेंज/टेलीकाम प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं ;

(ख) उनमें से कितने जनजातीय तथा औद्योगिक क्षेत्रों के लाभ के लिये हैं ;

(ग) विभिन्न वर्गों के सर्किल कार्यालयों की वर्तमान संख्या क्या है और वे जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर राष्ट्रीय अनुपात से किस प्रकार तुलनीय है ; और

(घ) उनकी संख्या, को राष्ट्रीय अनुपात के स्तर पर लाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) उड़ीसा सर्किल में जून 1975 से फरवरी 1978 के दौरान निम्नलिखित कार्यालय खोले गए हैं :

(1) लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर.

(2) छोटे आटोमेटिक एक्सचेंज . . 17

(3) सी० बी० एक्सचेंज . . . 1

(4) दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र . . . . . कोई नहीं ।

(ख) उपर्युक्त कार्यालयों में से, नीचे लिखे कार्यालय आदिवासी और औद्योगिक क्षेत्रों में खोले गए हैं :

आदिवासी क्षेत्र

लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर . . 34

छोटे आटोमेटिक एक्सचेंज 5

औद्योगिक क्षेत्र

सार्वजनिक टेलीफोन और छोटे आटोमेटिक एक्सचेंज.......कोई नहीं।

सी० बी० एक्सचेंज 1

(ग) और (घ) : लगभग 160 एक्सचेंजों के अलावा उड़ीसा सर्किल में लम्बी दूरी के 371 सार्वजनिक टेलीफोन घर हैं ।

15-2-1978 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर जितनी औसत जनसंख्या और औसत क्षेत्र को सेवा देता है, उसका अखिल भारतीय आंकड़ों के साथ तुलनात्मक विवचन नीचे दिया जा रहा है :—

	एक सार्वजनिक टेलीफोन घर से सेवा पाने वाली औसत जनसंख्या ।	एक सार्वजनिक टेलीफोन घर से सेवा पाने वाला औसत क्षेत्र (वर्ग किलोमीटरों में)
उड़ीसा . .	59,123	420
अखिल भारत . .	73,408	441

उड़ीसा के औसत आकड़े देश के औसत आंकड़ों की तुलना में कहीं अच्छे हैं ।

Steel Plant in Rajghat in M. P.

4881. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme to set up a steel plant in Rajghat in Madhya Pradesh based on iron-ore deposits; and

(b) if so, the action taken in this regard so far?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Payment of Non-Practising Allowance to Homoeopathic and Ayurvedic Doctors

4882. **Shri Mahi Lal :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4782 on 22nd December, 1977 regarding payment of non-practising allowance to Homoeopathic and Ayurvedic Doctors and state :

(a) whether any decision has since been taken on the proposal under consideration; and

(b) if so, the details in this regard and if not, the reasons for inordinate delay ?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) and (b) : The proposal for the grant of non-practising allowance to the practitioners of Indian Systems of Medicine working under the Central Government is already under the active consideration of the Government. However, a final decision could be taken only after the financial implications involved on the proposal have been finalised.

Opening of Consulates in Bombay and Karachi

†4883. **Shri Yadvendra Dutt:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Government of India made an offer to Pakistan in respect of opening consulates in Bombay and Karachi on reciprocal basis; and

(b) if so, when and how the offer was made and the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu) : (a) & (b) : After resumption of diplomatic relations, the Government of India has indicated its desire and willingness on a reciprocal basis to open a Consulate-General in Karachi, in return for a similar facility for the Government of Pakistan in Bombay. The Government of Pakistan has not so far found it possible to agree to the proposal.

Non-Deposit of Provident Fund and ESIS by Bengal Paper Mill, Raniganj

4884. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether the amount of provident fund and the ESIS has not been deposited by the Bengal Paper Mill, Raniganj during the last three years;

(b) if so, the year-wise amount yet to be deposited by the mill and the action taken for realising the same; and

(c) whether workers of the mill have not been paid any bonus during the last three years, and they have also been deprived of the benefits admissible under the labour welfare laws and if so, the action being taken by Government to ensure the benefit of labour welfare laws to them ?

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha) : (a) and (b) : The position reported by the Employees' Provident Fund and the Employees' State Insurance Authorities is as given below :—

Employees' Provident Fund Act.—The Mill has deposited the amount of provident fund upto December, 1977. The estimated amount of provident fund due for the months of January and February, 1978, is Rs. 4,98,262.00.

Employees' State Insurance Act.—The Employees' State Insurance Scheme has not been implemented in Raniganj area. As such, the Mill does not come under the E.S.I. Act, 1948.

(c) The employees of the Mill are being provided provident fund benefits. So far as the question of payment of bonus is concerned, the matter falls in the State sphere.

Survey of Eastern Area for Minerals

4885. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether any survey has been conducted by Government recently in the eastern part of the country for exploring mineral reserves and if so, the details thereof; and

(b) whether any efforts have been made by Government for the exploitation of these reserves and if so, the progress achieved therein ?

The Miniser of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) As a result of the continuous programme of surveys carried out by Geological Survey of India in the Eastern part of the country comprising the States of Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, Manipur, Meghalaya, Tripura, Mizoram, Sikkim and West Bengal, major mineral deposits so far explored include iron-ore, lead-zinc-copper ore, limestone, dolomite, clays, coal, kyanite and sillimanite.

(b) the exploitation of minerals is undertaken by a number of different agencies; Central, State as well as private, taking into consideration the short term as well as long term needs and possibilities. Mineral exploitation programmes by the Central Government are taken up within the overall framework of the Five Year Plans.

मध्य प्रदेश में खनिजों की खोज के लिये सर्वेक्षण

4886. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां तक दो वर्षों के दौरान खनिजों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) इस समय किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा रहा है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए जहां सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है वहां काम की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश के झाबुआ, सागर, छतरपुर, बस्तर, दुर्ग,

राजनन्दगांव, बालाघाट, सिधी और होसंगाबाद जिलों के भागों में तथा राज्य के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में खनिजों के लिए सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा उपर्युक्त क्षेत्रों में खोज कार्य जारी हैं। इसके अलावा, पश्चिम निमाड़, पूर्वी निमाड़, देवास, जबलपुर और ग्वालियर जिलों में भी सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ग) सर्वेक्षणों के फलस्वरूप भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जिन विभिन्न खनिज भंडारों का संकेत दिया है, उनमे झाबुआ जिले में लगभग 45.00 लाख टन फास्फोराइट, सागर और छतरपुर जिलों के कुछ भागों में 14 लाख टन फास्फोराइट; बस्तर जिले में 90 लाख टन बाक्साइट; दुर्ग और राजनन्दगांव जिलों के कुछ भागों में 50 लाख टन बाक्साइट; बस्तर जिले के रौघाट निक्षेप के कुछ भाग में 2000 लाख टन लौह अयस्क; बालाघाट जिले के कुछ भागों में 12.70 लाख टन मैंगनीज अयस्क; तथा राज्य के विभिन्न कोयला क्षत्रों में लगभग 9,870 लाख टन कोयला शामिल है।

डोरेस्वामी आयोग की सिफारिशें

4887. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की फेडरेशन आफ इण्डियन मैडिकल प्रैक्टिशनर्स असोसिएशन ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेशानसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा मंजूर की गई 42 पैसे प्रति मास की मामूली वृद्धि के विरुद्ध कड़ा असन्तोष व्यक्त किया है;

(ख) डोर्मस्वामी आयोग (1970) की सिफारिशें क्या थी और उनमें से कितनी स्वीकृत तथा क्रियान्वित हुई तथा कब से; और

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डाक्टरों द्वारा कितनी वृद्धि की मांग की गई है और सरकार ने 42 पैसे की वृद्धि किस आधार पर की है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिंह) : (क) जी हां। इस फेडरेशन ने एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें अप्रन्नता व्यक्त की गई है।

(ख) डोरेस्वामी समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ ये सिफारिशें की हैं :—

(i) बीमा चिकित्सकों को देय प्रति व्यक्ति शुल्क की राशि पेनल सिस्टम में कुछ सुधार करने की शर्त पर प्रति बीमाशुदा व्यक्ति प्रति वर्ष 17.50 रुपये से बढ़ा कर 30 रुपये करना; और

(ii) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन बीमाशुदा व्यक्तियों का चिकित्सा प्रसुविधा का हक समाप्त करने और उन्हें इस सुविधा का पुनः हकदार बनाने हेतु निगम प्रक्रिया में सुधार करे।

निगम ने प्रति-व्यक्ति शल्क की दर को पहली जनवरी, 1971 से 17.40 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये और पहली अक्तूबर, 1971 से 20 रुपये से बढा कर 25 रुपये प्रति बीमाशुदा व्यक्ति प्रति वर्ष किया था।

हक समाप्त करने आदि से संबंधित प्रक्रिया में सुधार करने के लिए भी निगम ने कार्यवाही की है।

(ग) इस फेडरेशन ने अप्रैल, 1974 के भूतलक्षी प्रभाव से 5, 10 रुपय प्रति माह प्रति परिवार की दर से प्रतिव्यक्ति शुल्क की मांग की है। तथापि निगम ने पहली अप्रैल, 1978 से प्रति व्यक्ति शुल्क को 25 रुपये से बढ़ा कर प्रति बीमाशुदा व्यक्ति प्रति वर्ष 30 रुपये करने का निर्णय किया है। यह निर्णय महाराष्ट्र के लिए कर्मचारी राज्य बीमा के क्षेत्रीय बोर्ड की उप-समिति द्वारा की गई सिफारिश पर आधारित है।

Death Due to Gas in Pipe-Line Plant of Durgapur Steel Plant

4888. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the outcome of the enquiry conducted into the causes of death of 3 persons due to gas in the pipeline in Durgapur Steel Plant; and

(b) the steps being taken to check the recurrence of such incidents in future and the details of assistance given to the familties of deceased?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) The question presumably refers to the accident which took place on the 14th February, 1978 in the Durgapur Steel Plant. The enquiry conducted has established the following as the cause of the accident :—

Water supply lines to Gas Washers No. 7 and 8 had been under repair and water had been drained out of this line by opening the drain valve. The water valve of the flushing water line connecting the above line with semiclean gas main was leaking and gas from the semiclean main leaked into the pit through the open drain valve. When the first worker had gone into the pit to close the drain valve of the washer line before putting the line into commission, he was gassed. Two other men, who tried to help him out by getting into the pit also got gassed one after the other. It has also been established that the prescribed safety precautions were not followed by the concerned employees.

(b) Chairman, SAIL, is reviewing the report of the Enquiry Committee for further follow up action including corrective action to check the recurrence of such accidents. The following steps have been/are being taken to provide assistance to the families :—

(i) Ex-gratia payment of Rs. 1001 has been made to each of the widows of the three workers.

(ii) Necessary action has been initiated to pay compensation under the Workmen's Compensation Act in respect to two workers, S/Shri Mondal and Gupta and ex-gratia in lieu of compensation in respect of the deceased officer, Shri Chakraborty, in terms of the rules of the Hindustan Steel Limited which entitle the deceased officers family to 24 months pay plus Dearness Allowance and personal pay, if any.

(iii) The widows of the three employees have been offered employment in the plant. The widows of S/Shri Mandal and Chakraborty have expressed their willingness to accept the employment and these cases are be-

ing processed. The widow of Shri Gupta is not willing to accept employment for herself and wants that employment should be given to her younger son, aged 16 years and 6 months as the older son is undergoing a course in Engineering and does not want to discontinue his studies. It has been decided that as the younger son cannot be offered employment, being underage, educational assistance should be given to both sons for the present and on of them should be offered employment either when the elder son completes his education or when the younger son comes of age when he can be offered employment.

सेलम इस्पात कारखाने में भारत-फ्रांस सहयोग के महत्वपूर्ण पहलू

4889. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) सेलम इस्पात कारखाने द्वारा फ्रांस की पीगो लायर के साथ हाल ही में किये गये तकनीकी सहयोग के महत्वपूर्ण पहलू क्या है ;

(ख) जून-अगस्त, 1977 में विभिन्न देशों में बहुत से स्टेनलस स्टील कारखानों के दौरे पर गये भारतीय विशषज्ञों के नाम क्या हैं ;

(ग) उन्होंने किस-किस देश का दौरा किया, और

(घ) सेलम इस्पात कारखाने द्वारा दी गई विश्वव्यापी निविदाओं के प्रति सहमति व्यक्त करने वाले स्टेनलेस स्टील उत्पादको के नाम क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) सेलम स्टील लिमिटेड ने ने 26 जनवरी, 1978 को फ्रांस के मेसर्स प्यूगो ल्वार से एक करार किया है। इस करार के अन्तर्गत मेसर्स प्यूगो ल्वार निम्दलिखित सेवाएं प्रदान करेंगे :--

(1) प्रलेखों मानकों, डेटा आदि के रुप में तकनीकी जानकारी देना,

(2) रुपांकन तथा इंजीनियरी कार्यो के बारे में परामर्श देना (ले-आउट, विशिष्टियां, टेण्डरों की जांच भी शामिल है);

(3) ग्राहक-सेवा की व्यवस्था करने, उत्पादों के प्रयोग तथा विकास से सम्बन्धित कार्यों में सहायता देना ;

(4) सेलम के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना आदि;

(5) विशेषज्ञों को भारत भेजना।

यह करार लगभग 5.40 करोड़ रुपये के लिए है और इसका भगतान किस्तों में किया जायेगा। जो मूल्य "कोट" किए गए हैं वे निश्चित मूल्य हैं और उन पर मूल्य-वृद्धि के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी करों की अदायगी मेसर्स प्यूगों ल्वावर द्वारा की जायगी। यह करार हस्ताक्षर करने की तारीख से लेकर 10 वर्षों तक अथवा कारखाना चालू होने की तारीख से लेकर 5 वर्षों तक, जो भी बाद में हो, लागू रहेगा।

(ख) सेलम स्टील लिमिटेड तथा एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लि० के अधिकारियों के जिस दल ने तकनीकी जानकारी देने की पेशकश करने वालों तथा उनके लाइसेंसधारियों के विभिन्न कारखानों का दौरा किया था उसमें निम्नलिखित शामिल थे :--

सर्वश्री

वी० सुब्रहमनियम, टी० आर० रामस्वामी, एस० सी० रेड्डी, पी० एस० रामरत्नम,	. . . सेलम स्टील लि०
एन० वी० रामानी, और आर० कामक	. . . दस्तूर एण्ड कम्पनी

(ग) इटली, स्पेन, फ्रांस, अमरीका, जापान और दक्षिण कोरिया ।

(घ) 1. अमरीका के यू० एस० एस० इंजीनियर्स एण्ड कंसलटेंट्स इंक तथा इटली के टेरनीनोस ऐसियाई इनो सीडेबिलि एस० पी० ए० 9 (टेरनीनोस);

2. फ्रांस के प्यूगो एसियर्स और क्रीसोट ल्वार जो बाद में प्यूगो ल्वार में शामिल हो गए हैं;

3. अमरीका का आर्मको स्टील कारपोरेशन;

4. अमरीका का क्रूसिबल इंक का क्रूसिबल स्टेनलैस स्टील डिविजन ;

5. अमरीका का एलिघेंनी लुडलम स्टील कारपोरेशन ;

6. जापान के निशिन स्टील कंपनी लिमिटेड और निप्पन स्टील कारपोरेशन।

मलेरिया के मामले

4890. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री माधवराव सिन्धिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में मलेरिया के मामले वर्ष 1976 की तुलना में 1977 में अधिक थे ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1976 और 1977 में ऐसे कुल कितने मामले थे, और

(ग) उक्त वृद्धि के क्या कारण थे और क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली में 1976 और 1977 में रिकार्ड किए गए मलेरिया के स्पष्ट रोगियों की कुल संख्या क्रमश: 49,330 और 1,78,196 थी ।

(ग) 1977 में दिल्ली में मलेरिया के स्पष्ट रोगियों की संख्या में वृद्धि के मुख्य कारण हैं, असाधारण बाढ़ और हल्का ग्रीष्म ।

मलेरिया को रोकने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए गए हैं :—

(1) मलेरिया रोधी उपायों को करने वाली निम्नलिखित एजेन्सियों से इस कार्यक्रम को तेज करने के लिए कहा गया है :--

(1) दिल्ली नगर निगम

(2) नई दिल्ली नगर पालिका

(3) जूलोजिकल पार्क

(4) आकाशवाणी

(5) प्रेजीडेन्ट एस्टेट

(6) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी

(7) उत्तरी रेलवे

(8) रक्षा प्राधिकरण

इन विभिन्न एजेन्सियों में ठोस समन्वय स्थापित करने के लिए भारत सरकार के अधीन एक विशेष समन्वय अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

2. भारत सरकार ने इस एजेन्सियों को प्रचालन संबंधी खर्च पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री और उपकरण तथा वित्तीय सहायता दी है । 1977-78 में लगभग 32 लाख रुपय की कुल सहायता दी गई थी और 1978-79 के लिए 38.45 लाख रुपये की रकम इस प्रयोजन के लिए नियत की जा चुकी है ।

3. दिल्ली नगर निगम ने लार्वा रोधी कार्यों का क्षेत्र 90 वर्गमील से बढ़ाकर 180 वर्ग मील तक कर दिया है । लार्वा-रोधी कार्य के अतिरिक्त पहली जून, 1978 से ग्रामीण और तटवर्ती क्षेत्रों में बी० एच० सी० के छिड़काव का कार्य आरम्भ किया जाएगा ।

4. दिल्ली में 50 मलेरिया क्लिनिक कार्य कर रहे हैं और 50 और क्लिनिक खोले जा रहे हैं । 500 से अधिक ज्वर उपचार डिपो भी स्थापित किये जा रहे हैं।

5. घरों के आस-पास मच्छर पैदा होने वाले स्थलों का निरीक्षण करने के कार्य पर 40 दलों को लगा दिया गया है।

6. इस रोग संबंधी स्थिति की समीक्षा करने और विभिन्न संगठनों के कार्यों में तालमेल बैठाने के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मुलन कार्यक्रम के निदेशक और दिल्ली नगर निगम के आयुक्त समय-समय पर बैठकें बुलाते हैं ।

चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक एककों में दुर्घटनायें

4891. **श्री बी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के विभिन्न औद्योगिक एककों में कितने श्रमिक हताहत हुए ; और

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार क्या उपचारात्मक कार्यवाही कर रही है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : कारखाना अधिनियम, 1948 (जो कि राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा लागू किया जाता है) में हाल ही में संशोधन करके उसमें निहित सुरक्षा उपबन्धों को सुदृढ़ किया गया है। विभिन्न औद्योगिक एककों में दुर्घटनाओं में हताहत हुए श्रमिकों के संबंध में आंकड़े प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के बारे में तीन तीन माह के बाद एकत्र किए जाते हैं। चालू वर्ष की पहली तिमाही के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि ये मार्च, 1978 के बाद ही संकलित किए जाएंगे।

ब्रिटेन में भारतीयों की दशा

4892. **श्री मनोरंजन भक्त** :
श्री यशवन्त बोरोले :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मार्च, 1978 के 'इंण्डियन एक्सप्रेस' में "यू० के० इण्डियन विक्टिम्स आफ टेरर टैक्टिक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरे तथ्य क्या हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इंग्लैंड में भारतीय यात्रियों के साथ बुरे व्यवहार तथा उन्हें परेशान किये के समाचार अक्सर छपते रहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इंग्लैंड में रह रहे अथवा उस देश की यात्रा करने वाले भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां।

(ख) हाल के महीनों में ब्रिटेन के राजनीतिक क्षेत्र के नेताओं ने आप्रवासन तथा जातीय सम्बन्धों के विषय में वक्तव्य दिए हैं। सत्ताधारी लेबर पार्टी की सरकार और कन्ज़रवेटिव पार्टी दोनों ही ऐसे समरस जातीय सम्बन्धों के पक्ष में हैं जिन में जातीय भेद-भाव न हो। सरकार इसका स्वागत करती है।

(ग) और (घ) : इस प्रकार परेशान या दुर्व्यवहार किए जाने के कुछेक मामले हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं न तो अक्सर होती हैं और न उनकी संख्या बहुत बड़ी है। जब कभी इंग्लैंड में किसी भारतीय के हितों को आघात पहुचाये जाने की कोई खबर मिलती है, चाहें वह कोई पर्यटक हो अथवा वहां का निवासी तो सरकार उस मामले को ब्रिटिश प्राधिकारियों के साथ उठाती है और उनसे उसे सन्तोषजनक सहयोग मिला है।

Setting up of an Automatic Telephone Exchange at Darbhanga

†4893. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up an automatic telephone exchange in Darbhanga City of Bihar State which is the headquarters of Commissioner; and

(b) if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Sukhdeo Sai) : (a) & (b) : a 600 lines Automatic telephone exchange is already working at Darbhanga.

सभी बड़े ग्रामों में डाकघरों की व्यवस्था के लिये समयबद्ध कार्यक्रम

4894. **श्री राजशेखर कोलूर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक के कम से कम सभी बड़े ग्रामों में डाकघरों की व्यवस्था करने के बारे में कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में कितने डाकघर खोले जायेंगे और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरी प्रसाद साय): (क) और (ख) : डाकघर उन गांवो में खोले जाते हैं जो निर्धारित मानदण्डों पर पूरे उतरते हैं। कर्नाटक के 26,826 गांवों में से अभी तक 7,744 गांवों में डाकघर खोले जा चुके हैं। ऐसा निर्णय किया गया था कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर्नाटक के देहाती इलाकों में 113 डाकघर खोल दिये जायें। 28 फरवरी, 78 तक 106 डाकघर खोल दिये गये थे।

Rabindranath Tagore Hospital

4895. **Shri Aghan Singh Thakur :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to hand over Rabindranath Tagore Hospital (in Kaunda Village, Pakhanjor, Bastar, M. P.) to the State Government; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) & (b) : Ministry of Health and Family Welfare has no hospital named Rabindranath Tagore Hospital under its administrative control in the State of Madhya Pradesh. So the question of its handling over to State Government does not arise.

छूट देने के मामले में तथा भविष्य निधि की बकाया राशि को वसूल न करने में शक्ति का दुरूपयोग

4896. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री 23 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1542 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में एकत्र की गई जानकारी से यह ज्ञात होता है कि छूट देने तथा भविष्य निधि की बकाया राशि की वसूल करने के लिये कोर्ट कार्यवाही न करने के बारे में वर्तमान केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने शक्ति का दुरुपयोग किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिंह) : (क) और (ख) : उपलब्ध सूचना का अध्ययन किया ज रहा है ।

भविष्य निधि की देय राशि जमा न कराने वालों के विरूद्ध मुकदमों में वापस लना

4897. **श्री कल्याण जैन :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें भविष्य निधि की देय राशि जमा न करने वालों के विरुद्ध दायर किये गये मुकद्दमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आयुक्तों द्वारा न्यायालयों से वापस ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है तथा प्रत्येक क्षेत्र के उन प्रतिष्ठानों के नाम क्या है जिनके विरुद्ध मुकद्दमा दायर करने के बाद उसे वापस ले लिया गया ;

(ग) क्या इन सभी मामलों में पहली बार देय राशि जमा नहीं कराई गई अथवा ऐसा पहले भी किया गया था तथा मुकद्दमा दायर करने के समय प्रत्येक अवसर पर कितनी राशि जमा नहीं कराई गई थी; और

(घ) प्रत्येक मामले में मुकद्दमा वापस लेने के आधार क्या हैं ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नलिखित सूचना दी है :—

(क) शुरु से लेकर और 30-9-1977 तक, भविष्य निधि जमा न करने वालों के विरुद्ध दायर किए गए 79,455 अभियोजन मामलों में से, 9,986 मामलों को वापिस ले लिया गया । इन आंकड़ों में अभियोजन के वे मामले शामिल हैं जो 1-11-1973 से पहले, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समुचित प्राधिकरण होने के नाते से स्वीकार किए गए और उन के कहने पर वापिस लिए गए ।

(ख) से (घ) : कर्मचारी भविष्य निधि लेखा प्रक्रिया मैन्युअल, खंड I, के पैराग्राफ 47 के परिशिष्ट II को प्रविष्टि 58 के अनुसार अन्तिम अभियोजन का निर्णय होने के बाद केवल एक वर्ष के लिए अभियोजन रजिस्टर रखने अपेक्षित हैं । अतः अनेक मामलों के संबंध में अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

इण्डियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा खान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया जाना

4898. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि भारत में कोयला खानों के लिये सभी विस्फोटकों की एक प्रमुख निर्माता बहुराष्ट्रीय ब्रिटिश कम्पनी, मैसर्स इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, व्यवस्थित रूप से खान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रही थी ;

(ख) क्या उन्हे इस बारे में विशेष आरोप प्राप्त हुए है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन आरोपों के बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग): मैसर्स इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा खान सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के बारे में कोई आरोप प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् में कोआरडीनेशन अधिकारी का पद बनाया जाना

4899. **श्री शंकर देव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद में कोआरडिनेशन अधिकारी का पद कब बनाया गया था; और

(ख) पद के लिये निर्धारित अनिवार्य योग्यतायें क्या हैं ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बढ़ते हुए और विविध कार्यकलापों के परिणामस्वरूप पदधारी की बढ़ी हुई जिम्मेदारियों के अनुरूप 8-11-1975 से वर्तमान पदों में से एक का दर्जा बढ़ाकर समन्वयन अधिकारी का कर दिया गया था।

(ख) यह अनिवार्य समझा गया था कि इस पद पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे संगठन का अनुभव और ज्ञान हो। वर्तमान पदधारी को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के नियमों एव विनियमों के अनुरूप नियुक्त किया गया था ।

बी० एड० योग्यता वाले लोगों को रोजगार

4900. **श्री रामकंवर बेरवा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो में, वर्षवार, बी० एड० योग्यता प्राप्त कितने कितने लोगों ने माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों के पदो के लिए दिल्ली के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में अपने नाम पंजीकृत कराए हैं और उनमें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि में उच्च जातियों के कितने लोगों को रोजगार मिला तथा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कितने लोगो को रोजगार मिला; और

(ग) शेष अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों को रोजगार देने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) गत तीन वर्षो के दौरान (1975-77) (बी० एड०) (एम० एड०) सहित योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या, जिन्होंने माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों के पदों के लिए दिल्ली के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में अपने नाम पंजीकृत कराए हैं, निम्न प्रकार है :--

वर्ष				योग	अनुसूचित जाति (योग में शामिल)	अनुसूचित जनजाति (योग में शामिल)
1975	.	.		6021	308	2
1976	.	.		4563	174	11
1977	.	.	.	2754	132	2

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान (1975-77) दिल्ली के विभिन्न रोजगार कार्यालयों के माध्यम से अध्यापकों के रूप में रोजगार प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या निम्न प्रकार है :-

वर्ष				योग	अनुसूचित जाति (योग में शामिल)	अनुसूचित जनजाति (योग में शामिल)
1975	.	.	.	209	2	शून्य
1976	.	.	.	167	20	शून्य
1977	.	.	.	165	8	शून्य

(ग) 1. आरक्षित रिक्तियों के अतिरिक्त, रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित अनारक्षित रिक्तियों के मामले में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सम्प्रेषित किया जाता है ।

2. साक्षात्कार तकनीक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देने के प्रबंध कर लिए गए हैं और इस प्रकार उनके चयन/रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा ।

पोस्टल स्टोर्स डिपो, अम्बाला

4901. **श्री सुरज भान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पश्चिम सर्किल में अम्बाला में एक ही भवन में दो वर्ष से भी अधिक से दो पोस्टल स्टोर्स डिपो चल रहे हैं यदि हां, तो वे किस तारीख से कार्य कर रहे हैं और अम्बाला में पोस्टल स्टोर्स डिपो को अलग अलग दो भागों में विभाजित करने की क्यों आवश्यकता पड़ी ;

(ख) क्या वर्तमान स्थिति में इच्छित उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं जबकि स्टोर्स की खरीद और सप्लाई का प्रबन्ध एक ही स्थान से किया जा रहा है ;

(ग) विभाग की पोस्टल शाखा की वित्तीय स्थिति अच्छी न होने की बात को ध्यान में रखते हुये स्टोर्स डिपो को विभाजित करने अधिक व्यय करना क्यों आवश्यक समझा गया जबकि स्टोर्स डिपो को उस क्षेत्र में स्थापित करके के लिये जहाँ के लिये यह आवश्यक था, आज तक प्रबन्ध नहीं किये जा सके ; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिये अब क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) से (घ) : निर्धारित मान दंडों के अनुसार जैसे ही अम्बाला के डाक भंडार डिपो को दो भागों में विभाजित करना जरुरी हो गया एक अन्य डाक भंडार डिपो की मंजूरी दे दी गई, जो लुधियाना में स्थित किया जाना है। 29 जून 1974 से अम्बाला में एक ही इमारत में दो भंडार डिपो काम कर रहे हैं। जब लुधियाना में इमारत उपलब्ध हो जायेगी, तो लुधियाना के लिये मंजूर किया गया डाक भंडार डिपो वहां ले जाया जायेगा। अपेक्षित स्थान प्राप्त करने के लिये लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं।

दो भंडार डिपो होने से, उनसे सप्लाई प्राप्त करने वाली यूनिटों के लिये सामग्री मगाने और उन्हें सप्लाई करने के काम में अच्छी देखरेख और नियंत्रण रखा जा रहा है।

समुद्रपारीय रोजगार निगम की स्थापना

4902. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार की तरह केन्द्र में समुद्रपारीय रोजगार निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अरब तथा मध्यपूर्व देशों में रोजगार चाहने वाले लोगों की सहायता के लिए किसी अन्य राज्य सरकार ने एसा निगम स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर इंडस्ट्रीयल प्रोमोशन इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को भारतीय कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल कामगारों की भर्ती करने के लिए भर्ती अभिकरण के रुप में पंजीकरण की स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार ने अपनी वर्तमान दो कारपोरेशनों अर्थात बिहार कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन तथा बिहार हाउसिंग बोर्ड को मध्य-पूर्व देशों में कामगारों के रोजगार के लिए भर्ती एजेंट के रुप में पंजीकृत करवाने की इच्छा व्यक्त की है। केरल संगठन के तरीके पर ओवरसीज एम्प्लायमेंट बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव गुजरात सरकार के विचाराधीन है।

भारत गोल्ड माइन्स परियोजना में हड़ताल

4903. डा० विजय कुमार मंडल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स प्रोजेक्ट लिमिटेड रामगिरि अनन्तपुर के कर्मचारी 5 मार्च 1978 से अनिश्चित काल की भूख हड़ताल पर हैं ;

(ख) क्या इस बारे में मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो हड़ताल समाप्त कराने और न्यायोचित मांगें पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं । भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड की रामगिरी परियोजना के अस्थायी और दिहाड़ी मजदूरों ने 22-2-1978 से हड़ताल कर दी और 15-3-1978 को हड़ताल वापस ले ली ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मजदूरों ने 15 मार्च, 1978 से बिना शर्त हड़ताल वापस ली थी । भारत गोल्ड माइन्स लि० द्वारा अस्थायी और दिहाड़ी मजदूरों की सभी उचित मांगों पर विचार किया जा रहा है ।

Providing P. C. Os. in Post Offices of district Headquarter in U.P.

†4904. **Shri Ganga Bhakt Singh :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal for providing public call offices in those post offices in Uttar Pradesh which are in District Headquarters or in other important cities;

(b) if so, the names of the Districts in Uttar Pradesh in which this programme is proposed to be introduced; and

(c) whether Government have also received a demand from the people in this regard?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the table of the House.

क्रासबार टेलीफोन उपकरण का आयात

4905. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान देश में टेलीफोनों के लिए क्रासबार उपकरणों का आयात किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण तथ्य क्या है और किन-किन देशों/फर्मों से उक्त उपकरण खरीदे गए और किस कीमत पर खरीदे गए ;

(ग) भारत में किन स्थानों पर उक्त उपकरण लगाए गए हैं ;

(घ) क्या इन्हें संतोषजनक पाया गया है अथवा त्रुटिपूर्ण; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरे नीचे दे दिये गए हैं :

वर्ष	फर्म का नाम	देश	लागत
1974-75 .	मेसर्स एल० एम० ई० 10,000	स्वीडन	13,021,873 स्वी०के०आर०
1976-77 .	मेसर्स एन० ई० सी० 30,000	जापान	1,821,789,719 येन
1976-77 .	सी० इटोह (मेसर्स हिताची) 50,000	जापान	2,880,373,721 येन

(ग) :

स्थान का नाम	फर्मों का नाम	लाइनों की संख्या	चालू होने की तारीख
नयी दिल्ली	मेसर्स एल० एम० ई०	10,000 ईदगाह	28-8-76
	मेसर्स एन० ई० सी०	10,000 हौजखास	25-2-78
	मेसर्स एन० ई० सी०	10,000 शक्तिनगर	स्थापित किया जा रहा है ।
	मेसर्स एन० ई० सी०	10,000 तीस हजारी	,,
बम्बई .	सी० इटोह	20,000 मलाबार हिल्स I और II	,,
अहमदाबाद	,,	10,000 रेलवेपुरा-III	,,
कलकत्ता .	,,	20,000 तेरट्टा बाजार II और III	,,

(घ) अभी तक मेसर्स एल० एम० ई० द्वारा सप्लाई किए गए एक्सचेंज चालू हो गए हैं। मैसर्स एन० ई० सी० ने जो एक्सचेंज सप्लाई किया था और जो हौजखास में स्थापित किया गया है, वह चालू हो गया है। ये एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

5—120 एल. एस. एस. (नई दिल्ली) 78

बोकारो स्टील सिटी के एच० एस० सी० एल० एसोसिएशन के तकनीकी कर्मचारियों का अभ्यावेदन

4906. **श्री ए० के० राय : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो स्टील सिटी के हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन से 20 फरवरी, 1978 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुद्दे उठाये गए हैं और उनका समाधान करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) इस अभ्यावेदन में इस्पात तथा खान मंत्री द्वारा माननीय सदस्य को दिनांक 4-1-1978 को लिखे पत्र का हवाला दिया गया है और उसमें बताया गया है कि संस्था के विचार में इसकी कुछ मांगो के बारे में, जो संलग्न विवरण में दी गई हैं, सही स्थिति क्या है। अभ्यावेदन में रखे गए मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1975/78**]

एन० सी० एस० एम० के बारे में राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद द्वारा जारी ज्ञापन

4907. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एन० सी० एस० एम० में बिगड़ी हुई स्थिति के बारे में राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद, धनबाद द्वारा जारी ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) और (ख) : संभवतः आशय एन० सी० एस० एम० कर्मचारी संघ, धनबाद द्वारा जारी की गई "एस० ओ० एस०" नामक पुस्तिका की ओर है, जिसकी एक प्रति सरकार को प्राप्त हुई।

यह मामला राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद के संघ के साथ उठाया गया है, जो कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत स्वायत्त निकाय है।

सेनाओं को कम करने के बारे में पाकिस्तान के साथ विचार-विमर्श

4908. **श्री माधवराव सिंधिया : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपनी हाल की पाकिस्तान यात्रा के दौरान जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और भारत की सशस्त्र सेनाओं में पारस्परिक और संतुलित कमी करने के बारे में विचार-विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उन्होंने क्या विचार व्यक्त किये ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य और पोषाहार सेवाओं का एकीकरण

4909. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद में अक्तुबर 1977 के दौरान आयोजित सामुदायिक कार्य-वाही के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन परिवार पोषाहार कार्यक्रम में स्वास्थ्य और पोषाहार सेवाओं के एकीकरण के लिए सुझाव दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तौ क्या सरकार ने इस बारे में राज्य सरकारों के परामर्श से कुछ कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत पोषण संबंधी कार्यों को राज्य स्तर पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एम० सी० एच०) सेवाओं के साथ पहले ही मिला दिया गया है। अन्य विभागों के अंतर्गत पोषण कार्यक्रमों के स्वास्थ्य संबंधो घटकों का काम राज्य स्वास्थ्य विभाग पहले से ही देखते आ रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल के लिए अधिकांश राज्यों में राज्य स्तरीय समन्वय समितियां बना दी गई है। भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा इस देश में चलाये जा रहे मुख्य पोषण कार्यक्रम इस प्रकार है और इनका समन्वय समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

1. ग्राम विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा प्रायोगिक पोषण कार्यक्रम।
2. समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया जा रहा विशेष पोषण कार्यक्रम।
3. शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए चलाई जा रही मध्याह्न ोजन योजना।
4. समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही एकीकृत बाल विकास सेवाये।
5. विशिष्ट कमी वाले रोगों को कम करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का परिवार कल्याण विभाग दो राष्ट्रीय योजनाएं चला रहा है। वे हैं—विटामिन "ए" की कमी से होने वाले रोगों को रोकने की योजना और पोषण की कमी से होने वाली अशक्तता को रोकने की योजना।

"सामुदायिक कार्यवाही--परिवार पोषण कार्यक्रम" संबंधी सम्मेलन के सुझावों और कार्यवृत्त का ब्यौरा मिलने पर स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के और अधिक एकीकरण के लिए आगें और कदम उठाये जायेंगे।

काश्मीर

4910. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी हाल की पाकिस्तान यात्रा के बाद भारत और पाकिस्तान द्वारा जम्मू और काश्मीर के वास्तविक नियंत्रण के बारे में 'साफ्ट फ्रंटियर' समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में इन दो सरकारों द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

भुवनेश्वर को कोरापुट, कालाहांडी और फुलबनी जिलों के साथ जोड़ना

4911. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य की राजधानी भुवनेश्वर और दक्षिण उड़ीसा के कोरापुट, कालाहांडी और फुलबनी जिलों के जिला मुख्यालयों के बीच सीधी टेलीफोन सुविधा के लिये टेलीफोन निदेशालय के उड़ीसा सर्किल के विचाराधीन कार्यक्रम और प्रस्ताव क्या है ;

(ख) वर्ष 1977–78 में कितनी राशि खर्च की गई और इन जिलों के खंड मुख्यालयों में कितनी टलीफोन लाइनें दी गयी हैं; और

(ग) इन जिलों के खंड मुख्यालयों तथा उप-डाकघरों को टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिये इस सर्किल के वर्ष 1978-79 के लिये प्रस्ताव क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साई) : (क) कोरापुट, कालाहंडी और फुलबनी के जिला मुख्यालय पहले से ही सीधे टेलीफोन लिंक के जरिये राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से जुड़े हुए हैं।

(ख) वर्ष 1977-78 में इन जिलों के खंड मुख्यालयों में खर्च की गई रकम और दी गई सेवा के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

जिला	खंड मुख्यालयों की संख्या	खर्च की गई रकम रु०	दी गई सेवा
कोरापुट . . .	1	20,000	सार्वजनिक टेलीफोन घर
कालाहंडी . .	4	1,30,000	सार्वजनिक टेलीफोन घर
फुलबनी . . .	1	1,000	सार्वजनिक टलीफोन घर

(ग) ऐसा प्रस्ताव है कि कोरापुट जिले के 9 खंड मुख्यालयों, कालाहंडी जिले के 8 खंड मुख्यालयों और फुलबनी जिले के 2 खंड मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन घर की सुविधाएं दे दी जाएं, बशर्ते कि साज-सामान उपलब्ध हों।

कोरबा स्थित एल्युमिनियम संयंत्र का कहीं अन्य ले जाना

4912. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार कोरबा, मध्य प्रदेश स्थित एल्यूमिनियम संयंत्र को किसी अन्य स्थान में स्थानान्तरित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य खनिज निगम भारत एल्युमिनियम कंपनी को बाक्साइट सप्लाई करने को तैयार है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य खनिज निगम से कच्चा माल प्राप्त करने में कोई कठिनाई है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) और (घ) : मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम ने हाल ही में कोरबा स्थित एल्युमिनियम कारखाने को बाक्साइट सप्लाई करने में रुचि दिखाई है और इस समय इन दोनों कम्पनियों के बीच विचारविमर्श हो रहा है ।

इस्पात उद्योग के विस्तार के कार्यक्रम को रोका जाना

4913. **श्री परमानन्द गोविन्द जोवाला** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात उद्योग के विस्तार के कार्यक्रम को सरकार ने रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या यह भी सच नहीं है कि इस्पात की मांग में अब वृद्धि हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मण्डा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

चालू वर्ष में इस्पात की मांग में वृद्धि का रुख है । अप्रैल, 1977 से फरवरी, 1978 की अवधि में हुई इस्पात की बिक्री पिछले वर्ष की इसी अवधि की बिक्री की तुलना में 15% अधिक है ।

राजस्थान में अभ्रक की खानो का राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात् महानों पर जमा अभ्रक

4914. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में अभ्रक की खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् मुहानों पर कितनी मात्रा में अभ्रक जमा हो गया है ; और

(ख) अभ्रक के जमा स्टाक का निपटान करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) राजस्थान में अभ्रक खानों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है । परन्तु अभ्रक निर्यात व्यापार 24-1-72 से खनिज और धातु व्यापार निगम के जरिए और बाद में 1-6-74 से अभ्रक व्यापार निगम के जरिए किया जाता था । 1972 से 1977 तक के वर्षो के अन्त में खान मुहानों पर निम्नलिखित स्टाक था :—

वर्ष	स्टाक टनों में
1972	125
1973	88
1974	184
1975	206
1976	147
1977	70

(ख) अभ्रक की खरीद निजी निर्यातकर्ताओं द्वारा की जाती है जो अभ्रक व्यापार निगम द्वारा इसका निर्यात करते हैं। इसके अलावा, अभ्रक व्यापार निगम अपने भीलवाड़ा स्थित प्रशिक्षण व खरीद केन्द्र की मार्फत समय-समय पर अभ्रक खरीदता रहता है। अभ्रक व्यापार निगम ने चालू वित्त वर्ष के अन्त तक लगभग 20 लाख रुपये का राजस्थान अभ्रक खरीदने का कार्यक्रम बनाया है।

खनिकों की आर्थिक स्थिति

4915. **श्री दुर्गा चन्द:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न खानों के खनिकों की आर्थिक स्थितियों का पता लगाने के लिये वर्ष 1977 में कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ग के अधीन प्रत्येक खान में कितने खनिक कार्य कर रहे है ;

(घ) इन खनिकों को दी गई दैनिक मजूरी क्या है; और

(ङ) इन खनिज को की जीवन-यापन स्थितियों में सुधार करने के लिये आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) से (ङ) : इन खानों से यह जानकारी एकत्र करने में काफी अधिक खर्च होगा और समय लगगा।

Policy and Criteria to issue Commemoration Postage Stamp

†4916. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the policy and criteria followed by Government to issue postal stamps in commemoration of Indian greatman;

(b) the names of the freedom fighters in whose memory postal stamps have been issued;

(c) the names of makers of modern Bihar in whose memory postal stamps have been issued and the reasons for which no postal stamp has so far been issued in commemoration of S/Shri Brij Kishore Prasad, Ramdhari Singh 'Dinkar', Sahajanand Saraswati and Abul Bati; and

(d) whether Government propose to issue in near future a postal stamp in memory of late Brij Kishore Babu whose hundredth anniversary was celebrated this year ?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a) A copy of the guide lines for the issue of commemorative stamps is placed on the Table of the House.

(b) A list showing the names of the freedom fighters in whose memory postal stamps have been issued is placed on the Table of the House.

(c) & (d) Commemorative stamps have been issued in respect of the following personalities hailing from Bihar :

1. Dr. Rajendra Prasad.
2. Shri Kunwar Singh.
3. Shri L. N. Misra.

The proposals for the issue of stamps in honour of S/Shri Brij Kishore Prasad and Ramdhari Singh 'Dinkar' were placed before the Philatelic Advisory Committe on 31-12-77 but were not recommended. No other proposals have been received. At present, there is no such proposal.

Statement I

Guidelines for the issue of Special/Commemorative Postage Stamps

1. No proposal for the issue of commemorative stamps shall ordinarily be entertained unless 18 months notice is given to the Department except in extra ordinary circumstances.
2. No commemorative stamp shall ordinarily be issued honouring an individual unless the occasion is 100th anniversary (birth or death). A commemorative stamp may also be issued on the 1st or 10th death anniversary.
3. No commemorative stamp shall ordinarily be issued for celebrating any event unless the occasion is the 50 year or the centenary. Events of international character only be considered for the issue of special stamps; other should be commemorated by the issue of special cancellations only.
4. Out of the total number of issues in a year (not more than 24/25 stamps), not more than 6 should be commemorative of personalities.
5. Proposals on literatures should be considered after obtaining the views of the Sahitya Akademi.
6. Planning of each issue should normally be taken in hand at least one year in advance of the date of issue and a complete six months' time should be given to the India Security Press for the purpose of designing & printing.

Statement II

Commemorative stamps issued in honour of the freedom-fighters up to 31st December 1977

S. No.	Name	Date of issue
1	Mahatma Gandhi	15-8-48
		2-10-69
2	Rabindra Nath Tagore	1-10-52
		7-5-61
		24-12-71

Statement II—Contd.

S. No.	Name	Date of issue
3	Lokmanya Balgangadhar Tilak	23-7-56
4	Rani of Jhansi	15-8-57
5	Bipin Chandra Pal	7-11-58
6	Motilal Nehru	6-5-61
7	Madan Mohan Malaviya	25-10-61
8	Bihkaji Cama	26-1-62
9	Ganesh Shankar Vidyarthi	25-3-62
10	Dr. Rajendra Prasad	13-5-62
11	Ramabai Ranade	15-8-62
12	Dr. Dadabhoy Naoroji	4-9-63
13	Dr. Mrs. Annie Basant	1-10-63
14	Gopabandhu Das	4-1-64
15	Subhash Chandra Bose	23-1-64
16	Sarojini Naidu	21-10-68
17	Kasturba Gandhi	22-2-64
18	Jawaharlal Nehru	12-6-64 14-11-64 27-5-65 1-12-67
19	Sir Aurobindo	15-8-64 15-8-72
20	Lala Lajpat Rai	28-1-65
21	G. B. Pant	10-9-65
22	Sardar V. Patel	31-10-65 31-10-75
23	G. R. Das	5-11-65
24	Lalbahadur Shastri	26-1-66
25	B. R. Ambedkar	14-4-66 14-4-73
26	Kunwar Singh	23-4-66
27	G. K. Gokhale	9-5-66
28	Abul Kalam Azad	11-11-66
29	Rashbehari Basu	26-12-67
30	Bhagat Singh	19-10-68
31	Sister Nivedita	27-10-68
32	Rafi Ahmed Kidwai	1-4-69
33	Kashinadhuni Nageswara Rao Pantulu	1-5-69
34	Dr. Zakir Hussain	11-6-69
35	V. D. Savarkar	28-5-70

Statement II—Contd.

S. No.	Name	Date of issue
36	Jatindra Nath Mukherjee	9-9-70
37	Jamnalal Bajaj	4-11-70
38	C. F. Andrews	12-2-71
39	Acharya Narendra Deo	19-2-71
40	V. O. Chidambaram Pillai	5-9-72
41	T. Prakasam	16-10-72
42	Vithalbhai Patel	27-9-73
43	C. Rajagopalachari	25-12-73
44	Jai Narayan Vyas	3-7-74
45	Kamla Nehru	1-8-74
46	Utkal Gourab Madhusudan Das	3-7-74
47	V. V. Giri	24-8-74
48	V. K. Krishna Menon	24-10-75
49	Bahadur Shah Zafar	24-10-75
50	N. C. Bardoloi	3-11-75
51	L. N. Misra	3-1-76
52	K. Kamraj	15-7-76
53	Subhadra Kumari Chauhan	6-8-76
54	Hiralal Shastri	24-11-76
55	Tarun Ram Phooken	22-1-77
56	Fakhruddin Ali Ahmed	22-3-77
57	Dr. Ram Manohar Lohia	12-10-77
58	Senapati Bapat	28-11-77

इस्पात संयंत्रों के आस पास के क्षेत्रों का विकास

4918. **श्री यशवंत बोरोले :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के इस्पात संयंत्रों से आग्रह किया गया है कि वे किसी विशेष परिधि के अन्दर आस पास के क्षेत्रों का विकास करने के लिय जिम्मेदारी लें; और

(ख) यदि हां, तो इस संदर्भ में इन संयंत्रों को क्या विशेष मार्गदर्शी सिद्धांत दिये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) : अभी हाल में इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने भी शामिल हैं) से कहा गया है कि वे समाज-कल्याण के लिए अपने आस पास के एक अथवा दो ग्रामों को अपना लें और उनके विकास के लिए व्यावहारिक तथा प्रभावी योजनाएं बनायें।

अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा

4919. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा कब आरंभ की गई थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में टेलेक्स प्रयोक्ताओं को यह सेवा किन केन्द्रों में उपलब्ध थी और अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा का विस्तार इसके अन्तर्गत आए देशों की संख्या के संदर्भ में कितना हुआ है ; और

(ख) सीधे डायल घुमाकर अन्य देशों को टेलिफोन करने की सेवा कब आरम्भ की गई थी और ऐसे देशों के नाम क्या हैं तथा तब से इस सेवा के अन्तर्गत आए देशों की संख्या के संदर्भ में इसका विस्तार कितना हुआ है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साई) : (क) बम्बई और अहमदाबाद से लन्दन के लिए 16 जून, 1960 से अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा शुरू की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना (मार्च, 1966) के अन्त तक ब्रिटेन, जापान, पश्चिम जमनी और फिलीपीन्स के लिए सीधी अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा और इन सीधे मार्गों के माध्यम से अन्य 58 देशों के लिए स्विच्ड टेलेक्स सेवा उपलब्ध हो गई थी। इस समय 23 देशों के साथ हमारा सीधा टेलेक्स सम्पर्क है। अन्य 168 देशों के लिए स्विच्ड टेलेक्स सेवा उपलब्ध है।

(ख) (एक) परीक्षण के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा पर स्वचल प्रयोक्त डायल सेवा आस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, हांगकांग, इटली, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात, सात देशों के लिए 24 अक्तबर, 1977 से शुरु की गई थी। इस समय यह सेवा आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बहरीन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, हांगकांग, ईरान, इटली, जापान, कुवैत, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका, स्विट्जरलैण्ड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमरीका और रुस, 18 देशों के लिए उपलब्ध है।

(दो) अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा पर सीधी प्रयोक्ता डायल सेवा लन्दन के लिए बम्बई से 10 अक्तुबर, 1976 से और नई दिल्ली से 31 दिसम्बर, 1976 से शुरू की गई थी। यह सेवा बढ़ाकर 2 अक्तुबर, 1977 से पूरे ब्रिटन के लिए चौबीस घण्टे के लिए सुलभ की गई थी। अमरीका के कुछ प्रमुख शहरों के लिए सीधी प्रयोक्ता टेलीफोन डायल सेवा का विस्तार विचाराधीन है।

विदेशों को भेजे जाने वाले डाक पार्सल

4920. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1396 के उत्तर में बताए गए विदेशों को भेजे जाने वाले पार्सलों (विमान तथा स्थल द्वारा) का कुल वजन तथा मूल्य क्या हैं; और

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में विदशों को विमान तथा स्थल द्वारा भेजे जाने वाले पार्सलों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साई) : (क) (i) अन्य डाक प्रशासनों के साथ पार्सलों का आदान-प्रदान करते समय उन पार्सलों को लारेन 1974 के विश्व डाक संघ पार्सल डाक समझौते के अनुच्छेद 5 के अनुसार विभिन्न भार वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि 1 किलोग्राम तक, 1 से 3 किलोग्राम तक, 3 से 5 किलोग्राम तक, 5 से 10 किलोग्राम तक, 10 से 15 किलोग्राम तक और 15 से 20 किलोग्राम तक।

इसलिए वर्ष 1977 के दौरान भेजे गए सभी जावक पार्सलों का सही-सही कुल भार मालूम करना संभव नहीं है ।

(ii) डाकघर पार्सलों की अन्तर्वस्तुओं के मूल्य के बारे में रिकार्ड नहीं रखते, इस लिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) (1) पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में जावक पार्सलों (हवाई और स्थल) की कुल संख्या 2,510,754 ।

(2) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में 2, 50, 824 ।

विदेशों में भारतीय राजनयिक अधिकारियों के नाम

4921. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या **विदेश** मंत्री 2 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1395 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में हमारे दूतावासों, हाई कमीशनों और वाणिज्य दूतावासों आदि में उन भारतीय राजनयिक अधिकारियों के पदनाम क्या हैं जिनको वाणिज्यिक/व्यापार कार्य देखने के लिये नियक्त किया गया है और उन राजनयिक अधिकारियों के पदनाम क्या हैं जिनको विशेष रूप से वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त किया गया है ;

(ख) अतारांकित प्रश्न संख्या 1395 के भाग (ख) के उत्तर के अनुसार भारत में पृथक रूप से व्यापार प्रतिनिधियों की संख्या कम होने के क्या कारण हैं ; और भारत में ऐसे प्रतिनिधियों के कृत्य क्या हैं ; और

(ग) विदेशों में 58 भारतीय वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के कृत्य क्या हैं और उन पर गत वर्ष तथा पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्षों में कितनी धनराशि खर्च की गई ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) विदेश स्थित हमारे राजदूतावासों, हाई कमीशनों में जो अधिकारी वाणिज्यिक/व्यापार कार्यों की देखरेख करते हैं उन्हें वरीयता-क्रम से मंत्री, परामर्शदाता प्रथम/द्वितीय/तृतीय सचिव और अताशे पदनाम दिया जाता है जिसके साथ यह संकेत भी रहता है कि वे वाणिज्यिक/व्यापार कार्य की देखरेख करते हैं, जैसे प्रथम सचिव (वाणिज्यक) । जिन अधिकारियों को पूर्णतः वाणिज्यिक प्रतिनिधिक पद पर तैनात किया जाता है उनका भी राजनयिक ओहदा वही होता है जो उपर्युक्त अधिकारियों का होता है ।

भारतीय कौंसलावासों के इन अधिकारियों को वरीयता-क्रम में प्रधान कौंसल/कौंसल और उपकौंसल का पदनाम दिया जाता है ।

(ख) यह निर्णय बहुत हद तक संबद्ध विदेशी सरकारों पर निर्भर करता है कि अलग से व्यापारिक प्रतिनिधियों के कार्यालय रखे जाएं या नहीं । बहरहाल, कुछ हद तक भारत में विदेश स्थित राजनयिक मिशनों के साथ ऐसे कार्यालयों के विलय हो जाने और जिन देशों के इस देश में पहले राजनयिक मिशन नहीं थे उनके व्यापार-कार्यालयों का अस्तित्व ऐसे मिशनों के खोले जाने के बाद से समाप्त हो जाने के कारण एसे कार्यालयों की संख्या में कमी आयी है ।

भारत में विदेश व्यापार प्रतिनिधियों का प्रमुख कार्य यह होता है कि वे भारत के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को संवर्धित करें ।

(ग) वाणिज्यिक कार्यों से सम्बद्ध अधिकारियों का प्रमुख कार्य होता है कि वे विदेशों में भारत के वाणिज्यिक, आर्थिक और औद्योगिक हितों को बढ़ावा दें ।

विदेश स्थित वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की स्थापनाओं पर किया गया व्यय इस प्रकार है :

(1) 1976-77 में 2,26,77,000 रुपये ।

(2) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में 51,69,619.00 रुपये ।

(3) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में 71,51,185.00 रुपये ।

Grant of Telephone Connections in Ajab and Shergadh Villages, District Junagarh

†4922. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of companies, persons of village Shergadh in Keshod Taluk of District Junagadh in Gujarat who have deposited the amount for telephone connections indicating the date, amount and place of deposits;

(b) the capacity of telephone exchange and the number of telephones in Ajab Village which is about 3 kilometers away from Shergadh;

(c) when and from where telephone facilities will be provided to the applicants in Shergadh village;

(d) whether fresh demands for telephone connections have been made by residents of Ajab village; and

(e) the reasons for not meeting the demands of Ajab and Shergadh villages for telephone connections ?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a) to (e): Information is being collected and will be placed before the table of the House when the same is ready.

कोलफील्ड्स टेलीफोन इन डिजस्टर शीर्षक से समाचार

4933. **श्री ए० के० राय :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 फरवरी, 1978 के 'कोलफील्ड टाइम्स' में 'कोलफील्ड टेलीफोन इन टोटल डिसऐरे,' शीर्षक समाचार की ओर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साई) : (क) जीहां, "कोल फील्ड टाइम्स" में जो समाचार प्रकाशित हुआ है उसमें स्थानीय टेलीफोन सेवाओं के असंतोषजनक होने, झरिया से धनबाद और धनबाद से झरिया के नंबर मिलने में कठिनाईयां होने, 22 बजे के बाद विशेष सेवाओं के मिलने में कठिनाई होने और टेलीफोन बिलों में बढ़ी हुई रकम दिखाए जाने तथा उनके विलंब से प्राप्त होने के संबंध में लिखा था ।

(ख) इस मामले में की गई जांच से पता चला है कि कोल फील्ड एक्सचेंजों की स्थानीय सेवाएं काफी संतोषजनक हैं। शिकायतों और दोषों के आंकड़े लगभग सामान्य हैं। इनकी औसत अवधि भी लगभग सामान्य है। जंक्शन कालों की सेवा का स्तर भी संतोषजनक है। इस समाचार के प्रकाशित होने से पहले किसी भी उपभोक्ता से विशेष सेवाओं के संतोषजनक न होने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली थी।

विभागीय नियमों के अनुसार टेलीफोन के बिल समय पर जारी किए जाते हैं और साधारण डाक से भेजे जाते हैं और टेलीफोन काटने से पहले सभी उपभोक्ताओं को स्मरण-पत्र जारी किये जाते है।

गंगापुर सिटी में टेलीफोन एक्सचेंज

4924. **श्री मीठालाल पटेल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगापुर सिटी (भरतपूर-राजस्थान) टेलीफोन एक्सचेंज में अतिरिक्त उपकरणों के अभाव के कारण नये टेलीफोन कनेक्शन लेने और पुराने टेलीफोन कनेक्शन ठीक कराने में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में कब तक व्यवस्था कर ली जायेगी?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साई) : (क) और (ख)-जी नहीं। 3 पार्टियों से उनके साझेदारी संबंधी दस्तावेज मांगे गए हैं। ये दस्तावेज अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इस वजह से इस समय नये कनेक्शनों की केवल 3 अर्जियां अनिर्णित पड़ी हैं। इन नये कनेक्शनों को देने या पुराने कनेक्शनों को ठीक करने के लिए अतिरिक्त उपस्कर की आवश्यकता नहीं है।

Shortage of Linemen in Gangapur City

†4925. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the present number of telephones operating in Gangapur City telephone exchange (Bharatpur-Rajasthan);

(b) the number of linemen required in view of these telephones; and

(c) whether in spite of the shortage of the linemen in the said telephone exchange for quite a long time, adequate number of linemen have not been posted there and if so, the reasons therefore and the time by which the adequate numbr of linemen will be provided there?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) 182;

(b) 5;

(c) The required number of linemen are already provided. There is no shortage of linemen in the said telephone exchange.

अन्धे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि

4926. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई बैठक को संबोधित करते हुए अंधे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि और आंख के अन्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और गत तीन वर्षों के आकड़े क्या हैं ; और

(ग) इनकी संख्या मे वृद्धी क क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन सालों में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। किन्तु भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा 1973-75 में किए गए अध्ययनों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 4 करोड़ 50 लाख व्यक्ति दृष्टि विकार से पीड़ित है और 90 लाख से अधिक व्यक्ति नेत्रहीन है।

(ग) वृद्धि के कारण :–

(i) जन संख्या वृद्धि।

(ii) लोगों को नेत्र विज्ञान संबंधी सेवाओं का कम सुलभ होना।

(iii) लोगों का निम्न समाजार्थिक स्तर जिसमें पौष्टिक संतुलित आहार प्राप्त करने में असमर्थता भी शामिल हैं जिसके कारण लोगो में ऐसे रोगों की प्रतिरोधी क्षमता कम हो गयी है। भारत सरकार ने एक वृष्टि विकार निवारण और अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम चलाया है ताकि इस समस्या की रोकथाम क लिए अधिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा सके।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक अस्पताल

4927. **श्री एस०आर० दामाणी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत 10 मार्च, 1978 को स्वास्थ्य मंत्री द्वारा खोले गये पहले आयुर्वेदिक अस्पताल का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस अस्पताल को संचालित कर रहे डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों की अर्हतायें क्या हैं और उनके वेतन क्या हैं ;

(ग) क्या यह केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के अन्य अस्पतालों के समन्वय से कार्य करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) भारतीय चिकित्सा प्रणाली को अन्य पद्धतियों को शामिल करके ऐसे और अस्पताल खोलने के लिये भावी कार्यक्रम क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) इस अस्पताल में, जो अलीगंज, लोधी रोड, नई दिल्ली मे स्थित है, 20 पलंग है। इस अस्पताल में भर्ती किए जाने वाले रोगियों का आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जाएगा। इस अस्पताल में आयुर्वेद के एक विशेष उपचार पंचकर्म क लिए व्यवस्था है।

(ख) इस अस्पताल में काय कर रहे डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों की अर्हता और पारिश्रमिक सम्बन्धी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) यह अस्पताल दिल्ली/नई दिल्ली में कार्य कर रही केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक औषधालयों के साथ मिलकर कार्य करेगा। यह दिल्ली के अन्य केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नैदानिक सुविधाओं का भी उपयोग करेगा।

(घ) किसी भी भारतीय चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत ऐसे और अधिक अस्पताल खोलने का कोई तात्कालिक प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	पदनाम	संख्या	वर्तमान पदधारक की अर्हताएं	वेतनमान — जमा वे भत्ते जो दिल्ली म केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को ग्राह्य हैं
1	2	3	4	5
1.	आयुर्वेदिक फिजोशियन (चिकित्सा अधीक्षक का कार्य सम्भाले हुए हैं जब तक नियमित आधार पर अधिकारी को नियक्ति नहीं हो जाती)	एक.	आयुर्वेद म डिप्लोमा गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि]	रु० 325-800 (पूर्व-संशोधित वेतनमान) चिकित्सा अधीक्षक के पद का वेतनमान 1100-1600 रुपये है।]
2	आयुर्वेदिक फिजीशियन	दो		
	(i) पुरुष		ए० एम०बी०एस०	650-1200 रुपये (संशोधित वेतनमान)
	(ii) महिला . .		बी०एससी०] डी०ए०एम०एस०]	--तदेव--]
3	फार्मासिस्ट-सह-क्लर्क आयुर्वेद .	एक	मट्रिक उप-वैद्य	330-560 रुपये
4	फार्मासिस्ट आयुर्वेद . .	दो	(i) मैट्रिक वैद्य] विशारद	330-560 रुपय
5	पंचकर्म सहायक (पुरुष) .	एक	एस०एस०एल०सी०, बी०ए० पार्ट I	330-560 रुपये
6	नर्स आयुर्वेद] . .	एक	उच्चतर माध्यमिक (ii) आयुर्वेदिक नर्स के रुप में रजिस्टर्ड]	425-640 रुपये
7	अवर श्रेणी क्लर्क . .	एक	उच्चतर माध्यमिक	260-400 रुपये
8	नर्सिग अर्दली . .	एक	माध्यमिक]	196-232 रुपये
9	रसोइया . . .	एक	शून्य	210-270 रुपये
10	आया . . .	तीन	(1) उच्चतर माध्यमिक (2) 8वी कक्षा (3) 5वीं कक्षा	196-232 रुपये
11	मेट-सह-मसालची . .	एक	3 क्लास आर्मी में	196-232 रुपये
12	मेहतर . . .	तीन	शून्य	196-232 रुपये

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंट सलिमिटेड और इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड में कर्मचारियों की संख्या

4928. **श्री शिवनारायण सरसूनिया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड और इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड में श्रेणी i, ii, iii, iv, में श्रेणीवार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) प्रत्येक उपक्रम में अलग-अलग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है ;

(ग) क्या इन उपक्रमों में भर्ती और पदोन्नति के मामले में सरकार के आरक्षण सम्बन्धी आदेश का पालन किया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साई):(क) और (ख) : हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड और इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड में 1 जनवरी 1978 को समूह क, ख, ग और घ (पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी) के कर्मचारियों की कुल संख्या और प्रत्येक उपक्रम के प्रत्येक समूह में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों की संख्या नीचे दिखाई गई है :

हिन्दुस्तान टेली प्रिंटर्स लिमिटेड

	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
समूह क	34	2	1
समूह ख	77	5	..
समूह ग	1,647	284	17
समूह घ	186	78	4
जोड़ .	1,944	369	22

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, लिमिटेड

	कमचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
समूह क	609	11	..
समूह ख . . .	1,170	73	3
समूह ग . . .	20,575	3,229	62
समूह घ . . .	2,317	902	5
जोड़ .	24,671	4,215	70

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों सहित कर्मचारी

4929. **श्री शिवनारायण सरसूनिया : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित उपक्रमों में काम कर रहे कर्मचारियों की श्रेणीवार (श्रेणी 1,2,3 तथा 4) कुल संख्या कितनी है :

(1) भारत एल्युमिनीयम कम्पनी लिमीटेड

(2) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड,

(3) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड,

(4) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड,

(5) मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड,

(6) भारत रिफ्रेक्टरीज़ लिमिटेड,

(7) बोकारो स्टील लिमिटेड,

(8) बोलानी ओ०से० लि०,

(9) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड,

(10) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड

(11) इण्डियन फायर ब्रिक्स एण्ड इन्सूलेशन कम्पनी लिमिटेड,

(12) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड,

(13) कुद्रेमुख आयरन और कम्पनो लिमिटेड,

(14) मेटालर्जीकल इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,

(15) मैटल स्क्रेप ट्रेड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,

(16) नेशनल मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड,

(17) "सेल" इन्टरनेशनल लिमिटेड,

९—120 एल०एस०एस० (नई दिल्ली) 78

(18) सलेम स्टील लिमिटेड, और

(19) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ;

(ख) प्रत्येक उपक्रम में प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की अलग अलग संख्या कितनी है ;

(ग) क्या इन उपक्रमों में भर्तियों तथा पदोन्नतियों के मामलों में रिक्त पदों के आरक्षण के लिए भारत सरकार के आदेशों का पालन किया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (घ) : निम्नलिखित उपक्रमों में 31-12-1977 को ग्रुप ए से सी के कर्मचारियों की कुल संख्या और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या संलग्न अनुलग्नक में दी गई है।

1. भारत रिफ्रेक्टरीज़ लि० ।
2. बोकारो स्टील लि० ।
3. हिन्दुस्तान स्टील लि० ।
4. हिन्दुस्तान स्टील-वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि० ।
5. मैटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेन्टस (इंडिया) लि० ।
6. मैटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन लि० ।
7. नैशनल मिनरल डिवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० ।
8. सेल इन्टरनेशनल लि० ।
9. सेलम स्टील लि० ।
10. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ।
11. कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि० ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की सीधी भर्ती और सेवाओं में उनकी पदोन्नतियों में आरक्षण के बारे में सरकारी आदेशों के कार्यान्वयन के लिए इन सब कम्पनियों को इनको अन्तर-नियमावलियों के अधीन निर्देश जारी कर दिए गए हैं ।

शेष कम्पनियों के बारे में इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

उपक्रम का नाम		31-12-1977 को कर्मचारियों की संख्या			
		ग्रुप 'ए'	ग्रुप 'बी'	ग्रुप 'सी'	
				मेहतरों को छोड़ कर	मेहतर
1		2	3	4	5
1. भारत रिफ्रेक्टरीज लि० .	जोड़	37	37	717	8
	अ० ज०	—	—	101	8
	अ० ज० ज०	—	—	65	—

विवरण—जारी

1	2	3		4	5
2. बोकारो स्टील लि०	जोड़	3083	1318	29160	906
	अ० ज०	22	19	3333	836
	अ० ज० ज०	31	23	2632	67
3. हिन्दुस्तान स्टील लि०	जोड़	8930	8469	113248	2937
	अ० ज०	123	211	11018	2425
	अ० ज० ज०	33	77	10358	9
4. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि०	जोड़	1779	396	23149	73
	अ० ज०	20	7	3094	64
	अ० ज० ज०	6	2	3084	5
5. मेटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेन्टस (इंडिया) लि०	जोड़	1460	209	1410	68
	अ० ज०	29	1	100	54
	अ० ज० ज०	10	10	304	14
6. मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लि०	जोड़	9	4	18	—
	अ० ज०	—	—	3	—
	अ० ज० ज०	—	—	—	—
7. नेशनल मिनरल डिवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०	जोड़	596	596	6611	172
	अ० ज०	25	16	771	125
	अ० ज० ज०	1	6	1574	2
8. सेल इन्टरनेशनल लि० .	जोड़	67	14	86	1
	अ० ज०	—	—	27	1
	अ० ज० ज०	—	—	1	—
9. सेलम स्टील लि० .	जोड़	66	14	91	12
	अ० ज०	5	1	14	11
	अ० ज० ज०	—	—	6	—
10. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०	जोड़	114	31	130	—
	अ० ज०	3	2	22	—
	अ० ज० ज०	—	—	—	—
11. कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि०	जोड़	202	41	517	2
	अ० ज०	6	—	54	2
	अ० ज० ज०	—	—	19	—

टिप्पणी :

1. ग्रुप 'ए' के पदों का वेतन अथवा वेतन-मान अधिकाधिक 1300 रुपए से कम नहीं है।
2. ग्रुप 'बी' के पदों का वेतन अथवा वेतनमान अधिकाधिक 900 रुपए से कम नहीं हैं परन्तु 1300 रुपये से कम हैं।
3. ग्रुप 'सी' के पदों का वेतन अथवा वेतनमान अधिकाधिक 290 रुपए से अधिक है परन्तु 900 रुपए से कम है।
4. कुल से अभिप्राय कर्मचारियों की कुल संख्या है।
5. अ० ज० से अभिप्राय अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों से है।
6. अ० ज० ज० से अभिप्राय अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों से है।

Homoeopathic Medicine

4930. **Shri Shyam Sundar Gupta** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Homoeopathic medicines prepared in liquid form lose their power balance by their transportation from one place to another (import, export or transportation) and there is a possibility that it may benefit or harm the patient (Organon of Medicine); and

(b) the steps being taken by Government to check this bad practice (Organon Bound) ?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) It is not correct to say that the Homoeopathic medicines prepared in liquid form lose their power balance (potency) by their transportation from place to place. There is no device so far available to determine the potency of Homoeopathic medicines. However, experience shows that by transportation, Homoeopathic medicines in liquid form do not lose their power balance. According to the 'Organon of Medicine' the potency is raised by a prescribed method, according to which the bottle containing the medicine is given the prescribed number of powerful, uniform strokes against the palm of the opposite hand. During transporation, such strokes are not possible. In the past for over 100 years Homoeopathic medicines have been transported from place to place, yet they have proved their expected efficacy when administered. Moreover, in Pharmacies the Homoeopathic medicines are hundled very frequently by lifting and opening the bottles a number of times a day. Even this process does not alter the potency of these medicines.

(b) Does not arise.

Homoeopathic Treatment

4931. **Shri Shyam Sundar Gupta** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether the 'Organon of Medicine and the Materia Medica Pura' are authentic books on Homoeopathy and whether Homoeopathic treatment without reference to these books is meaningless and people are being deprived of the benefit therof;

(b) whether Government had appointed select committees in 1968 and 1971 to go into the introduction of scientific system of Homoeopathy but due to enforcement of the Central Council of Homoeopathy Bill pure Homoeopathy is not available to the people even to-day; and

(c) if so, steps being taken by Government to ensure pure Homoeopathic treatment to the people ?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) The 'Organon of Medicine' is a book written by Master Hahnemann and it contains the principles of Homoeopathy and practical directions for the use of Homoeopathic medicines for the relief of the sick. Materia Medica Pura is another book written by Master Hahnemann describing the properties of drugs developed from the provings and other experiments. References to these authentic books are necessary for practising the Homoeopathic System of Medicine. These books have been prescribed as text books and reference books by various Homoeopathic educational institutions for different courses and have

been included in their syllabi and curricula. However, it may not be correct to say that without referring to these books, Homoeopathy is meaningless and people will be deprived of the benefits thereof, as the Materia Medica Pura describes properties of only 67 drugs, which are insufficient to tackle all diseases Even though Master Mahnemann could record the properties of these 67 drugs perhaps it may not be correct to conclude that the Materia Medica Pura is the last word on Homoeopathy Materia Medica. At present there are about 800 Homoeopathic drugs in use which have been developed according to the directions given by Master Hahnemann and details of experiments in developing them are recorded in various standard books such as Allon's Encyclopaedia, Herring's Guiding Symptoms and Clarks' Dictionary of Practical Materia Medica etc.

(b) & (c): The Government had appointed in Joint Select Committee to examine the question of regulating the practice of Indian System of Medicine and Homoeopathy. But later on, in 1971, a separate bill on Homoeopathy was introduced in the Parliament. This was referred to another special Joint Select Committee. The Committee visited various institutions all over the country and gathered evidences from experts, educationists and leading practitioners of Homoeopathy in different parts of the country. On the basis of these evidences, a Bill was introduced in the Parliament which later became the Homoeopathy Central Council Act, 1973. Under the provisions of this Act, the Central Council of Homoeopathy was established so as to lay down regulations for the practice of Homoeopathy in the country and to prescribe suitable educational standards in Homoeopathy. The Government will take proper care to see that these standards and regulations are framed in accordance with the basic concepts of Homoeopathy and as such there is no reason to doubt the availability of pure Homoeopathic treatment to the people in the country.

Homoeopathic System of Medicine

4932. **Shri Shyam Sundar Gupta :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Homoeopathic system of medicine cannot bear successful results by ignoring reference to 'Organon of Medicine' an authority book on Homoeopathy and whether whatever is being done in the country in the name of Homoeopathy is mostly ignoring reference thereto; and

(b) if so, the steps being taken by Government for providing Homoeopathic treatment in accordance with Organon ?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) The 'Organon of Medicine' is a book written by Master Hahnemann wherein he has described the principles of Homoeopathy and given various instructions, rules and regulations for treating the sick homoeopathically. Its theoretical part contains the basic priciple of the science of Homoeopathy and the practical part deals with the various directions in its application to the sick person. It is an established fact that the Homoeopathic system of medicine cannot bear successful result by ignoring reference to the 'Organon of Medicine'. It is not correct to say that whatever is being done in the country in the name of Homoeopathy is by mostly ignoring the reference thereto. In every educational institution of Homoeopathy the teaching of 'Organon of Medicine' is compulsory and is included in their syllabus and curricula. Each student has to devote the prescribed time for the study of the 'Organon of Medicine' and has to pass in the specific examination before he qualifies. Efforts are being

made by the Government to bring about a uniformity in the Homoeopathic education in the country by prescribing a uniform syllabus which will include the detailed study of the subject 'Organon of Medicine' in addition to various other subjects.

(b) Does not arise.

सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों से आय तथा आसाम में इन केन्द्रों की व्यवस्था किया जाना

4933. **श्री अहमद हुसैन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31-12-1977 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों के दौरान हमारे देश के 'ए', 'बी' तथा 'सी' वर्ग के नगरों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों से वर्षवार कितनी राशि की आय हुई ; और

(ख) आसाम राज्य में चालू वर्ष के दौरान अन्त तक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या में कितनी वृद्धि की जायेगी तथा ये नये केन्द्र कहां कहां स्थापित किये जायेंगे ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) : वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

कृषि श्रमिकों के लिये बीमा

4934. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि श्रमिकों के लिए जीवन बीमा की किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी संक्षिप्त रुपरेखा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) और (ख) : इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । तथापि, 25 जनवरी, 1978 को हुए ग्रामीण असंगठित श्रमिक संबंधी विशेष सम्मेलन के परिणामस्वरुप ग्रामीण असंगठित श्रमिकों के कल्याण तथा सेवा शर्तों के समग्र प्रश्न की जांच करने के लिए ग्रामीण असंगठित श्रमिक संबंधी केन्द्रीय स्थायी समिति गठित करने का विचार है ।

कालेज छात्रों में एलकोहलयुक्त पेय तथा मादक औषधियों का प्रयोग

4935. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेज के छात्रों में एलकोहलयुक्त पेय तथा मादक औषधियों के प्रयोग के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस विश्व संस्था द्वारा अब तक ऐसे कितने सर्वेक्षण किये गये है और इसके निष्कर्ष क्या रहे थे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) ऐसा कोई सर्वेक्षण हुआ है इसकी जानकारी सरकार को नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

अशोधित तेल की सप्लाई के लिए ईरान के साथ समझौता

4936. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान से अतिरिक्त अशोधित तेल के आयात के बारे में हाल ही में भारत सरकार और ईरान के शाह के बीच कोई नया समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त अशोधित तेल की कितनी मात्रा आयात की जायेगी और किन शर्तों पर ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) और (ख) : ईरानसे ऋण के रूप में या एक मुश्त भुगतान के रूप में, जो भी सुविधाजनक हो, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन मूल्य पर प्रतिवर्ष अतिरिक्त कच्चा तेल देने का प्रस्ताव किया है । इन किस्तों अथवा इस एक मुश्त राशि के बराबर राशि रुपयों में अपेक्षानुसार भारत में जमा की जाएगी चाहे उसका यहां निवेश किया जाये या खर्च किया जाए अथवा उसका इस्तेमाल पूर्वी तटवर्ती बाक्साइट के भंडारों की एल्यूमिना परियोजना, त्रिपुरा में कागज एवं लुगदी फैक्टरी तथा राजस्थान नहर के द्वीतीय चरण जैसी स्वीकृत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने में किया जाये ।

आयात किये जाने वाले कच्चे तेल की मात्रा सहित अन्य ब्यौरे पर दोनों देशों की सरकारों को अभी निर्णय लेना है ।

Request for Increased prices of non-levy Aluminium Goods

4937. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the aluminium manufacturers have requested increased prices of the non-levy aluminium goods;

(b) whether production cost of these Manufactures has gone up considerably and this industry is running in loss; and

(c) if so, the efforts being made by Government to esure that this industry does not incur loss ?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Mines (Shri Karia Munda) : (a) No, Sir.

(b) & (c) : There is no control over the price of non-levy aluminium. After the budget, the four aluminium producers have recently announced increases varying between Rs. 750 to Rs. 1000/- per tonne in their prices of non-levy aluminium ingots, these increases being stated to be based on increased costs arising from new levies in the budget, and cost of inputs. In fixing their prices of non-levy metal, the producers would no doubt have taken into account the need to avoid losses and to make profits. Government has announced increases in the price of levy aluminium to take note of the increased cost of production arising from budgetary levies.

Use of Loop caused Cancer

4938. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether the use of loop has caused cancer in many cases;

(b) if so, the number of such cases in the country, State-wise; and

(c) the preventive steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) Two types of IUDs Loop and Cu. T 200 are being used in the National Family Welfare programme. No report of these devices causing cancer to any woman has been received. In order to exclude the possibility of cancer being caused with the use of IUD, research work is going on in India and in other countries. On the basis of the results of these research works so far, it can be stated that there is no likelihood of cancer due to the use of loop or Cu. T. As regards the side effects of loop, these are comparatively less with Cu. T.

(b) and (c) : Question does not arise.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आयुर्वेद रत्न और दिल्ली विद्यापीठ की आचार्य परीक्षा की मान्यता समाप्त करना

4939. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आयुर्वेद रत्न और दिल्ली विद्यापीठ की आचार्य परीक्षा की मान्यता समाप्त कर दी गई है; और

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप अनेक विद्यार्थी बेकार हो गये है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोई आयुर्वेदिक उपाधि प्रदान नहीं करता है । तथापि, 'आयुर्वेद रत्न' उपाधि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा प्रदान की जाती है । 1931 और 1967 के बीच प्रदान की गई इस उपाधि को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त अर्हताओं की दूसरी अनुसूची में पहले ही सम्मिलित कर लिया गया है । फिर भी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन 'आयुर्वेद रत्न' की उपाधि को प्रदान करता जा रहा है । 1967 के पश्चात् प्रदान की गई यह उपाधि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है । यदि यह संस्था भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद द्वारा विहित पाठ्यचर्या और पाठ्यविषय के अनुसार नियमित शिक्षण की व्यवस्था करे तो इनके द्वारा दी जाने वाली उपाधि को इस अधिनियम के अधीन मान्यता दे दी जायेगी ।

अखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ, दिल्ली, निम्नलिखित उपाधियां प्रदान करता है :—

1. आयुर्वेद विशारद
2. आयुर्वेद भीषक

3. वैद्याचार्य
4. प्रजावैद्य परीक्षा
5. वैद्य विशारद
6. आयुर्वेदाचार्य

ये सभी भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित हैं और इसलिए ये चिकित्सा कार्य आदि के लिए मान्य है।

भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ सितम्बर, 1975 में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा संस्कृत आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम को स्वीकृत किया और इसे सारे देश भर में समान रुप से लागू किया जाना है।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की धारा 17 को 1-10-1976 से लागू कर दिया गया है। जिन व्यक्तियों के पास मान्यता प्राप्त अर्हताएं नहीं है, वे पंजीकरण और चिकित्सा कार्य करने के हकदार नहीं होते है।

Steel Plant Based on Raughat Iron Ore Deposits in Madhya Pradesh

4940. **Shri Subhash Ahuja:**
Shri Govind Ram Miri:

Will the Minister of **State and Mines be** pleased to state:

(a) whether a proposal is being considered regarding setting up of a steel plant based on Raughat iron-ore deposits in Madhya Pradesh;

(b) if so, whether project report has been prepared for setting up the plant in Raughat; and

(c) if so, when the plant is likely to be set up?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karis Munda): (a) No, Sir.

(b) and (c): Do not arise.

इंजीनियरों और इंस्ट्रुमेण्टेशन उद्योगों में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त को लागू किया जाना

4941. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बतानें की करेंगे कि :

(क) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्होने "समान कार्य के लिए समान वेतन" का सिद्धांत लागू कर दिया है ;

(ख) क्या इंजीनियरों और इन्स्ट्रुमेन्टेशन उद्योगों को योजना के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन उद्योगों में इस सिद्धांत को कब तक लागू कर दिया जायगा ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 जिसमें समान कार्य या उसी प्रकार के कार्य के लिए पुरुष तथा महिला श्रमिको को समान पारिश्रमिक भुगतान की व्यवस्था है, को अब तक 23 नियोजनो में लागू किया गया है अर्थात् :--

(1) बागान (जो बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 के अधीन आते हैं)।

(2) स्थानीय प्राधिकरण।

(3) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें।

(4) अस्पतालों, उपचर्यागृहों और औषधालयों।

(5) बैंकों, बीमा कम्पनियों अगर अन्य वित्तीय संस्थाओं।

(6) शैक्षिक, अध्यापन, प्रिशक्षण और अनुसंधान संस्थाओ।

(7) खानें।

(8) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कोयला खान भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम।

(9) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडागारण निगम तथा राज्य भंडागारण निगम।

(10) वस्त्र और वस्त्र उत्पादों का विनिर्माण।

(11) बागानों में स्थित कारखानें।

(12) विद्युत और इलैक्ट्रोनीय मशीनरी उपकरणों तथा यंत्रो का विनिमार्ण।

(13) रासायन और रासायन उत्पादों (पेट्रोलियम और कोयला उत्पादों को छोड़कर)।

(14) भूमि और जल परिवहन।

(15) खाद्य वस्तूओ के निर्माण।

(16) अन्य निर्माण कारी उद्योग।

(17) विद्युत गैस तथा जल।

(18) थोक और खुदरा व्यापार।

(19) निर्माण तथा निर्माण से सम्बद्ध कार्य।

(20) परिवहन, भंडार तथा संचार।

(21) कृषि तथा कृषि से सम्बद्ध कार्य।

(22) वायुयान परिवहन उद्योग।

(23) अचल सम्पत्ति और व्यापार सेवायें तथा कानूनी सेवाएं।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Kala Azar

4942. **Shri Vinayak Prasad Yadav :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in "Northern India Patrika" of December, 1977 under the caption "Unani drug for Kala Azar"; and

(b) if so, whether Government have deputed Unani doctors to the areas to check the disease by the use of this drug?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. However, arrangements for the scientific evaluation to establish the efficacy of Unani drugs to deal with Kala Azar have been made.

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों का खोला जाना

4943. **श्री विनायक प्रसाद यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में सहरसा जिले में 5000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले कितनी पंचायतों में अब तक डाक घर नहीं खोले गये हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि उक्त जिले में कोशालो पट्टी और चौराहा गांवों में डाकघर खोले जाने के लिये अनेक बार पत्र लिखे गये हैं परन्तु अभी तक डाक घर नहीं खोले गये हैं ?

संचार राज्य मंत्री नरहरि प्रसाद सायरी : (क) 28।

(ख) विभागीय मानदंडों के अनुसार कोशालो पट्टी और चौराहा गांवों में डाकघर खोलने का औचित्य नहीं पाया गया है ।

ग्रामीण श्रमिकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना

4945. **श्री के० मालन्ना :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री 22 दिसम्बर, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 520 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण श्रमिकों पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार करने की सम्भावना की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक निर्णय कर लिया जाएगा ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है ।

नए लाइसेंस प्राप्त रि-रोलिंग कारखानों को स्टेनलैस स्टील के कोटे पर प्रतिबन्ध ।

4946. **श्री जी० एम० बनतवाला :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये लाइसेंस प्राप्त स्टील रि-रोलिंग कारखानों को स्टेनलैस स्टील की चादरों का कोटा दिये जाने पर प्रतिबन्ध होने से स्टेनलैस स्टील की चादरों में चोर बाजारी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) : बेदाग इस्पात की चादरों के वितरण और आपूर्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है । अतः बेदाग इस्पात की चादरों का कोटा देने अथवा इनमें "कालाबाजारी" का प्रश्न नहीं उठता ।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का दौरा

4947. **श्री जी० एम० बनातवाला :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्थान के राष्ट्रपति मार्च 1978 में भारत के दौरे पर आये थे;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार के नेताओं के साथ हुई बात-चीत की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) क्या कोई नये समझौते किये गये है और यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) जी हां, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति 3 मार्च से 5 मार्च, 1978 तक भारत को राजकीय यात्रा पर आए थे ।

(ख) और (ग) : अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व तथा द्विपक्षीय सहयोग से सम्बद्ध विषयों पर बातचीत हुई । दोनों पक्षों ने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों की प्रगति पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया तथा इन्हें और अधिक सुदृढ़ करने और विकसित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने का निर्णय किया । इन विचार विमर्शों के दौरान हमारे दृष्टिकोण में निकट समानता का परिचय मिला जो दोनों देशों में विद्यमान गहरी समझबूझ को प्रतिबिम्बित करता है। इस यात्रा के दौरान अफगानिस्तान का पण्य ऋण के रूप में 50,000 टन गेहूं देने का करार भी सम्पन्न हुआ ।

दूरसंचार के विकास के लिये द्रुत कार्यक्रम शुरू करने के लिये राजस्थान सरकार का अनुरोध

4948. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में दूर संचार के विकास हेतु, जिनके लिये राज्य सरकार की ओर से सभी स्तरों पर हर संभव सहायता तुरन्त उपलब्ध कराई जायेगी। एक द्रुत कार्यक्रम शुरू करने के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार कीं क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरसिंह प्रसाद साय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1978-79 में गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलना

4949. **श्री अहमद एम० पटल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 में गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में, जिलावार, कितने डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : अस्थायी तौर पर ऐसा कार्यक्रम बनाया गया है कि गुजरात के देहाती इलाकों में वर्ष 1978-79 के दौरान 250 डाकघर खोल दिए जाएं। डाकघर खोलने का जिलेवार लक्ष्य प्रदर्शित करने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	वर्ष 1978-79 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघर (अस्थायी कार्यक्रमानुसार)
1	अहमदाबाद	6
2	अमरेली	15
3	बनासकांठा	12
4	भड़ोच	10
5	भावनगर	10
6	डांग्स	4
7	गांधीनगर	10
8	जामनगर	29
9	जूनागढ़	15
10	`डा	15
11	काछ	7
12	मेहसाना	10
13	पंचमहल	12
14	राजकोट	17
15	साबरकांठा	15
16	सूरत	20
17	सुरेन्द्रनगर	15
18	वड़ोदरा	15
19	वलसाद	13
	योग	250

दुर्गापुर स्टील कारखाना और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में हानि

4950. **श्री वसन्त साठे** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के दो कारखानों तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी में चालू वर्ष के दौरान भारी हानि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एककों को लाभ में चलाने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है/ करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) : दुर्गापुर इस्पात कारखाने को वर्ष 1977-78 में 13.56 करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान है जबकि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० को इसी अवधि में 31.29 करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान है। अभी ये आंकड़े अस्थायी हैं।

(ग) **दुर्गापुर इस्पात कारखाना :**

(1) **भारतीय रेलवे से अपने उत्पादों के लिए उचित मूल्य प्राप्त करना** :--भारतीय रेलवे इसके कुछ उत्पादों का एकमात्र खरीददार है और यह महसूस किया गया है कि इनके लिए अदा किए जा रहे मूल्य तर्कसंगत नहीं हैं। यह मामला उत्पादों के लिए तर्कसंगत मूल्य के बारे में उचित सुझाव देने के लिए वित्त मंत्रालय के मुख्य लागत लेखा अधिकारी के पास भेज दिया गया है।

(2) **उत्पादन म वृद्धि करना** :--पहिए और धुरे के कारखाने में उत्पादन बढाने के लिए उपाय किए गए हैं।

(3) **उत्पादन म विविधता लाना** :-- उत्पादन में विविधता लाने के लिए योजनाएं कारखाने तथा स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के विचाराधीन हैं।

(4) **अच्छी किस्म के कोयल और बिजली की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति** :--अच्छे किस्म के कोयले और बिजली को पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति न होने के कारण चालू वर्ष में कारखाने के उत्पादन में काफी हानि हुई है। इनकी आपूर्ति को ठीक करने के लिए संबन्धित अभिकरणों से निरन्तर बातचीत की जा रही हैं।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०

(1) कम्पनी के इस्पात कारखाने की क्षमता को इसके निर्धारित स्तर पर लाने तथा निर्धारित स्तर पर उत्पादन का स्तर बनाए रखने के लिए योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(2) उत्पादन में विविधता लाने, लोहे और इस्पात बनाने की सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने और एक सिन्टरिंग संयंत्र लगाने के लिए विभिन्न योजनाए बनाई जा रही हैं।

(3) यह निर्णय लिया गया है कि कम्पनी का समन्वित विकास सुनिश्चित करने तथा इसकी प्रौद्योगिकी, उत्पादन तथा वित्तीय समस्याओं के लिए बेहतर प्रबन्ध करने हेतु इस समय कम्पनी में केन्द्रीय सरकार के जो शेयर हैं उन्हें स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) को अन्तरित कर दिया जाय। इस प्रकार इसको 'सेल' की एक सहायक कम्पनी बन जायेगी। यह भी प्रस्ताव

है कि सरकारी वित्तीय संस्थानों तथा अन्य पार्टियों के पास कम्पनी के जो शेयर, हैं, उन्हें अर्जित करके सेल को अन्तरित कर दिया जाए ताकि इसको सेल का एक प्रभाग बन जाय।

(4) कम्पनी के ब्याज के भारी बोझ को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1977-78 से शुरू हुए वर्ष से लेकर अगले तीन वर्षों के दौरान पूंजीगत योजनाओं पर खर्च करने के लिए दी गई वित्तीय सहायता को इक्विटी माना जाय। यह भी निर्णय लिया गया है कि नकद हानियों को पूरा करने के लिए चालू वर्ष में कम्पनी को स्वीकृत किए गए ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए तीन वर्ष की छूट दी जाये।

शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की प्रतिशतता

4951. **श्री बी० पी० मंडल : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय संपूर्ण भारत में तथा राज्यवार, शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है लेकिन संलग्न विवरण रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों में से शिक्षितों (मैट्रिक तथा अधिक) की प्रतिशतता को दर्शाता है।

विवरण

जून, 1977 की समाप्ती तक विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों और अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शिक्षित (मैट्रिक और अधिक) तथा अशिक्षित (मैट्रिक से कम और अनपढ़ों सहित) व्यक्तियों की प्रतिशतता

राज्य/संघशासित क्षेत्र	प्रतिशतता शिक्षित	प्रतिशतता अशिक्षित
राज्य		
1. आंध्र प्रदेश	47.5	52.5
2. असम	41.9	58.1
3. बिहार	51.5	48.5
4. गुजरात	56.9	43.1
5. हरियाणा	53.3	46.7
6. हिमाचल प्रदेश	50.5	49.5
7. जम्मू और कश्मीर	46.8	53.2
8. कर्नाटक	59.8	40.2
9. केरल	54.5	45.5
10. मध्य प्रदेश	43.0	57.0

विवरण—जारी

राज्य/संघशासित क्षेत्र	प्रतिशतता शिक्षित	प्रतिशतता अशिक्षित
11. महाराष्ट्र	54.3	45.7
12. मणिपुर	56.1	43.9
13. मेघालय	43.9	56.1
14. नागालैंड	37.4	62.6
15. उड़ीसा . .	38.4	61.6
16. पंजाब	48.7	51.3
17. राजस्थान	52.1	47.9
18. सिक्किम *		
19. तमिलनाडु	52.6	47.4
20. त्रिपुरा	56.1	43.9
21. उत्तर प्रदेश . . .	53.3	46.7
22. पश्चिम बंगाल	49.6	50.4
संघशासित क्षेत्र		
1. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह . . .	10.2	89.8
2. अरुणाचल प्रदेश*		
3. चंडीगढ़	52.6	47.4
4. दादरा व नागर हवेली *		
5. दिल्ली	80.1	19.9
6. गोवा . . .	53.3	46.7
7. लक्षद्वीप	32.1	67.9
8. मिजोराम	41.6	58.4
9. पांडिचेरी	60.8	39.2
अखिल भारत	51.8	48.2

नोट : 1.* इन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है ।

2. दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्गदर्शन केन्द्रों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं ।

3. रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी नौकरी चाहने वाले अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं हैं ।

4. पंजीकरण ऐच्छिक है, इसलिए यह हो सकता है कि सभी बेरोजगार व्यक्ति रोजगार कार्यालयों के साथ पंजीकरण न करवाएं ।

सरकारी क्षेत्र में इस्पात का उत्पादन

4952. **श्री बी० पी० मंडल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 और 1977-78 में सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) इसमें वृद्धि अथवा कमी, जैसी भी स्थिति हो, के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) वर्ष 1976-77 और 1977-78 (अनुमानित) में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन नीचे दिया गया है :--

(हजार टन)

	1976-77	1977-78 (अनुमानित)
1. सरकारी क्षेत्र के सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने . .	5372	5273
2. गैर सरकारी क्षेत्र का सर्वतोमुखी इस्पात कारखाना .	1550	1586
3. लघु इस्पात कारखाने	700	950

(ख) बिजली की सप्लाई में प्राय: प्रतिबन्धों/रुकावटों जैसे कई कारणों से वर्ष 1977-78 में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बोकारो, दुर्गापुर और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के कारखानों पर इसका विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। मात्रा और क्वालिटी की दृष्टि से कोकर कोयले की सप्लाई को कुछ समस्याएं होने अक्तूबर, 1977 में दुगदा और भोजूडीह कोयला शोधनशालाओं में हड़ताल होने तथा कुछ कारखानों विशेषत: इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लि० में मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होने के कारण भी उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परन्तु, सरकार द्वारा उत्पादन शुल्क तथा आयात शुल्क में संशोधन करने तथा उत्पादन में विविधता लाने की अनुमति देने आदि जैसे किए गए कुछ उपायों के फलस्वरूप तथा मांग बढ़ जाने के कारण लघु इस्पात कारखानों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

माधेपुरा टेलीफोन एक्सचेंज का संबंध पटना के साथ स्थापित करना

4953. **श्री बी० पी० मंडल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माधेपुरा (बिहार सर्किल) टेलिफोन एक्सचेंज का पटना के सा: सीधा संबंध नहीं है और कालों को सहरसा के रास्ते भेजा जाता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार माधेपुरा एक्सचेंज का संबंध पटना के साथ जोडने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

7--120 एल0 एस0 एस0 (नई दिल्ली)/78

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लो एश कोकिंग कोल की कमी

4954. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लो एश कोकिंग कोल की कमी है और सरकार का विचार इस किस्म का आयात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो हमारे देश में इसका कुल उत्पादन कितना है, इसकी कितनी कमी है और इसकी कितनी मात्रा आयात की जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां ।

(ख) हमारे देश में इस्पात कारखानों में इस्तेमाल के लिए राख की कम मात्रा वाला को ककर कोयला उपलब्ध नहीं है । आरम्भ में राख की कम मात्रा वाला 10 लाख टन कोककर कोयला आयात करने का विचार है जिसे देशीय कोयले में मिला कर स्पात कारखानों में इस्तेमाल किया जाएगा ।

औद्योगिक शान्ति

4955. **श्री चित्त बसु** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक शान्ति बनाये रखने का प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : सरकार 'औद्योगिक शांति' के विचार का स्वागत करती है । इस संबंध में किए गए प्रस्ताव का नियोजकों और कर्मचारियों दोनों द्वारा भी सामान्यतः स्वागत किया गया था ।

आपात स्थिति के दौरान रूरकेला इस्पात संयंत्र के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पीड़ित किया जाना

4956. **श्री चित्त बसु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में लाई गई है कि आपात स्थिति के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 400 कर्मचारियों को पीड़ित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उनको बहाल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) : तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

आजाद हिन्द फौज के खजाने के बारे में जांच की मांग

4957. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजाद हिन्द फौज के खजाने के बारे में जांच किये जाने की मांग की सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्य-वाही की है;

(ग) क्या सरकार ने उन वरिष्ठ अधिकारियों से सम्पर्क किया है, जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उन्हें तथ्यों की जानकारी है और सभी सम्बद्ध दस्तावेजों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) सरकार ने अखबार में इस आशय की खबरें देखी है कि आजाद हिन्द फौज के खजाने के सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिये।

(ख) और (ग) : 1951 में कुछ भारतीयों ने जो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से संबद्ध थे, टोकियों में भारतीय संपर्क मिशन के प्रमुख से संपर्क किया था। उन्होंने उन्हें बताया कि उनके कब्जे में कुछ सोना और जवाहरात हैं, जो उन्होंने उस दुर्घटनाग्रस्त विमान से हासिल किया था जिसमें नेताजी सवार थे। भारतीय संपर्क मिशन के प्रमुख को यह भी बताया गया था कि सोने और जवाहरात के अतिरिक्त उनके कब्जे में 20,000 येन (जो उस समय 265 रुपये 10 आने के बराबर थे) हैं।

तत्कालीन प्रधान मंत्री के अनुदेशों पर टोकियों में भारतीय संपर्क मिशन के प्रमुख ने इस सोने, जवाहरात और नकद रकम को अपने मिशन में अगले अनुदेश होने तक के लिए रखा। जापान के साथ शांति संधि सम्पन्न होने के बाद ये सामग्री नवंबर, 1952 में भारत सरकार के एक अधिकारी के द्वारा दिल्ली भेज दी गई। ये सामग्री विदेश मंत्रालय को सौंप दी गयी जिसने इन्हे अस्थायी रूप से अपने पास रखा। 30 दिसम्बर, 1953 को सोना और जवाहरात राष्ट्रीय संग्रहालय को सुरक्षा पूर्वक रखने के लिए सौंप दिये गए। तत्कालीन प्रधान मंत्री की अनुमति से 265 रुपये 10 आनेकी नकद रकम 16 दिसम्बर, 1954 को आजाद हिंद फौज सहायता कोष को दे दी गयी।

(घ) सरकार इस संबंध में कोई और कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझती। सोना और जवाहरात राष्ट्रीय संग्रहालय को दे दिये गये हैं और नकद रकम आजाद हिंद फौज के खाते में जमा कर दी गयी है।

श्रम संबंधी मामलों का शीघ्र निपटान

4958. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश भर में न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के पास पड़े अनेक और उत्तरोत्तर बढ़ते हुए श्रम सम्बन्धी अनिर्णीत मामलों के बारे में जानकारी है ;

(ख) क्या उक्त स्थिति श्रम जीवी वर्गों में लाचारी तथा असंतोष का वातावरण नहीं पैदा कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) क्या उक्त मामलों का शीघ्र निपटान करने हेतु उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय का विचार अतिरिक्त विशेष न्यायाधीशों को नियुक्त करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) अधिकांश केन्द्रीय सरकार श्रम-न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण भेजे गए विवादों का निपटान करने में औसतन 6 महीने से $1\frac{1}{2}$ वर्ष का समय लेते हैं। यद्यपि यह बात सही है कि देरी के परिणाम स्वरूप असुविधा पैदा होती है, तथापि, देरी के कारण औद्योगिक संबंध में गड़बड़ी पड़ने के कोई समाचार प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ) : विवादों को तत्काल निपटान के सम्पूर्ण प्रश्न पर प्रस्तावित औद्योगिक संबंध विधेयक के समग्र संदर्भ में विचार किया जा रहा है ।

अस्पतालों में डाक्टरों, नर्सों और तकनीशियनों का अनुपात

4959. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्यक्षेत्रों के सभी बड़े अस्पतालों में डाक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों का अनुपात पर्याप्त और संतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त अनुपात को ठीक करने तथा उसमें सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उसके क्या ठोस परिणाम निकले हैं ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कृत्रिम संसद कार्यक्रम

4960. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूली बच्चों के लिए कृत्रिम संसद कार्यक्रम अथवा परियोजना को वर्ष 1975, 1976 और 1977 में चालू रखा गया था ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर चालू रखा गया और उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई और उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम अथवा परियोजना में और भी सुधार किये जा रहे है तथा उसे सुदृढ़ किया जा रहा है और भारत के अन्य भागों में उसका प्रसार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय "युवा संसद" प्रतियोगिताएं दिल्ली में मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित की जाती हैं और इसके परिणाम आशाप्रद हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा इन प्रतियोगिताओं पर वर्ष 1975, 1976 और 1977 में किया गया वार्षिक खर्च रु० 8,000 से रु० 11,000 के बीच था।

(ग) और (घ) : राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को समय-समय पर इसी प्रकार की "युवा संसद" प्रतियोगिताएं आयोजित करने की सलाह दी जाती है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश ने अपने-अपने राज्यों में युवा संसद प्रतियोगिताओं की व्यवस्था की है। पंजाब, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, गोआ, दमण और दीव, पांडिचेरी, दादरा और नगर हवेली तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह इस योजना को अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित करने को सहमत हो गए हैं।

समझौता सम्बन्धी कार्यक्रम के बारे में कर्मचारियों में असन्तोष

4961. **श्री अमरसिंह वी० राठवा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक न्यायाधिकरण और उनके द्वारा मामलों के अंतिम निपटान के संदर्भ में समझौता संबंधी कार्यवाहियों के कार्यकरण के बारे में देश के श्रमिकों तथा मजदूर संघो में भारी असंतोष हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे असंतोष के क्या मुख्य कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने विशिष्ट अवधि में मामलों का निपटान करने के लिए संबद्ध प्राधिकारी को निदेश दिया है अथवा देने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में कोई विधेयक लायेगी और यदि हां, तो कब तथा उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ङ) : सरकार को इस संबंध में कोई विशेष रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं, विवादों के शीघ्र निपटारे के सम्पूर्ण प्रश्न पर प्रस्तावित औद्योगिक संबंध विधेयक के समग्र संदर्भ में विचार किया जा रहा है।

नैमित्तिक मजदूरों को नियमित करना

4962. **श्री अमरसिंह वी० राठवा :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र और राज्यों के विभिन्न विभागों और विभिन्न मंत्रालयों म एसे नैमित्तिक मजदूर और कर्मचारी हैं जो 5, 10, 15 वर्ष से काम कर रहे हैं और फिर भी उन्हें स्थायी नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारीयों की संख्या प्रत्येक राज्य, मंत्रालय और प्रतिष्ठानों में कितनी कितनी है ;

(ग) उनको स्थायी करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उनके अभी तक अस्थायी और नैमित्तिक बने रहने के क्या कारण है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस बारे में संसद में एक विधेयक लाने का है ; यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्रमिकों के परामर्श से मजूरी भुगतान अधिनियम, कामगर मुआवजा अधिनियम और अन्य श्रमिक अधिनियमों में खमियों को दूर करना

4963. **श्री अमरसिंह वी० राठवा :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वर्तमान मजूरी भुगतान अधिनियम, कामगर मुआवजा अधिनियम और अन्य ऐसे अधिनियमों, जिनमें श्रमिकों के हितों को ठीक प्रकार से रक्षा नहीं की जा रही है में बहुत सी खामियां हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी खामियां हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार श्रमिकों तथा कर्मचारियों के हित में उपरोक्त अधिनियमों का संशोधन करने का है ;

(घ) यदि हां, तो कब और कैसे तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार इस मामले में श्रमिक प्रतिनिधियों से परामर्श करेगी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ङ) : मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम तथा इस प्रकार के अन्य अधिनियमों जैसे कमचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 और कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 में संशोधन के कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इन प्रस्तावों पर राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित पक्षों से परामर्श करके कार्रवाई की जा रही है ।

घरेलू नौकरों की सेवाओं को नियमित करने के लिये कानून

4964. **श्री अमरसिंह बी० राठवा :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली और देश के नौकरों की दयनीय दशा के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इन नौक ों के कल्याण और बेहतरी के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या इस वर्ग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियमित करने हेतु सरकार का विचार कोई कानून लाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और कसे तथा ऐसे कानून की मुख्य बातें क्या होंगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) : इस संबंध म मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। श्रमिकों के इस वर्ग पर लागू होने वाला उपयुक्त विधान बनाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों से परामर्श लेते हुए कुछ समय पहले विचार किया गया था, लेकिन प्रस्तावित विधान को मुख्य रूप से इस आशंका से समर्थन नहीं मिला कि ऐसा करने से बड़े पैमाने पर घरेलू नौकरों की छंटनी हो जायेगी और उनके नौकरी के अवसर कम हो जाएगें। इसके अतिरिक्त यह भी महसूस किया गया कि प्रस्तावित विधान को क्रियान्वित करना बहुत ही कठिन होगा।

दस कर्मचारियों वाले कारखानों के कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ देने का विधेयक

4965. **श्री शिवनारायण सरसुनिया :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय ने अनेक बार यह सार्वजनिक घोषणा की है कि ऐसे सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों में भविष्य निधि के लाभ दिये जायेंगे कि जिनमें दस अथवा उससे अधिक श्रमिक काम करते है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गरीब श्रमिकों को लाभ देने के लिए अपेक्षित विधेयक को संसद के चालू सत्र में पेश करने के लिए तैयार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार विधेयक को पुरःस्थापित करने में कितना समय लेगी ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिंह) : (क) से (ग) : कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 में सशोधन संबंधी कुछ प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन हैं। इनमें एक प्रस्ताव उक्त अधिनियम को 10 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू करने के बारे में हैं।

संचार की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्य, जिलें और सब-डिविजन

4966. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों, जिलों, सब-डिविजनों और खण्डों को, जिन्हें डाक सेवा और दूरसंचार दोनों की दृष्टि से पिछड़े हुये माना गया है, वर्ष 1977–78 में नियत्न और डाक सेवाओं के निष्पादन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में उन्हें अन्य भली-भांति विकसित क्षेत्रों के स्तर तक लाने के लिये उनके मंत्रालय ने क्या योजना और कार्यक्रम बनाये हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) किसी भी राज्य, सब-डिवीजन और ब्लाक को, जिसे पिछड़ा हुआ माना गया हो, वर्ष 1977-78 में निधि निर्धारण और डाक सेवाओं के विस्तार की योजना के कार्यान्वियन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी गई है। फिर भी, डाक और दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए पिछड़े इलाकों पर उदार आर्थिक मानदंड लागू होते हैं।

(ख) **डाक** : छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश के देहाती इलाकों में 25,000 डाकघर खोलने का अस्थायी रूप से प्रस्ताव है। पिछड़े इलाकों पर और अधिक जोर दिया जाता रहेगा।

दूरसंचार : आगामी पंचवर्षीय योजना में लम्बा दूरी के 15000 पी० सी० ओ० और 15000 तारघर खोलने का प्रस्ताव है। इनमें से काफी तादाद में पिछड़े इलाकों में होंगे।

बिजली लेवी के कारण इस्पात के मूल्य में वृद्धि

4967. **श्री के० प्रधानी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु (मिनी) इस्पात उद्योग को इस बात की आशंका है कि बिजली पर ड्यूटी लगाये जाने के कारण, ग्रेफाइट इलेक्टारोड्स और भट्ठी तेल जैसी वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क के आधार तर 5 प्रतिशत की विशेष लेवी और अनेक अन्य वस्तुओं पर 2 से 5 प्रतिशत तक उत्पादन शुल्क बढ़ाये जाने से इस्पात मूल्यों में 40 रुपये से 50 रुपये प्रति टन की वृद्धि हो जायेगी ;

(क) क्या यह भी सच है कि लघु इस्पात उद्योग पर उद्योग को समाप्त कर सकने वाला बोझ डाले जाने से वह समेकित इस्पात संयंत्रों के वस्तुओं के मूल्यों का मुकाबला नहीं कर सकेगा ;

(ग) क्या स्टील फरनेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मांग की है कि समेकित इस्पात संयंत्रों को अतिरिक्त शुल्कों का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए और नये शुल्कों के अतिरिक्त बोझ की सीमा तक अपने उत्पादों के मूल्य बढ़ा देने चाहिये ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) स्टील फरनेस एसोसियशन आफ इंडिया को आशंका है कि लघु इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित इस्पात पिण्डों की उत्पादन लागत में लगभग 73 रुपए प्रति टन की वृद्धि हो जायेगी।

(ख) से (घ) : जहां तक सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के उत्पादो पर बढ़े हुए कर का सीधा प्रभाव पड़ने का सम्बन्ध है, संयुक्त समिति ने मूल्यों में उचित संशोधन की घोषणा पहले ही कर दी है। चूंकि लघु इस्पात संयंत्रों के उत्पादों पर उत्पादन शुल्क से छूट है अतः बढ़े हुए करों के परिणामस्वरूप उस हद तक सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की तुलना में उनकी स्पर्धी स्थिति में सुधार होने की संभावना है।

बिजली, कोयला आदि जैसी आदानों पर बढ़े हुए करों से सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों तथा लघु इस्पात संयंत्रों दोनों के ही उत्पादन लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

Scheme for Maximum Utilisation of Mineral Resources in Rajasthan

4968. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating any scheme for maximum utilisation of mineral resources of Rajasthan; and

(b) if so, the details thereof and if not, be reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) and (b) : Both the Central Government and the State Government have set up a number of agencies for optimal utilisation of the resources of various minerals.

2. In 1977-78, the programmes drawn up for intensive prospecting and mineral surveys in Rajasthan include investigations for metallic as well as industrial minerals such as base metals, fluorspar, kyanite, limestone, dolomite, barytes, sillimanite, rockphosphate, etc.

3. The Hindustan Zinc Limited who are engaged in the mining and smelting of lead-zinc metals have already completed and commissioned the expansion of their zinc smelter at Debari near Udaipur in Rajasthan from 18,000 to 45,000 tonnes per annum of zinc metal and other bye products based on indigenous zinc concentrates produced from Mochia and Balaria lead-zinc mines in Zawar area in Rajasthan. For augmenting supplies of indigenous concentrates to the smelter. Hindustan Zinc Limited have taken up the development of Rajpura Dariba mines near Udaipur to produce 3000 tonnes of ore per day. The project is likely to go in production in 1981-82. Hindustan Zinc Limited have already formulated the schemes for the development of Zawarmala-Baroi mines in Zawar area in Rajasthan.

4. The Fertilizer Corporation of India are exploiting the gypsum deposits which are used in the Sindri Fertilizer Complex. Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited are also developing the pyrites resources of Saladipur (Sikar District) and it is proposed to establish a sulphuric acid plant based on this pyrite deposit which will be used by the proposed Fertiliser Complex along with rockphosphate to produce single super phosphate.

5. The Hindustan Copper Limited (HCL) have installed three projects in Rajasthan. Khetri Copper Complex, Distt. Jhunjhunu covers the development of Khetri and Kolihan mines and erection of a concentrator, smelter, refinery and acid-cum-fertiliser plant. The Chandmari Copper Project is the first opencast mine in the country and has a rated capacity of 500 tonnes of ore per day. The work on the expansion scheme-to expand the capacity of 1,000 tonnes of ore per day is in progress. The Dariba Copper Project in Alwar Distt. has been developed for the production of 100 tonnes of ore per day with a matching concentrator for concentrating ore produced.

6. The Rajasthan State Mines & Minerals Limited is engaged in exploitation and utilisation of phosphate and gypsum resources while the Rajasthan Industrial and Mineral Development Corporation is working on flourite, tungsten, granite, marble, limestone, gypsum, sillicaous earth, bentenite, lead-zinc, copper (base metals), graphite etc. The State Department of Mines & Geology also implements schemes of mineral development and exploration of mineral deposits, quarry development schemes, schemes of granting loans to mining lessees and building approach roads for mines and quarries. It also provides technical assistance to the mining industry.

Tenders Invited for Sale of Zinc Ash by Hindustan Zinc Ltd. Udaipur

4969. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether the Hindustan Zinc Limited, Udaipur (Rajasthan) invited tenders for the sale of "Zinc Ash" some time ago;

(b) whether a large number of tenders were received by them and the same were opened also but no tender has been accepted so far;

(c) the money deposited for the tenders has not been paid back; and

(d) if so, the full details in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) In June, 1977, Hindustan Zinc Ltd., Udaipur invited tenders for sale of High Metallic Zinc Dross.

(b) 13 offers received were opened on 30-6-1977, but no offer was accepted because the prices quoted by the parties were low considering the value of zinc metal contained in the zinc dross.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

गोल्ड माइन्स लिमिटेड के श्रमिकों द्वारा अधिक मजूरी देने की मांग

4970. **श्री जी० वाई कृष्णन् :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार के श्रमिक अधिक मजूरी और रहन-सहन की बेहतर स्थिति की मांग कर रहे हैं ;

(ख) क्या उनको सरकारी क्षेत्र के उदयोगों के श्रमिकों से कम मजूरी दी जा रही है ; और

(ग) उनके बेहतर मजूरी ढांचे और रहन सहन की बेहतर स्थिति के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी हां ।

(ख) भारत गोल्ड माइन्स लि० के मजदूरों को दी जा रही मजदूरी कर्नाटक राज्य में स्थित अन्य समान सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की तुलना में कम नहीं है ।

(ग) भारत गोल्ड माइन्स लि० के मजदूरों का वेतन भारत गोल्ड माइन्स लि० द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर 1-1-1973 से संशोधित किया गया था । वेतन में और संशोधन के लिए कंपनी और मजदूर यूनियनों के बीच इस समय बातचीत चल रही है ।

भारत गोल्ड माइन्स के अधिकतर कर्मचारियों को मकान दिए जा चूके हैं तथा उनके लिए जल पूर्ति व सफाई आदि की व्यवस्था के अलावा कंपनी द्वारा मकानों की मरम्मत और सुधार भी किया जाता है ।

अंगोला और मोजाम्बिक से सम्बन्ध

4971. **श्री अमृत कासर** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व पुर्तगाली उपनिवेशों, अंगोला और मोजाम्बिक, जैसे नए स्वतन्त्र हुए अफ्रीकी देशों के अफ्रीका में राजनैतिक स्थिति में सामरिक महत्व का पता है ;

(ख) अफ्रीका में अंगोला तथा मोजाम्बिक के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि देश की विदेश नीति तैयार करते समय इन अफ्रीकी देशों की उपेक्षा की गई है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) से (ग) : भारत सरकार अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के महत्व से भलीभांति अवगत है जिसमें अंगोला तथा मोजाम्बिक जैसे देश भी शामिल हैं जिनके साथ भारत ने भी विगत काल में औपनिवेशिकता तथा भूतपूर्व पुर्तगाली साम्राज्य का बोझ वहन किया है ।

जहां तक मोजाम्बिक का सवाल है, भारत का उसके साथ निकट ऐतिहासिक संबध रहा है और वहां बड़ी संख्या में भारत मूलक लोग रहते है । हिन्द महासागर के माध्यम से मोजाम्बिक हमसे जुड़ा हुआ है । मोजाम्बिक की पूर्व स्वतंत्रता मिलते ही भारत सरकार ने उसके साथ राजदूतस्तर पर राजनयिक संबंध स्थापित किया । भारत मोजाम्बिक को पूर्ण नैतिक और भौतिक समर्थन भी देता रहा है जिसे जिम्बाब्वे के स्वतंत्रता संघर्ष की वजह से, एक अग्ररेखी राज्य होने के कारण, असली बोझ उठाना पड़ रहा है और त्याग करना पड़ रहा है—दोनों ही तरह से द्विपक्षीय स्तर पर और राष्ट्रमंडल तथा संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में ग्रहीत दायित्वों की रूपरेखा के अंतर्गत भी ।

जहां तक अंगोला का सवाल है उसकी आजादी से पहले ही हमने उसके स्वतंत्रता-संग्राम में भौतिक सहायता प्रदान की है तथा अंगोला के छात्रों को उच्च शिक्षा देने की सुविधाए उपलब्ध कराई हैं जिनमें छात्रवृत्तियां देना भी शामिल है । भारत में अध्ययन के लिए अगोला के छात्रों को छात्रवृत्तियां दिये जाने के बारे में हाल ही में प्रस्ताव भेजा गया है ।

उसका स्वतंत्रता के तत्काल बाद दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर संपर्क स्थापित किये गये । अंगोला हमारी द्विपक्षीय सहायता पानेवाला देश भी रहा है ।

Telephone Exchanges and Connections in U. P.

†4972. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of telephone exchanges functioning in Uttar Pradesh at present;

(b) the total number of telephone connections under these telephone exchanges;

(c) the number of additional telephone exchanges to be opened in Uttar Pradesh during the current finanical year; and

(d) the estimated expenditure to be incurred on the new telephone exchanges to be opened there ?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) 466 (as on 1-4-77).

(b) 1,20,403 (as on 1-4-77).

(c) 36.

(d) Rs. 11.55 lakhs (approx.).

Post offices to be opened in Rural Areas of U. P. in 1978-79

+4973. **Shri Rajendra Kumar Sharma :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of new post offices proposed to be opened in rural areas in Uttar Pradesh during 1978-79;

(b) the number among them of Branch, Sub and Head Post Offices;

(c) how many out of them will be opened in Rampur District; and

(d) the number of rural Branch Post Offices proposed to be upgraded to Sub Post Offices and of the Sub Post Offices to be upgraded to Post Offices ?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a) 520, Sir.

(b) (i) Extra Departmental Branch Post Offices	500
(ii) Sub Post offices	20
(iii) Head Post Offices	Nil
(c) 8 Extra Departmental Branch Post Offices	
(d)(i) Upgradation of Extra Departmenta l Branch Offices to departmental Sub Post Offices in U.P.	35
(ii) Upradation of sub post offices into Head post offices in U.P. .	4

विदेशों के लिए श्रमिकों की भर्ती को नियंत्रित करने के लिए समिति का गठन

4974. **श्री यशवन्त बोरोले :**
श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को मांग की पूर्ति के लिए श्रमिकों की भर्ती की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की समिति गठित की गई है ; और

(ख) यदि हां तो क्या भारतीयों के साथ विशेष रूप से अरब देशों में किए गए दुर्व्यवहार के समाचारों को ध्यान में रखते हुए ऐसे श्रमिकों को भर्ती के लिए इस समिति द्वारा कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) भर्ती एजेंटों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने की दृष्टि से और कामगरों के कल्याण की बेहतर सुरक्षा हेतु कामगरों के रोजगार के लिए समिति वर्तमान व्यवस्था का पुनरीक्षण कर रही है ।

Official Language Implementation Committee

4975. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Official Language Implementation Committee has been constituted in his Ministry/Department;

(b) if so, the dates on which its meetings were held in 1977 and the decisions taken in these meetings;

(c) the number of those decisions, out of them, fully implemented; and

(d) the reasons for delay in implementing the remaining decisions ?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) Yes. Composition of the Committee is at Statement I.

(b) & (c) : Two meetings, on 29th August, 1977 and 29th December, 1977 respectively. A statement of recommendations and action taken thereon is at Statement II.

(d) Does not arise.

STATEMENT I

Constitution of official language implementation Committee

1.	Joint Secretary (Adm.)	Chairman
2.	Deputy Secretary (Adm.)	Member
3.	Deputy Secretary (Policy)	,,
4.	Deputy Secretary (Coord)	,,
5.	Deputy Secretary (P.H.)	,,
6.	Deputy Secretary (I.F.)	,,
7.	Deputy Secretary (I.H.)	,,
8.	Deputy Secretary (M)	,,
9.	Deputy Secretary (OS)	,,
10.	Deputy Commissioner (TO)	,,
11.	Deputy Commissioner (P.A.)	,,
12.	Deputy Commissioner (T&S)	,,
13.	Director (Evaluation)	,,
14.	Chief Media	,,
15.	Under Secretary (R.H.S.)	,,
16.	Under Secretary (M.S.)	,,
17.	Under Secretary (C.H.S.)	,,
18.	Under Secretary (D)	,,
19.	Under Secretary (F)	,,
20.	Adviser (Homoeo)	,,
21.	Asstt. Adviser (Ayur.)	,,
22.	Officer on Special Duty (E&I)	,,
23.	Dy. Controller of Transport	,,
24.	Senior Hindi Officer	Member-Secretary

STATEMENT II

Official Language Implementation Committee Ministry of Health and Family Welfare

Recommendations	Action taken
1. Receipt and Issue Section may be asked to function effectively as check point in so far as letters meant for Hindi speaking States and States of Maharashtra, Gujarat and Punjab are concerned.	This has since been done.
2. Use of Hindi in correspondence should be increased between Subordinate offices themselve located in Hindi speaking States.	The recommendation has been circulated among all such offices for compliance.
3. Posts sanctioned for Hindi work in the Subordinate Offices should be filled quickly.	All except 4 posts of Hindi Officers have since been filled. These 4 posts are also expected to be filled very shortly.
4. 2 Hindi Bradma Machines for writing addresses on wrappers and envelopes meant for Hindi speaking States should be purchased soon.	The machines have since been purchased.
5. Officers and Sections should be provided with dictionaries and other help literature in Hindi.	This has been done.
6. Change of names of Willingdon and Lady Hardinge Hospitals should be considered.	The recommendation is under active consideration.
7. Hindi knowing Officers/employees be requested to conduct their work in Hindi.	It has been done and some of the Officers have started writing their notes and draft on the files in Hindi.
8. Use of Hindi should also be accelerated in Hospitals/Dispensaries etc.	They have been asked to increase use of Hindi in their administrative work. Badges of Officers and employees have been prepared in both languages and put into use. Registers etc. are now being maintained in Hindi also.
9. Writing of medical books in Hindi should be encouraged and a scheme for giving prizes be formulated.	A committee of eminent medical Scientists under the Chairmanship of the Union Minister for Health and Family Welfare is being set up.
10. More Officers and employees of the Ministry should be sponsored for training in Hindi under the Hindi Teaching Scheme of the Government of India.	This is being done.
11. More Devanagari Typewriters should be purchased.	In pursuance of this recommendation 10 typewriters have been purchased and a fresh assessment of requirements is being made.

STATEMENT II—*Contd.*

	Recommendations	Action taken
12.	A pool of Hindi Stenographers should be framed to meet the requirements of Officers willing to give dictations in Hindi.	11 posts of Hindi Stenographers Grade II have since been created for this purpose. Candiadates selected have been given offer of appointment of whom six have so far joined and others are likely to join soon.
13.	Refresher training in Hindi Stenography should be arranged for the Stenographers previously trained in Hindi stenography under the Hindi Teaching Scheme of Government of India.	A one month refresher training course was arranged in October, 1977 in which a batch of 19 stenographers was given training.

Use of Hindi in Ministry

4977. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) the total number of sections in the Ministry/Department at present and the number of such sections. Out of them, in which there are more than 80 per cent Hindi knowing employees;

(b) the number of sections in which noting and drafting is done in Hindi at present and the reasons for not doing so in other sections; and

(c) whether clear orders have been issued for doing noting and drafting in Hindi in all the sections and if not, the reasons therefor?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) Total number of Sections in the Ministry is 45; out of these, 39 sections have 80 per cent Hindi knowing employees.

(b) & (c): With the exception of a few dealing mostly with legislative work, all Sections are doing noting and drafting in Hindi wherever possible. Instructions have been issued to all the officers and the members of the staff of the Ministry to make every effort for the progressive use of Hindi in noting and drafting.

Hindi knowing Employees in the Ministry

4978. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the number of employees in the Ministry, categorywise, at present and the number of employees, out of them, who have working knowledge of Hindi or have acquired efficiency therein;

(b) the number of employees doing noting and drafting in Hindi out of those who have working knowledge of Hindi or have acquired efficiency therein;

(c) the reasons for the employees, out of them, not doing noting and drafting in Hindi; and

(d) whether such employees have been given orders to do noting and drafting in Hindi and if not, the reasons therefor?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) The total number of Gazetted and non-gazetted employees in the Ministry as on 31-12-1977 was 130 and 500 respectively; out of them 112 Gazetted and 472 non-Gazetted employees had working knowledge of Hindi. 39 Gazetted and 57 non-Gazetted employees had acquired proficiency in Hindi.

(b) to (d): Noting and drafting in Hindi are being done wherever possible. Instructions have been issued to all the officers and the members of the staff of the Ministry to make all efforts for the progressive use of Hindi in noting and drafting.

पश्चिम देशों में यौगिक प्रणाली

4979. **श्री समर गुह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी देशों में और साम्यवादी देशों में भी प्राकृतिक चिकित्सा की यौगिक प्रणाली लोकप्रिय होती जा रही है ;

(ख) क्या विदेशों द्वारा भारतीय विशेषज्ञों के लिये बढ़ते हुए आमंत्रणों का समाचार उनके मंत्रालय को मिला है ;

(ग) यदि हां तो क्या सरकार ऐसे भौतिक उपचार के लिये विदेशों के तत्काल संदर्भ के लिये विशेषज्ञ का पनल बनायेगी ;

(घ) क्या सरकार ने भारत में प्राकृतिक चिकित्सा की यौगिक प्रणाली को प्रोत्साहन देने उसके विकास एवं उसे लोकप्रिय बनाने हेतु कदम उठाये हैं ; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) योग और प्राकृतिक चिकित्सा दो अलग-अलग चिकित्सा-पद्धतियां हैं। समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों और दर्शकों/दोरा करने वाले के वर्णनों के अनुसार विदेशों में ये पद्धतियां लोकप्रिय हो रही हैं।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली हैं।

(ग) आवश्यकता पड़ने पर योग के विशेषज्ञों का पैनल तैयार करने की संभावना पर विचार किया जाएगा।

(घ) जी हां।

(ङ) (1) इन पद्धतियों को बढ़ावा देने और उनका प्रचार करने के लिए अलग से योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद की स्थापना करने का निर्णय किया गया है।

(2) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के सहयोग से रोगों का उपचार कर उन्हें ठीक करने के लिए योग चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं पर योग की केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान में शीघ्र कार्य चल रहा है।

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद द्वारा योग पद्धति में कार्यरत निम्नलिखित संस्थाओं को अनुदान दिए जाते हैं :—

(क) योग और तत्संबंधित विज्ञानों का भारतीय संस्थान तिरुपति ।

(ख) यौगिक उपचार एवं अनुसंधान केन्द्र, जयपुर ।

(ग) शिवनन्द मठ गोहाटी असम ।

(घ) क्लिनिकी अनुसंधान एकक बनारस हिन्दू विश्वविदयालय वाराणसी ।

उपर्युक्त संस्थायें ये मालूम करने में लगी हुई हैं कि योगासनों अथवा यौगिक क्रियाओं का मधुमेह श्वसन संबंधी रोगों कान, नाक और गला के रोगों सोरायसिस और अन्य सर्व साधारण रोगों का क्या प्रभाव पड़ता है ।

(4) अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, कटरा वैमोदेवी और योग के केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान के दिल्ली केन्द्र तथा विश्वायतन योगाश्रम में योग के अनुदेशकों को डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए तथा आम जनता को योग का प्रशिक्षण देने के लिए नियमित रूप से कक्षायें लगाई जा रही हैं । इस प्रकार के पाठयक्रम केवल्यधाम लोनवाला में चलाये जाते हैं । इनमें योग का 9 महीने का डिप्लोमा कोर्स भी शामिल है । इस संस्थान का बम्बई में भी एक प्रशिक्षण केन्द्र है ।

(5) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान खोलने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(6) प्राकृतिक चिकित्सा के प्रशिक्षण और अध्ययन विस्तरों के लिए विभिन्न प्राकृतिक चिकित्सा संस्थानों को अनुदान दिए जाते हैं ।

स्मारक डाक टिकटों का पुनः मुद्रण

4980. **श्री समर गुह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1975-77 के दौरान महात्मा गांधी, नेताजो सुभाष चन्द्र बोस और पं० जवाहरलाल नेहरु के सन्मान में जारी किये गये विभिन्न मूल्य-वर्गों के डाक टिकट पुन: मुद्रित किये है ;

(ख) क्या जनता सरकार ने गठन के बाद ऐसे डाक टिकट पुन: मुद्रित किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उपर्युक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त व्यक्तियों के सन्मान में पुनः मुद्रित विभिन्न डाक टिकटों की संख्या कितनी है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क), से (ग) : महात्मा गांधी के सम्मान में 1948, 1969 और 1973 और पण्डित जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में 1964, 1965 1967 और 1973 तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सन्मान में 1964 और 1968 में जो स्मारक डाक टिकट जारी किए गए थे उनका पुन: मुद्रण नहीं किया गया है । फिर भी, सरकार ने पांचवी नियत डाक टिकट माला में पण्डित जवाहरलाल नेहरू पर तारीख 27-5-76 को और महात्मा गांधी पर तारीख 2-10-76 को एक-एक डाक टिकट जारी किया है। जनता सरकार के बन जाने के बाद पण्डित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी पर नियत डाक टिकटों का पुन: मुद्रण किया गया है।

स्मारक डाक टिकट केवल एक बार ही छापे जाते हैं लेकिन नियत डाक टिकट माला में डाक टिकट तब तक पुनर्मुद्रित किए जाते हैं जब तक कि उनका स्थान नए डिजाइन वाले डाक टिकट नहीं ले लेते ।

8—120 एल० एस० एस० (नई दिल्ली)/78

Telephone Industry at Ujjain

4981. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to set up telephone industry at Ujjan and Bhopal in Madhya Pradesh;

(b) if so, the decision taken in this regard; and

(c) when this work is likely to be started ?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) to (c) : The question regarding the location of the new units of Indian Telephone Industries Limited is under consideration. The decision in the matter is expected to be taken in the near future.

Rich Deposits of Copper in Balaghat, M. P.

4982. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) Whether there are rich deposits of copper in the various parts of Balaghat, Mandala, Shahdol etc. in Madhya Pradesh and if so, areas surveyed for the purpose; and

(b) whether Government have any scheme to set up industries there based on this mineral?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) Reasonably rich deposit of copper is located in Malanjkhand in Balaghat district. As a result of investigations carried out the deposit is estimated to contain 60.5 million tonnes of ore reserves with 1.24% copper within the quarry limits.

(b) The Government has sanctioned a scheme to exploit the Malanjkhand copper deposit. The project is designed to produce 2 million tonnes of ore (23000 tonnes of equivalent metal) per annum, preparatory work on the project has already been commenced by the Hindustan Copper Limited.

दुर्गापुर का विस्तार

4983. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार न करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कितने कितने इस्पात कारखानों को विस्तार के लिए कहा गया है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के विस्तार के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार करने का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) सरकार का विचार है कि इस समय उद्देश्य यह होना चाहिए कि कारखाने की वर्तमान क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किया जाए तथा उत्पादन में विविधता लाई जाए । उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करने और उसमें विविधता लाने के बारे में बहुत सी योजनाएं विचाराधीन हैं ।

(ग) सरकारी क्षेत्र में बोकारो इस्पात कारखाने, भिलाई इस्पात कारखाने और दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात कारखाने के उत्पादन में वृद्धि की जा रही है । गैर-सरकारी क्षेत्र में किसी भी इस्पात कारखाने के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) वर्ष 1978-83 के पांच वर्षों के लिये सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये योजना आयोग ने अस्थायी तौर पर कुल 1287.95 करोड़ रुपये की राशि रखी है ।

भारत रूस संयुक्त कमिशन की बैठक

4984. **श्री धर्म वीर वशिष्ठ :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत और रुस में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिये किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये थे, और यदि हां तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : 2 मार्च से 6 मार्च, 1978 तक नई दिल्ली में भारत-सोवियत संयुक्त आयोग की चौथी बैठक में निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार-विमर्श हुआ था ;

(क) फाउन्ड्री ग्रेड पिग आयरन के उत्पादन के लिए पत्तन-आधारित निर्यातोन्मुख धमन भट्टी परिसर की स्थापना । दोनों पक्ष सिद्धांत रूप में इस परियोजना में सहयोग करने पर सहमत हुए । इसके ब्यौरों पर बाद में इसी साल विचार-विमर्श किया जाएगा, और

(ख) आन्ध्र प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 600,000 टन एल्यूमिना क्षमता वाले एक एल्यूमिना संयंत्र की प्रति पूर्ति के आधार पर स्थापना, जैसा कि प्रधान मंत्री की सोवियत संघ की यात्रा के दौरान 26 अक्तूबर, 1977 को सम्पन्न भारत-सोवियत संयुक्त घोषणा में परिकल्पित है ।

इस बैठक के दौरान बाक्साइट भंडारों के मूल्यांकन तथा प्रायोजना के लिए विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने से सम्बद्ध संविदाओं पर संगठनों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे ।

Benefits of P.F. and E.S.I.S. to Workers employed by Singer Machine Company

4985. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the present number of temporary and permanent contract workers as well as daily wage and casual workers in the Singer Machine Company together with the period for which they have been working;

(b) whether these workers are not given the benefits of provident fund and E.S.I.S. and if so, the steps being taken by Government to ensure them all benefits under the labour laws; and

(c) in case they are being given the benefits of provident fund and E.S.I.S. the amount deposited so far together with the amount due on this account ?

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha) : (a) According to the reports furnished by the Employees' State Insurance Corporation and the Provident Fund Authorities, there is no factory by the name 'Singer Machine Company' covered either under the Employees' State Insurance Act, 1948 or the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

(b) and (c) : Do not arise.

Payment of Bonus by Phoenix Textile Mill No. 1, Bombay and No. 2, Ujjain

4986. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state;

(a) whether the owners and management of Phoenix Textile Mill No. 1, Bombay and No. 2, Ujjain have not paid bonus to workers as announced by Government;

(b) if so, whether Government have permitted them not to pay bonus and the basis thereof;

(c) whether there is wide spread resentment among thousands of workers due to non-payment of bonus in the said two textile mills; and

(d) if so, whether Government will issue orders to owners of these mills to make payment of bonus as early as possible to avert any step by workers, which may cause heavy losses?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) to (d) : Payment of Bonus under the Payment of Bonus Act, 1965 is a statutory obligation. The State Governments are the 'appropriate Governments' under the Act in respect of these textile mills. Provisions exist in the Act to deal with defaulters.

Installation of Telephones at Ujjan and Introduction of Dial System

†4987. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether repeated complaints have been made to the Telephone Department by the telephone subscribers of Ujjan to the effect that they get telephone connections after considerable delay; and

(b) if so, whether Government propose to introduce dial system keeping in view the above difficulty as well as the increased demand for telephone connections and if so, the time by which the new system will be introduced ?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) No Sir, all connections are normally given within a month of application, where feasible. The persent waiting list is for 31 connections only. 6 cases are pending over two months due to being non-feasible and 25 are pending due to insufficient capacity. The present 1800 lines Ujjan exchange is being expanded by 120 lines which will clear all feasible demands on the waiting list.

(b) Building for a new automatic exchange is under construction. A 2100 lines automatic exchange has been planned and the same is expected to be ready in 1980-81.

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में औषधियां देने में मितव्ययिता

4988. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली तथा दिल्ली में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में डाक्टर अंधाधुंध बड़ी मात्रा में दवाइयां लिखते हैं जिससे बड़े पैमाने पर औषधियां बेकार जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो औषधियों को बेकार जाने से बचाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में दिल्ली में इन औषधालयों के लिये दवाइयां खरीदने पर वर्षवार कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(घ) क्या सरकार ने मरीजों को दवाइयां मितव्ययिता से देने के लिये औषधालयों को कोई अनुदेश दिये हैं अथवा देने का विचार है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं। डाक्टर मरीजों को जांच के पश्चात् उनकी हालत के अनुसार दवाइयां लिखते हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान सामग्री की खरीद पर, जिसमें दवाइयां भी शामिल हैं, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा जो खर्च किया गया, वह इस प्रकार था :—

1974-75	. रु० 1,76,25,576.00 पैसे
1975-76	. रु० 2,57,99,667.61 पैसे
1976-77	. रु० 2,39,76,337.45 पैसे

(घ) रोगियों को दवाइयों को दवाइयां जारी करने में किफायत बरतने के लिये समय-समय पर हिदायतें जारी की जाती रही हैं।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के प्रशासन में सुधार किया जाना

4959. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1977 में दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के प्रशासन में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनके क्या परिणा निकले हैं ;

(घ) इन औषधालयों के कार्यकरण के बारे में, इनसे लाभान्वित होने वाले लोगों के मूल्यांकन के लिए कोई तन्त्र है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या कोई ऐसा तंत्र बनाने का विचार है जिससे औषधालयों का काम सुचारु रूप से चल सके ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), से (ग) : भारत सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने 1977 में दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेन्सरियों के कार्य संचालन का अध्ययन किया था। अध्ययन दल की रिपोर्ट सितम्बर, 1977 में प्रस्तुत की गई थी। लाभार्थियों को इन सेवाओं से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो, इस विचार से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरियों में कार्यप्रणाली को सरल और कारगर बनाने के लिए इस रिपोर्ट में दिये कुछ सुझावों को कार्य रूप दे दिया गया है। ऐसी कुछ सिफारिशों पर, जिनमें वर्तमान प्रक्रियाओं में बड़े परिवर्तन किये जाने की बातें निहित हैं, सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) : केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सलाहकार समिति, जिसमें इस योजना के लाभार्थियों के विभिन्न संघों के प्रतिनिधि शामिल हैं, कुछ-कुछ अवधि के बाद केन्द्रीय सरकार स्वाथ्य योजना की क्रिया प्रणाली की समीक्षा करती रहती है और इसके अन्तर्गत दी जाने वाली सेवाओ में सुधार के लिए सुझाव देती रहती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

वन श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन

4990. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम वेतन केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने वन श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन संबंधी कोई प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय श्रम आयोग ने यह सिफारिश की थी कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के क्षेत्र को बढ़ाकर वन श्रमिकों को भी उसके अन्तर्गत लाया जाय। इस मामले पर नई दिल्ली में 23 सितम्बर, 1974 को हुई न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) सलाहकार बोर्ड की 9 वीं बैठक में विचार किया गया था। इस बैठक ने यह अनुरोध किया कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर शीघ्र अमल किया जाय। वन और निर्माणकाष्ठीय संक्रियाओं, वन उत्पादों, केन्दू पत्तियों के संग्रह, वन उद्योग, इमारती लकड़ी व्यवसाय (जिसमें पेड़ काटना और लकड़ी का चिरान शामिल हैं), बांस वन प्रतिष्ठान, आदि में रोजगारों को कुछ सरकारों द्वारा न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। पूर्ण सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

Post Offices in Villages

†4991. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the State-wise number of villages in the country at present having post offices with sales counters, dak delivery arrangements and savings scheme facilities; and

(b) the number of post offices in the villages having telegraph facilities?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) & (b): The information is being collected and will be laid on the table of the House.

जिलों और उप-प्रभागों को अपने अपने राज्य की राजधानियों से जोड़ा जाना

4992. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के जिले और उप-प्रभाग अपने-अपने राज्य की राजधानियों से टेलीफोन सेवा द्वारा सीधे जुड़े हुए हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो जिलों और उप-प्रभागों को अपने राज्यों की राजधानियों से सीधी टेलीफोन सेवा द्वारा जोड़ने में कितना समय लगेगा ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं।

(ख) विभाग की यह सामान्य नीति है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय का टेलीफोन के जरीये उसके राज्य की राजधानी के साथ सम्पर्क स्थापित कर दिया जाय। उप-मंडल मुख्यालयों को राज्यों की राजधानियों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) इस बारे में कोई खास समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

Profit earned and Bonus given by Durgapur Steel Plant

4993. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the amount of profit earned by Durgapur Steel Plant during the last 2 years and the amount of money given to workers as bonus; and

(b) the action taken by Government for the payment of arrears of bonus to the workers?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) Durgapur Steel Plant did not earn any profit during the years 1975-76 and 1976-77. The amount of bonus paid to the workers is given below :—

(Rs. in lakhs)

Year	Amount of annual bonus paid
1975-76	No amount was payable.
1976-77	171

(b) Annual productivity linked bonus for the year 1976-77 would become payable if the unions of Durgapur Steel Plant sign the agreement to accept it based on the general guidelines agreed to in the National Joint Consultative Council for the Steel Industry.

परिवार पेंशन और कर्मचारी जमा संयोजन बीमा के लिए मानदण्ड

4994. **श्री के० राममूर्ति :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी परिवार पेंशन और कर्मचारी जमा संयोजित बीमा के बारे में 5 दिसम्बर, 1977 को कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए पुनराक्षित मानदण्ड का क्या ब्यौरा है;

(ख) क्या इसे क्रियान्वित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिंह) : (क) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा 5-12-1977 को सिफारिश किए गए संशोधित मानदण्ड भविष्य निधि कार्य के बारे में है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

क्षतिग्रस्त उपकरणों का निपटान तथा उनका मूल्य

4995. **श्री मीठालाल पटेल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रत्येक वर्ष भारी मात्रा में पुराने टेलीफोन उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और यदि हां, तो गत वर्षों में प्रत्येक सर्किल में कितने मूल्य के ऐसे उपकरण क्षतिग्रस्त हुए ;

(ख) इन क्षतिग्रस्त उपकरणों का किस प्रकार निपटान किया जाता है ;

(ग) गत तीन वर्षों में राजस्थान सर्किल के भरतपुर, कोटा और जयपुर डिवीजनों में कितने और अनुमानत: कितने मूल्य के ऐसे पुराने क्षतिग्रस्त उपकरण प्राप्त हुए ; और

(घ) क्या राजस्थान सर्किल में इन क्षतिग्रस्त उपकरणों का उपयुक्त लेखाजोखा नहीं रखा जाता जिसके परिणामस्वरुप सरकार को करोड़ों रुपयों का घाटा होता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा भविष्य में इस संबंध में सरकार का क्या नीति अपनाने का विचार है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं । सामान्यटूट-फूट के कारण आमतौर पर उपस्कर सेवा के योग्य नहीं रह जाते । पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सर्किल में क्षतिग्रस्त उपस्करों के मूल्य के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और उसकी सूचना जल्दी ही दे दी जाएगी ।

(ख) क्षतिग्रस्त या सेवा के योग्य न रहने वाले साज-सामान का निपटारा विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है । इन नियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार साज-सामान की सेवा के अयोग्य घोषित करने से पहले सर्किल स्तर पर गठित स्टोर्स स्क्रैपिंग कमेटी की सिफारिशें प्राप्त कर ली जाती हैं । जब यह कमेटी साज-सामान की सेवा के अयोग्य घोषित कर देती है, तब सेवा के अयोग्य साज-सामान सामान के रजिस्टर में उसे दर्ज किया जाता है और उसके अंतिम निपटारे तथा उसके नीलामी के लिए आगे कार्रवाई शुरु कर दी जाती है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान , भरतपुर, कोटा और जयपुर डिवीजनों में क्षतिग्रस्त पुराना कोई उपस्कर प्राप्त नहीं हुआ ।

(घ) इनका उचित हिसाब-किताब रखा जाता है ।

सेवा छोड़ने पर कर्मचारी भविष्य निधि की अदायगी

4996. **श्री शिवनारायण सरसूनिया : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम तथा गैर-छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिये योजना के अन्तर्गत अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने वाले कर्मचारी 15 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् ही नियोजक द्वारा इसमें जमा कराई गई राशि का पूरा भुगतान प्राप्त कर सकते है ;

(ख) क्या बहुत से छूट प्राप्त एककों, सरकारी उपक्रमों तथा अपने न्यास वाले प्रतिष्ठानों में पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् सेवा छोड़कर जाने वाले कर्मचारी को नियोजक द्वारा भविष्य निधि में जमा कराई गई पूरी राशि का भुगतान कर दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्यों तथा कर्मचारी भविष्य निधि के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रत्यक्ष रूप से अन्तर्गत आने वाले सभी अंशदाताओं को यह सुविधा प्रदान करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिंह) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :

(क) जी हां, । इस निधि में अंशदान देने वाले व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में नियोजक द्वारा देय पूरे हिस्से के भी हकदार हैं, भले ही उन्होंने सेवा के 15 वर्ष पूरे न किए हों :–

(1) 55 वर्ष की आयु को प्राप्त होने के बाद सेवानिवृत्त होने पर ;

(2) शारिरीक या मानसिक दुर्बलता के कारण काम की पूर्ण तथा स्थायी अशक्तता के कारण सेवा-निवृत्त हो जाने की सूरत में;

(3) विदेश में स्थायी रूप से बसने के लिए भारत से प्रवास करने से तुरन्त पूर्व ;

(4) सामूहिक या वैयक्तिक छंटनी के मामले में सेवा की समाप्ति पर ;

(5) ऐसे मामले में, जहां कोई प्रतिष्ठान बंद कर दिया गया हो, परन्तु जहां कुछ ऐसे कर्मचारियों को, जिनकी छंटनी न की गई हो, नियोजक द्वारा किसी दूसरे प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर दिया जाए, जो अधिनियम के अन्तर्गत न आता हो; और

(6) जहां किसी सदस्य को अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठान से ऐसे किसी दूसरे प्रतिष्ठान में स्थानान्तरित कर दिया जाए, जो अधिनियम के अन्तर्गत न आता हो, परन्तु उसी नियोजक के अधीन हो ।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के उपबन्धों से छूट-प्राप्त कुछ प्रतिष्ठान सेवा के 5 वर्ष पूर्ण करके निधि की सदस्यता छोड़कर जाने वाले सदस्यों को नियोजक के भाग का पूरा हिस्सा अदा करते हैं ।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने 5 दिसम्बर, 1977 को बंगलोर में हुई अपनी 74 वीं बैठक में यह सिफारिश की है कि इस प्रयोजन के लिए सदस्यता की अवधि को 15 वर्ष से कम करके 10 वर्ष कर दिया जाना चाहिए । बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त हो गया है और सरकार उस पर विचार कर रही है ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा दिये गये क्षतिपूर्ति के आदेशों का केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण

4947. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय के कानूनी सहलाकार द्वारा दी गई कानूनी सलाह के अनुसार भविष्य-निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आने वाले दोषी प्रतिष्ठानों को उनकों क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा दिये गये क्षतिपूर्ति के आदेशों का केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता।

(ख) क्या उस सलाह की वर्तमान केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जानकारी दे दी गई थी;

(ग) क्या सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई कानूनी सलाह के बावजूद केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों द्वारा डाली गई क्षतिपूर्ति का पुनरीक्षण करना तथा उसमें कमी करना जारी है ;

(घ) वर्तमान केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा कितनी क्षतिपूर्ति माफ की गई अथवा कम की गई; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?:

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिंह) : (क) और (ख) : यह राय की अभिव्यक्ति है ।

(ग) और (ङ) : क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा लगाए गए हरजानो की कुछ परिस्थितियों में इस संबंध में निर्धारित की गई नीति के अनुसार उच्चतर अधिकारी द्वारा पुनरीक्षा की जाती है । विधि मंत्रालय से सलाह लेते हुए कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम की धारा 14-ख के सीमाक्षेत्र तथा निर्वचन के संबंध में विचार किया जा रहा है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है ।

भविष्य निधि संगठन में अधिकारियों का तबादला

4998. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में श्रेणी दो और श्रेणी एक के अधिकारियों का एक स्टेशन पर तीन वर्ष की सेवावधि पूरी होने पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर तबादला किया जा रहा है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालयों में कुछ अधिकारी एक ही स्टेशन पर तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे है; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं !

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में ऐसे अधिकारियों का स्थानान्तरण सब मिलकर तीन वर्षों के पश्चात किया जाता है, जब तक कि प्रशासनिक कारण किसी अधिकारी को किसी विशिष्ट स्टेशन पर

लम्बी अवधि के लिए रोकने का औचित्य सिद्ध न कर दे । कर्मचारी भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड-I), जो श्रेणी-II के अधिकारी है, के मामले में सीमा क्षेत्र की तबदीली सामान्यतः तीन वर्षों में एक बार की जाती है । कुछ ऐसे अधिकारी है जिन्हें प्रशासनिक आवश्यकता के कारण तीन वर्षो से अधिक की अवधि के लिए एक हीं स्टेशन पर रखा गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को एक उद्योग घोषित करने के बावजूद इसके कर्मचारियों को बोनस का भुगतान न करने के कारण

4999. **श्री कल्याण जैन :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रमों और सांविधिक निकायों के कर्मचारियों को बोनस ग्राह्य है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत एक सांविधिक निकाय है, के व्यय को प्रतिष्ठानों से एकत्र प्रशासन और निरीक्षण प्रभारों से पूरा किया जाता है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रशासनिक खाते में कुछ करोड़ रुपयों की राशि बाकी बची है ; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को अभी तक बोनस का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं जबकि संगठन को एक उद्योग घोषित कर दिया गया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिंह) : (क) बोनस संदाय अधिनियम, 1965, धारा 16, 20 और 32 के उपबन्धों के अध्यधीन ऐसे प्रत्येक कारखाने और ऐसे प्रत्येक अन्य प्रतिष्ठान पर लागू होता है, जो किसी लेखा वर्ष के दौरान किसी भी दिन 20 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित करते है ।

(ख) जी हां ।

(ग) बोनस संदाय अधिनियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता ।

आस्ट्रेलिया से कोयले का आयात

5000. **श्री कवंरलाल गुप्त :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशी जहाज मालिकों के माध्यम से लागतभाड़े के आधार पर आस्ट्रेलिया से बड़ी मात्रा में कोकिंग कोल का आयात किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आस्ट्रेलिया से भारत को माल लाने के लिए भारतीय नौवहन निगम तथा अन्य जहाज मालिकों से बातचीत नहीं की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि भारतीय जहाज मालिक इस माल को लाने के लिए तैयार थे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं अभी तक हमने आस्ट्रेलिया से कोई कोयला आयात नहीं किया है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

कारखानों को बोनस का भुगतान करने से छूट

5001. श्री एहसान जाफरी : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कितने कारखानों ने, राज्यवार, वर्ष 1977-78 में बोनस सन्दाय अधिनियम की धारा 19 के अधीन छूट के लिए आवेदन पत्र भेजे हैं ; और

(ख) इस संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : कारखानों के संबंध में बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अधीन राज्य सरकारें उचित सरकारें हैं । उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 36 के अधीन छूट देने का अधिकार प्राप्त है ।

Linking of Districts with Delhi

†5002. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government will conduct any survey for linking every district of the various States with the capital of Delhi by a direct dialling system; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) No Sir.

(b) The financial resources would not permit at present.

नई डाक टिकटों की श्रृंखला

5003. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक-तार विभाग चालू वर्ष के दौरान अनेक डाक-टिकटें जारी करने पर विचार कर रहा है ;

(ख) नये डाक टिकट जारी करने के लिये टिकट संकलन सलाहकार समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार श्री अरविन्द आश्रम की 'द मदर' की जन्म शताब्दि के सन्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगी ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां । कार्यक्रम की एक प्रतिलिपि संलग्न है ।

(ख) फिलैटली सलाहकार समिति ने जिन डाक-टिकटों की सिफारिश की है, उन सभी के लिये सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है ।

(ग) अरविन्द आश्रम की 'श्री मां' को जन्म शताबदी पर तारीख 21 फरवरी 1978 को 25 पैसे मूल्य का एक स्मारक डाक-टिकट निकाला गया था ।

विवरण

वर्ष 1978 के दौरान विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करने का कार्यक्रम

क्र० सं०	डाक टिकट का ब्यौरा	जारी करने की तारीख	डाक टिकटों की संख्या	मूल्य (पैसों में)
1	कांचनजुंगा पर विजय	15-1-78	2	25,100
2	प्रशान्त क्षेत्र यात्रा संस्था का 27 वां सम्मेलन	23-1-78	1	100
3	तीसरा विश्व पुस्तक मेला	11-2-78	1	100
4	श्रीमां-पांडीचेरी	21-2-78	1	25
5	गेहूं अनुसंधान . .	23-2-78	1	25
6	न्हानालाल दलपत राम कवि	16-3-78	1	25
7	सूर्य सेन . .	22-3-78	1	25
8	रुबन्स . . .	4-4-78	1	200
9	चार्ली चैपलिन . .	16-4-78	1	25
10	श्यामाप्रसाद मुखर्जी . .	23-6-78	1	25
11	बैथून कालेज, कलकत्ता .	-7-78	1	25 बाद में शामिल किया गया
12	ई० वी० रामस्वामी .	17-9-78	1	25
13	उदय शंकर . .	26-9-78	1	25
14	बल्लत्तोल नारायण मेनोन .	16-10-78	1	25
15	बाल दिन . .	14-11-78	1	25
16	फ्रेंच सुबर्ट . .	-11-78	1	बाद में शामिल किया गया। मूल्य वर्ग निश्चित करना है ।
17	रावेनशा कालेज	1978	1	25
18	दीन दयाल उपाध्याय	1978	1	25
	डाक-टिकट माला			
1	आधुनिक भारतीय चित्रकला (समसामयिक कला की चौथी त्रैवार्षिकी के अवसर पर)	23-3-78	4	25,50,100,200
2	भारत के संग्रहालय	-5-78	4	25,50,100,200
3	भारत के आदिवासी	-8-78	4	25,50,100,200
4	अजन्ता के भित्ति चित्र	-10-78	4	हर एक 25 पैसे का

Increasing Passport Offices

†5004. **Shri Surendra Jha Suman** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the places in which there are Passport Offices in the country and the limits of their jurisdiction;

(b) the proportionate increase registered in each office in the number of applicants as a result of the improvement made in Passport Act, 1967;

(c) whether Government have any proposal under their consideration for increasing the number of these offices with a view to expedite disposal of the increasing number of applications; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu) :

(a)

Location of Regional Passport office	Jurisdiction.
1. Ahmedabad	Gujarat and the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.
2. Bombay	aharashtra
3. Calcutta	West Bengal, Bihar, Orissa, Assam, Meghalaya, Sikkim, Nagaland, Manipur, Tripura and the Union Territories of Mizoram and Arunachal Pradesh.
4. Chandigarh	Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and the Union Territory of Chandigarh.
5 Delhi	Jammu and Kashmir, Rajasthan and the Union Territory of Delhi.
6 Ernakulam	Kerala and the Union Territory of Lakshadweep.
7. Hyderabad	Andhra Pradesh.
8. Lucknow	Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.
9. Madras	Tamil Nadu, Karnataka and Union Territory of Pondicherry.
	As regards Andaman and Nicobar Islands and the Union Territory of Goa, Daman & Diu, the Union Territory Administrations there are empowered to issue passports.

(b) The Passport Act, 1967, has not been amended since its enactment. However, with effect from 15 August 1977, certain liberalisation measures have been introduced. During the six months period 1 August 1977 to 31 January 1978, the Regional Passport Offices received 7,59,667 applications for passports compared to 4,91,000 received during the previous six months, i.e. 1 February 1977 to 31 July 1977; this represents a 54.7 per cent increase. The proportionate

increase in applications office-wise during the period 1-8-77 to 31-1-78 as compared with the number during period 1-2-77 to 31-7-77 is given below :—

Office	Proportionate increase
1. Ahmedabad.	(—) 15·26%
2. Bombay	(—) ·7%
3. Calcutta	37·12%
4. Chandigarh	11·63%
5. Delhi	69·72%
6. Ernakulam	134·82%
7. Hyderabad	226·98%
8. Lucknow	93·79%
9. Madras	46·72%

(c) & (d): In reply to Unstarred Question No. 428, answered in the House on 23-2-78, I have indicated that full-fledged Regional Passport Offices will be opened in the States of Karnataka and Rajasthan in the early part of the next financial year. It has also been indicated that Sub-Regional Passport Offices will be opened in Bhopal, Patna, Srinagar, Bhuvaneshwar, Calicut and either Ludhiana or Jullundar in Punjab during the next financial year.

संसद सदस्यों का अर्ध-न्यायिक सरकारी अधिकारियों के समक्ष पेश होना

5005. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बहुत से वकील संसद् सदस्य हैं (कर परामर्श दाताओं सहित) जो अर्ध-न्यायिक सरकारी अधिकारियों के समक्ष पेश होते हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इससे गलत परंपरा पड़ती है जिससे सामान्य कार्यकरण में व्यवधान पड़ता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार जिस प्रकार भी संभव हो, इस परम्परा को रोकने का है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) : लोक सभा सदस्यों के लिए निर्देशिका में निर्दिष्ट प्रथाओं और परंपराओं में एक निम्नलिखित रूप में है :—

> "सदस्य को किसी मंत्री या अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी कार्यपालक अधिकारी के समक्ष वकील या विधि-सलाहकार या काउन्सेल या सालिसिटर के रूप में उपस्थित नहीं होना चाहिए।"

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार की ओर से आगे और कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली में ईंटों के भट्टों के श्रमिकों की मृत्यु

5006. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में ईंटों के भट्टों में काम करने वाले अनेक श्रमिकों की मृत्यु हुई ;

(ख) यदि हां, तो गत 6 महीनों में कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ग) ये मौतें किन कारणों से हुई ; और

(घ) ईंटों के भट्टों में काम करने की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) : दिल्ली प्रशासन द्वारा तारीख 27 मार्च, 1978 की रिपोर्ट में दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली प्रशासन को पिछले छः महीनों के दौरान दिल्ली में ईंटों के विभिन्न भट्टों में ऐसा किसी मृत्यु और उसके लिए जिम्मेवार परिस्थितियों की कोई जानकारी नहीं है और यह कि नियोजकों की ऐसोसिएशन तथा दलित पन्थर द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले कर्मचारियों के बीच पहले ही समझौता हो चुका है जिसके द्वारा कर्मचारियों की मजदूरी दरों में वृद्धि हुई है। असन्तुष्ट पक्षों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा दिल्ली प्रशासन मृत्यु की विशिष्ट घटनाओं, यदि कोई हों, तथा सम्बद्ध ब्यौरे की सूचना दिल्ली प्रशासन को दे सकते हैं, ताकि वह उनकी जांच कर सके और उनमें उचित कार्यवाही कर सकें।

डाक तार विभाग में भिन्न-भिन्न प्रकार की मोहरों का प्रयोग किया जाना

5007. **श्री सूरज भान** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में डाकघरों में अनेक प्रकार की स्टाम्प और मोहरों का प्रयोग किया जाता है और यदि हां, तो विभाग द्वारा इनकी निर्धारित संख्या कितनी है और उन पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च को जाती है ;

(ख) क्या उनकी संख्या और डिजाइन कम करने के विचार से कोई अध्ययन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो अध्ययन ग्रुप की सिफारिशें कब प्राप्त हुई थीं और क्या विभाग को कोई बचत हो सकी है; यदि हां, तो कितनी ;

(घ) क्या डाक-तार बोर्ड ने इन सिफारिशों पर विचार किया था और कार्यरूप देने के लिए अनुमोदन कर दिया था, यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की ; और यदि नहीं, तो क्या डाक तार बोर्ड का निर्णय रद्द कर दिया गया है; और

(ङ) क्या डाक-तार विभाग को डाक शाखा में मितव्ययिता के लिये जो इतने अधिक घाटे पर चल रहा है और परिचालन कार्य कुशलता के हित में अध्ययन ग्रुप की शिफारिशों को शीघ्र कार्यरूप देना उचित नहीं समझा गया, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

डाकघरों में 52 प्रकार की और विभाग की अन्य सभी शाखाओं में 89 प्रकार की रबड़ की मोहरे और सीलें इस्तेमाल की जा रही हैं ।

(1977-78) वार्षिक व्यय :—10.13 लाख रुपये (लगभग)

(ख) जी हां।

(ग), (घ) से (ङ) : अध्ययन दल की रिपोर्ट 4 दिसम्बर, 1975 को हुई थी। रिपोर्ट में दी गई सभी सिफारिशें स्वीकार कर लेने पर विभाग को सालाना 4,73,613 रुपये की बचत होने का अनुमान है। अध्ययन दल की जो सिफारिशें व्यवहार्य समझी गई थी वे स्वीकार कर ली गई हैं। सिवाय उन शिफारिशों के जिनके बारें में पोस्टल सेल्स इंडस्ट्रीयल को आपरेटिव सोसायटी लि० अलीगढ़ के साथ होने वाले नये करार को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, जो कि इन वस्तुओं का निर्माण करती है, अन्य सभी स्वीकृत सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है।

डाक तथा तार विभाग की डाक शाखा में श्रेणी दो के पदों के लिए चयन

5008 : **श्री सूरज भान** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग की डाक शाखा में श्रेणी दो के पदों के लिए चयन बहुत अधिक समय से नहीं किया गया तथा रिक्त स्थानों को भरने के लिए तदर्थ प्रबंध किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो रिक्त स्थानों की संख्या कितनी है तथा विभिन्न सर्किलों में क्या तदर्थ प्रबंध किए गए हैं और कितनी अवधि से ये प्रबंध किये जा रहे हैं ;

(ग) इस विलम्ब के क्या कारण है तथा उस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि वर्तमान स्थिति क्या उसके अतिरिक्त की संचालन कर्मचारियों (आपरेटिव स्टाफ) को अच्छा काम करने के लिए निरुत्साहित करती है; प्रबंधक कार्य कुशलता पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है ; और

(ङ) भविष्य में ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए क्या कारवाई करने का विचार है तथा उच्च प्रबंध स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित न करने के क्या कारण हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न सर्किल में इस समय डाक अधीक्षक सेवा द्वितीय श्रेणी में लगभग 160 और पोस्टमास्टर सेवा द्वितीय श्रेणी में लगभग 50 रिक्त स्थान हैं और उनमें तदर्थ व्यवस्था की गई है। तदर्थ प्रबंध की अवधि रिक्त स्थानों की अवधि के अनुसार अलग अलग होती है और 3 वर्ष तक की होती है।

(ग) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1975 में अधिसूचित किए गए भर्ती के संशोधित नियमों के अनुसार इन पदों पर 1975 में उम्मीदवारों को नियमित वार्षिक चयन नहीं किया जा सका क्योंकि संबंधित कर्मचारी संघों में भर्ती नियमों में किए गए उस प्रावधान का विरोध किया था जिसमें 25 प्रतिशत रिक्त स्थानों को एक विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के जरिए भरने की व्यवस्था है। सरकार ने हाल ही में यह फैसला किया है कि यह परीक्षा रद्द कर दी जाय।

(घ) यह कहना सही नही होगा कि इन पदों की स्थानीय रुप से तदर्थ आधार पर भरने के कारण मौजूदा स्थिति का प्रबंध, कार्यकुशलता आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

9—120 एल०एल०एस० (नई दिल्ली)/78

(ङ) सरकार का यह प्रस्ताव है कि भर्ती नियमों में वार्षिक संशोधन किया जाय ताकि इन पदों के लिए उम्मीदवारों का उचित रुप से यथाशीघ्र चयन किया जा सके। भर्ती के संशोधित नियमों के अनुसार इन पदों के लिए उम्मीदवारों के नियमित चयन मुख्यतः कर्मचारी संघों के विरोध के कारण नहीं किये जा सके। इसलिए उच्च प्रबंध स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक तथा तार विभाग में सीनियर और ज्यूनियर प्रशासनिक ग्रेडों में पदों की संख्या

5009. **श्री सूरज भान** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व वित्त मंत्रालय की कर्मचारी निरीक्षण यूनिट ने यह प्रस्ताव किया था कि डाक तथा तार निदेशालय में सीनियर और ज्यूनियर प्रशासनिक ग्रेड़ों में पदों की संख्या के बारे में अध्ययन किया जाये और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ख) क्या इस विभाग की हुये घाटे को ध्यान में रखते हुये मितव्ययिता करना तथा अनावश्यक खर्च को समाप्त करने को अनिवार्य नहीं समझा गया; और

(ग) क्या गत वर्षों में इन श्रेणियों में स्पष्टतः पदों की संख्या बढ़ रही है, तथा 1 जनवरी, 1976, 1 जनवरी, 1977 और एक जनवरी, 1978 को इन पदों की संख्या कितनी है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां, वरिष्ठ और कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रमों का अध्ययन वर्ष 1974 में करने का प्रस्ताव था। किन्तु 1974 में इन पदों का आन्तरिक अध्ययन किया गया था और कुछ पद कम कर दिये गये थे तथा महानिदेशालय में पुनर्व्यवस्था की गई थी। विभाग के अविरत कार्य व्यापार के अध्ययन के लिये 1975 के प्रारंभ में एक उच्च स्तरीय दल का गठन भी किया गया था। इस दल ने 1975 के अन्त तक अपनी सिफारिशें पेश कर दी थी और कार्य तथा कार्य-व्यापार की फिर से व्यवस्था करने के बारे में अपने सुझाव दिये थे। इसलिये, वर्तमान स्थिति में कर्मचारी निरीक्षण दल (एस० आई० यू०) द्वारा इसका अध्ययन कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) क्या चयन विभाग के पिछले पांच वर्षों के लाभ और हानि तथा प्रचालन के पदक्रम लाभ करने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है। वर्ष 1976–77 में लगभग 100 करोड रुपये का लाभ हुआ था।

(ग) जी हां। पदों के संबंध में एक विवरण पत्र संलग्न है। 1966–67 में विभाग ने 159 करोड रुपये का राजस्व अर्जित किया था और 1976–77 में 619 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। इस अवधि के दौरान विभाग की परसम्पत्तियों 314 करोड़ से बढ़कर 1269 करोड़ रुपये की हो गई।

विवरण–पत्र

डाक-तार महानिदेशालय में वरिष्ठ और कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम के पदों की संख्या प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्र।

	1–1–66	1–1–77	1–1–78
वरिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम . .	8	19	19
कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम . .	25	52	55

डाक तार विभाग के लाभ और हानि का ब्यौरा प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्र

वर्ष	करोड़ रुपयों में
1972–73	+37.12
1973–74	+28.09
1974–75	+2.33
1975–76	(—) 4.04
1976–77	+99.63

लघु इस्पात सन्यन्त्रों के लिए लौह स्क्रेप की कमी

5010. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के लघु इस्पात संयत्रों लोह स्क्रेप की न भारी कमी और स्थानीय रूप से सप्लाई किये जाने वाले सामान की अत्यधिक बढ़ती हुई कीमतों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या लौह स्क्रेप की कमी को रोकने और कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने लौह स्क्रेप का कुछ आयात करने की योजना बनाई है ;

(ग) क्या इस आयात की बन्दी करने के लिए सरकार स्क्रेप के स्थानीय एकाधिकारी व्यापारियों के प्रभाव में आ गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने लघु इस्पात संयंत्रों की समस्याएं हल करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (घ) । सरकार ने हाल में विद्युत चाप भट्टी इकाइयों को पिघलाने के लिए फरस स्क्रेप की कुछ विशिष्ट श्रेणियों का सीमित मात्रा में आयात करने की अनुमति देने का निणय लिया है । यह निर्णय देशीय उपलब्धि में प्रत्याशित कमी और देश में स्क्रप के मूल्यों में कुछ स्थिरता लाने की आवश्यकता पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् लिया गया है ।

भारतीय दूतावास मक्का तथा मदीना भारतीय तीर्थयात्रियों के साथ अपमानजनक व्यवहार

5011. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि जो भारतीय मुस्लिम मक्का तथा मदीना की तीर्थ यात्रा के लिए गए थे सऊदी अरब में भारतीय दुतावास में उनकी कोई देखभाल नहीं की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) जी नहीं । सरकार के पास एसी कोई सूचना नही है जिससे यह साबित होता हो कि सउदी अरब स्थित भारतीय राजदूतावास भारत के हज यात्रियों की ठीक तरह से देख भाल नहीं करता । 1977 के हज के बारे में न तो व्यक्तिगत रूप से किसी यात्रि से और न मुस्लिम संस्थाओं अथवा संगठनों से ही एसी कोई शिकायते मिली है ।

(ख) और (ग) : हज यात्रा का पूरी व्यवस्था सऊदी अरब की सरकार द्वारा सुनिर्धारित नियमों और विनियमों के अन्तर्गत की जाती है। भारत सरकार अपने राजदूत वास के माध्यम से इन यात्रियों के कल्याण के लिए केवल थोड़ी बहुत सेवाओं की ही व्यवस्था कर सकती है। जहां तक किसी भी यात्री के समक्ष उत्पन्न समस्याओं और कठिनाइयों का सवाल है हमारा राजदूतावास उन पर केवल सऊदी अरब प्रधिकारियों का ध्यान दिला सकता है।

भारत के राजदूतावास में एक हज खंड है जिसमें दो राजनयिक अधिकारी और पूरक अमले के रूप में स्थायी तौर पर तथा नियतकालिक तौर पर भारत आस्थानी एवं स्थानीय अमला काम करता है जो प्रवेश से निकासी स्थल तक यात्रियों की देखभाल करता है तथा हज प्राधिकारियों को अतिरिक्त मक्का और मदीना में और हज-सप्ताह के दौरान मुना और अराफात में यात्रियों के साथ निरंतर संपर्क बनाये रखता है।

; भारत सरकार का मक्का में चिकित्सा अधिकारी व उप कोंसल के अधिन एक स्थायी औषधालय है जो हज अवधि के लिए सऊदी अरब में खोले गए भारतीय चिकित्सा मिशन और मक्का और मदीना में खोले गए नियतकालिक औषधालय के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है।

गैर लेवी वाले पिण्डों के मूल्यों में अल्यूमिनियम निर्माताओं द्वारा वृद्धि

5012. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात और खान मंत्री यह** बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन अल्यूमीनियम निर्माता कम्पनियों बाल्को, इन्डाल और हिन्डालको ने गैर-लेवी वाले पिण्डों मूल्य में 700 रू० प्रति टन की दर से वृद्धि कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) तीन अल्यूमिनियम निर्माता कम्पनियों ने गैर-लेवी अल्यूमिनियम पिंडो के मूल्यों में अलग-अलग वृद्धि की घोषणा की है ये वृद्धियां 750 रू० से 850 रू० प्रति टन के बीच है।

(ख) गैर-लेवी अल्यूमिनियम के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। उपर्युक्त वृद्धियां बजट में नई लेवीयों तथा निवदा सामग्री के मूल्यों में वृद्धि से बडी हुई लागत पर अधारित है।

इलैक्ट्रिकल पर्यवेक्षकों को वर्कमैन/अधिकारियों के रूप में मान्यता

5013. **श्री ए० के० राय : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार के अधिन कार्य कर रहें इलेक्ट्रिकल पर्यवेक्षकों का वर्कमैन के रूप में अथवा अधिकारी के रूप में कोई विशिष्टीकरण न होने से उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) उनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क):और (ख) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है कि इस अधिनियम में परिभाषित ''कर्मकार' में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होता जो पर्यवेक्षी हैसियत

में नियोजित है और पांच सौ रुपये प्रति माह से अधिक वेतन प्राप्त करता है या कार्यालय के कर्तव्यों के स्वरूप द्वारा या उनमें निहित शक्तियों के कारण मुख्यतः प्रबन्धकीय प्रकार के कार्य करता है।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : श्रीमान्, मैं अत्यधिक लोक महत्व का एक मामला उठाना चाहता हूं। उड़ीसा में परसों तीस अध्यापक गिरफ्तार किये गये थे। उन्होंने तार दिया है। ये लोक पदों को नियमित किये जाने और सेवा निवृत्ति के लाभों और उड़ीसा शिक्षा अधिनियम को आधुनिक बनाये जाने के लिए मांग कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए आप मुझे नियम 377 के अन्तर्गत सूचना देनी चाहिए। मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : मैं इसे कल उठाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाय।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : वे लोग अपनी शिकायतों को दूर कराने के लिए श्री राजनारायण के निवास पर गये थ, जिन्होंने उनसे मिलने से मना किया। (**अन्तर्बाधाएं**)

श्रीमन **

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड न किया जाय।

श्री बलदेव सिंह जसरोतिया (जम्मू) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वर्ष 1978-79 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगे

सचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : मैं वर्ष 1978-79 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1944/78]**

पेटेन्टस अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत अधिसूचना

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) : श्री जार्ज फर्नान्डिस की ओर से मैं पेटेन्ट्स अधिनियम, 1970 की धारा 1 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

सा०आ० 799 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखती हूं । **(ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1945/78)**

राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली का 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवींद्र वर्मा) : मैं राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेख सभा-पटल पर रखता हूं । **(ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1946/78)**

श्री० के० लकप्पा (तुमकुर) : श्रीमन, यह प्रतिवेदन 1975-76 के लिए है और यह 1978 सभा-पटल पर रखा जा रहा है। इस ओर मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि उद्योग मंत्रालय का मांगों पर वाद-विवाद कल खत्म हो गया है और नारीयल जटा बोर्ड सम्बन्धी प्रतिवेदन दिया जा रहा है । इस मामले में कुछ किया जाये ताकि हमें सभा पटल पर रख जाने वाले पत्रों के बारे में आपत्ति न उठानी पड़े ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय बतायें कि विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : राष्ट्रीय श्रम संस्थान के नियमों (आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन) के अनसार वार्षिक रिपोर्ट सामान्य परिषद की टिप्पणियों के साथ रखी जानी चाहिए । परन्तु कार्य समिति तथा सामान्य परिषद का अभी पुनर्गठन होना है । अतः इसे सामान्य परिषद की टिप्पणी बिना हम सभा-पटल पर रख रहे हैं ताकि और अधिक विलम्ब न हो ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगे

नौवहन और परिवार मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : मैं वर्ष 1978-79 के लिय नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **(ग्रंथालय म रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1947/78)**

नारियल जटा बोर्ड का वर्ष 1976–77 का वार्षिक प्रतिवेदन और 1–4–77 से 30–9–77 तक का अर्धवार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) : मैं नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तगत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं :

(एक) वर्ष 1976-77 के नारियल जटा बोर्ड के कार्यकलापों तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) 1 अप्रल, 1977 से 30 सितम्बर, 1977 की अवधि के नारियल जटा बोर्ड के कायकलापों तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम 1953 के कायकरण सम्बन्धी अधवार्षिक प्रतिवदन ।

(ग्रंथालय म रखी गई । दखिए संख्या एल० टी० 1948/78)

अध्यक्ष महोदय : इसमें इतना विलम्ब क्यों हुआ ।

कुमारी आभा मयती : चूंकि वे हमें विलम्ब से मिली ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है । विलम्ब का कारण आपको बताना चाहिए। आप सुनिश्चित करें कि भविष्य में विलम्ब न हो ।

अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फीकार उल्लाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) सां०आ० 685 से 688; 691, 692 और 694 से 706 जो दिनांक 11 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1978 जो दिनांक 17 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 178(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1949/78]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) सा०सां०नि० 179(ङ) जो दिनांक 18 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) अधिसूचना संख्या 67-कस्टम्स जो दिनांक 23 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा०सां०नि० 183(ङ) से 187(ङ) जो दिनांक 25 मार्च 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन)

(ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1950/78)

(3) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 175(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 17 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1951/78]**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बिहार के एक गांव में हरिजनों पर कथित अत्याचार

श्री चित्त बसु (बारसाट) : श्रीमान् मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

[श्री चित्त बसु]

"ग्राम कनिआरी, जिला रोहतास, बिहार में 25 मार्च, 1978 को हरिजनों पर किए गए कथित अत्याचार और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम कनिआरी के जानेमाने अपराधी हीराकुर्मी को छः व्यक्तियों ने 25 मार्च, 1978 को लगभग 10.00 बजे पूर्वाह्न गोली मार कर हत्या कर दी जिनमें से पांच व्यक्ति ग्राम विश्रामपुर, थाना दिनारा, जिला रोहतास, बिहार के थे। सभी छः अभियुक्त जाने-माने अपराधी हैं और उनमें से तीन हरिजन हैं। ग्राम कनिआरी के एक व्यक्ति बंसारोपन को गिरफ्तारी में हीरा कुर्मी का हाथ था यह संदेह इस हत्या का कारण प्रतीत होता है। प्रतिशोध में, कनिआरी तथा इसके आस पड़ोस के गांवों के 500-600 व्यक्तियों की एक भीड़ ने जिसमें मुख्यतः कुर्मी थे और विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से लैस थे, उसी दिन लगभग 3 बजे अपराह्न विश्रामपुर को घेर लिया और 18 मकानों को आग लगा दी जिसमें छः मकान हरिजनों के थे। इसके परिणामस्वरूप तीन व्यक्ति मारे गए जिनमें से 2 हरिजन थे। एक व्यक्ति लापता बताया जाता है। दो मवेशी तथा दो बकरियां भी जला दी गई।

हीरा कुर्मी की हत्या के लिए छः व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149/302 के अन्तर्गत तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया है और अब तक तीन व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं। ग्राम विश्रामपुर में बाद की एक वारदात में 33 व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/436/302/364/428 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत मुकदमा दायर किया गया है और अब तक 8 गिरफ्तारियाँ की जा चुकी हैं। दोनों मामलों में शेष अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और फरार अभियुक्तों के विरुद्ध अवपीड़क कार्रवाईयां की जा रही हैं। दो राईफलें भी पकड़ी गई हैं।

जिला मजिस्ट्रेट, आयुक्त तथा उप महा-निरीक्षक घटनास्थल का दौरा कर चुके हैं और लोगों में फिर से विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है। विश्रामपुर में एक पुलिस बल तैनात किया गया है। दिनारा पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी तथा एक उप-निरीक्षक को समय पर स्थिति को नियंत्रित करने में असफल होने तथा कर्त्तव्य में तत्परता न दिखाने के कारण निलंबित कर दिया गया है। बिहार के मुख्य मंत्री भी घटनास्थल का दौरा कर आए हैं। मृत व्यक्तियों के परिवारों में से प्रत्येक को 5,000/- रुपए दिए गए हैं। प्रत्येक परिवार को मकान बनाने के लिए 500/- रुपए से 1,000/- रुपए तक के अनुदानों के भुगतान भी किए गए हैं। आटा, चावल, वस्त्र तथा कम्बल भी बांटे जा रहे हैं और अस्थाई पनाह के लिए तिरपाल दे दिए गए हैं।

यह स्पष्ट है कि ये दोनों वारदातें अपराधियों तथा उनके समर्थकों के दो दलों के बीच दुश्मनी का परिणाम थी और हरिजनों पर "अत्याचार" अथवा ऊंची तथा नीची जातियों के बीच भूमि विवाद से संबंधित नहीं थी। अतः कुछ समाचार पत्रों में 30 हरिजनों आदि के जिंदा जलाए जाने के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट गलत है तथा बढ़ा चढ़ा कर दी गई है।

श्री चित्त बसु : श्रीमन्, मैं कम से कम छः मिनट तक बोलना चाहूंगा और मैं कोई व्यवधान भी नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आप तीन मिनट से अधिक नहीं बोलेंगे। सभा का हर मिनट बहुत कीमती है।

श्री चित्त बसु : श्रीमन्, यह केवल एक घटना नहीं है वस्तुत: यह हमारी वर्षों से चली आ रही सामाजिक-आर्थिक समस्या का एक अंग है जो हमें विरासत में मिली है। हरिजनों पर अत्याचारों की घटनायें देश में बढ़ती जा रही हैं। वर्ष 1974 में देशभर में ऐसे 8,850 मामले हुए। मार्च, 1977 से नवम्बर 1977 के बीच केवल मध्य प्रदेश में ही 105 हरिजनों की हत्या हुई। यह सूचना स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने दी थी। बिहार में वर्ष 1977 में हरिजनों पर अत्याचार की 653 घटनायें प्रकाश में आई और महाराष्ट्र में यह संख्या 392 थी। इससे ही आप स्थिति का अन्दाजा लगा सकते हैं।

यह दुर्भाग्य की बात है कि बिहार तो आजकल हरिजनों पर अत्याचारों के केन्द्र ही बनकर रह गया है। बेलची, बरदैया, धर्मपुर, रुपेया, तथा रोहतास इसके लिये देशभर में बदनाम हुआ हैं। इन स्थानों पर हरिजनों पर रोंगटे खड़े कर देने वाले अत्याचार हुए हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि गृह मंत्री ने इन घटनाओं को अपराधियों के दो दलों के बीच टकराव की घटनायें बताया है। बिहार के मुख्य मंत्री ने भी कल विधान सभा में यही बात कही थीं। राष्ट्र ने बेलची के संबंध में भी ऐसे वक्तव्यों पर विश्वास नहीं किया था। और मेरा विश्वास है कि अब भी यह सभा इन वक्तव्यों पर यकीन नहीं करेगी।

सरकार को चाहिये कि वह मूल समस्या को समझने का प्रयास करे। यह एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है। इसका कृषि से भी संबंध है।

बिहार के गांवों में सवर्ण भूमिधार अपने पास सशस्त्र गुण्डे रखते हैं जो न केवल हत्या कर देते हैं बल्कि गांव तक को लूट लेते हैं। स्वयं श्री कैलाश जोशी ने हाल ही में कहा है कि हरिजनों पर कथित अत्याचार के मामले भूमि-विवादों से संबंधित है।

बिहार में भूमि-सुधार क्रियान्वित नहीं किये गये हैं। अभी तक भूमिहीनों में केवल 1,25,000 एकड़ भूमि ही बांटी गई है।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय बिसरामपुर की घटना की अदालती जांच करायेंगे। दूसरे, क्या प्रधान मंत्री की हाल ही की सलाह के अनुसार जिला अधिकारियों पर इसका दायित्व निश्चित किया गया है अथवा किया जायेगा?

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि क्या इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वहां भूमि सुधार का कोई विशेष कार्यक्रम चलाया जायेगा ताकि इस आर्थिक-सामाजिक समस्या से उचित ढंग से निपटा जा सके?

भूमिधार किसानों के पास अवैध तथा बिना लायसेन्स के हथियार हैं। क्या सरकार इनको निशस्त्र करने के लिये उचित कदम तुरन्त उठायेगी?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh): My hon. friend has delivered a speech here.

एक माननीय सदस्य : कृपया अंग्रेजी में बोलिये ।

Shri Charan Singh : यद्यपि मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूं परन्तु आप मुझे अंग्रेजी में ही बोलने को बाध्य नहीं कर सकते ।

I was submitting that as per rules question and not a speech can be put in this context. Replying to the speech with a speech, I shall again ask him the question since he has put four questions simultaneously and I am likely to forget these questions during my speech. Now I shall first reply to his speech which he has so excitedly made here.

Harijan problem is only in our country and nowhere in the world. This problem is based on our heridetary caste system. It has two aspects—one social and the other economic. Social aspect is based on casteism but the economic aspect concerns not only Harijans but other backward communities also.

So we have to take effective steps after careful consideration of the entire situation. Although the steps taken so for are enough but the problems have not been solved fully.

The opposition members should give some constructive suggestion to me instead of making political gains out of this issue. Moreover, it is not correct to say that atrocities on Harijans are increasing or that any attempt is being made to exterminate them. Facts and figures do not support this contention.

I would like that the incidents should be placed before the public correctly so that the issue may be seen in the right perspective and its solution may be found. If one looks at the figures of crimes against the Harijans since 1971 (prior to that these crimes were not recorded) it would be clear that the percentage of crimes against Harijans in relation to the total number of crimes against Harijans and non-Harijans is not more than one percent. Our population consists of 85 percent non-Harijans and 15 percent Harijans. Now the percentage of crimes against 85 percent population of non-Harijans works out to 99 percent whereas in the case of 15 percent population of Harijans, it is only 1 percent.

एक माननीय सदस्य : आप इसको उचित प्रमाणित कर रहे हैं. . . **(व्यवधान)**

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : क्या यह ठीक है । गृह मंत्री को अपना वक्तव्य देने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

Shri Charan Singh : I am not justifying it. I am only telling the facts that the impression which is being created that attempt is being made to exterminate Harijans is not correct. As regards the charge that the number of crimes has increased after the Janata party has come to power, the position is that whereas the number of serious crimes has come down, that of minor crimes has gone up.................**(interruption)**..............Please listen to me. I have a right to speak.

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : छोटे अपराध और बड़े अपराध के बारे में आपकी धारणा क्या है ? क्या जिन्दा लोगों को जला देना एक बड़ा अपराध है अथवा एक छोटा अपराध है ?

Shri Charan Singh : Murder, dacoity and rape are major crimes.

Shrimati Ahilya P. Rangnekar (Bombay North-Central): Where is the question of major crime and minor crime ?

Shri Charan Singh: In 1975-76, which was a period of emergency, the serious crimes could not be concealed. In 1975, the number of murders is 340. **(Interruption)**

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोडी) : क्या वह अपराधों और अत्याचारों को न्यायसंगत ठहरा रहे हैं ?

श्री चरण सिंह : मैं उनको न्यायसंगत नहीं ठहरा रहा हूं । मैं तो रिकार्ड को स्पष्ट दर्शा रहा हूं । गंभीर अपराधों के मामलों की संख्या में कमी हुई है **(व्यवधान)**

श्री बी० शंकरानन्द : अत्याचारों की भर्त्सना किये बिना वह सदन को क्या दर्शाना चाहते हैं **(व्यवधान)**

श्री ए० के० राय (धनबाद) : जब पूरा देश इन घटनाओं से शर्मिंदा है तो उन्हें इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिये ।

Shri Charan Singh: Sir, I was trying to reply to the allegations that crimes are on the increase.

Shri Ram Dhan (Lalganj): He has said about atrocities not about crimes.

Shri Charan Singh: No Sir, He has said that crimes are increasing. I would like to tell that atrocities are also included in total number of crimes. Has he not said that the crimes during Janata regime have gone up? **(Interruptions)**

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : हम पिछड़े चार-पांच वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : गृहमंत्री अपना भाषण जारी रखें ।

Shri Charan Singh: Sir, It has been alleged that the murders and crimes are increasing but the factual position is that the number of major crimes has come down but the number of minor crimes has gone up. The number of murders in 1975 is just three years back.........**(Interruptions)**

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए ।

Some hon. Member's rose.

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । मैं दोनों ओर के माननीय सदस्यों से मत कहना चहता हूं कि इस विषय पर 4 तारीख चर्चा के लिये निश्चित की गई है । अतः मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को हमें संक्षिप्त रूप में ही लेना चाहिये ।

श्री चरण सिंह : माननीय मित्र ने आंकड़े दिये हैं और क्या मैं यह बात स्पष्ट नहीं कर सकता कि ये आंकड़े गुमराह करने वाले हैं... **(व्यवधान)** मेरे आंकड़े इस प्रकार हैं :

हत्या : 1975—346
1976—276
1977—291

[श्री चरण सिंह]

हिंसा की घटनामें जिनके कारण गंभीर चोटें आई :

1975—1,268

1976—1,074

1977—1,124

बलात्कार. . . (व्यवधान)

The figures regarding rape cases like this:

1975 — 320

1976 — 314

1977—248

Arson, Setting Fire:

1975 — 774

1976 — 726

1977 — 478

We find increase in other types of offences, the figures are:

1975 — 4785

1976—2946

1977 — 6379

If we analyse these figures statewise, we find that the crimes have increased in five states two of which are ruled by Janata Party and other three by the Congress Party.

Mr. Speaker, Sir, in Andhra Pradesh the cases reported during 1974 are 22 and thereafter, 27, 34 and for 1977 this figures is 102. (व्यवधान)

श्री के० गोपाल (करूर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रस्ताव बिहार के रोहतास जिले के कनियार गांव में हरिजनों पर अत्याचार के बारें में रखा गया है। अन्य स्थान इसमें कहा से आते है। आप उन्हें किस प्रकार अनुमति दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत छोटा होता यदि प्रश्नकर्ता प्रश्न तक ही सीमित रहते। प्रश्न का क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक मामलों तक बढ़ा दिया गया है।

Shri Charan Singh: I am replying to the question asked regarding different states. The crimes have gone up in two states ruled by Congress and in three states ruled by Janata Government. In Bihar cases of crimes reported during last year are 621 but the number has been reduced to 421 this year. (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु ने बिहार, उत्तर प्रदेश के उदाहरण पेश किये हैं।

Shri Charan Singh: Now we come to Madhya Pradesh the figures regarding Madhya Pradesh are 1578, 1587, 1829 and 2133 respectively. There is a increase the position regarding Maharashtra is 277, 263, 211, 519, who is ruling in Maharashtra ?

*कार्यवाही वृत्तांत मे सम्मिलित नहीं किया गया।

In Kerala, crimes have gone up. The position in this regard is 493 in 74, then 331,254 and now 136. The position regarding Uttar Pradesh is 5791, 4056, 2447 and now 4974. The incidences of crimes in Uttar Pradesh have gone down as compared to 74-75. I have given all the figures. We find that the crimes have increased in Andhra, Maharashtra and Rajasthan and decreased in Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.

श्री० बी० शंकरानन्द : मंत्री महोदय मामले को राजनीतिक रूप दे रहे हैं। इसके लिये वह दूसरों को दोष देते हैं परन्तु वह स्वयं एसा कर रहे हैं। मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अनुच्छेद 46 में व्यवस्था है कि सरकार दुर्बल वर्गों विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा करेगी। क्या सामाजिक अत्याचार ओर किसी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगी। क्या देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिये वह उत्तरदायी नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Charan Singh : I would like to make it very clear that by giving these figures I am not trying to justify the crimes that have taken place. There should be no crimes either against the Harijans or against the non-Harijans, more so in the case of former because they are comparatively weak.

As regards the charge that had records are not-available, no doubt, it is so. But this is not a recent development. These records were not available earlier also and my friends sitting in the opposition could not get these records prepared during 30 years time. Now it is not easy to get these records prepared. If some concrete suggestions are made the Government will consider them.

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पहले तो यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में है अपराधों के बारे में नहीं। आपको इस बारे में अपनी व्यवस्था देनी होगी कि क्या मंत्री ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विशेष रूप में हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में है। मंत्री महोदय ने देश में सामान्य अपराधों के आंकड़े दिये हैं। परन्तु हरिजनों पर अत्याचार बढ़े या घटे इस बारे में कुछ नहीं बताया है।

अध्यक्ष महोदय, जब आप किसी विशिष्ट विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति देते हैं तब आप अन्य प्रासंगिक विषयों को उसके अन्तर्गत लाने की अनुमति क्यों देते हैं।

दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में पूछा गया है कि सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है। इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य उत्तर में इसका जवाब दिया गया है। श्री वयालार रवि।

श्री चित्त बसु : अध्यक्ष महोदय**

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि गृह मंत्री ने इस विषय को राजनैतिक बना दिया है। यह बात मैं गृह मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री वयालार रवि]

प्राप्ति के पश्चात देश में यह पहली घटना है कि एक ही राज्य में हरिजनों को दो बार जलाया गया है और यह भी पहली बार हीं हुआ है कि देश के गृह मंत्री ने सदन में इसका औचित्य ठहराने का प्रयास किया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। वह सदन में आकर कम से कम इस विषय में खद व्यक्त कर सकते थे।

प्रतिदिन समाचार-पत्रों में हरिजनों पर अत्याचारों के समाचार प्रकाशित होते हैं। बिहार में स्थिति बहुत खराब हो गई है। जातिवाद के आधार पर संघर्ष चल रहा है। क्या सरकार साम्प्रदायिक एकता लाने के लिये उत्तरदायी नहीं है। मंत्री महोदय को सदन को आश्वस्त कराना चाहिये कि वह अपराधियों को पकड़ेंगे और हरिजनों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। परन्तु ऐसा उन्होंने अभी तक नहीं कहा है। हमें यह बात बताई जानी चाहिये कि सरकार इस बारे में क्या ठोस कदम उठाने जा रही है।

Shri Charan Singh: I have not tried to justify the crimes. I wanted to produce the facts because various wrong impressions are being created. The Government have issued three circulars during one year. Instructions have been sent to state Governments and District Magistrates.

श्री रामविलास पासवान : ....**

Shri Ram Awadhesh Singh (Vikramganj): On a point of order Sir, As regards atrocities on Harijans I would like to say that besides Harijans, certain other weaker communities are also the victim of these atrocities**.

अध्यक्ष : इसे रिकार्ड में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। इस बारे में वाद विवाद होते जा रहा है, माननीय सदस्य उसमें भाग ले सकते हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मेरे विचार से बिहार सरकार स्थिति को नियंत्रण में लाने की स्थिति में नही है। अतः इसे बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये। क्या इस पूरे मामले को जांच के लिये कोई आयोग नियुक्त करने का विचार है और यदि नहीं, तो क्या इस मामले को जांच के लिये वह कोई संसदीय समिति नियुक्त करेंगे। यदि यह संभव नहीं है तो कम से कम सभी दलों के सदस्यों को शामिल करके एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल बिहार में भेज जाना चाहिये ताकि जनता का सरकार और संसद में कुछ विश्वास हो सके। मैं गृह मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह बिहार में प्रतिनिधि मंडल कब भेज रहे हैं ?

Shri Charan Singh: I only want to say that Government do not propose to appoint any committee or commission against the Chief Minister of Bihar.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं यह कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री ने इस मामले पर इस सदन को गलत जानकारी दी है। हम इस देश के कमजोर वर्गों को न्याय देने के लिये कह रहे हैं। बिहार के मुख्य मंत्री ने सदन में कहा है कि इसे 'जातिवाद', जाति-युद्ध अथवा गैंगयुद्ध का नाम दिया जा सकता

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

है। मेरे प्रश्न के उत्तर में श्री धनिक लाल मंडल ने बिहार के बारे में जानकारी नहीं दी है और यह कहा है कि अभी तक जहां तक अन्य राज्यों का संबंध है, आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आप स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं। गृह मंत्रालय ने इस सदन को सही जानकारी नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मामलों की संख्या में कमी हो रही है। लेकिन एक महीने के अन्दर दर्ज किये गये मामलों की संख्या 432 है।

श्री चरण सिंह : मैंने वर्ष 1975-76 से संबंधित आंकड़े उद्धृत किये हैं और आप एक महीने से संबंधित आंकड़ों को उद्धृत कर रहे हैं और निष्कर्ष निकाल रहे हैं।

श्री के० लकप्पा : हरिजनों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार हुए हैं। आक्रमण करने वाला गिरोह (गग) पूरी तरह से कुर्मियों का है और इसका शिकार हरिजन व्यक्ति हुए हैं। जहां कहीं भी ऐसीं घटनायें हुई हैं वहां पर आक्रमणकारी सवर्ण हिन्दू अथवा कुर्मी हैं। पिछले एक वर्ष से बिहार राज्य में ये गिरोह पूरी तरह से जाति के आधार पर संगठित हैं और इन्होंने जाति युद्ध छेड़ रखा है। हरिजनों पर हुए प्रत्येक आक्रमण के शिकार केवल हरिजन व्यक्ति ही हुए हैं। हरिजन सेवक संघ से जो पत्र मुझे प्राप्त हुआ है उसे मैं उद्धृत करना चाहता हूं क्योंकि इस पत्र में कहा गया है कि प्रधान मंत्री ने भीं इस समस्या का कोई समाधान नहीं सुझाया है अपितु उन्होंने हरिजनों पर हुए हमले को उचित ठहराया है। मैं इसे समझने में असमर्थ हूं क्योंकि समस्त नीति हरिजन-विरोधी हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले कहा था कि मैं इस घटना तक ही अपने को सीमित रखूंगा। यदि आप कोई समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छी बात हैं।

श्री के० लकप्पा : * * *

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : * * *

श्री के० लकप्पा : * * *

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इस प्रस्ताव की महत्ता को कम नहीं कर रहा हूं * * *

श्री के० लकप्पा : * * *

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री लकप्पा के कुछ कथन नियम के उपबंधों की अवहेलना करते हैं... आधार यह है कि वे अश्लील हैं...

अध्यक्ष महोदय : उनमें से कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया है।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी (अनन्तनाग) : * * *

श्री के० लकप्पा : मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री इस बारे में प्रधान मंत्री की सलाह लें जिन्होंने हाल ही में बंगलौर में कहा है कि केन्द्र का विचार अनुसूचित जातियों और आदिवासियों की स्थितियों के बारे में जांच करने और इस देश में असमानताओं को खत्म करने के लिये तथ्यान्वेषी पूर्ण आयोग नियुक्त करने का है। मैं इस घटना के बारे में एक न्यायिक जांच की मांग करता हूं जो पूरे देश और हरिजनों के साथ व्यवहार की समस्त समस्या के बारे में हो।

*** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

Shri Charan Singh: Mr. Lakkappa has asked whether it is a gangwar or the caste-war. According to Bihar Government it is a gangwar and everybody has a right to have his own opinion. But the fact is that six persons murdered one Hira Kurmi. Out of them three persons were Harijans and three Non-Harijans. In revenge to this the Kurmis attacked the adjoining village and in it two Harijans and one Non-Harijan were murdered. The other points stated by him are irrelevant and there is no need of replying to them.

श्री के० लकप्पा : मैंने प्रधान मंत्री के वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाया है लेकिन उन्होंने इस प्रश्न का जवाब नही दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रधान मंत्री ने कोई वक्तव्य दिया है तो उन्होंने यह वक्तव्य सरकार की ओर से दिया है । यह सुझाव कार्यवाही करने के लिये है ।

श्री बी० शंकरानंद (चिकोडी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 197 के अन्तर्गत अपने वक्तव्य में गृह मंत्री ने केवल कत्लों का उल्लेख किया है लेकिन यह प्रस्ताव अत्याचारों के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि किसी कानून अथवा नियम का उल्लंघन हुआ है । अत्याचार किये जाने पर जो घटनायें हुई हैं उनका उल्लेख किया गया है ।

Shri Ram Avadesh Singh (Bikramganj): On a point of order. The statement given by the Home Minister is totally false. The matter relates to my constituency. .... * * *

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियमों के अन्तर्गत संबंधित सदस्य कुछ प्रश्न पृछने का हकदार है । श्री लकप्पा ने भी कुछ प्रश्न पूछे हैं और इसका जवाब दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मान लीजिये यदि वह जवाब नहीं देते हैं तो मेरा प्राधिकार क्या है ? मुझे इसका समाधान बताइये ?

श्री सी० एम० स्टीफन : यदि यह स्थिति है तो मुझे कछ नहीं कहना है । प्रश्न पूछे जाने पर यदि मंत्री महोदय जवाब नहीं देते हैं तो उन्हें यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है । इस प्रकार कुछ हद तक नियम का उल्लंघन किया गया है ।

श्री बी० पी० मंडल (मधेपुरा) : प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार प्राप्त हैं । अब कुछ सदस्यों ने अपनी बात व्यवस्था के प्रश्नों के माध्यम से कही है । यदि आप इस प्रकार अनुमति देते रहे ...

अध्यक्ष महोदय : आप भी वही बात कर रहे हैं । प्रत्येक सदस्य भाषण दे रहा है ।

श्री आर० के० महालगी (थाना) : यह शर्म की बात है कि हरिजनों पर अभी भी अत्याचार किए जा रहे हैं । संविधान और विभिन्न कानूनों द्वारा उन्हें प्रदत्त संरक्षण के बावजूद उन पर अत्याचार के मामले होते रहते हैं । मेरा विपक्षी सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस नृशंस हत्याकांड से

***कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

राजनीतिकपूंजी न बनायें। सब राजनीतिक दल मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें न कि इसका उपयोग निजी हितों के लिए करें। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं (एक) बिहार राज्य विधान सभाद्वारा नियुक्त जांच समिति को अपना प्रतिवेदन शीघ्र प्रकाशित करने को कहा जाये (दो) माननीय प्रधान मंत्री ने पिछले 15 अगस्त को सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर कहा था कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदार ठहराया जाये क्या राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने आगे यह निदेश दिया है ? (तीन) हरिजनों पर अत्याचार होने की स्थिति में केन्द्र और राज्य सरकारों को मिलकर कार्य करना चाहिए। प्रत्यक जिले में इस उद्देश्य के लिए मुख्य मंत्री की निगरानी में एक सैल होना चाहिये और इसकी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजी जानी चाहिए।

अनेक मामलों में ऐसा पता लगा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तथा विशेषकर बिहार में ऐसी घटनाओं के मूल में भूमि संबंधी झगड़े हैं। सामाजिक न्याय को मद्देनजर रखते हुए इन विवादों का निपटान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में अपराधियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए और अस्पृश्यता अपराध कानून 1955 के प्रावधानों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। गैर सरकारी तौर पर इस मामले पर चर्चा करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक संगठनों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए और इसके सुझावों को तुरन्त लागू किया जाये। क्या मेरे सुझाव मंत्री महोदय को मान्य हैं।

Shri Charan Singh: The hon'ble Member has given suggestions but did not ask question.

श्री आर० के० महालगी : मेरा प्रश्न है कि क्या मेरे सुझाव मंत्री महोदय को मान्य हैं।... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसकी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये। (**व्यवधान**) ***

श्री के० लकप्पा : हम इससे विरोध में सभा का बहिर्गमन करते हैं... (**व्यवधान**) ***

तत्पश्चात् श्री के० लकप्पा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चल गये।
Shri K. Lakkappa and some other hon. Members then left the House.

श्री आर० के० महालगी : मेरा प्रश्न है कि क्या मंत्री महोदय को मेरे सुझाव मान्य हैं ?

श्री चरण सिंह : प्रश्न पूछने के दौरान सुझाव देने की अनुमति नहीं होती है क्योंकि सरकार उन सुझावों का उत्तर तुरन्त नहीं दे सकती है। यह नियम है मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री आर० के० महालगी : क्या वह दिए गए सुझावों पर विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया जाता है।

***कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया। Not recorded

10—120 एल० एस० एस०/78

प्राक्कलन समिति

ESTIMATE COMMITTEE

17 वां प्रतिवेदन और कार्यवाही वृत्तांत

Shrimati Mrinal Gore (Bombay North): Sir, I beg to present the following Report and Minutes of the Estimates Committee :—

(1) Seventeenth Report on Action taken by Government on the recommendations contained in the Ninty-Seventh Report of the Committee (Fifth Lok Sabha) on the Ministry of Works and Housing—Slum Clearance and Housing Schemes.

(2) Minutes of the Sitting of the Committee relating to the above report.

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधक) विधेयक, 1977

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENTS) BILL, 1977

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : सरकार विधेयक को वापिस लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत करके यह समझ रही है कि उसने कोई बड़ा काम कर लिया है। नजरबंदी विधेयक कानून वर्ष 1950 से चला आ रहा है। इसको समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है जो आज 'मीसा' (आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना सम्बन्धी कानून) नाम से प्रचलन में है। वर्तमान सरकार ने चुनाव से पूर्व अपने चुनाव घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा था कि वह 'मीसा' को समाप्त करेगी। पिछले वर्ष राष्ट्रपति जी ने भी अपने भाषण में 'मीसा' को समाप्त करने का आश्वासन दिया था। अब इस बारे सरकार दुविधाग्रस्त है। यह एक राजनीतिक प्रश्न बन गया है। मैं विधेयक वापिस लिये जाने वाले प्रस्ताव का समर्थन करता हूं परन्तु ऐसा करके संसार को धोखा नहीं दिया जा सकता है। सरकार ने कुछ कायदे किये थे जैसा कि अनिवार्य जमा राशि योजना समाप्त कर दी जायेगी। इसके लिये उन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया था कि अनिवार्य जमा राशि को भविष्य निधि में बदल दिया जाये परन्तु बाद में लोगों के विरोध के कारण उन्हें इस विधेयक को वापिस लेना पड़ा। 'मीसा' के मामले में वे इसे दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल करना चाहते थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : नियम 111 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें लिखा है :

> "यदि किसी विधेयक को वापिस लेने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले तथा प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य देने की अनुज्ञा दे सकेगा और बाद, उसके अग्रेसर वाद विवाद के बिना, प्रश्न रख सकेगा।"

क्या वह विधेयक का विरोध कर रहे हैं ;

श्री० सी० एम० स्टीफन : मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप विधेयक का विरोध नहीं करते हैं, आपको इस पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि आप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको इस पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा विधेयक के आशय से विरोध है। इसका संपूर्ण उद्देश्य राजनीतिक है। वे इसे दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल करना चाहते थे। जब इसका विरोध हुआ तब वह यह प्रस्ताव लाने को मजबूर हुए। इसका एक राजनीतिक पहलू है। श्री चरण सिंह ने कुछ समय पूर्व एक वक्तव्य दिया था जिसके दो पहलू थे। पहला, इस विधेयक को वापिस लेने का प्रस्ताव और दूसरा 'मीसा' को समाप्त करने के लिए एक पृथक विधेयक का लाया जाना। आप देखेंगे कि सदन के समक्ष जो विधेयक है उसमें 'मीसा' को समाप्त किए जाने का एक खंड है। अब जबकि समूचे विधेयक को वापिस लेने का प्रावधान है तो इसका तात्पर्य है कि मीसा को समाप्त किए जाने का प्रावधान भी वापिस ले लिया जायेगा। मीसा को समाप्त किए जाने का आश्वासन पहिले ही दिया जा चुका है। चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1977 को वापिस ले लिया जायेगा तो इसके साथ-साथ 'मीसा' को समाप्त करने का प्रावधान भी वापस ले लिया जायेगा। इस प्रकार 'मीसा' को समाप्त करने के लिए कोई विधेयक नहीं रहता। इस दृष्टि से यह प्रस्ताव शरारतपूर्ण है। इस विधेयक के साथ-साथ एक और विधेयक को लाया जाना चाहिए था जिसमें 'मीसा' को समाप्त करने का प्रावधान हो। यदि गृह मंत्री यह आश्वासन देते हैं कि मीसा को समाप्त किया जायेगा तो मैं विधेयक को वापिस लिये जाने संबंधी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री वयालार रवि (चिर्रयिकील) : यह एक गंभीर मामला है। गृह मंत्री यह आश्वासन दें कि 'मीसा' को शीघ्र ही समाप्त किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा कहा है।

श्री सी० एम० स्टीफन : परन्तु विधेयक कहां है?

श्री वयालार रवि : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय : संभवतया आपने कार्यसूची नहीं देखी है।

यह विधेयक 23 दिसम्बर, 1977 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। उनके द्वारा विधेयक को वापस लेने के कारण बताने वाला सभा में दिया गया वक्तव्य 23 मार्च, 1978 को सदस्यों में परिचालित किया गया था। उस विधेयक में उन्होंने विशेष रूप से कहा था कि 'मीसा' का निरसन किया जायेगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : वह विधेयक कहां है ?... (**व्यवधान**)

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय आश्वासन दें कि उस विधेयक को बजट सत्र में ही पुरःस्थापित किया जायेगा.. (**व्यवधान**)

Shri Charan Singh: Hon. friend Shri Stephen sees some motive that we would misuse the MISA. The main reason for delay in bringing forward a bill to withdraw MISA is that there are some persons who have been lodged in jails under MISA. Unless an alternate arrangement for their detention is made,

[Shri Charan Singh]

there would be problem if MISA is withdrawn. There are foreigners also among them. On political grounds, they are not under detention. However, we intend to repeal MISA.

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री चरण सिंह : मैं विधेयक वापस लेता हूं ।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया । (व्यवधान)

The Bill was by leave, withdrawn.

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री स्टीफन, आप क्या देखेंगे ? मैं अरसे से देख रहा हूं. . .***

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री राम मूर्ति **पीठासीन हुए ।**

[Shri Ram Murti **in the Chair**] **(व्यवधान)**

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) उद्योगों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने में कोल इंडिया लिमिटेड की असफलता

सभापति महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेते हैं । श्री भगत राम ।

श्री भगत राम (धिल्लौर) : कोल इंडिया लिमिटेड छोटे तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को विद्युत उत्पादन के लिये, ईंट के भट्टों के लिये और घरेलू खपत के लिये कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित नहीं कर सका है जिसके परिणामस्वरूप कारखाने बंद होने की स्थिति में है, उत्पादन गिर गया है, चोर-बाजारी बढ़ गई है । पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ईंट के भट्टे के उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है । उनके लिए प्रति मास 96 रेक कोयले की जगह 25—30 रेक घटिया किस्म का कोयला सप्लाई किया जा रहा है ।

ऐसा बताया जाता है कि कोल इंडिया और रेलवे में समन्वय के अभाव के कारण यह संकट उत्पन्न हुआ है । अतः मैं दोनों सम्बन्धित मंत्रियों से अनुरोध करता हूं कि वे सभा को यह संकट तत्काल समाप्त करने का आश्वासन दें ।

***कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

***Not recorded.

(दो) टायरों और ट्यूबों के मुल्यों में वृद्धि के कथित समाचार

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : टायर निर्माताओं ने सभी प्रकार के टायरों और ट्यूबों के मूल्य बढ़ा दिये हैं तथा उपभोक्ताओं को प्रचलित मूल्य से 16 से 18 प्रतिशत तक अधिक मूल्य देना पड़ेगा। फायरस्टोन, गुड इयर, डनलप और सीएट जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने स्थानील छोट निर्माताओं की तुलना में मूल्य बढा दियें हैं।

उद्योग द्वारा पिछली बार मूल्य बढ़ाये जाने के बाद दो महीने की अवधि के भीतर ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा यह मुल्य निर्धारण किया गया। इसका छोटे व्यापारियों पर प्रभाव पड़ेगा। यह सारा षड़यंत्र 19 मार्च, 1978 को रचा गया। सरकार को दृढ़तापर्वक कार्यवाही करनी चाहिये और 1 मार्च, 1978 को जो मूल्य थे उसके हिसाब से मूल्य स्थिर करने चाहिये।

(तीन) भावनगर में रि-रोलिंग उद्योग को इंडेन गैस सिलैंडरो की सप्लाई

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र भावनगर मुख्यालय स्थित रि-रोलिंग उद्योग के छोटे एककों को इंडियन आयल कारपोरेशन के बम्बई कार्यालय ने सूचित किया था कि 'कटिंग' प्रयोजनों के लिये एल० पी० जी० के उपयोग को बंद कर दिया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस कार्यवाही की पिछली सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने पहल की थी।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह पिछली सरकार के इस निर्णय पर पुनर्विचार करे।

1975 में जब इस मंत्रालय ने 'कटिंग' प्रयोजनों के लिये इंडेन गैस के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था तब रि-रोलिंग उद्योग इतनी बुरी हालत में नहीं था।

एसीटिलोन गैस का मूल्य इंडेन गैस से 15 गुना अधिक है।

छोटे रि-रोलरों को घाटे में रखकर गैस निर्माताओं को जो संरक्षण दिया जाता है वह उचित नहीं है।

भावनगर में (सभी प्रयोजनों के लिये) लगभग 8000 सिलिंडरों की खपत में से रि-रोलिंग उद्योग को प्रति मास लगभग 100 सिलिंडरों को आवश्यकता होती है।

मंत्री महोदय ने इस का आश्वासन दिया है।

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : यदि केवल 100 ही सिलिडरों की आवश्यकता है तो मैं इस व्यवस्था को बहाल करवा दूंगा। इससे अधिक के लिये वचन नहीं देता।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : धन्यवाद, श्रीमान।

Kumari Maniben Vallabbhai Patel (Mehsana): There have been complaints from Anand and Ahmedabad regarding non-availability of cooking gas.

Shri H. N. Bhauguna: This is a separate matter, I shall collect information about it.

Shri Surendra Bikram (Shahjehanpur): I had also given notice under Rule 377. What happened to that?

Mr. Chairman: That is not in to-day's agenda. Please see it tomorrow.

श्री साठे—अनुपस्थित। श्री सोमसुन्दरम—अनुपस्थित। अब हम अगला कार्य लेते हैं।

सामान्य बजट--अनुदानों की मांगें---जारी

GENERAL BUDGET--DEMANDS FOR GRANTS

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय

सभापति महोदय : अब सभा पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय से सम्बद्ध संख्या 69 से 71 तक की मांगें विचार एवं मतदान के लिय लेती हैं ।

जो माननीय सदस्य पहले ही परिचालित अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहें, वे 15 मिनट के अन्दर कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या बताते हुए टेबल को पर्चियां भेज दें । उन कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया हुआ समझा जायेगा ।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : मैं इस बात पर अपना खेद प्रकट करता हूं कि बजट से जनता की विचारधारा प्रकट नहीं होती है जिसके लिये हमने इतनी आशा कर रखी थी । 'इक्नोमिस्ट' में हाल ही में लेख प्रकाशित हुआ है जिसके अनुसार सन् 2000 ईस्वी तक लाखों ट्रैक्टर और खेती के काम आने वाली मशीने पेट्रोलियम के अभाव में बेकार हो जायेगी और पेट्रोलियम पर आधारित उर्वरकों और कृषि-कार्यों में रुकावट आयेगी ।

सरकार ने ग्रामीण विकास सम्बन्धी अपनी नीति की घोषणा की है । हमें कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देनी है । क्या हम ऐसा कर रहे हैं ? कृषकों द्वारा इस्तेमाल में लाये जाने वाले डीजल, मिट्टी के तेल और कई अन्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए हैं । हम कृषि उत्पादों का मूल्य को नियंत्रित कर रहे हैं परन्तु कृषि में लगने वाली वस्तुओं के मूल्य कम करने की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं । कृषि में लगने वाली प्रमुख सामग्री पेट्रोलियम से बनती है । हम कृषि में सुधार करने के लिये उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं परन्तु उर्वरकों के वितरण की एक समान नीति नहीं है ।

मैं मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि कार्बनिक तथा अकार्बनिक उर्वरकों के सम्बन्ध में समान नीति होनी चाहिये । मैंने हाल ही मे एक समाचार पढ़ा था कि योजना आयोग ने पेट्रोलियम उत्पादन के लिए 90 लाख टन की सीमा निर्धारित की है ।

उस संदर्भ में मंत्री महोदय को कुछ सीमा तक अपने बजट में फेरबदल करने की आवश्यकता पड़ेगी । क्या आज हमारी कीटनाशी पदार्थों सम्बन्धी कोई नीति है ? क्या हमारी ऊर्जा नीति है ? मैं कहूंगा कि 'नहीं है' । हमारी खाद्य सम्बन्धी अनेक समस्याएं कीटनाशी पदार्थों के कारण उत्पन्न हुई है ।

बम्बई के निकट स्थापित किये जाने वाले दो संयंत्रों पर काफी चर्चा हो चुकी है । इनको वहां स्थापित किये जाने के कारणों की हमे पूरी जानकारी है । एक ओर हम ग्रामीण विकास की बाते करते हैं तो दूसरी ओर नगरों के निर्माण कों प्रोत्साहन दे रहे हैं । अधिकांश लोग नगर के जीवन को पसन्द करते हैं क्योंकि वहां उन्हें वे सुविधाएं उपलब्ध होती है जो गांवों में उपलब्ध नहीं होतीं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करना आवश्यक है जिसस लोग उन क्षेत्रों में जाने को आकर्षित हो सकें ।

देश को अशोधित तेल के लिये 1300 करोड़ रुपये की और अन्य उत्पादों के लिये 350 करोड़ रुपये को विदेशो मुद्रा की आवश्यकता होगी। यदि हम उक्त धनराशि पर स्थिर रहें और इसके लिये वैकल्पिक तरीकों का पता लगायें, तो देश की स्थिति अधिक अच्छी होगी।

मंत्री महोदय ने रेजन्वीर टैक्नोलौजो इंस्टीट्यूट के निर्माण और इसको इस वर्ष किसी समय चालू किये जाने की घोषणा की थी। आशा है मंत्रो महोदय इस बारे में हुई प्रगति की जानकारी देंगे।

तेल शोधनशालाओं के कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। देश में कार्य कर रही सब शोधनशालाओं में से गुजरात में स्थित कोयाला शोधनशाला सबसे अधिक सक्षम है। यह आश्चर्य की बात है कि एक तेल शोधनशाला में उत्पादन 95 प्रतिशत है जबकि अन्य तेल शोधनशाला में केवल 82 प्रतिशत है। उक्त अन्तर बहुत अधिक है। यदि उक्त अन्तर गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थित तेल शोधनशालाओं में हो तो गैर-सरकारी क्षेत्र में तेल शोधनशालाओं को स्थापना न कीजाये। मंत्री महोदय को इस बारे में गुण-दोषों के आधार पर कार्यवाही करनी चाहिये। विचारधारा के आधार पर नहीं।

सरकार द्वारा भारतोय उर्वरक निगम को चार एककों में विभाजित करने का निर्णय सराहनीय है। जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा होगी उतनी ही अधिक कार्यकुशलता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को, जिनके खर्च से उक्त उर्वरक संयंत्रों को स्थापना को गई है, अधिक लाभ होगा। किसानों को शिकायत है कि उर्वरकों के पैकिंग पर मार्का तथा निर्माण को तारीख नहीं होती और उर्वरक की क्षमता और शक्ति में गिरावट आ रही है और इसके बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं है। उर्वरक को बिक्री अन्य वस्तुओं की भांति की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी समस्या हल करने के लिये स्वयं ध्यान देना होता है। मिट्टी और जल को परीक्षण को उचित व्यवस्था नहीं है। उक्त सुविधाओं की कब तक व्यवस्था की जायेगी, जिससे किसानों को अनावश्यक व्ययन करना पड़े। फसल को समय आरम्भ होने से पूर्व उर्वरक और कीटनाशी दवाइयों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

उर्वरकों के मूल्यों में अथवा इसकी उत्पादन लागत में कमी की जानी चाहिये। मंत्री महोदय ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारो दी थी कि लागत मूल्य में कमो किये जाने के कार्य चल रहे हैं और इस बारे में कुछ प्रौद्योगिको जांच चल रहा है।

नकलो कीटनाशी दवाइयां बेचने पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस बारे में कोई स्तर निर्धारित नहीं है। पता नहीं भारतोय मानक संस्थान इस बारे में कहां तक सफल होगा। कीटनाशो दवाइयों के मूल्य, उपलब्धता, शक्ति और उनको गुणकारिता पर ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि निर्धन किसान खरोद केन्द्र पर मुंह मांगा मूल्य देकर सेल्समैन द्वारा बताई गई कोई भी कोटनाशो दवाइयां खरीद लेता है। औषध व्यापार में बड़ो घोटाला है। औषध के प्रयोग से किसी भी व्यक्ति को भारी हानि हो सकती है। दुर्भाग्यवश औषध निर्माताओं और डाक्टरो के बीच समझौता है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। औषध व्यापार में सर्वप्रथम ब्रांड नामों को समाप्त किया जाना चाहिये। जब किसी औषध को ब्रांड नाम दे दिया जाता है, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है।

आयुर्वेदिक अथवा यूनानी औषधियों को कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अनेक आश्चर्यजनक कही जाने वाली औषधियां वास्तव में आश्चर्यजनक अथवा नई नहीं हैं। काश्मीर में हुनजाज, रूस

[श्री डी० डी० देसाई]

में कज्राक्स और दक्षिण अमरीका की पहाड़ियों में कुछ ऐसी जातियां हैं जो 100 वर्ष तक खुशहाली का जीवन बिताती है और औषधियों का सेवन नहीं करती। उनको कोई बिमारी नही होती। वहा प्रचलित औषधियो के सेवन से मृत्यु को टाला जा सकता है। लेकिन यह कोई श्रेयस्कर बात नहीं है। आवश्यकता ऐसे स्वस्थ व्यक्तियों को है जो काम कर सकें।

माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत विवरण से मैं अधिकांश तया सहमत हूं। लेकिन हाथी समिति द्वारा की गई अनेक सिफारिशां से मैं सहमत नहीं हूं। हाथी समिति का कार्य आशानुकूल नहीं रहा। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो देश के लिये घातक हो। वास्तव में अधिकांश सदस्यों ने राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की है। जब यह कहा जाता है कि वर्ष 1982 तक हमें 1,900 करोड़ रुपये के फार्म्यूलेशन और 550 करोड़ रुपये की 'बल्क' औषधियों की आवश्यकता होगी तो यह आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। उक्त प्रयास और पूंजी निवेश नितान्त अनावश्यक है। हम इसको बचत कर सकते है क्योंकि प्रत्येक घर में, विशेषकर भारत में, फार्मेली है। समस्त देश में कुकिंग गैस की कमी है। इस समस्या को हल किया जाना चाहिए। सरकार को ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र के प्रति सहानुभूति होनी चाहिये।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध म निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गये

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
71	7	श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे	महाराष्ट्र तट पर बम्बई हाई से प्राकृतिक गैस पर आधारित प्रस्तावित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
69	8	श्री ए० के० राय .	सिन्द्री (बिहार) में सहयोगात्मक वैज्ञानिक व्यवसाय परियोजन चलाने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दीं जाय।
	9	श्री ए० के० राय	भारतीय उर्वरक निगम के आयोजना तथा विकास डिवीजन में उपलब्ध देश के विशेषज्ञों का उपयोग किये बिना उर्वरक उद्योग द्वारा विश्व बैंक इत्यादि से विदेशी सहायता पर अधिकाधिक निर्भरता।	--,,--

1	2	3	4	5
	10	श्री ए० के० राय .	कृषकों को उर्वरक सुलभता से उपलब्ध कराने के लिए इसके मूल्य कम करने में असफलता ।	राशि घटा-कर 1 रुपया कर दि जायें।
	11	श्री ए० के० राय .	संसद की उपेक्षा करके भारतीय उर्वरक निगम को दो भागों में विभाजित करना ।	--,,--
	12	श्री ए० के० राय .	उत्तरी बंगाल के पिछड़े कृषि-सह-चाय बागान क्षेत्र में उर्वरक कारखाने की स्थापना करने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 100 रुपये घटा दी जायें।
	13	श्री ए० के० राय	देश में लघु उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता ।	--,,--
	14	श्री ए० के० राय .	सिन्द्री में आधुनिकीकरण संयंत्र के निर्माण में व्याप्त कदाचार ।	--,,--
	15	श्री ए० के० राय .	सिन्द्री कारखाने के तकनीकी पर्यवेक्षकों जो एक उद्योग में पदोन्नति का एक ही चैनल बनाने की लम्बे अर्से से चली आ रही मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं, की मांगों पर विचार करने की आवश्यकता ।	--,,--
70	16	श्री के० ए० राजन .	बंगाल इम्युनिटी कम्पनी लिमिटेड को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने की आवश्यकता ।	--,,--
	17	श्री के० ए० राजन .	कोचीन शोधनशाला विस्तार परियोजना को आरम्भ करने की आवश्यकता ।	--,,--
	18	श्री के० ए० राजन .	कोचीन में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने की आवश्यकता ।	--,,--
	19	श्री के० ए० राजन .	कोचीन तृतीय चरण उर्वरक कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता ।	--,,--
	20	श्री के० ए० राजन .	औषध उद्योग सम्बन्धी हाथी समिति प्रतिवेदन को अविलम्ब क्रियान्वित करने की आवश्यकता ।	--,,--

1	2	3	4	5
69	25	श्री रेणुपद दास .	बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुकाबला करने के लिये कठोर कदम उठाने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
	26	श्री रेणुपद दास .	हाथी समिति द्वारा दिये गये सुझावों के अनुरूप आवश्यक औषधियों के मूल्य नियंत्रन फार्मूले को क्रियान्वित करने में असफलता ।	--,,--
	27	श्री रेणुपद दास .	पश्चिम बंगाल में हल्दिया में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने में असफलता ।	--,,--
	28	श्री रेणुपद दास .	मिट्टी के तेल का मूल्य कम करने में असफलता ।	--,,--
	29	श्री रेणुपद दास .	हाथी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में असफलता ।	--,,--
	30	श्री रेणुपद दास	हाथी समिति के सुझावों के अनुरूप राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण को स्थापना में असफलता ।	--,,--
	31	श्री रेणुपद दास ..	खाद्यान्न के अनुरूप औषधियों के उत्पादन और वितरण में असफलता ।	--,,--
	32	श्री रेणुपद दास .	व्यक्तियों, उपकरणों और वस्तुओं के उदारतापूर्वक आबंटन द्वारा सरकारी क्षेत्र की सभी औषध निर्माण एककों को अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता ।	--,,--
	34	श्री रेणुपद दास	पश्चिम बंगाल के मध्यम तथा छोटे कारखानों को कम मूल्य का स्वदेशी पैराफीन मोम आबंटित करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
	35	श्री रेणुपद दास	कलकत्ता में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड के प्रस्तावित मुख्यालय को स्थापित करने की आवश्यकता ।	--,,--

1	2	3	4	5
69	36	श्री रेणुपद दास .	पश्चिम बंगाल में समुद्र तट पर तथा समुद्र तट से दूर तेल के खोज के लिये खुदाई हेतु स्थानों का चयन करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये।
	37	श्री रेणुपद दास .	दूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों और त्रिपुरा में राज सहायता प्राप्त दरों पर मिट्टी का तेल सप्लाई करने की आवश्यकता।	--,,--
	38	श्री रेणुपद दास .	कई बेकार विटामिनों तथा अल्कोहल वाले टानिकों के दुरुपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाने में असफलता।	--,,--
	39	श्री रेणुपद दास .	बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कतिपय औषधियों के लिये बहुत अधिक मूल्य लेने के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता।	--,,--

श्री० के० एस० चावड़ा (पाटन) : श्रीमन्, सामान्य रूप से इस मंत्रालय का कार्यकरण संतोषजनक है। श्री डो० डो० देसाई ने औषधों के ब्रांड नाम समाप्त करने का सुझाव दिया है। नई औषध नोति के अन्तर्गत पांच औषधों के ब्रांड नाम समाप्त करने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। हाथी समिति ने भी 13 औषधों के ब्रांड नाम बदलने की सिफारिश को है तथा सरकार ने बड़ा औषधो के नाम समाप्त करना शुरू कर दिया है। अनुभव के अनुसार सरकार आगे भी कार्यवाही करेगी।

बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय औषध फर्मों के कार्यकरण की काफ़ी चर्चा यहां सभा में तथा बाहर होने लगी थीं तब सरकार ने उनके बारे में विचार करने के लिये तथा अपनी सिफारिशें देने के लिये हाथी समिति की नियुक्ति की थी। वे तत्संबंधी अधिनियमों का उल्लंघन कर रही थीं तथा केवल फार्मूलेशन बनाकर ही भारी मुनाफा कमा रही थीं और उस मुनाफ़े को बाहर विदेशों में भेज रही थी। परन्तु उन्होंने अनुसंधान तथा विभाग कार्य पर कोई पूंजी निवेश नहीं किया। उनको गतिविधियों को सुनियमित करने के उद्देश्य से ही हाथो समिति की नियुक्ति की गई थी।

पिछली सरकार हाथो समिति को सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं ले सकी। यह काम जनता सरकार ने आकर किया और तदनुसार जो नई औषध नीति श्री बहुगुणा जी ने घोषित की है वह उत्तम युक्तिसंगत तथा सुदृढ़ है।

मेरा सुझाव है कि जो मदें लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित कर दी जायें उनके निर्माण के लिये तकनीकी विकास महानिदेशालय अथवा उससे सम्बद्ध या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त एककों को लायसेंस नहीं दिये जाने चाहिये। अत: परिशिष्ट एक में पृष्ठ 6 पर क्रम संख्या 15 में शुद्धि की जानी चाहिये। उसी पृष्ठ पर मद संख्या 6 में सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकी की आयात करने की अनुमति दी गई है। इससे अच्छे फल प्राप्त हो रहे हैं परन्तु इसका अंधाधुंध आयात नहीं किया जाना चाहिये। साथ ही प्रगति पर भी निगाह रखी जानी चाहिये।

[श्री के० एन० चावडा]

मद संख्या 11 के अन्तर्गत देशींय औषधों तथा आयातित एवं केनेलाईज्ड बधंक औषधों की खपत में 2:1 के अनुपात को हटा दिया जाना चाहिये क्योंकि इस प्रतिबंध के कारण गैर सरकारी क्षेत्र का निवेश देने मैं बाधा आ रही है और 5वी पाँच वर्षीय योजना के प्रावधान के अनुसार मद केवल 80 करोड़ रुपये ही रहा। दूसरे इस उपबंध के कारण नये औषध नहीं आ पायेंगे। अतः 2:1 के अनुपात संबंधी उपबंध को समाप्त किया जाये। ऐसा करने पर मद संख्या 13 भी अनावश्यक ही जायेगी।

पृष्ठ 7 पर मद संख्या 14 के संबंध में पंजीकरण को समाप्त किया जा रहा है। मद पंजीकरण भारतीय क्षेत्र के लिये था, विदेशो क्षेत्र के लिये नहीं। अतः इस योजना को समाप्त करना वाँछनीय न होगा। यदि सरकार बधक औषधो पर नियंत्रण रखना चाहती है तो जहाँ उत्पादन काफी है वहाँ फार्मुलेशनों को इस क्षेत्र तथा सरकारीं क्षेत्र दोनो के लिये केनेलाईज किया जाये।

पृष्ठ 8 पर मद संख्या 14 के अन्तर्गत मैं कहना चाहूंगा कि औषध मध्यवर्तियों पर सूक्ष्म नियंत्रण किया जाना चाहिय वरना विदेशा क्षेत्र देश को लूट लेगा।

मद संख्या 15, पृष्ठ 9 के अन्तर्गत, विदेशा फर्मों को पूंजी में कमीं करने के काम में आनेवाली कानूनी बाधाओं को दूर किया जाना चाहिये। इसके लिये कर्मचारियों कीं संख्या तथा संयंत्र और उपकरणों पर पुंजो निवेश को महत्व नहीं दिया जाना चाहिये।

पैरा 17 सही नहीं है। मद संख्या 28 के समक्ष इसमें 'कुल' बधक औषध उत्पादन के स्थान पर 'शष' बधक औषध उत्पादन अभिप्रत होना चाहिये।

पैरा 18 में, विदेशीं कम्पनियो के लिये "कम्पनी" आपने उसे माना है जिसको प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से 40 प्रतिशत विदेशी इक्विटी हो। यहीं मानदण्ड विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के लिये भो होना चाहिये। मगर वहाँ तो आपने प्रत्यक्ष विदेशो इक्विटी की बात कही है।

पैरा 27.3 के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यदि सरकार नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही करना चाहती है तो अधिक उत्पादन को नियमित करने की क्या आवश्यकता है। यह समझ में नहीं आता।

पृष्ठ 12 पर मद संख्या 38 में भो उत्पादन का स्तर 31 मार्च, 1977 कीं बजाय मार्च, 1973 से लिया जाना चाहिये।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर विचार करेंगे। मध्यवर्ती औषधों के मूल्य पर नियंत्रण रखा जाना चाहिये। साथ ही नई औषध नोति को सही भावना से क्रयान्वित किया जाना चाहिये।

Shri Dharmasinhbhai Patel (Porbandar): Sir, I rise to support the Demands for Grants. The production of Crude oil in the country would be 127 lakh tonnes in 1978-79 as against 101 lakh tonnes in 1977-78. This increase is quite commendable. An increase of 347 lakh cubic meter tonnes in the national gas production is also very heatening. Similarly there would be appreciable increase in the production of fertilizers too in 1978-79.

Indian Oil corporation is doing the job of refining the imported oil and also of marketing the refined oil, as well as chemical and petroleum products.

There are four refineries in the country and one more refining is being set up at Mathura. The plant at Koyali is being expanded and work is going on for connecting Mathura with Koyali-Ahmedabad pipe-line.

Now I would like to draw hon. Minister's attention to the fact that the prices of fertilizers are increasing. Prices of Ammonia, Urea D.A.P. etc. have increased during these years. Similar is the case of diesel and crude oil. In the fact of paucity of power I would request the hon. Minister to reduce the prices of diesel and crude oil to some extent.

Government of Gujarat have requested the Centre for an increase in royalty for Rs. 42 to Rs. 200 per tonne on crude oil. Centre should consider it sympathetically. Also the suggestion of the Government of Gujarat in respect of maximum transportation of crude oil and gas should be considered carefully and urgently. The State Government has also requested for priority in the allotment of gas for the chemical fertilizer factories and the State Government should be helped in view of the national priorities fixed in respect of foodgrains and power. The Prime Minister has assured that the demand of Gujarat for gas would be met by the middle of 1979 for that the Government of Gujarat has already sent a list of items needed.

With these words I conclude.

श्री पी० वी० जी० राजू (बोबिली) : बम्बई हाई में जो काम हुआ है उसके लिए मैं मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं। भूकंपीय सर्वेक्षण के आधार पर पिछले एक वर्ष से बम्बई हाई का विकास किया गया है। एक पत्रिका के अनुसार हम प्रत्येक वर्ष 10,500,000 टन पेट्रोलियम का उपयोग कर रहे हैं और आगामी वर्ष यह 12,700,000 टन होगी। उक्त पत्रिका के अनुसार हमें प्रति वर्ष 1,600 करोड़ रुपये मूल्य का तेल आयात करना पड़ता है। हमें भूकंपीय सर्वेक्षण पर ज्यादा जोर देकर देश में ही तेल की खोज करनी चाहिए।

प्रतिवेदन के पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि वर्ष में केवल 25 भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत की ओर मुड़ रही है तथा आसाम में भारी मात्रा में तेल मिलता है। पश्चिम बंगाल, आसाम, और बंगलादेश में उसे हाल के सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि वहां तेल और गैस के भण्डार हैं। आश्चर्य की बात है कि पंजाब से बंगाल तक के लगभग 2,000 मील के क्षेत्र में गत वर्ष केवल एक सर्वेक्षण कराया गया है। गंगानदी की घाटी में किया गया यह सर्वेक्षण नितांत अपर्याप्त है।

सऊदी अरब तथा मध्य पूर्व के देशों में तेल के लिये 25,000 फुट तक खुदाई की जाती है जबकि हमारे यहां केवल 5,991.62 फुट तक खुदाई की जाती है। उन देशों की तुलना में हमारे देश में कुओं की खुदाई बहुत कम निचाई तक की जाती है। हमारे देश में गत वर्ष केवल 59 कुओं की खुदाई की गई जबकि यूरोप में 608 कुएं खोदे गये। अतः मेरा सुझाव है कि हमें वर्ष में कम से कम 200 कुएं आवश्य खोदने चाहिये।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि गुजरात में तेल और प्राकृतिक गैस मिली है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान में भी बड़ी मात्रा में तेल और गैस प्राप्त होगी क्योंकि गुजरात और राजस्थान दोनों मिले हुए हैं तथा राजस्थान का सम्पूर्ण रेगिस्तान क्षेत्र समुद्री पट्टी के ऊपर है। यदि राजस्थान में 15,000 से 20,000 फुट नीचे तक खुदाई की जाये तो वहां अवश्य तेल मिलेगा।

[श्री पी० वी० जी० राजू]

मेरे निर्वाचन क्षेत्र विजयनगरम से लगभग 12 मील दूर रामतीर्थम मंदिर है जहां 1965 या 1966 में भूकम्प आया था। कहा जाता है कि जहां पैट्रोलियम होता है वहां भूकम्प आता है। मेरा सुझाव है कि वहां भूकम्पीय सर्वेक्षण कराया जाये। उससे मुझे भारी संतोष होगा तथा यह भी ज्ञात हो जायगा कि वहां तेल है अथवा नहीं।

श्री यशवंत बोरोले (जलगाँव) : मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने हाथी समिति की मुख्य सिफारिशो को क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया है। यदि इसमें निहित मुख्य सिद्धान्तों, अर्थात् अधिक उत्पादन, उचित दर पर माल की उपलब्धि, आत्म निर्भरता और सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता, को क्रियान्वित किया गया तो औषध उद्योग का अवश्य विकास होगा।

हाथी समिति के प्रतिवदन में परोक्ष रूप से यह सुझाव दिया गया है कि बहुराष्ट्रीय फर्मों का सरकारीकरण किया जाये। इन फर्मों ने केवल मुनाफाखोरी के बल पर अपनी पूंजी मैं बहुत अधिक वृद्धि की है तथा ऐसा वे इसलिये करने में समर्थ रही है कि उन्हें बहुत अधिक सुविधाएं दी गई है।

उन फर्मों ने बहुत से फार्मुलेशनों का उत्पादन किया है जिनके लिये उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। मूल्य निर्धारण के मामले में भी उनको बहुत फायदा पहुंचाया गया है। भारतीय फर्म द्वारा उत्पादित औषधि का मूल्य जहां 16 पैसे निर्धारित किया गया है वहीं मे एण्ड बेकर नामक विदेशी फर्म द्वारा उत्पादित उसी औषधि का मूल्य 60 पैसे निर्धारित किया गया है। लगभग 22-23 फार्मुलेशनों के उत्पादन की भारतीय फर्मों को इजाजत ही नहीं दी गई।

क्षमता को नियमित किये जाने के बारे में पृष्ठ 10 पर यह सिफारिश की गई है कि सी० ओ० बी० लाइसेंस पर आधारित क्षमता से अधिक उत्पादन को नियमित किया जाये। यह परस्पर विरोधी बात है। यदि किसी नियम का उल्लंघन किया गया है तो उस उल्लंघन को नियमित किस प्रकार किया जा सकता है। उन फर्मों ने कई नियमो का उल्लंघन किया है किन्तु सरकार उन्हें दण्ड देने के बजाय उस अवैध कार्य को नियमित कैसे कर सकती है। इन विदेशी फर्मों ने अनेक नियमों और कानूनों का उल्लंघन अधिकारियों की साँठ-गाँठ से किया था। अधिकारियो ने सरकार के आदेशों का उल्लंघन करके विदेशी फर्मों को लाभ पहुंचाया। उदाहरण के लिये राजनीतिक स्तर पर यह आदेश दिये गये थे कि इटली से तकनीकी जानकारी न खरीदी जाये। किन्तु इस आदेश का पालन नहीं किया गया। अत: मेरा अनुरोध है कि जो भी नीति निर्धारित की जाये उसका पालन सही ढंग से किया जाये तथा इसके लिये इन समितियों को आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में यह सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो तथा इन सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में सरकार पूर्ण रूप से सावधान रहे।

उर्वरक एक ऐसी वस्तु है जो खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन आती है किन्तु यह रसायन मंत्रालय से भी सम्बद्ध है। भूमि में उर्वरकों के उपयोग से 10--15 वर्ष में भूमि पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है। अतः इस बात को ध्यान में रखकर उर्वरक उत्पादन में वृद्धि के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये। मेरा सुझाव है कि सरकार को अन्य खाद के उपयोग के बारे में विचार करना चाहिये जिससे भूमि अधिक उपजाऊ बनी रहे। अतः सरकार को इस दृष्टि से कोई दीर्घावधि कायक्रम तैयार करना चाहिये।

***श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर)** : हाथी समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। परन्तु यह दुख की बात है कि सरकार ने विदेशी औषध कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। कल एक केन्द्रीय मंत्री बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वकालत कर रहे थे उन्होंने रूस और वियतनाम के उदाहरण दिए जहां ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्य कर रही हैं परन्तु हम दूसरी ओर चिल्ली का भी उदाहरण ले सकते हैं जहां ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकार पर राजी होकर उसका तख्ता पलट सकती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इन कंपनियों पर अपना नियंत्रण रखे ताकि ये कंपनियां देश के कानूनों के अन्तर्गत कार्य करें और केवल अपना ही हित न देखें।

श्री बहुगुणा के नेतृत्व में उनके मंत्रालय ने जो प्रगति की है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। अशोधित तेल के उत्पादन में पहिले की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। उर्वरकों का उत्पादन बढ़ा है। यही स्थिति औषधियों की है। औषधियों के लिए नियुक्त कार्यकारी दल ने 1978—83 के लिए एक पंचवर्षीय योजना तैयार की है जिसमें 400 करोड़ रुपये के कम का अनुमान लगाया गया है। सरकार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर न रहकर स्वयं पूंजी निवेश करना चाहिए। औषधियों के उत्पादन में पूंजी निवेश उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अनाज के उत्पादन में। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि :—

1. औषध के उत्पादन और वितरण में सरकारी क्षेत्र अधिकाधिक भाग ले।
2. विदेशी औषध कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाये।
3. विदेशी कंपनियों की साम्य पूंजी को कम किया जाये।
4. औषध उद्योग में किसी भी नई बहुराष्ट्रीय कंपनी को अनुमति न दी जाये।
5. इन संगठनों द्वारा अर्जित धन को वापिस इसी उद्योग में लगाया जाये।
6. उनको ऐसे छोटे और मध्यम उद्योगों में प्रवेश की अनुमति न दी जाये जिनको सरकार वित्तीय तकनीकी सहायता देती है।

बंगाल की खाड़ी में तट दूर तेल के अच्छे भंडार है। इस क्षेत्र की खोज करने से भारत की तेल की स्थिति बदल सकती है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल का खोज कार्य आरम्भ किया है। गाडियां बर्दवान और 24 परगना में ड्रिलिंग का कार्य चल रहा है। कुछ स्थानों में ड्रिलिंग का कार्य रोक दिया गया है। मैं समझता हूं कि कम से कम 5000 फुट की गहराई तक ड्रिलिंग करने के बाद ही तेल के बारे में कुछ भविष्यवाणी की जा सकती है परन्तु यहां थोड़ी ड्रिलिंग करने के बाद काम को छोड़ दिया गया। ड्रिलिंग अपेक्षित गहराई तक की जानी चाहिए और इसके अतिरिक्त ड्रिलिंग का कार्य अन्य स्थलों पर भी किया जाना चाहिए।

मिट्टी के तेल के मूल्य और वितरण संबंधी नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का प्रयोग रोशनी करने और खाना बनाने में होता है। परन्तु मिट्टी का तेल महंगा होने के कारण वहां के लोगों में इसे खरीदने का सामर्थ्य नहीं होता है। इसके अलावा

*मूल बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

* Summarised translated versions based on English transiation of the speech delivered in Bengali.

[श्री रेणुपद दास]

एसे क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की सप्लाई बड़ी अनियमित है। इस संबंध में सरकार को कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार से मेरी अपील है कि वह मिट्टी के तेल को पर्याप्त मात्रा में राजसहायता दे जिससे लाखों निर्धन लोग उसे खरीद सकें।

मथुरा तेल शोधक कारखाने में कुछ हजार श्रमिक ठेके पर कार्य कर रहे हैं। इनकी दैनिक मजूरी बहुत ही कम है इसलिए इन श्रमिकों ने यूनियन बनाकर अपनी मजूरी बढ़ाने आदि की मांगों के लिए 17, 18 और 20 मार्च को हड़ताल की थी। दुख की बात है कि इनकी मांगों के प्रति सहानुभूति-पूर्ण रवैया अपनाने के बजाय प्रबंधकों ने श्रमिक नेताओं की छंटनी कर दी है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस मामले में रुचि लेकर समस्या का हल निकालें। यह तेल शोधक कारखाना एक महत्वपूर्ण संस्थान है जिसे असंतुष्ट श्रमिक विकास की दिशा की ओर नहीं ले जा सकते हैं।

सरकार ने प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण हेतु भारतीय उर्वरक निगम और नैशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को चार कंपनियों में पुनर्गठित करने का निर्णय किया है। इनमें से एक कंपनी हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटिड है जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है। ऐसा सुनने में आया है कि इस मुख्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा रहा है। इससे अनेक क्षेत्रों में स्वभावतः चिन्ता उत्पन्न हो गई है। मेरा अनुरोध है कि इस मुख्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित न किया जाये क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में अन्य कोई स्थान कलकत्ता के समान सुविधाएं नहीं दे सकता है।

पूर्वी क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए दुर्गापुर में उर्वरक काम्पलैक्स का विस्तार किया जाना आवश्यक है। सरकार ने बंगाल केमिकल्स लिमिटेड को अपने नियंत्रण में लेकर अच्छा काम किया है। मुझे आशा है कि इसका राष्ट्रीयकरण किया जायेगा।

प्रबंधकों के कदाचारों के कारण बंगाल इम्युनिटी लिमिटिड घाटे पर चल रही है। जीवनरक्षक औषधियां बनाने वाली यह एक महत्वपूर्ण कम्पनी है। इसको बंद करने का विचार किया जा रहा है। सरकार को इसे ऋण न देकर इसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिये।

हल्दिया में पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना से विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे। हल्दिया में इसके लिए मूलभूत आवश्यकताएं विद्यमान हैं। यहां तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिए 1,000 एकड़ भूमि नियत की गई है। यह उर्वरक के लिए नेफ्था का उत्पादन करेगा और इसमें 20,000 टन पेट्रोल का शोधन होगा। पेट्रो-रसायन उद्योग समूह से मिदनापुर का आर्थिक पिछड़ापन दूर होगा। सरकार को इस ओर सहानुभूति दिखानी चाहिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी बहुत अधिक है और इस उद्योग की स्थापना से लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा।

Shri Kalyan Jain (Indore): Mr. Chairman, I support the demands. But I want to know at what rate contract for the third phase of Bombay High offshore drilling was given to a French Company on 6th April, 1973? To my knowledge the contract rate was 17 million U.S. dollars whereas an another company was ready to undertake this work at the rate 4 millions dollars. Thus the Government had suffered loss of 13 million dollors. Although it was done during the last regime but you were Minister of the Ministry at that time. This position may be clarified so that different kinds of rumours may be set at rest.

Multinational companies engaged in the manufacturing of drugs are looting the country. They manufacture drugs beyond their capacity and are smuggling goods into the country. They prepare wrong and false bills. This complaint should also be looked into companies like Phifzer Ltd. are making huge profits. The activities of multinational companies should be got enquired into by C.B.I. or same Parliamentary Committee. These companies smuggle drugs, sell them at high rates and manufacture beyond their capacity. Multinational drug companies are making a loot in our country. They are manufacturing drugs in excess of their capacity, they smuggled drugs and sold them at exploitant prices. CBI should be asked to inquire into these things and expose the scandal, involving crores of rupees. A Parliamentary Committee should also be constituted for looking into the working of these companies.

The Government have allowed export Houses to import even restricted items. The export Houses sell these materials to small factory owners at much higher price than the one they paid. The matter should be enquired into.

The Government have taken certain welcome decisions on the recommendations of the Hathi Committee. The decision to ask the multinational companies to dilute their equity to 40 percent is good. But there are certain deficiences in the Governments drug policy. Research products have been given exemption. The multinational will import things in the name of research and exploit the people of this country. The research products should only be handled by IDPL.

The Government have decided to abolish brand names for five drugs. More brand names should be abolished.

The prices of certain medicines are very high inspite of the fact that the Drug Price control order is inforce. The Government should ensure availability of drugs at reasonable prices.

The Government is setting up a fertilizer factory at Kerala. Already they have spent Rs. 20 crores. But no provision has been made in this year's budget for this factory. It is not proper to slow down the work on this project. The Government should complete the project as early as possible. The Minister should nationalise private fertilizer factories, multi-national drug companies and Assam oil company. This step would be in national interest.

People are not getting cooking gas connections. Steps should be taken to give more and more connections to the people. At present, it is very difficult to get gas on transfer tokens. The Government should issue instructions to all the distributors to supply gas on transfer tokens.

There should be ceiling on alloting gas connections to a distributor. No distributor should be given more than one thousand connections. This step would provide employment to more people.

The price of Kerosene oil is very high. It should be reduced to provide relief to the common people.

The commission for Petrol Pumps has not been increased for years or there had been only nominal increase, although price of Petrol and diesel has gone up considerably. More commission should be allowed to petrol pumps.

Superiors drugs are being sold in the market. Effective steps should be taken to check the sale of spurious drugs.

11—120 एल०एस०एस० (नई दिल्ली)/78

श्री एम० विश्वनाथन (तिरुत्तूर) : मैं पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह दक्षिण की ओर भी थोड़ा ध्यान दें। कावेरी डेल्टा के मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि सरकार अमरिका अथवा अन्य किसी देश से मशीनें मंगायेगी तथा इस बात का पता लगाया जा सके कि कावेरी डेल्टा में तेल उपलब्ध है कि नहीं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को सर्वेक्षण के लिये जो राशि आबंटित की जाती है वह देश के आयातित अशोधित तेल के मूल्य की तुलना में बहुत कम है। हमें तेल का आयात बन्द करना चाहिये और देश में तेल की खोज के लिये सर्वेक्षण करने चाहिये, लद्दाख तथा नेफा सीमा पर और अन्य क्षेत्रों में तेल का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण बढ़ाये जाने चाहिये। पांच वर्ष के पश्चात भी हमें तेल के आयात की आवश्यकता होगी और हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकेंगे। हमें तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिये प्रयास करने चाहिये। तेल के अभाव में हमारी औद्योगिक नीति निष्फल रहेगी। उर्वरकों का उत्पादन भी तेल पर निर्भर करता है।

दक्षिण के राज्यों में उर्वरक कारखाना लगाया जाना चाहिये। हमें बताया गया था कि दो परियोजनायें स्थापित की जा रही है। एक गुजरात में, दूसरी मध्यप्रदेश में और गुजरात में 150 करोड़ रुपय की राशि का पूंजीनिवेश किया जायगा। मुझे आशा है कि दक्षिण राज्यों में और सर्वेक्षण कराये जायेंगे और उर्वरक कारखाने स्थापित किये जायेंगे।

के० मायातेवर (डिंडिगुल) : मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

देश वर्ष 1947 में स्वतंत्र हुआ और तब से 30 वर्ष तक कांग्रेस दल का शासन काल रहा परन्तु औषधियों के मूल्य दिन-प्रतिदिन बढ़ते रहे है, कभी कम नहीं हुये है। अत: मैं मंत्रीमहोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस दिशा में ध्यान दें।

सरकार ने विदेशी औषधि कम्पनियों के 36.6 प्रतिशत शेयर भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा लिये जाने की अनुमति दी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार हाथी समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। परन्तु क्यों ? सरकार ने प्रतिवेदन की 40 प्रतिशत सिफारिशें स्वीकार कर ली है और 60 प्रतिशत रद्द कर दी हैं। यदि सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली जातीं तो प्रसन्नता होती।

सरकार ने औषधियों पर फुटकर तथा थोक व्यापारियों को 9 से 15 प्रतिशत तक लाभ की अनुमति दी है। मेरा अनुरोध है कि सरकार औषधियों के लागत मूल्य निकाले और उसे 2 से 2½ प्रतिशत तक लाभ की अनुमति दें।

अस्पतालों में औषधियों की चोरी होती हैं और इसमें डाक्टर, नर्सें तथा अन्य कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त पाये जाते है। मैं ऐसा अपराध करने वालों को कठोर दंड देने के लिये संविधान में संशोधन किये जाने चाहियें। यह अपराध समाजविरोधी अपराध है और इसमें शिक्षित व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त होते हैं अत: इसके लिये कठोर दंड की व्यवस्था की जानी चाहिये। बहुमूल्य औषधियां गरीब लोगों को नहीं मिल पाती हैं और इनको प्राप्त करने के लिये ये गरीब लोग जब तक पैसा जटाते है तब तक रोगी मर चुका होता है। अत: गरीब लोगों को ये औषधियां नि:शुल्क प्रदान की जानी चाहियें।

औषधियों में मिलावट भी एक बहुत ही निन्दनीय अपराध है। इससे निरोह लोगो की हत्या होती है। मिलावट करने वालों को कठोर दंड दिया जाना चाहिये। औषधियों में मिलावट को रोकने के लिये कठोर से कठोर कदम उठाये जाने चाहियें।

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): I would like to thank all of them who has shown special interest about this ministry. Shri D. D. Desai is not here. He has stated that the fertilizer industry is a sick child. But I would like to tell him that the sick child was born during the Congress regime.

Secondly, one suggestion has been given that increased use of fertilizers would affect the fertility of land. This is a moot point. In our country consumption of fertilisers is much less as compared to other countries and it comes to average 18 Kgs. per hectare. The fertilisers are not available even for one-fourth of our land. Therefore, the question of fertility of our land being affected does not arise at present.

A demand has been made for setting up more fertiliser factories in Madras or in South. It is our policy to start gas-based factories and setting of such a factory does not appear to be feasible in South. If in future it is possible to start a factory in the South in conformity with this policy the Government would try to do so.

Shri Krishna Chandra Halder (Durgapur): Please speak about Durgapur Fertiliser expansion.

Shri Janeshwar Mishra: Strike is still continuing in Durgapur Factory. Before the expansion of the fertilizer plant, first of all the atmosphere should be improved only then the question can be considered. The Government of Janata Party is determined for the agriculture and rural development and therefore it will try to produce more fertilizers so that development could be achieved in the field of agriculture. Fertilizers industry requires high investment but the employment opportunity are not much in it. From 1 April, Planning and Development Division is going to become an independent engineering organisation and it will be free to develop its own technique.

Fertilizers are produced in three sectors. One is from Government sector, the second one is co-operative sector and the third one is private sector. The Government forms its policy according to the requirements. We have three types of fertilizers—nitrogen, phosphate and potassium. We have to import potassium from foreign countries. In 1977-78, we imported 4 lakhs, 69 thousand tonnes.

In 1977-78, the demand for Nitrogen fertilizers was estimated at 28 lakh, 88 thousand tonnes. We had expected that our production would be about 22 lakh tonnes but due to power shortage and other reasons the production is 20 lakh tonnes. We have to meet the shortfall by imports although our production has increased as compared to last year. Similarly we have to import Phosphatic fertiliser to meet the shortfall. Although imported fertilisers are costly yet we have to import them to meet the demands for fertilizers.

I would like to say clearly and frankly that our fertiliser units are not able to utilize their full capacity. Power shortage and labour troubles are among the reasons for this under utilisation. The other reason is that in

[Shri Janeshwar Mishra]

Durgapur strike continued for 43 days and there was a delay in commissioning the Nangal expansion and Trombay-4 plants.

A number of effective steps are being taken to increase production. captive power plants are being installed to meet the power shortage. A high power Maintenance Committee of Experts has been constituted to deal with the cases of mechanical breakdown. Previously no such arrangement was made in the fertilizers industry.

In the year 1978-79 our production would go up to an appreciable extent as 7 new units will start functioning. The combined capacity of Nitrogen in these 7 units will be 12.91 lakh tonnes. In 1978-79 four units based on fuel oil will also be commissioned. In 1978-79 both the projects based on Associated Gas will be commissioned in Maharashtra and in 1979-80 both the projects would be commissioned in Gujarat.

In the private sector, the grant of extension to Indian Explosives Limited and Nagarjun Fertilizers is under consideration. It is hoped that by taking all these steps we would be able to meet the shortfall of 12 lakh tonnes. We hope to be able to attain self-sufficiency by 1982-83.

Many cut motions have been moved by the members on demands of the Ministry. For both Engineers and Non-Engineers i.e. technical supervisors orders have been issued for "Single channel of Promotion" in Fertilizers Corporation of India. The Board of the corporation has decided that this order will come into force from 1-1-1978.

Shri Kalyan Jain (Indore): Reduce the price of the fertilizers.

Shri Janeshwar Mishra: Janata Party Government has reduced the price of urea by Rs. 100/- per ton after granting a subsidy of Rs. 17 crores.

Shri Kalyan Jain: Excise duty of 35 paise in a rupee still exists. This should be reduced.

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilisers (Shri H. N. Bahuguna): That is all refunded in the subsidy.

Shri Chaturbhuj (Jhalawar): At present the fertilisers which is available has less potentiality.

Shri Janeshwar Mishra: The fertilisers outgoing from the factory is thoroughly tested and no such complaint has been received in this regard.

Shri Chowdhry Balbir Singh (Hoshiarpur): The imported fertilisers is adulterated and it has lost the potentiality due to which the production is less.

Shri Janeshwar Mishra: The fertilisers was imported before the formation of Janata Government. It is also a fact that it has lost its potentiality. We assure that necessary action will be taken urgently and inquiry will be conducted into the whole affair.

Shri Durga Chand (Kangra): The report of the Ministry of Petroleum and Chemicals and Fertilizers has been received late and it is requested that it should be made available 15-20 days in advance. After going through the report we find that good progress has been made so far as petroleum is concerned. In 1977 we had imported 14.15 million tonnes of oil worth Rs. Sixteen hundred crores.

The steps taken by the Government towards on shore and off shore drilling operations are appreciable. Drilling operations in Jwalamukhi area in Himachal Pradesh, which were abandoned earlier, has also been taken up again. As regards on shore drilling operations, I feel that its administration is required to be geared up. For want of adequate facilities, the staff engaged in this work has a feeling of resentment. Remedial measures should be taken in this regard.

The Minister should obtain monthly reports in regard to progress made in drilling operations and the results thereof, in order to avoid any possibility of waste of labour and expenditure. This is a basic thing. Every step is required to be taken to meet this.

It has been said in the Report that oil companies have been restructured and multi-national companies nationalized. Due to competition between these companies, sometimes shortage arises at certain places. The Government should do their administrative integration.

Much experience has undoubtely been gained at the Institute of Petroleum at Dehradum.

The farmers will not be able to buy a bag of fertilizers weighing 50 kg. if it costs 90 or 80. The progres of India depends on availability of fertilizers and electricity to farmers at cheap rates. Basic necessities should be met, no matter if aid from world Bank have to be taken. There is acute shortage of electricity. We have enough potential for power generation. In Himachal Pradesh a survey was conducted to generate 8000 Mega watt electricity from Sutlej and Beas waters but funds are not available. Coordinated efforts should be made to generate electricity first so that fertilizer factories may run.

It is gratifying to note that we have increased indigenous production of drugs in 1976 and 1977. Production of pesticides has also increased. Although the Government are running dispensaries the patients and the poor people are not getting medicines. Medicines should be made available at cheaper rates.

An I.D.P.L. factory should be established in Himachal Pradesh because raw-material is available there. The climate of Kangra District is suitable for insecticide and pesticide factory.

I hope the hon. Minister will do something for the benefit of people of Himachal Pradesh.

श्री ए० के० राय (धनबाद) : राज्य मंत्री महोदय ने कहा है कि हमने नाइट्रोजन का एक लाख टन अधिक उत्पादन किया है। मुझे यह जानकर आश्चर्य है कि वह 5 प्रतिशत उत्पादन वृद्धि से ही इतना गर्व कर रहे हैं जबकि पहले 20 प्रतिशत तक उत्पादन वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उत्पादन ह्रास नियम लागू हो गया है।

[श्री ए० के० राय]

कुछ समय पूर्व मैंने इस मंत्रालय से प्रश्न किया था कि हम किस गति से आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। इसके उत्तर में आंकड़े दिये गये हैं परन्तु मुझे सिंदरी के कार्यकरण के बारे में अन्दरूनी ज्ञान है। वहां के पी० एन्ड डी० एककों में युवा इंजीनियरों तथा प्रौद्योगिकियों में रोष की भावना है। उन्हें राष्ट्र की सेवा करने हेतु नये कारखाने बनाने के लिये उचित भूमिका निभाने का अवसर नही दिया जा रहा है। उन्हें निर्माण कार्य की देख-रेख के अलावा और कोई कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। पी० एन्ड डी० डिवीजन का गठन इसलिये किया गया था कि देश प्रौद्योगिकी के मामले में आत्म-निर्भर हो जाये।

उर्वरक संयंत्रों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण लाभ है। इसका प्रमुख कच्चा माल नाइट्रोजन है। जो हवा में मिलता है। कोयला, पेट्रोलियम और बिजली के उपयोग स नाइट्रोजन तैयार हो जाता है। इसके लिये उत्प्रेरक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिन्हें योजना और विकास डिवीजन में विकसित कर लिया गया है। एक पायलट प्लान तैयार किया गया और ऐसा लगा कि हम आत्म निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं परन्तु विश्व बैंक ने हमारी गति में बाधा डाली। हमारे पड़ोसी देश चीन को देखिए और वहां के उर्वरक कारखाने की यहां के कारखाने से तुलना कीजिए। भारत में इंजीनियरों को मशीन खराब हो जाने पर दूतावास को खबर करनी पड़ती है और विदेशों से विशेषज्ञ आते है क्योंकि मशीनों में विदेशी पुर्जे लगे है। चीन में ऐसा नहीं है। यदि चीन और जापान उर्वरकों के मामले में आत्म-निर्भर हो सकते हैं तो भारत को ऐसा होने में क्या कठिनाई है?

जनता पार्टी के लोग ग्रामोण अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था आदि की बात कर रहे हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Speaker in the Chair.]

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था के लिये उन्हें ठोस आधार पर आधारित उर्वरक कारखाने की आवश्यकता है।

मंत्री महोदय को चाहिये कि वह लघु इस्पात संयंत्रों की तरह लघु उर्वरक सयंत्रों का प्रयोग करें। इस कार्य के लिये आक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन जैसे कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। ये चीजें देश के किसी न किसी भाग में उपलब्ध हैं। उर्वरकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की अपेक्षा देश के भिन्न-भिन्न भागो में लघु उर्वरक संयंत्र स्थापित किये जा सकते हैं।

बम्बई हाई की बातें बहुत आकर्षक लगती हैं परन्तु बम्बई हाई से मिलने वाले पेट्रोलियम से उर्वरक और ऊर्जा की समस्या हल नहीं होने वाली है। हमें कोयले का सहारा लेना पड़ेगा। भारत में घटिया किस्म के कोयले के बहुत भंडार हैं। इसे घटियाँ इसलिये कहा जाता है कि इसका इस्पात कारखानों में उपयोग किया जाता है परन्तु उर्वरक तैयार करने के लिये यह कोयला घटिया किस्म का नहीं है। कोरबा कारखाने को चालू करने में विलम्ब हो गया है। सरकार को योजना में इसे कोई स्थान नहीं है जब कि यह मध्य प्रदेश में कोयला खानों के निकट हीं स्थिती है। सरकार ने रामगुंडम और लालचेर आदि अन्य परियोजनाएं आरंभ कर दो हैं।

मंत्री महोदय को कुछ साहसिक कदम उठाने चाहियें। उन्होंने उर्वरक का विभाजन करना आरंभ कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिये। अन्य वक्ता भी बोलना चाहते हैं।

श्री ए० के० राय : मैं चक्रवर्ती समिति के प्रतिवेदन के बारे में सुझाव देना चाहता हूं जिसमें कोयले से ईंधन तेल, पेट्रोलियम आदि बनाने, अर्थात फिशर ट्रॉयाच प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि जब सरकार कृत्रिम उर्वरक तैयार कर रही है तो उसे 'ऑर्गेनिक वेस्ट' से 'फरमेन्टेशन' उर्वरक तैयार करने का 'विंग' आरंभ करना चाहिये। कृषि अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट और मानव अपशिष्ट से 'बायो-केमिकल' तरीके से उर्वरक तैयार किये जा सकते हैं। इन सुझावों के साथ मैं मंत्री महोदय से इन सब बातों पर विचार करने का अनुरोध करूंगा।

Shri Heera Bhai (Banswara): I congratulate the Minister for the way he has piloted the Ministry, but I would like to caution him that taking care of urban areas, encouragement to capitalism and continued neglect of rural people would not be tolerated. Potency of the fertilizers is diminishing every year and on the other hand its prices are going up. Small farmers and producers are not getting any cooperation. No doubt these big factories have contributed to the rise in production but our population has also increased. So our position has not changed much.

Stress should be laid on the setting up of small factories instead of big factories. Setting up of factories in big cities is not proper as their produce is utilized by farmer. Which causes him unnecessary difficulties and expenses.

To-day the farmer is required to pay exhorbitant prices for fertilizers. Ten years ago 50 kg. bag of urea costed Rs. 56/- whereas now its cost is Rs. 96/- and its black market price is Rs. 125/-. On the other hand only 3 years ago the price of wheat was Rs. 200/- per quintal whereas now its price is Rs. 110/- and at some places it has gone down upto Rs. 80/- also. This situation is favourable for capitalists whereas you should help producers of foodgrains. Unless you help them their position is not going to improve. The prices of fertilizers should be brought down. Farmers have no organisation to support their demands. Such a situation is not conducive to the increase in the production of foodgrains. I would request that fertilizer factories should not be taxed so that farmers get benefit. Steps should also be taken to make available fertilizers to the farmers easily.

Price of Diesel oil is Rs. 1.40 per litre in big cities whereas it is not available easily in small Cities and Districts. This should be made available to farmers. So far as pesticides are concerned their potency has also gone down. This point should be looked into by experts. Medicines are being sold to farmers at exhorbitant prices.

In the end I would request that if you want to increase the production of foodgrains, the prices of fertilizers, as well as Diesel and Mobile should be brought down. 60—80% people of the country depend upon Agriculture. The Government should feel concern for those people.

Shri Ramjiwan Singh (Balia): The Government had promised to abolish excise duty on fertilizers in two phases. It should fulfill its assurance. The prices of urea should be reduced. Today the farmer is not getting benefit by producing foodgrains.

We are not able to make full use of production capacity of our factories. Mechanical breakdowns and electric failures can be understood but human failures should be avoided. The Barauni Fertilizer factory had to shut down due to mechanical failure which was attributed to shedding of electric supply but when an inquiry was conducted it was found that breakdown could have been averted had the Chief Mechanical Engineers been available on the site. This huge loss could have been avoided. Last year also there was some breakdown and the same was also due to negligence.

Barauni Refinery is producing 400 tonnes of Petroleum Coke whereas the capacity of Calcination plant to handle the coke is 200 tonnes. The rest of the quantity is being stored in open. Either the capacity of the plant be expanded or a new plant installed so that the whole quantity is utilized properly. One of the two units producing lubricating oil has been closed since 5-6 years, which was set up at a cost of 5-6 crores of Rupees. I would like to know the reasons for closing it down. I would also like to know the reasons for which the De-waxing and Bitumen units have been closed. Similarly one kerosene Treating Unit is also closed. I would request the hon. Minister to look into these matters.

Workers are prepared to cooperate with the Government but officers cadre does not want the government to run there factories properly. The Government has bifurcated F.C.I. into five units. I would request that these units may not be allowed to set up their headquarters at Delhi.

Urea and Amonium Sulphate are being adulterated with salt and this is affecting the land as well as production. This should be looked into.

A Petro-chemical plant should also be set up at Barauni as per announcement of the government. There is a long standing demand of the people ii this regard.

श्री वयालार रवि (चिरंचिकील) : पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रतिवेदन के पृष्ठ एक पर मंत्रालय के सचिव का नाम का उल्लेख है । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपने मंत्रालय के अधिकारियों को संरक्षण देने में असमर्थ हैं । आपके सचिव की बेइज्जती की गई, उनको गिरफ्तार किया गया परन्तु उनके विरुद्ध कोई मामला नहीं है ।

ऐसा प्रतित होता है कि आप बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के सामने झुक गये हैं । मैं जानता हूं कि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां इतनी शक्तिशाली हैं कि किसी भी मंत्री को अपदस्थ करा सकती हैं । पिछली सरकार के शासन के दौरान श्री के० आर० गणेश के साथ ऐसा ही हुआ । आप अपने साथ ऐसा नहीं होने देना चाहते थे इस कारण उनके सन्मुख आत्म समर्पण कर दिया। हाथी समिति ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को धीरे-धीरे शेयरपूंजी से घटा कर 26 प्रतिशत करना होगा । यदि मंत्री महोदय सदन में यह आश्वासन दें कि एक निश्चित अवधि में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपनी शेयर पूंजी को घटाकर 26 प्रतिशत कर देंगी तो मैं मंत्री महोदय को बधाई दूंगा ।

फीजर कम्पनी का उत्पादन उसकी अधिष्ठापित क्षमता से बहुत अधिक है, किन्तु सरकार उसे रोकने में असमर्थ है । जहां तक उर्वरक का सम्बन्ध है, सरकार को उर्वरक का मूल्य निर्धारित करते समय कृषि उत्पादों के मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिये । वर्तमान सरकार भी ऐसा नहीं चाहती है तथा भूतपूर्व सरकार ने भी इस बात को ध्यान में नहीं रखा जिससे किसानों को घाटा रहता है ।

एफ० ए० सी० टी० उर्वरक संयंत्र लगभग 30 वर्ष पूर्व महाराजा ट्रावणकोर के शासन काल में स्थापित हुआ था । इसकी मशीनें बहुत पुरानी हैं तथा भरसक प्रयत्न करने के पश्चात् भी श्रमिक उसमें अधिष्ठापित क्षमता के 15 प्रतिशत से अधिक उत्पादन नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त मूल्य नियंत्रण लागू होने के कारण वहां घाटा हो रहा है । अतः मेरा सुझाव है कि उसकी पुरानी मशीनों को बदलकर नई मशीनें लगाई जाये ।

प्रतिवेदन के पृष्ठ 13 पर यह स्वीकार किया गया है कि इस संयंत्र की अभी मरम्मत की जा रही है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि कोचीन के चरण एक और एफ० ए० सी० टी० के चरण दो का क्या भविष्य है । उसमें पूरी क्षमता पर उत्पादन आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

आश्चर्य की बात है कि एफ० ई० डी० ओ० को सरकार ने प्राथमिकता नहीं दी है यद्यपि इस संयंत्र से बहुत लाभ हो सकता है । मेरा अनुरोध है कि सरकार उसे प्रोत्साहन दे जिससे यह संयंत्र सराहनीय कार्य कर सके । बम्बई हाई के सम्बन्ध में मैं श्री राय के कथन से सहमत नही हूं । बम्बई हाई परियोजना पर हमें गर्व है ।

मथुरा तेल शोधक कारखाने के बारे में डा० वर्धाराजन की रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकले हैं । मेरा सुझाव है कि इस कारखाने के बारे में कोई बाधा नही आनी चाहिये तथा जनता की आशाओं को यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिये ।

प्रतिवेदन में यह माना गया है कि कोचीन तेल शोधक कारखाने का इरान के अशोधित तेल के लिये ही उपयोग किया जाना है । इसमें बम्बई से प्राप्त अशोधित तेल को भी साफ किया जा सकता है । रिपोर्ट के अनुसार उसमें 22 लाख टन तेल को साफ किया गया जबकि उसकी वर्तमान क्षमता 80 लाख टन की है । अतः मेरा सुझाव है कि इस कारखाने को बम्बई हाई से उत्पादित अशोधित तेल सप्लाई किया जाये जिससे इस कारखाने की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके तथा केरल की जनता को इसका लाभ हो सके । तथा कोचीन क्षेत्र में पैट्रोलियम उद्योग समूह की स्थापना की मांग को पूरा किया जा सके ।

***श्री एन० कुदन भई रामलिंगण** (मयूरम) : महोदय, यह सौभाग्य की बात है कि कृषि के लिये अनिवार्य पूरक सामग्री, जैसे उर्वरक और कीटनाशी औषधियां हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में उत्पादित हो रही हैं तथा उनके लिये देश में कच्चा माल उपलब्ध है । किन्तु खेद है कि हमारे किसानो को उर्वरक और ऐसी औषधियां समय पर तथा उचित मूल्यों पर प्राप्त नही होतीं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र तंजौर में किसानो को उर्वरक

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपांतरण ।

*Summarised Hindi version based on English Translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री एन० कुदन भई रार्मलिगण]

नहीं मिल पाता। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह किसानों को समय पर तथा उचित मूल्य पर उर्वरक आदि उपलब्ध कराने के लिये ठोस कार्यवाही करें।

नाइट्रोजन उर्वरक के लिये हमारी अधिष्ठापित क्षमता 31 लाख टन है जबकि केवल 20 लाख टन उर्वरक का उत्पादन हो रहा है और 45 लाख टन उर्वरक की मांग है। उर्वरक वितरण की प्रणाली भी अत्यन्त दोषपूर्ण है जिससे आम किसानो को उर्वरक नहीं मिल पाता। मंत्री महोदय कृपया इस की ओर अधिक ध्यान दें।

मेरा यह भी सुझाव है कि उर्वरक को उत्पादन लागत के बारे में तथा उपरी खर्च और ढुलाई आदि पर व्यय में मितव्ययिता करने के बारे में पूरी जांच की जाय जिससे उर्वरकों के मूल्यों में कमी की जा सके।

भारतीय उर्वरक निगम को चार भागों में विभाजित करने के परिणामस्वरूप कुछ नई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जिससे उत्पादन पर और बुरा प्रभाव पड़ेगा। मंत्री महोदय इस ओर भी ध्यान दें तथा उत्पादन में कमीं न होने दें।

जोवन रक्षक औषधियों के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है तथा ऐसी औषधियां ग्रामीण जनता को मिल भी नहीं पातीं। मेरा सुझाव है कि इन औषधियों के मूल्यों पर सरकार का नियंत्रण अवश्य होना चाहिये तथा वितरण प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिये।

अनुमान है कि 1982-83 में 2400 करोड़ रुपयों के मूल्य की औषधियों की आवश्यकता होगी तथा उसके लिये प्रतिवर्ष 400 करोड़ रुपयों की पुंजी लगाने की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय की उस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा वह किस प्रकार इस आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं। क्या औषधियों का आपात इसी प्रकार किया जाता रहेगा?

जहां तक बड़ौदा में पैट्रो-रसायन उद्योग समूह का प्रश्न है, यह सफलतापूर्वक तभी कार्य कर सकता है जब पोलीथीन ग्रन्यूल का आयात बन्द किया जाये। इसके अतिरिक्त मिट्टी के तेल और कुकिंग गैस आदि का उत्पादन भी सरकारी क्षेत्र के कारखानों में होता है किन्तु इसकी वितरण प्रणाली दोषपूर्ण होने के कारण भारत की सामान्य जनता को कठिनाई होती है। इतना ही नहीं इनके मूल्य भी अधिक हैं। मेरा सुझाव है कि पैट्रोल पम्प देश के शिक्षित बेरोजगारों को दिये जायें। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी सुझाव है कि कावेरी डेल्टा में तेल की खोज के कार्य में ढील नहीं पड़नी चाहिये। कोरामण्डल तट पर क्षेत्र में भी तेल की खोज आरम्भ की जानी चाहिये।

Shri Ugrasen (Deoria): Sir, I rise to support the demand of the Ministry of Petroleum and chemicals. A problem should be understood in its entirety. I would like to tell my hon. friends that the production of fertilizers have increased.

I would like to request the hon. Minister that this report about Petroleum does not relate to his department.

Shri H. N. Bahuguna : It relates to both.

Shri Ugrasen : It would have been better had there been a separate report about that because this topic is wide. Everyone has demanded reduction in prices of fertilizers. There is a fertilizer factory at Gorakhpur and I have a bitter experience about that. We were told that a factory would be set up in the eastern part and people belonging to Uttar Pradesh and eastern part would be employed in that factory. People from eastern part have certainly settled at Sindri but their percentage is much less. People demand for the expansion of Gorakhpur Plant. Attention should be paid to it.

In this Report it is mentioned that we get petroleum from three sources: from land, from sea and from foreign countries where we extract oil. Two units are functioning at Purampur and Purwa in Uttar Pradesh. I want that a full-fledged and large scale unit should be installed in Uttar Pradesh for carrying out survey for petroleum. The Government has done adequate work at Jwala-mukhi Assam and Bengal. Foreign companies have been entrusted with the job of survey in the Kutch basin, Bengal basin and Cavery basin. I want the information about the work done in connection with extracting oil there should be supplied. An Indo-Soviet Team came and conducted survey and submitted a Report that 12 million tonnes of oil would be extracted. I want to know as to what extent the recommendations of that team have been implemented.

A Japanese company was given work in the bay of Bengal. That company gave up the job thereby putting the Government as well as to itself to loss. There should be five platforms in Bombay High.

I have come to know that there is no storage arrangement for the gas available from Bombay High. No proper plants have been set up so far. These plants should be set up immediately.

The hon. Minister should ensure that the prices of petrol, diesel and kerosene do not go up.

With these words I support the demands.

Shri Ram Vilas Paswan (Hajipur): May I know as to what steps Government contemplate to increase the production of fertilizer and thereby to create more avenues for employment? Has the Ministry formulated any scheme in this regard ? The cow dung available in rural areas is a fertilizer. That should be utilized as a fertilizer, coal is not available in the villages. For want of alternative arrangement to fuel in the villages, people have to use cow dung as a fuel. A particular type of trees are planted on trial basis in foreign countries which do not destroy the fertility of land. The wood of such trees can be used as fuel. In this way cow dung can be saved and utilised as a fertilizer.

Fertilizers blocks should be formed.

There were press reports that India sustained a loss of foreign exchange worth Rs. 350 crores due to import of fertilizers.

A lot of malpractices and bungling in payment for certain items is going on in Barauni Factory. These malpractices should be put to an end.

[Shri Ram Vilas Paswan]

An announcement was made at Katihar that a factory at the cost of Rs. 54 crores would be set up there in collaboration with the U.K. as also with the help of the World Bank. No action has been taken in this direction till date. Unless the persons responsible for implementing the policies are not changed, no policy is going to work.

Shri Bahuguna assured that 50 per cent reservation in services as well as in the matter of giving licences would be made for Harijans. It will have to be established as to who is Harijan, Justice is not being meted out to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Fertilizers and agriculture are co-related, Fertilizers, seeds, kerosene should be made available at reasonable rates. Without doing so green revolution cannot be brought about. Essential commodities should be provided at cheap rates. Attention should be paid to backward areas in Bihar. Barauni Factory should be reopened.

With these words, I congratulate the hon. Minister.

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : इस मंत्रालय के अधीन जितनी भी वस्तुएं आती हैं वे सब महत्वपूर्ण हैं। पैट्रोलियम, उर्वरक, रसायन और औषधियों की मांग है। यद्यपि इनका उत्पादन बढ़ रहा है तथापि देश अभीतक आत्म-निर्भर नहीं है और इन वस्तुओं के आयात पर अत्यधिक विदेशी-मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। अशोधित तेल, उर्वरक औषधियों और रसायनों के आयात पर 2000 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि खर्च करनी पड़ती है जो सभी वस्तुओं के आयात के कुल मूल्य का 45 प्रतिशत है।

मंत्री महोदय ने अशोधित तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये जो कार्यवाही की है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। यद्यपि यह उत्पादन बढ़कर 2 लाख बैरल प्रतिदिन हो सकता है तथापि इसे और बढ़ाने की गुंजाइश है। बम्बई हाई, उत्तरी वसई और दक्षिणी वसई में उपलब्ध साधनों से यह उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में हम विदेशों से तकनीशन बुलाकर उन्हें तेल निकालने का कार्य सौंप सकते हैं। इस समय हम अशोधित तेल के आयात पर लगभग 1600 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। हम इस दिशा में 1983 तक भी आत्म-निर्भर नहीं हो सकते हैं अतः इसके उत्पादन में तेजी लाई जानी चाहिये।

यद्यपि उर्वरकों का उत्पादन बढ़ा है लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना नहीं बढ़ा है। उर्वरक कारखाने अपनी क्षमता से कम क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। वर्ष 1976-77 में देश के सभी उर्वरक कारखानों में उत्पादन 70.2 प्रतिशत हुआ जो इस वर्ष कम होकर 56.1 प्रतिशत हो गया। इस कमी के कारण हमें उर्वरकों का आयात करना पड़ता है। इन उर्वरक कारखानों की क्षमता में सुधार करना होगा ताकि उत्पादन बढ़ सके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 5 अथवा 6 नये कारखाने लगाये जा रहे हैं परन्तु तब भी देश आत्म-निर्भर नहीं होगा। पेट्रोलियम के उत्पादन में आ रही कठिनाइयों को मैं समझता हूं लेकिन हम उर्वरकों के मामले में आत्म-निर्भर हो सकते हैं बशर्ते इस दिशा में प्रयास किये जायें। ऐसा करके रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कर सकते हैं। कृषि पर हम निर्भर करते हैं अतः उर्वरक सम्बन्धी समस्या की ओर ध्यान देना होगा।

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : इस मंत्रालय का कार्यभार सम्भालने के ठीक एक वर्ष पश्चात् मैं इसकी मांगें प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे अपनी त्रुटियों की जानकारी है। गत वर्ष के दौरान तेल की खोज में उससे पिछले वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह उपलब्धि कम नहीं है। 24,000 कर्मचारियों के बड़े संगठन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में एक दिन भी काम बन्द नहीं हुआ है और उसमें श्रमिकों से सम्बन्ध सामान्य रहे हैं। गत 12 महीनों के दौरान तेल और गैस के मामले में भाग्य ने हमारा बहुत साथ दिया है। बम्बई के 30 मिल दक्षिण-पश्चिम में तेल क्षेत्र का पता लगा है। यह प्रसन्नता की बात है कि इस दौरान गैस का भी पता लगा है।

पश्चिम क्षेत्र में जोटाना, पागरा, मोटवाना, और ससोदरा में तेल स्थलों का पता लगा हैं। पूर्वी क्षेत्र में अरूणाचल, नागालैंड और त्रिपुरा में तेल खोज का कार्य चल रहा है।

भारत इलैक्ट्रिकल्स में रिगों का निर्माण किया जाना देश के लिये गर्व की बात है। गत बारह महीनों में देश में जिस गति से कार्य हुआ है वह भी गर्व की बात है। गत वर्ष के दौरान किये गये कार्य से मैं पूर्ण तथा सन्तुष्ट हूं।

यह शिकायत की गई है कि यूरोप में एक वर्ष में 600 तेल कुएं खुदे हैं जबकि हमारे देश में वर्ष में केवल 59 अथवा इससे कुछ अधिक तेल कुएं खुदे हैं। यह क्या तुलना हुई। फ्रांस में प्रति व्यक्ति खपत 2442 किलोग्राम है जब कि भारत में केवल 41 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खपत है। भारत जैसा निर्धन देश दस लाख रुपये से अधिक लागत वाला छिद्रण कार्य कैसे कर सकता है। छिद्रण कार्य आरम्भ करने से पूर्व हमें अन्य बातों की ओर ध्यान देना होता है। मैं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के इंजीनियरों, वैज्ञानिकों तथा मजदूरों को उनके सराहनीय कार्य के लिये बधाई देता हूं। उन्होंने उपलब्ध प्रत्येक उपकरण का यथा संम्भव उपयोग करके अधिकतम उत्पादन किया है। हमारे 19 रिग बदले जाने वाले हैं। वे पुराने हो गये हैं हम उनका उपयोग नहीं कर सकते।

हमारा कार्य तट पर तथा तटदूर एक ही गति से चल रहा है। जहां तक बम्बई हाई का सम्बन्ध है, इस पर पूंजी निवेश एक लाभ का सौदा है।

बम्बई हाई में हमने पहले और दूसरे चरण में अब तक लगभग 160 करोड़ रूपये की पूंजी लगाई है और हमने उससे अन्तर्राष्ट्रीय दर पर 170 करोड़ रुपये का अशोधित तेल प्राप्त किया है। ब्रिटेन की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की छठा भाग है लेकिन वहां उत्तरी समुद्र में बम्बई हाई की तुलना में 10 गुना अधिक तेल है। यह सब प्राकृतिक देन है। हमारे देश में तट पर तथा तट दूर अनेक तेल क्षेत्र है।

हिमालयी क्षेत्र में भी हम तेल की खोज का कार्य कर रहे हैं। लेकिन बेसिन और तलघट विशेष प्रकार का है। इस कार्य में किसी को भी अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। यह सच है कि कावेरी बेसिन कार्य की देख-रेख असमारा द्वारा की जा रही है। उनके

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

साथ हमारा 35 प्रतिशत तेल म हिस्से का ठेका है । हमने असमारा को जून तक इस मामले में अपना विचार स्पष्ट करने को कहा है । यदि असमारा इस मामले में असफल रहता है तो मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि कावेरी बेसिन का कार्य तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा स्वयं आरम्भ किया जायेगा ।

केरल के पश्चिम तट पर जॉच कार्य चल रहा है और हम वहाँ समुद्र में शीघ्र ही छिद्रण कार्य आरम्भ करेंगे ताकि यह पता लगा सके कि वहाँ तेल उपलब्ध है अथवा नहीं। लेकिन तेल के प्राप्त होने अथवा प्राप्त न होने से कोचीन तेल शोधक कारखाने के कार्य में तथा बम्बई हाई कि तेल को कोचीन ले जाने में कोई बाधा नहीं आयेगी। बम्बई हाई का तेल कोचीन के लिये है । दक्षिण में मद्रास तेल शोधन कारखाना भी है । किसी कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर पहले मंत्रालय द्वारा 50,000 रुपये दिये जाते थे । सरकार ने व्यक्ति की हैसियत पर विचार किये बिना उक्त मुआवजे की राशि को एक लाख रुपये कर दिया है । हमने तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिये शैक्षिक भत्ता बढ़ा दिया है । मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वे प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं ।

बम्बई हाई के बारे में अनेक झूठी बातें कही जा रही हैं । मेरे लिये गुजरात का भी समान महत्व है । बम्बई को सारी गैस नहीं दी जा सकती । मैं ऐसी किसी भी जगह संयंत्र स्थापित करने की अनुमति नहीं दूंगा जिसके स्थापित किये जाने से आस-पास की वायु दूषित हो ।

हम गुजरात को गैस देने के लिये वचनबद्ध हैं । गुजरात में बम्बई की ओर उपलब्ध होने वाले गैस की तुलना में तापती से अधिक गैस उपलब्ध होगी ।

मुझे जब इस मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था उससे बहुत समय पूर्व बम्बई हाई के बारे में पता लग गया था। मैं इस विषय में पुरानी बातों का कोई उल्लेख नहीं करना चाहता और न ही किसी को दोषी ठहराना चाहता हूं। मैंने महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विभिन्न कार्यकारी दल गठित किये तथा इन दलों ने पिछले दिनों ही अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। अतः किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि मेरे लिये भारत का प्रत्येक क्षेत्र समान रूप से महत्वपूर्ण है। मैं सदन से आश्वासन दिलाता हूं कि प्रत्येक क्षेत्र के साथ पूर्ण न्याय किया जायेगा। इस के साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा कि प्रत्येक राज्य से कृषि के लिये पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मिले तथा यथा सम्भव सस्ती दरों पर मिले।

मैं चाहता हूं कि श्री ए० के० राय जैसे माननीय सदस्य जिन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक ज्ञान है दरअसल वे मेरे साथ बैठकर इस विषय में विचार विमर्श करें तथा समस्याओं का हल तलाश करें । मैं उनके साथ छोटे इस्पात कारखानों के बारे में भी विचार करना चाहूंगा। उनकी एक इच्छा अवश्य पूरी हो गई है। वह चाहते थे कि कुछ उर्वरक संयंत्र पूर्णतः भारतीय हों। गैस पर आधारित नामरूप संयंत्र जिसकी क्षमता 600 टन है पूर्णतः भारतीय है ।

उर्वरक क्षेत्र में एफ० ई० डी० ओ० तथा ई० आर० एल० और पी० एण्ड डी० इन संस्थाओं को मिलकर काम करना पड़ता है। किसी भी उर्वरक संयंत्र के लिये उद्योग मण्डल की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जहां तक कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदि का प्रश्न है यह कार्य अनिवार्य है क्योंकि इस दिशा में पुनर्गठन किया जा रहा है।

जहां तक बरौनी संयंत्र का सम्बन्ध है जैसे इस संयंत्र में खराबी आई मैंने तुरंत आई० एफ० सी० ओ० के चैयरमैन को इसकी जांच के लिये भेजा तथा उसकी रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र में ट्यूब की खराबी ऐसी घटना की जिसपर संयंत्र के कर्मचारीयों का कोई नियंत्रण नहीं था। ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी को दण्ड कैसे दिया जा सकता है। वास्तव में उर्वरक संयंत्र अत्यंत आधुनिक और अत्यंत जटिल हैं श्री दामानी ने कहा है कि उर्वरक का उत्पादन कम हुआ है किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि उत्पादन किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से उन्हे इस बात के लिये आमंत्रित करता हूं कि वह हमारे किसी भी उर्वरक संयंत्र के सलाहकार बन जाये तथा हम उनकी सलाह से कार्य करेंगे।

साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मुझे ज्ञात है कि उत्पादन में कमी हुई है किन्तु उसके कारण हैं। 24 हजार टन नाइट्रोजन उर्वरक की कमी बिजली की सप्लाई में कमी के कारण हुई। 12,000 टन की कमी श्रम समस्या के कारण हुई तथा 36,000 टन की कमी नांगल एक्सटेंशन को चालू करने में विलम्ब के कारण हुई। इन सभी कारणों पर हमारा कोई वश नही था। 10,000 टन की कमी कोयले की कमी के कारण हुई। जब कच्चा माल ही उपलब्ध नहीं होगा तो मैं उत्पादन क्या कर सकता हूं। इसके अतिरिक्त 111,000 टन की कमी मशीनें और उपकरण आदि के खराब होने के कारण हुई। उस प्रकार के दोषों को दूर करने के लिये हम हर सम्भव प्रयास कर रहे है।

जहां तक कीटनाशी औषधियों आदि का सम्बन्ध है 90 प्रतिशत माल गांवों को सप्लाई किया जाता है इसके आंकड़े मेरे पास हैं। यह कहना भी सच नहीं है कि उर्वरक को अधिक पसंद नहीं किया जाता। आप किसी भी क्षेत्र में जाकर जनमत एकत्र कर सकते हैं तथा आपको ज्ञात होगा कि किसानों में उर्वरक की काफी मांग है। जहां तक गोबर गैस संयंत्रों का प्रश्न है भूतपूर्व सरकार को भी इस बारे में गलतफहमी थी। वास्तव में साधारण व्यक्ति के पास इतनी संख्या में पशु ही नहीं हैं जिनके गोबर से ऐसे संयंत्र चलाये जा सकें उसके अतिरिक्त यह विषय कृषि मंत्रालय का है तथा माननीय सदस्य को इस विषय में सम्बद्ध मंत्रालय से ही विचार-विमर्श करना चाहिये।

जहां तक मूल संयंत्र और बायो गैस संयंत्र का प्रश्न है यह कार्य नगरपालिकाओं को करना चाहिये। हर कार्य के लिये केन्द्रीय मंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और नही हर कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा सकता है।

हाथी समिति के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। इस समिति की स्थापना 1974 में की गई थी तथा इसकी रिपोर्ट 1975 में आई थी तब मैं संसद में नहीं था। भूतपूर्व सरकार ने इस समिति की सिफारिशों के बारे में क्या कार्यवाही की? उन्होंने बहुराष्ट्रीय निगमों को बहुत छूट दे रखी थी। जितना इस सरकार ने इस बीच किया है भूतपूर्व सरकार ने इस दिशा में 25 प्रतिशत कार्य भी नहीं किया था।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

यह कहा जा रहा है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देश की जनता की खाल उधेड़ रही हैं। किन्तु क्या ऐसा औषध उद्योग में ही किया जा रहा है? बिस्कुट, खाद्य पदार्थ और प्रसाधन सामग्री आदि उद्योगों के बारे में क्या स्थिति है? फिर भी सरकार ने इस मंत्रालय के बारे में हाथी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। हाथी समिति ने सिफारिश की है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। उसकी सिफारिश है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की शेयर पूंजी धीरे-धीरे घटाकर 26 प्रतिशत की जाये। समिति ने तीन वर्ष की अवधि निर्धारित की थी किन्तु हमने उस अवधि को घटाकर दो वर्ष कर दिया है।

हमने यह भी निर्णय किया है कि वर्तमान विदेशी कम्पनियों को नये फार्मुलेशन लाइसेंस बल्क औषधियों की विकसित औद्योगिकी को ध्यान में रखकर दिये जायेंगे। हमने "लोन लाइसेंस" प्रणाली को भी समाप्त कर दिया है यद्यपि हाथी समिति ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया। अतिरिक्त उत्पादन को नियमित करने के बारे में की हमने एक अतिरिक्त शर्त लगाई है कि बल्क फारमूलेशन का अनुपात 1 : 5 से अधिक नहीं होगा। हाथी समिति ने सिफारिश की है:

"बिना प्राधिकार के औषधियों का निर्माण करने वाली विदेशी कम्पनियों की शाखाओं अथवा शत प्रतिशत विदेशी साम्य पुंजी वाले एककों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये।"

अधिक उत्पादन और अन्य कार्यों में शर्तों अथवा कानूनों का उल्लंघन करने के लिये कार्यवाही करने सहित एक अधिक व्यापक प्रावधान बनाया गया है। आयात-निर्यात संबंधी नीति का कोई उल्लंघन और औद्योगिक लाइसेंस के बारे में औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

आठ महत्वपूर्ण औषध मध्यवर्ती कम्पनियों को मूल्य नियंत्रण के अधीन शीघ्र ही लाया जायेगा। औषधियों के मूल्यों को कम करने के बारे में हम प्रयास कर रहे है और एसा निश्चित रुप से किया जायेगा। एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि एक मंत्री महोदय को अपना पद गमाना पड़ा था। क्योंकि उन्होंने हाथी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रयास किया था। मैं यहां कहना चाहता हूं कि मैंने हाथी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया है। इसका यह आशय है कि जनता सरकार किन्हीं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ में नहीं बिकी हुई है। ऐसा शायद पिछली सरकार में होता होगा।

भारतीय तेल निगम के बारे में काफी कहा गया है। मैं निगम के कर्मचारियों को अच्छे कार्य के लिये बधाई देता हूं। उन्होंने हड़ताल अवश्य की। लेकिन मैं हड़तालों से असंतुलित नहीं होता। आशा है कर्मचारी राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को समझेंगे और अनावश्यक हड़ताल नहीं करेंगे। अब कार्मिक संघों की मान्यता के अच्छे अवसर हैं। अधिकारियों को भी समझना होगा कि वे कार्मिक संघ के रुप में कार्य नहीं कर सकते। उनकी एसोसियेशन को तभी तक मान्यता मिलेगी जब तक वे जिम्मेवार एसोसियेशन के रुप में कार्य करेंगी।

कुछ क्षेत्रों में मिट्टी का तेल प्राप्त होने और अन्य बातों के बारे में मैं इस सत्र के अवसान होने से पूर्व की गई कार्यवाही और प्रयासों का मैं उल्लेख करूंगा। हरिजनों के बारे में शिकायतें मिली हैं कि उन्हें पेट्रोल एजेंसियों का आरक्षण नहीं किया गया है। मैं इस बारे में भी जांच-पड़ताल करुंगा और समुचित कार्यवाही करुंगा। मुझे सूचित किया गया है कि एक हरिजन व्यक्ति को एजेंसी दी गई है। लेकिन अब तक यह पेट्रोल पंप गोपालगंज के क्षेत्र में कहीं नजर नहीं आया है। मैं इन चार हरिजन युवकों से क्षमा मांगता हूं और आश्वासन देता हुं कि इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को दंड दिया जायेगा।

सी० एफ० पी० के कार्यों का भी उल्लेख हुआ है। मैं एक बात सदन को बताना चाहता कि यदि यह मामला न्यायालय में नहीं चल रहा होता तो मैं पूरा मामला खोल देता कि मैं इसमें क्या अनुभव करता हूं। सी०पी० एफ० के बारे में मुझे जानकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अध्यक्ष से प्राप्त हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि इस विशेष समझौते पर फ्रांस इसलिये हस्ताक्षर नहीं कर रहा क्योंकि वह इसमे कुछ परिवर्तन चाहते है। मैं इस विवाद में नही पढ़ता कि दोनों पेशकशों में कोई तुलना हो सकती है अथवा नहीं। इस बारे में न्यायालय ही निर्णय करेगा और यदि ठीक समझेगा तो लोगों को दंड देगा। उसके निर्णय से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। मैंने किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है क्योंकि उनका यह समझौता तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के साथ था और न कि भारत सरकार के साथ। इसके अतिरिक्त सी० पी० एफ० किसी विशेष क्षेत्र में उतने ही जन घंटों के लिये सलाह देने संबंधी अपने वायदे से मुकरना चाहती है। हम बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों जैसे गैमेन के चंगुल में नहीं फसना चाहते। यह कहना गलत है कि मैं यह नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक प्रक्रिया होती है जिसके अन्तर्गत सरकार चलती है। एक ऐसी नीति है कि इतने वर्षों के बाद अधिकारियों का स्थानांतरण किया जायेगा।

बड़े संयंत्रों और छोटे संयंत्रों की बड़ी चर्चा है। कुछ सदस्यों ने कटौतीं प्रस्ताव रखे हैं। मैं उनका यहां उत्तर नहीं दे सका हूं। मुझे उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर मैं उन्हें पत्र लिखूंगा।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे (सांगली) : मैंने महाराष्ट्र तट पर प्रस्तावित उर्वरक संयंत्र के बारे में एक कटौती प्रस्ताव रखा है। आपने उसका उत्तर नहीं दिया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यदि कहीं पर्यावरण खराब होता है तो मैं वहां कभी संयंत्र स्थापित नहीं करुंगा। लेकिन विशेषज्ञ ही इस बारे में निर्णय ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्तावों पर जोर नहीं देंगे क्योंकि यह एक एसा मंत्रालय है जो राष्ट्र के प्रति बहुत आवश्यक सेवा कर रहा है।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे (सांगली) : मैं अपना कटौती प्रस्ताव संख्या 7 सभा की अनुमति से वापस लेना चाहता हूं।

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The cut motion was, by leave, withdrawn.

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 8 से 15 सभा की अनुमति से वापस लेना चाहता हूं ।

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

The cut motions were, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री के० राजन के कटौती प्रस्ताव संख्या 16 से 20 सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The cut motions were, put and negatived.

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 25 से 32 और 34 से 39 सभी की अनुमति से वापस लेना चाहता हूं ।

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

The cut motions were, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1978-79 के लिये पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुदानों की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following demands for grants for the year 1978-79 in respect of Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
69	पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय .	90,94,000	..
70	पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग .	66,36,93,000	157,22,37,000
71	रसायन और उर्वरक उद्योग . .	102,62,23,000	262,04,79,000

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 31 मार्च, 1978/10 चैत्र, 1900 शक के ग्यारह बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, the 31st March, 1978/Chaitra 10, 1900 (Saka).

भा०स०मू०ना०—से4—120 एल एस एस (एन डी)/78—31-7-78—210